षोडश माला, खंड 18, अंक 7 मंगलवार, 26 जुलाई, 2016

4 श्रावण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

सुनीता थपलियाल

संयुक्त निदेशक

अनिल कुमार कौशिक

उप - निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 18, नौवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 / 4 श्रावण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125,131	13-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 130,132-140	42
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 43-46, 118-121

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियाँ

कार्य का सारांश 47

संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)

कार्य का सारांश 46

कार्य मंत्रणा समिति

33वां प्रतिवेदन 48

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा

5वां प्रतिवेदन 49

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

महानदी पर कथित बैराज परियोजनाएं चलाना जिससे ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल के प्रवाह पर भारी असर पड़ रहा है

श्री भर्तृहरि महताब 50, 53-63

डॉ. संजीव बालियान 50-52, 72-77

नियम 377 के अधीन मामले 79-107

(एक) उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूरी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) 80

(दो) उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री दद्दन मिश्रा 81

(तीन) कपड़ा क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री फिरोज़ वरुण गांधी 82

(चार) झुन्झुनू-सीकर खंड पर रेलगाड़ियों की आगमन-प्रस्थान समय-सारणी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष अहलावत 83

(पांच) झारखंड के धनबाद में भारतीय जीवन बीमा निगम का मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 84-85

(छह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी स्थित सार्वजानिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम भारत पंप और कम्प्रेशर्स लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने हेतु समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री श्यामा चरण गुप्त 86

(सात) गुजरात के विशेषरूप से भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिन परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 87

(आठ) गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 88

(नौ) मध्य प्रदेश के विशेषकर दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत बनी सड़कों को विभाजित करने वाली सड़कों पर अंडरब्रिज या उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 89

(दस) झारखंड के गढ़वा में बाइपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 90

(ग्यारह) झारखंड के गांवों में जल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियुक्त की गई जलसहियाओं की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 91

(बारह) गुजरात में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी करने हेतु पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री परेश रावल 92

(तेरह) असम की बराक घाटी में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति में सुधार किए जाने के बारे में

कुमारी सुष्मिता देव 93

(चौदह) भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय किये जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. आई. शनवास 94

(पंद्रह) भूमि अर्जन के बदले किसानो को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिये भारतीय ऊर्जा अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा 95

(सोलह) उदय योजना में तमिलनाडु राज्य की भागीदारी के बारे में

श्री एम. उदयकुमार 96

(सत्रह) श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै को विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. गोपालकृष्णन 97

(अठारह) पश्चिम बंगाल के खामरगाछी रेलवे स्टेशन पर फुटओवरब्रिज के लिए रैम्प का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना (नाग) डे 98

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के अरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 99

(बीस) ओडिशा के पाराद्वीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 100-101

(इक्कीस) विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड 102

(बाईस) झारखंड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के राजमहल ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट में स्थानीय युवकों को नौकरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार हांसदाक 103

(तेईस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बी.टी.एस. टावर और उपस्कर लगाए जाने की आवश्यकता

कुँवर हरिवंश सिंह 104

(चौबीस) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 105

(पच्चीस) पश्चिम महाराष्ट्र में गुड़ प्रसंस्करण एककों का क्लस्टर की स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 107

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(राज्य सभा द्वारा यथा पारित) 107-107,

122-276

विचार के लिए प्रस्ताव 107-108

श्री बंडारू दत्तात्रेय 107-108,

232-261

श्रीमती रंजीत रंजन 109-117

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 122-131

श्री सी.गोपालकृष्णन	132-136
श्री कल्याण बनर्जी	137-143
श्री कलिकेश एन. सिंह देव	144-148
श्री विनायक भाऊराव राऊत	149-153
श्री जैदेव गल्ला	153-157
श्रीमती कविता कलवकुंतला	158-162
श्री पी. के. बीजू	163-166
श्रीमती बुत्ता रेणुका	167-169
श्रीमती सुप्रिया सुले	170-174
श्री फिरोज़ वरुण गांधी	175-181
श्री अक्षय यादव	182-184
श्री देवेन्द्र सिंह भोले	184-186
श्री शैलेश कुमार	187-188
श्री गोपाल शेट्टी	189-191
श्री बदरुद्दीन अजमल	192-194
श्री रवीन्द्र कुमार राय	195-197
डॉ. अरुण कुमार	198-199
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	200-201
श्री दुष्यंत चौटाला	202-204

श्रीमती रेखा वर्मा	205-206
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	207-209
श्री जुगल किशोर	210-211
श्री कौशलेन्द्र कुमार	212-213
श्री धर्म वीर गांधी	215-216
श्री सी. एन. जयदेवन	217-218
श्री शेर सिंह गुबाया	219-220
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	221-224
श्री प्रेम दास राय	225-226
श्री जोस के. मणि	227-228
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	229-231
श्री राजेश रंजन	232-234
श्रीमती अपरूपा पोद्दार	235-237
श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर	238-239
श्री के. परसुरमन	240-241
डॉ. रत्ना डे (नाग)	242-244
डॉ. वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली	245-247
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	248-251, 262

खंड 2 से 22 और 1	263-275
पारित करने के लिए प्रस्ताव	275

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 / 4 श्रावण, 1938 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्र. संख्या 121, श्री विनोद लखमाशी चावड़ा

(प्रश्न संख्या 121)

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सरकार और मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान) किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, सरकार और मंत्रालय ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और निर्णय लिये हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा सवाल है कि देश में फर्टिलाइजर की कुल जरूरत और उसके विरुद्ध उत्पादन की आवश्यकता तथा उसे बढ़ाने के लिए सरकार भविष्य में क्या कदम उठाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल.मांडविया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, समग्र देश में किसानों को सरलता से फर्टिलाइजर उपलब्ध हो, इसकी उपलब्धता में कोई असुविधा न हो और भूतकाल में जो व्यवस्था बनी हुई थी, उससे बाहर आकर हिन्दुस्तान के किसान उसे प्राप्त कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि पाँच वर्षों में देश के किसानों की आय डबल होनी चाहिए। आय डबल करने के लिए किसानों को फसलों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। उसका उत्पादन तब बढ़ेगा, जब उसको समय पर फर्टिलाइजर मिले, उसका उत्पादन बढ़े। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसमें यूरिया फर्टिलाइजर का मेजर पार्ट है। वर्ष 2015-16 में देश में यूरिया का सबसे आधिक 245 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जो भूतकाल में कभी नहीं था। वर्ष 2011-12 में हमारे देश में यूरिया की रिक्वायरमेंट 305 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध इसकी उपलब्धता 298 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष 2012-13 में यूरिया की 315 लाख मीट्रिक टन रिक्वायरमेंट के विरुद्ध 307 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता

थी। वर्ष 2013-14 में यूरिया की आवश्यकता 316 लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 306 लाख मीट्रिक टन थी।

मुझे खुशी है कि वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में हमने जो नयी यूरिया नीति घोषित की, व्यवस्था में जो बदलाव किया, सुचारू व्यवस्था की, उसकी वजह से यूरिया की आवश्यकता से आधिक उपलब्धता बढ़ी। इसके बढ़ने से किसानों को अच्छी तरह से फर्टिलाइजर मिलने लगा, उसका उत्पादन बढ़ने लगा। मैं भी वर्ष 2012 में गुजरात में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का चेयरमैन था और फर्टिलाइजर वितरण का काम देखता था। देश में यह स्थिति थी कि जब हमारे यहाँ बारिश होती थी और जून-जुलाई के महीने में गांव और डिस्ट्रिक्ट से हल्ला होता था, लम्बी-लम्बी लाइनें लग जाती थीं और लोग कहते थे कि हमको खाद नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की, उसकी वजह से आज सभी राज्यों में यूरिया की डिमांड के अनुसार फर्टिलाइजर मिल रहा है।

हमने केवल यही नहीं किया है कि किसानों को समय पर खाद मिले, बल्कि सम्पूर्ण यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया है। केवल 128 दिनों में सम्पूर्ण यूरिया को नीम कोटेड कर दिया गया। उससे यह फायदा हुआ कि जो यूरिया केमिकल इंडस्ट्रीज में चला जाता था और जैसे-तैसे रास्ते में चोरी होती थी, वह सभी समाप्त हो गया। केमिकल इंडस्ट्री में नीम कोटेड यूरिया नहीं चलने से किसानों को अच्छी तरह से खाद मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका उत्तर अच्छा था, लेकिन उत्तर थोड़ा शॉर्ट में देंगे तो सही रहेगा।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि फर्टिलाइजर की राज्यों द्वारा की गयी मांग और राज्यों को सप्लायी किए गए फर्टिलाइजर की राज्यवार मात्रा कितनी है? राज्यों की मांग के चलते, हमने कितनी मात्रा में उनको सप्लायी किया है? वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने कौन सी नयी योजनाएं हैं और क्या कदम उठाए हैं?

श्री मनसुख एल.मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे देश में खाद के उत्पादन के लिए कुल तीस प्लांट थे, जिसमें से आठ प्लांट ऐसे थे जो बंद हुए थे। जिनमें पांच एफसीआई के थे, जो गोरखपुर, सिंदरी, रामगुंडम, तलचर और कोरबा में है। एफसी के बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है और इच्छाशक्ति के आधार पर चलती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई जी ने कहा था कि देश के किसानों को दाम भी अच्छा मिलना चाहिए और फर्टिलाइज़र भी पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए 13.07.2016 को निर्णय किया गया कि गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हमारे जो तीन खाद के कारखाने बंद थे इन्हें शुरू करने का निर्णय किया गया और पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री अनंतकुमार जी ने गोरखपुर के खाद के प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट का शिलान्यास करते हुए हमारे मंत्री जी ने कोट किया था और यह कहना यहां उचित लगता है कि 25 साल यह प्लांट बंद रहा। कई सरकारें आईं और गईं, वायदे होते रहे और उनका व्यापार भी होता रहा, लेकिन वास्तविकता में वहां कुछ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारी सरकार इन कारखानों के 25 साल से बंद होने की रजत जयंती मना रही थी। हमारी सरकार को सत्ता में आए 25 महीने के करीब हो गए हैं। हमारी सरकार जिस माह में उसकी रजत जयंती मना रही थी तो उस अवसर पर हमारे मंत्री अनंतकुमार जी ने उस कार्यक्रम में कोट किया था कि हम 25 महीने में गोरखपुर क्षेत्र में खाद का कारखाना दे रहे हैं और चार हजार लोगों को उससे रोजगार मिलेगा और तीन लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा। हमने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे कि भविष्य में देश में किसी जगह पर खाद की कमी न हो।

माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि राज्यवार खाद की कितनी रिक्वायरमेंट है। मैं इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे सकता हूं, लेकिन माननीय सदस्य गुजरात राज्य से हैं इसलिए मैं गुजरात राज्य के बारे में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2015-16 में यूरिया की रिक्वायरमेंट 20 लाख मीट्रिक

टन थी और उपलब्धता 21 लाख मीट्रिक टन थी। ऐसे ही डी.ए.पी. की रिक्वायरमेंट पांच लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 5.28 लाख मीट्रिक टन थी। एम.ओ.पी. की कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट 8 लाख मीट्रिक टन थी और उपलब्धता 8.19 लाख मीट्रिक टन थी। इस तरह से आवश्यकता से आधिक फर्टिलाइजर हमने उपलब्ध करवाया है और सारी व्यवस्था करके सभी राज्यों को आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया है।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: माननीय मंत्री श्री अनंतकुमार जी ने शपथ लेने के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रैवेनकोर(एफएसीटी) का पहला दौरा किया, जिसे उर्वरक उद्योग की जननी माना जाता है। कई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया था और माननीय मंत्री द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जिस पर बैंक 13.25 प्रतिशत का वाणिज्यिक ब्याज दर वसूल रहे हैं। हम माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि वे ब्याज दर को कम करें। हम सहायता के लिए आभारी हैं, लेकिन हम पुनः अनुरोध करते हैं कि ब्याज दर को कम किया जाए।

दूसरी बात, लगभग 8,000 करोड़ रुपये का पैकेज तैयार किया गया था, लेकिन वह अभी तक सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री ने एफएसीटी को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन अब यह मुश्किलों का सामना कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री किस तरह की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और क्या कदम उठा रहे हैं, ताकि एफएसीटी, जो देश में एनपीके और फैक्टमफोस जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का उत्पादन कर रहा है, अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आकर फिर से सक्रिय हो सके।

श्री अनंत कुमार: हमारे माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, महोदया।

एफएसीटी देश में उर्वरक संयंत्रों की जननी है। जैसा कि उन्होंने सही कहा, रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद मेरी पहली यात्रा एफएसीटी की थी। पिछले आठ वर्षों से एफएसीटी को कोई

सहायता या पैकेज नहीं दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा दी थी। ब्याज दर के बारे में, मैं भी चिंतित हूं। इसलिए, मैंने इस विषय को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में समाधान मिलेगा।

एफएसीटी का पुनरुद्धार जारी है। जब हाल ही में मैंने एक बैठक की थी, तो उन्होंने कहा था कि इससे पहले यह केवल छह लाख मीट्रिक टन फैक्टमफोस का उत्पादन कर रहे थे। अब , इस साल से, थॉमस महोदय के लिए एक अच्छी खबर है कि यह दस लाख टन फैक्टमफोस का उत्पादन करेगा। भारत सरकार एफएसीटी की सहायता करेगी। हमने बहुत ही उचित मूल्य पर गैस भी उपलब्ध कराई है। मैं इस सभा और माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम एफएसीटी को पुनः सक्रिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

श्री ए. अरूणमणिदेवन: माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।

महोदया, किसान पिछले दो वर्षों से सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें साल-दर-साल फसल का नुकसान हुआ है। इसलिए, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हमारे अन्नदाताओं को सहायता प्रदान करे, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यूरिया की कीमत कम करने का अनुरोध किया जा रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में आयात करके उन्हें हुए नुकसान के अनुरूप यूरिया की कीमत में और कमी पर विचार कर रही है?

श्री अनंत कुमार: यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। हम किसानों को यूरिया 5,360 रुपये प्रति टन की दर से प्रदान कर रहे हैं, जबकि वास्तविक उत्पादन लागत 18,000 से 22,000 रुपये के बीच है; इस पर प्रति टन 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

दूसरी बात, हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के निर्देश पर पिछले 30 वर्षों में पहली बार, भारत सरकार ने विभिन्न अन्य उर्वरकों जैसे डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और एन.पी.के. की कीमतों में कमी की

है। डी. ए.पी. के लिए, हमने इसे 2,5000 रुपये प्रति टन तक कम कर दिया है अर्थात 125 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग; एम.ओ.पी. के लिए हमने इसे 5,000 रुपये प्रति टन, अर्थात 250 रुपये प्रति बैग 50 किलोग्राम तक कम कर दिया है; *मिश्रित खाद*, अर्थात मिश्रित उर्वरक है, के लिए हमने इसे 1,000 रुपये कम कर दिया है अर्थात 50 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग। मुझे लगता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमने तय किया है,*'ज़मीन बचाओ,किसान बचाओ'*। इसलिए यह पहली सरकार है जिसने उर्वरकों के दाम कम किए हैं।

श्री थोटा नरसिम्हम: यूरिया पर अधिक सब्सिडी देने के कारण निर्दोष गरीब किसानों ने अपने खेतों में यूरिया का उपयोग बढ़ा दिया था और इसने मिट्टी पर विषैले पदार्थ छोड़ दिए, जिससे उत्पादकता प्रभावित हुई। सरकार को एन.पी.के. अर्थात नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस सब्सिडी पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। क्या सरकार एक व्यापक उर्वरक सब्सिडी नीति तैयार करेगी और सतत कृषि उत्पादकता के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाएगी? डॉ. स्वामीनाथन द्वारा उल्लिखित 'जलवायु स्मार्ट फसलों' को अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

तमिलनाडु में चावल की पैदावार बढ़ाने की प्रणाली के मैडागास्कर मॉडल ने कम पानी और न्यूनतम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम दिए हैं। क्या सरकार इसे पूरे देश में बेहतर परिणाम लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में शामिल करेगी?

श्री अनंत कुमार: महोदया, माननीय सदस्य थोटा नरसिम्हम ने एक बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। हमारे पास एक क्रमबद्ध नीति है। वर्तमान में एन.पी.के. अनुपात 8.2:4:1 है, लेकिन वास्तव में यह 4:2:1 होना चाहिए।

कुछ राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और अन्य स्थानों में इसका अनुपात 60:4:2 से भी अधिक है। इसलिए, भारत सरकार ने ऐसी नीति बनाई है कि हम सबसे पहले पूरे उर्वरक को नीम से कोट करेंगे। नीम कोटिंग यूरिया पर आवरण की तरह है जिसके कारण नाइट्रोजन धीरे-धीरे कम होता है और इसलिए कम यूरिया का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, जब हमने फॉस्फेट और पोटाश जैसे अन्य उर्वरकों और जटिल उर्वरकों

की दरों को कम कर दिया है, तो यूरिया के बजाय अन्य उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाएगा और इसलिये उर्वरक का प्रयोग संतुलित होगा।

माननीय सदस्य ने जैविक उर्वरक के बारे में पूछा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने *स्वच्छ भारत अभियान* का शुभारंभ किया है और उस अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक अपशिष्ट खाद है। कचरे को इकट्ठा करके, अलग करके और फिर इसे संसाधित करके जो भी खाद बनाई जाती है, वह यूरिया की तुलना में महंगी होती थी। इसलिए, पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने खाद, जैविक उर्वरक पर सब्सिडी योजना बनाई है, जो 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर है। इसलिए, शहरी अपशिष्ट से उत्पन्न खाद यूरिया की तुलना में अधिक किफ़ायती हो गई है। मुझे लगता है कि यही आगे का रास्ता है।

हम जैविक उर्वरकों को अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे ताकि संतुलित उर्वरीकरण सुनिश्चित किया जा सके। पूरी सभा जानती है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और ऐसे अन्य उपायों के कारण किसान को अपनी मृदा के स्वास्थ्य और आवश्यकता के बारे में सही जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर वह उर्वरीकरण के लिए जा सकता है।

(प्रश्न संख्या 122)

श्री आर. गोपालकृष्णन: महोदया, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद ।

पुरात्ची थलाइवी अम्मा, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए काम करती हैं। केंद्रीय योजनाओं के अलावा, अम्मा स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए कई अनूठी योजनाओं को लागू करती रही हैं जैसे कि मुफ्त लैपटॉप, वर्दी, पुस्तक, साइकिल आदि प्रदान करना। लड़कियों के विवाह के लिए निःशुल्क सोना उपलब्ध कराने की भी योजना है। पहले लड़कियों को चार ग्राम सोना उपलब्ध कराया जाता था, जिसे अब संशोधित करके आठ ग्राम कर दिया गया है। स्नातक तक शिक्षित लड़कियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार देना , तमिलनाडु में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन में मदद करना, जैसी योजनाओ को देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है। अम्मा का जीवन तमिलनाडु के लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है।

क्या केंद्र सरकार के पास अनुसूचित जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लागू करने में तमिलनाडु की राज्य सरकार को सहायता देने की कोई योजना है? यदि हां, तो कृपया उसका विवरण दें।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मेरे विभाग की लगभग 66 योजनाएं हैं, उनमें दिव्यांगजनों के लिए भी हैं और बाकी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आदि के लिए हैं। इस प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर मैंने दिया है। फिर भी अगर माननीय सदस्य तमिलनाडु के संबंध में कुछ पूछना चाहें, तो मैं उनको बता दूंगा। वैसे तो हमने यह अनुलग्लक साथ में लगाया है। उसके बाद भी आप कहें तो मैं उसको पढ़ देता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपने विवरण दिया है।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न के उत्तर के साथ सभी डिटेल्स लगाई हैं। इससे ज्यादा विस्तृत उत्तर शायद ही कोई देगा।

[अनुवाद]

श्री आर. गोपालकृष्णन: हमारे पास तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के विकास के लिए विशेष योजनाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री *आदर्श ग्राम योजना* के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों में चलायी जा रही परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय के तहत योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की है? यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह भी दिया हुआ है, आप एक साथ सारे उत्तर पढ़ लीजिए।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, ये दो विषय हैं, एक विषय तो महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित है और आदर्श योजना वाला विषय पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से है। वे अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के बारे में पूछेंगे तो हम अलग से तो आँकड़े नहीं रखते हैं। मेरे पास छात्र-छात्राओं के सामूहिक आँकड़े हैं और मैंने ये आँकड़े अपने उत्तर के अनुलग्नक 'क' में दिये हैं। उसके आगे भी बहुत सारे अनुलग्नक एक, दो, तीन, चार, पाँच तक लगे हुए हैं, उन सबमें यही विस्तृत जानकारी है। आप कहें तो मैं देख-देखकर बता सकता हूँ, परन्तु जो प्रश्न उन्होंने किया है, वह मूल रूप से मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से इसी सीट से प्रश्न पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने बहुत ही विस्तार से दिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं चाहूँगा कि वर्ष 2015-16

में माननीय मंत्री जी ने बालिका छात्रावास के लिए 45.69 करोड़ रूपया, लगभग 46 करोड़ रूपया आवंटित किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि बालिका छात्रावासों के निर्माण में या उनकी स्थापना में माननीय सांसदों की क्या भूमिका होगी और अगर भूमिका होगी तो वह किस तरीके से होगी? बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, छात्रावास चाहे बालकों के लिए हो या बालिकाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हो या ओबीसी के लिए हो, राज्य सरकार की ओर से यह प्रस्ताव आता है। एनजीओज भी ऐसे छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित करते हैं, पर वे भी प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ऑनलाइन भेजते हैं और उस पर विचार करके हम स्वीकृति प्रदान करते हैं। जहाँ तक यह प्रश्न है कि माननीय सांसदगण की उसमें क्या भूमिका है, वे राज्य सरकार के साथ सम्पर्क में रहकर के, अगर उनके क्षेत्र में कोई आवश्यकता है तो वे राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं, हम उस पर जरूर स्वीकृति देने का काम करेंगे। अगर उनके क्षेत्र में कोई एनजीओज हैं, एनजीओज के माध्यम से भी वे कोई प्रस्ताव बनवाना चाहें तो हम उसे स्वीकार करेंगे। छात्रवृत्ति और छात्रावास दोनों हमारे विभाग की योजनाएं हैं, परन्तु राज्य सरकार के माध्यम से ही वे प्रस्ताव आते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. ए.एस.आर. नायक: महोदया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से कई गैर-सरकारी संगठन काम कार रहे हैं। एक वर्ष में उन्हें कितनी राशि आवंटित की जाती है? क्या सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन या निगरानी प्रणाली रखी गई है? यदि ऐसा नहीं है तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की क्या भूमिका है?

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, जैसा मैंने बताया, राज्य सरकार के माध्यम से एनजीओ के भी और दूसरी जो संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती हैं, ऐसे प्रस्ताव आते हैं और हम धनराशि आवंटित करते हैं। एनजीओज की जानकारी मैं उनको अलग से पहुँचा दूँगा। रहा सवाल मानीटरिंग का तो हमारे केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के आधिकारी साल में दस परसेंट ऐसी संस्थाओं का जाकर के औचक निरीक्षण करते हैं, रूटीन निरीक्षण भी करते हैं और हम राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ, सम्बन्धित मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक भी करते हैं। साल में कम से कम दो बैठक करते हैं। जो राज्यों में लोक सभा क्षेत्रवार सतर्कता और निगरानी समिति होती है, उस बैठक में भी इस प्रकार के विषयों की चर्चा होती है। कुल मिलाकर मानीटरिंग के यही तरीके हैं। कुल मिलाकर जो योजना है, उसे राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है, इसलिए हम राज्य सरकार के माध्यम से यह सारी कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की गई है या नहीं। कर्नाटक सरकार ने जनसंख्या के आधार पर धन आवंटित किया है, जो 24.1 प्रतिशत है। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किये थे और इस वर्ष, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

मैं चाहता हूं कि श्री अनंतकुमार को इस बारे में पता चले। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंच बार-बार यह अनुरोध करते रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार धन आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूँ - सबसे पहले, क्या सरकार उनकी आबादी के अनुसार एस.सी.पी. और एस.टी.पी. योजनाओं की योजना बना रही है या नहीं। उनकी शिक्षा और कल्याण

के लिए धन आवंटित किया जा सकता है, और दूसरा, वर्ष 1993-94 में सलाहकार समिति ने निर्णय लिया था कि देश के सभी 650 जिलों में शिक्षा को अधिक गुणात्मक बनाने के लिए विशेष घटक योजना से धन का उपयोग करके आवासीय स्कूल होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि जनसंख्या के मान से एस.सी.एस. पी. योजना के तहत धनराशि केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों में जारी होनी चाहिए। जहाँ तक कर्नाटक का विषय उन्होंने रखा है और जानकारी दी है, मैं कर्नाटक सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा, परंतु यह भी बताना चाहूँगा कि इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्य हैं, जिनके यहाँ एस.सी. और एस.टी. की जितनी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा धनराशि वे आबंटित कर रहे हैं। परंतु केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में निधाररित जनसंख्या के प्रतिशत के मान से एस.सी. वर्ग में और एस.टी. वर्ग में भी अभी तक धनराशि आबंटित नहीं हो पाई है। मैं आँकड़े दर्शाकर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास जारी है। जैसे एस. सी. वर्ग के लिए 15 प्रतिशत होना चाहिए, एस.टी. के लिए 7.5 प्रतिशत होना चाहिए। एस.सी. वर्ग की जानकारी मैं आँकड़ों सहित पढ़कर सुना देता हूँ। 2011-12 में 30551 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ था जो 9.10 प्रतिशत था। 2012-13 में उसका प्रतिशत 9.49 था, 2013-14 में 9.91 था। 2014-15 में 10.43 था। 2015-16 में 11.83 था और 2016-17 में 12.60 है। इसमें निरंतर वृद्धि तो हो रही है, परंतु यह 15 प्रतिशत होना चाहिए, उस आँकड़े तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि यह व्यवस्था की जाए।

इसका एक दूसरा पहलू है। केन्द्र के जो मंत्रालय एस.सी. सब प्लान के लिए धनराशि आबंटित करते हैं, उनका बजट प्रावधान कितना हुआ है, इसका प्रावधान उसके कारण है। जब 2014-15 में यह सरकार आई तो हमने एक साथ धनराशि में बढ़ोतरी करके 50548.16 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की थी, परंतु 2015-

16 में 14वें वित्त आयोग के कारण, उसके प्रतिवेदन को स्वीकार करने के कारण, राज्यों को 10 प्रतिशत और लोकल बॉडीज़ के लिए 5 प्रतिशत, इस प्रकार 15-17 प्रतिशत आधिक धनराशि दी। केन्द्रीय बजट में जो कमी आई थी, इस कारण से 30824.61 करोड़ हुआ था परंतु इस बार उसको बढ़ाकर 38832.63 करोड़ रुपये किया है। परसेंटेज में हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं। प्रयास जारी है और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : माननीय अध्यक्ष महोदया, हाल ही में एक वैश्विक सेवानिवृत्ति सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें विभिन्न देशों में वरिष्ठ नागरिकों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था। यह हम सभी के लिए शर्मनाक है कि भारत 43 देशों की इस सूची में सबसे नीचे था। आज, हमारे पास लगभग 12 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों की आबादी है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास एक राष्ट्र के भीतर केवल वरिष्ठ नागरिकों का एक राष्ट्र है, और यहां तक कि जर्मनी की आबादी भी उससे कम है। हम अपने समाज के इस वर्ग के लिए बहुत कम काम कर रहे हैं। आंकड़े के संदर्भ में इन 12 करोड़ में से, लगभग 1.5 करोड़ अकेले रह रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 23,095 व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए अपने एकीकृत कार्यक्रम के तहत 27.58 लाख रुपये खर्च किये हैं। पूरे मंत्रालय के लिए 6,500 करोड़ रुपये का बजट है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों को देखें , तो 30,000 से अधिक व्यक्ति सालाना शामिल किए जाते हैं। यह सचमुच हैरान करने वाली बात है।

वरिष्ठ नागरिकों पर नई राष्ट्रीय नीति का प्रारूप वर्ष 2011 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष केंद्र सरकार को वर्ष 1999 की नीति को उन्नत करने का निर्देश दिया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है। पूर्ववर्ती संप्रग-सरकार ने इस संबंध में एक कार्यदल का गठन किया था।

वरिष्ठ नागरिकों पर नई राष्ट्रीय नीति लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब तक करने की योजना बना रही है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यंग मैन, ये 'शेमफुल' वगैरह शब्द कम यूज़ करो। आप युवा हो, यह अच्छी बात है कि आप सीनियर सिटीजेन की चिंता कर रहे हो। प्लीज़, थोड़ा-सा ध्यान रखिए।

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, अपने मंत्रालय की ओर से हम समेकित वृद्धजन कार्यक्रम संचालित करते हैं। यह कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठन अर्थात एन.जी.ओज़. के माध्यम से संचालित होते हैं। जो केन्द्र द्वारा संचालित होते हैं, उनके संचालन के लिए और वहां जितनी संख्या में वृद्धजन होते हैं, उसके आधार पर उन्हें आर्थिक सहयोग हम प्रदान करते हैं। पर, इसके लिए भी प्रस्ताव राज्य सरकार के थ्रू ही आता है। उन्होंने जो जानकारी दी है, वह विदेशों के बारे में जानकारी दी है। विदेशों की संस्कृति में और अपनी संस्कृति में अन्तर भी है। हमारे यहां तो वृद्धजनों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं। जो नई नीति हम बना रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं कि उसमें वृद्धजनों को ऐसा वातावरण मिले, ऐसी सुविधाएं मिले, ताकि उन्हें वृद्धजन गृह में भी पारिवारिक वातावरण मिल जाए। वहां उन्हें मनोरंजन के साधन, खेल-कूद के साधन, पढ़ने-लिखने के साधन, दूरदर्शन, टी.वी. वगैरह देखने के साधन मिल जाएं।

माननीय अध्यक्ष : अगर ये यंग मेन घर में इसकी चिंता करेंगे तो वृद्ध जनों के लिए घरों की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, हम वृद्ध जन नीति पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ समय में वह सामने आ जाएगी।

(प्रश्न संख्या 123)

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुन्दरम: महोदया, मंत्री जी के जवाब से मैं समझता हूं कि सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 344 निश्चित दवा संयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें कई सामान्य कफ सिरप, दर्द नाशक और एंटीबायोटिक संयोजन शामिल हैं। इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

एक्स्पाइर्ड दवाओं की बिक्री एक और बड़ी चिंता का विषय है, जो लोगों, विशेष रूप से गरीब लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर डालती है।

प्रतिबंधित दवाओं और एक्स्पाइर्ड दवाओं को पूरे देश और कुछ निजी अस्पतालों में भी काउंटरों पर बेचा जाता है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने फार्मास्युटिकल उद्योगों और फार्मा मार्केट की राष्ट्रीय स्तर पर छानबीन और निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति और 'फार्मा पुलिस' का गठन किया है?

[हिन्दी]

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह सही है कि सभी लोगों को अच्छी मेडीसिन मिलनी चाहिए। उसमें अगर कोई टेक्नीकल खामी है और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो ऐसे मेडीसिन के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 2016 के पहले देश में 95 ऐसी मेडीसिन थी, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद मार्च, 2016 में 344 ऐसी मेडीसिन्स थी, जिनके संदर्भ में कभी न कभी कोई न्यूज़ आयी हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने

अपने जर्नल में उसका कोई उल्लेख किया हो या कोई न कोई शिकायत इन मेडीसिन्स के संबंध में आई थी। वैसी स्थिति में सरकार ने उसका अच्छी तरह से जांच करवायी। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की है, कोई कमेटी बनाई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसकी चिंता वर्ष 2012 में पार्लियामेंट की स्टैण्डिंग कमेटी में हुई थी और उसने एक सुझाव भी दिया था। उस सुझाव के अनुसार 03.04.2014 को एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी गठित की गयी थी। उन एक्सपर्ट लोगों ने कुल मिलाकर 6,300 मेडीसिन्स को एग्ज़ामिन किया था। उनमें से 344 मेडिसिंस ऐसी थीं कि जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था और मार्च, 2016 में इन सभी मेडिसिंस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुन्दरम: सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने तमिलनाडु में 'अम्मा मरुंथगम' की शुरुआत की थी।

तमिलनाडु की सरकार ने सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। यदि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की दवा की दुकानें चलाई जाती हैं, तो हम गरीब लोगों को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को नियंत्रित कर सकते हैं।

इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बीमार लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं बेचने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए आगे आएगी और इस प्रकार देश में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकेगी और सरकारी दवा कंपनियों को बढ़ावा देगी। यदि हां, तो कृपया उसका ब्यौरा दें ।

[हिन्दी]

श्री मनसुख एल. मांडविया : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि जो गरीब परिवार हैं, गरीब मरीज हैं, उनको सस्ते दाम पर मेडिसिंस मिलनी चाहिए। यह सही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई

मोदी ने भी यही विचार रखा है, इसलिए हमारा जो बजट था, वह गांव लक्षित था, गरीब लक्षित था और किसान लक्षित था। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि सभी गरीब लोगों को अच्छी तरह से और कम दाम में मेडिसिंस उपलब्ध हों। उनके लिए समग्र देश में 6 हजार, कुल 3 हजार ऐसे प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए विचार किया है और यह काम प्रारम्भ भी हो गया है। आज के दिन तक तीन सौ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खुल चुके हैं। हर जन-औषधि केन्द्र पर मरीज को जेनरिक मेडिसिंस कम दाम में, सस्ती मिल सकती हैं। गरीब लोगों की सेवा हो सके, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है।

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार में उत्तर दिया है। गत बजट में जेनरिक मेडिसिन के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा जोर भी दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वे सारी ब्रांडेड मेडिसिंस ही लिखकर देते हैं। उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। जो जेनरिक मेडिसिंस हैं, ये सरकार के माध्यम से दी जाती हैं। इनके रेट्स कम हैं, लेकिन इनको ज्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर्स के ऊपर हम आने वाले दिनों में इस प्रकार के बंधन डालें, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा जेनरिक मेडिसिंस ही लिखकर दें, क्या इस प्रकार की व्यवस्था मंत्री महोदय करेंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार): माननीय सासंद गोपाल शेट्टी जी ने बहुत ही उपयुक्त सवाल पूछा है। इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जहां तक संभव हो जेनरिक मेडिसिंस को प्रेस्क्राइब करना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए हैं। उसको आनिवार्य बनाने के लिए हम पहल कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर मंत्रालय से यह बात भी शुरू की है कि जहां भी वे ब्रांडेड नेम प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके साथ ही जेनरिक सब्स्टीट्यूशन भी आनिवार्य रूप से लिखा हो। उसके लिए एक ऐसा साफ्टवेयर भी तैयार करने में भारत सरकार और मंत्रालय जुटा हुआ है कि जहां भी वे ब्रांडेड नाम लिखें, उसका जेनरिक सब्स्टीट्यूशन अपने आप वह सामने रखे। सभी ड्रगिस्ट्स को, फामारसिस्ट्स को यह सुविधा हो और गरीब लोगों को जेनरिक मेडिसिंस मिलें।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना (नाग) डे: माननीय अध्यक्ष, महोदया, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि मार्च 2016 में सरकार ने 344 निश्चित दवा संयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कुछ सामान्य कफ सिरप, दर्द निवारक और एंटी-बायोटिक संयोजन शामिल हैं, जो काउंटर पर बेचे जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त और चौबीसों घंटे निगरानी रखने की आवश्यकता है कि ये प्रतिबंधित दवाएं काउंटर तक न पहुंचें और मानव जीवन को जोखिम में न डालें।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि राज्यों के साथ किस प्रकार का समन्वय किया गया है जिससे औषधि और प्रसाधन सामग्री निषेध अधिनियम, 1940, जो धारा 10 क और 26 क के तहत निषेध का उल्लंघन करके प्रतिबंधित औषधियों को बेचने या निर्माण करने वाले व्यक्तियों को कारावास में डालता है, का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

श्री अनंतकुमार: हमने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) के माध्यम से निम्नलिखित दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है - कफ सिरप फेंसेडिल, कफ सिरप कोरेक्स, पैंडेरम प्लस, सूमो, गेमर पी, एस्कोरिल कफ सिरप, जेडेक्स कफ सिरप, ट्रिपल कॉम्बिनेशन डायबिटीज ड्रग - ग्लूकोनोर्म, ट्राइजर - एक अन्य डायबिटीज दवा और विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा। हमने इन दवाओं पर इसलिए प्रतिबंध लगाया है क्योंकि इनमें मेटफॉर्मिन, पैरासिटामोल, कैफिक्सिम, कोडीन और अन्य कई संयोजन हैं। लाइसेंस जारी करना और विपणन की अनुमति देना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है।

जब भारत सरकार ने सी.डी.एस.सी.ओ. के माध्यम से इन सभी 344 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये कंपनियां विभिन्न उच्च न्यायालयों में गईं और इन्हें स्थगन आदेश मिल गया। हम स्थगन आदेश हटाने के लिए प्रयासरत हैं। हम इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जिन्हें मैंने अभी पढ़ा है, ये दस शीर्ष ब्रांड हैं। अन्य 344 दवाएं हैं। भारत सरकार स्थगन आदेशों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रही है। स्थगन आदेश माननीय

न्यायालयों द्वारा दिए गए हैं। मामला *न्यायालय में विचाराधीन है।* एक बार स्थगन आदेश हटने के बाद इन पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

श्री पी. करूणाकरन: माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि 433 दवाएं प्रतिबंधित हैं या प्रतिबंध के अधीन हैं तथा 343 दवाएं अभी विचाराधीन हैं। यह बताया गया है कि कई पश्चिमी देश नई दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। वे भारत सहित विकासशील देशों में उनका परीक्षण कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अन्य देशों में भी कई दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है लेकिन जब भारत में उन्हीं दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है, तो हम ऐसा करने में अधिक समय लेते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। मैं पहले एक दवा खा रहा था। कुछ समय बाद, एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि मैं जो दवा खा रहा हूं वह प्रतिबंधित है। जो दवाएं दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने में हम इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग भारत में किया जा रहा है। यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी?

श्री अनंतकुमार: जब एफ.डी.ए. तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी भी दवा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो तत्काल ही यह बात भारत के औषधि नियंत्रक के संज्ञान में भी आती है। हमारे पास एक संगठन है जिसे 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से इन सभी प्रतिबंधित तथा गैर-प्रतिबंधित दवाओं का परीक्षण किया जाता है। यदि विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन संतुष्ट हो जाएगा, तभी हम दवाओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम आंख मूंदकर अन्य औषधि नियामकों का अनुसरण नहीं कर सकते। हमारे यहां अपना औषधि नियामक और विशेषज्ञों की समिति है जिनकी सिफारिश हम पर बाध्य हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्न संख्या 124 और 131 को एक साथ ले रही हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव ।

(प्रश्न संख्या 124 और 131)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। जब किसान समृद्ध होगा, एग्रीकल्चर मजबूत होगी, तब हमारा देश मजबूत होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कई प्रकार की बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना किस आधार पर तय की जाती है और बिहार की क्या स्थिति है? किसानों को लागत मूल्य पर बीमा प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। वर्तमान सरकार में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, यह चित्र भी सामने आया है, इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएं।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैं माननीय जय प्रकाश नारायण जी के विचार से सहमत हूं कि किसानों को लागत मूल्य फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं होता था, इसके कारण हजारों परिवार देश में बर्बाद हुए। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता था और लागत भुगतान का राज्य सरकारों के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए कैपिंग थी, यह वास्तविक परेशानी थी। यह स्वाभाविक है कि उसको लागत मूल्य नहीं मिलता था। यदि किसान ने कर्ज लिया, खेत की जुताई की, बीज भी खरीद लिया और दूसरे दिन सुबह ऐसी आपदा आई कि वह बुआई नहीं कर पाया तो उसको बीमा की कोई राशि प्राप्त नहीं होती थी, उसे कोई भी अंश प्राप्त नहीं होता था। यदि किसान ने अपनी फसल को काट लिया और वह खेत में ही पड़ा है, आज कटाई की और सुबह में यदि आपदा आ गई और फसल का नुकसान हो गया तो उसको मुआवजे में एक पैसा भी नहीं मिलता था। इसी प्रकार से कटाई के आंकड़े मैनुअली प्राप्त करने में बहुत समय लगता था। वर्ष 2015-16 का आंकड़ा कंपनी को अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुआ है, विलंब से भुगतान, कम भुगतान और देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग प्रीमियम होता था। एक बीमा नाइस था

और दूसरा संशोधित नाइस था, आपको ध्यान होगा, जब हम सरकार में आए थे तो उस समय हमने कहा था कि हम एक नई फसल बीमा योजना लाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसमें काफी समय दिया, राज्यों के साथ बातचीत हुई, फिर पूरे देश से लोगों की राय लेने के बाद इस वर्ष खरीफ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई इसके तहत अब यदि किसान कर्ज लेता है, बीज भी खरीदता है लेकिन यदि बुआई नहीं कर पाया और आपदा आ गई तो उसे पच्चीस प्रतिशत बीमे की राशि निश्चित रूप से प्राप्त होगी।

पूरे देश में सभी फसलों के लिए, सभी जिलों में प्रीमियम की राशि खरीफ के लिए दो प्रतिशत और रबी के लिए डेढ़ प्रतिशत और वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत की गई है और यह सभी जिलों के लिए है। यदि प्रीमियम का रेट ज्यादा होता है, चाहे जितना भी ज्यादा हो, इसकी भरपाई राज्य खजाने से की जाएगी, अब किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ेगा और कैपिंग हटा दी गई है, इसका लाभ यह होगा कि जो भी उसकी लागत होगी, उसकी भरपाई इस योजना के तहत हो जाएगी। यदि फसल कटाई के बाद फसल जमीन पर आ गया और आपदा आ गई तो पहले उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था। नई फसल बीमा योजना में 14 दिन तक यदि फसल खेत में पड़ी है और आपदा आ गई तो वह किसान पूरे मुआवजे का हकदार होगा। फसल कटाई में लेखपाल आंकड़ों में हेराफेरी करते थे और इस काम को मैनुअली करते थे और लोग उनसे संपर्क करते थे, तब आंकड़ा भेजते थे और इसमें काफी समय लगता था, इसलिए सभी राज्यों में नीचे के आधिकारियों को स्मार्ट फोन दिया गया है, स्मार्ट फोन पर मोबाइल एप भी राज्यों को दिया गया है, इसे कंपनियों को भी दिया गया है, ताकि तुरंत आंकड़े प्राप्त हो जाएं। बिहार के चार जिले ऐसे थे जहां वर्ष 2009 की बीमे की राशि का भुगतान वर्ष 2014-15 में हुआ है। आंकड़ों में भी हेराफेरी होती थी, पंचायत का कुल रकबा दो सौ एकड़ है और बीमा तीन सौ एकड़ का हो गया। अब इसकी जांच में चार साल नहीं लगेंगे। हम आंकड़ों के लिए स्मार्ट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि किसी और प्रकार की हेराफेरी की शिकायत आती है तो इसके लिए ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग राज्यों को दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की योजना है, यदि इसे किसानों के लिए अमृत योजना कहें तो यह कोई आतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं, मगर पहले से ही मेरे पास जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, मैं पहले उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दे रही हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने इस योजना को अमृत योजना कहा है। मैं इस शब्द को उल्टा कर के नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अब तक सभी लोग समझ चुके होंगे और आज किसानों के लिए.......(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम और नारियल पाम बीमा स्कीम, यानी ये चार स्कीमें हैं, जिनसे किसानों को राहत मिलती है, फिर चाहे किसान सूखे की मार से, बाढ़ की मार से, खराब मौसम की मार से, खराब बीज की मार से, दुर्घटना की मार से, मशीन की खराबी से, आग लगने से और बीमारी से, फिर भले ही रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, दलहन हो, तिलहन हो या दियारा हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हीं स्कीमों की तरह ही 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, 2016' से किसानों को लाभ होगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी घुमा-घुमा कर बात कर रहे हैं और इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है?

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, 2016 पर भी ग्रहण लग रहा है। फसल बीमा योजना की आपकी क्या समेकित नीति है, इसे स्पष्ट कीजिए? महोदया, यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों ने कहा है कि वहां किसानों को 10 रुपए मुआवजा दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : आप अपने प्रदेश और अपने प्रश्न से संबंधित ही अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप छत्तीसगढ़ के बारे में मत पूछिए।

श्री राधा मोहन सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी के सामने यह योजना स्पष्ट नहीं है, इसमें जो पेपर ले हुआ है, उसका कसूर नहीं है, बल्कि इस पेपर को नहीं पढ़ने के कारण उन्हें ऐसा भ्रम हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें, तो इस पर चर्चा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मेरे पास जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, उनका मैं क्या करूं, इसलिए मैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दे रही हूं।

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस पेपर में साफ लिखा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और मॉडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो पहले से चल रही थीं जिनकी विसंगतियों की मैंने चर्चा की है, इन दोनों को समाप्त कर के नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। यदि माननीय सदस्य नहीं समझे हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और न इस पेपर का कोई कसूर है। माननीय सदस्य ने जिन विसंगतियों के बारे में बताया है, निश्चित रूप से पहले वाली योजनाओं में वे विसंगतियां थीं, उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। इसीलिए उन दोनों योजनाओं को समाप्त कर के यह तीसरी नई योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। कृपया इसे पूरा पढ़ लें। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी योजनाएं समाप्त कर के कौन सी नई योजना लाई गई है।

श्री पिनाकी मिश्रा: मैडम स्पीकर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि [अनुवाद] “एन.ए.आई.एस., एम.एन.ए.आई.एस. और मौसम आधारित फसल बीमा योजना की पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन जारी नहीं किया गया था और न ही वर्तमान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में ऐसा किया जा रहा है।” [हिन्दी] मैडम, सिर्फ नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा। पहले की ये जो सारी स्कीम्स थीं, वे फेल हो गईं। नाम बदलने से यह स्कीम सक्सेसफुल होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टेट-वाइज एलोकेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं है।

मैडम, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें खरीफ की जो फिगर्स दी गई हैं, उन्हें आप देखिए कि कितनी लॉपसाइडेड फिगर्स हैं। आप उनमें पर्टीकुलरली रबी सीजन की क्रॉप्स की फिगर्स को देखिए, तो आपको विदित होगा कि उनमें इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से उड़ीसा के लिए बिल्कुल धन नहीं दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान आदि स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा धन दिया गया है, लेकिन उड़ीसा में जीरो-जीरो लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि इस साल उड़ीसा ड्राउट-हिट स्टेट है। वहां इस साल सूखा पड़ा है, पिछले साल बाढ़ आई थी और उससे पहले हुदहुद तूफान आया था।

माननीय अध्यक्ष : आप यह पूछिए कि उड़ीसा के लिए धन क्यों नहीं दिया गया।

श्री पिनाकी मिश्रा: मैडम, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्टेट-वाइज आप अगर एलोकेशन बिलकुल नहीं करेंगे, तो फिर जो गरीब राज्य हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां पुरानी स्कीम अनसक्सेसफुल हुई, अब वहां यह नई स्कीम भी अनसक्सेफुल होगी।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, उड़ीसा को धन क्यों नहीं दिया गया, यह बताइए?

श्री राधा मोहन सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य, राज्यवार एलोकेशन की जब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उड़ीसा को धन का आबंटन नहीं किया गया है, को मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह आबंटन ऑन डिमांड है। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 31 हजार करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 55 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में 3 करोड़ 34 लाख किसानों ने बीमा कराया, जिसके तहत उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा किया। उस वर्ष सरकार ने 2,297 करोड़ रुपए अपने हिस्से का प्रीमियम दिया। इस प्रकार कुल 4,297 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में जमा हुए। उस साल किसानों का जो दावा बना, वह 7,492 करोड़ रुपए था और उतनी ही धनराशि का भुगतान किया गया।

यह आपदा जिस रेश्यो में आती है, जितना नुकसान होता है, उसके आधार पर मुआवजा दिया जाता है, इसलिए पहले से राज्यवार या जिलावार आबंटन का कोई सवाल नहीं है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रश्न के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : दो क्वैश्चन क्लबअप किए हैं, इसलिए चार लोगों को मौका देना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर तेली : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए असम सरकार को कितनी राशि दी गई है? किस-किस एजेंसी को दायित्व दिया गया है और इसमें सांसद की क्या भूमिका है?

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक असम सरकार की बात है, इस वर्ष असम सरकार ने मौसम आधारित कृषि बीमा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने नार्म्स हैं, मौसम आधारित बीमा योजना में लागू हैं। इससे पहले असम में जो विभिन्न योजनाएं चल रही थी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012-13 में असम में 61,000 किसानों ने बीमा कराया था, जिसमें उनको 2 करोड़ 68 लाख रुपया मिला है। हमने अनुलग्नक में राज्यवार ब्यौरा दिया है कि किस वर्ष कितनी राशि असम को मिली है, अनुलग्नक में पूरा विवरण शामिल है।

माननीय अध्यक्ष : आश्विनी कुमार: उपस्थित नहीं।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार की यह निःसंदेह बहुत अच्छी किसान हितैषी योजना है और इससे किसानों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। मुझे इसमें निचले स्तर पर कुछ कन्फयूज़न महसूस होता है। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर के पहले पार्ट में कहा कि लागत का इंश्योरेंस कर रहे हैं, लेकिन बाद

में उन्होंने कहा कि नुकसान का इंश्योरेंस कर रहे हैं। लागत और नुकसान में अंतर है, क्योंकि नुकसान उत्पादन पर होता है।

क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस योजना के उत्पादन पर लागू करने का आश्वासन देंगे?

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, लागत या नुकसान, दोनों दो शब्द हैं। लागत जो होता है, उसके नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना देश में चल रही है।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत से सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप डिस्कशन के लिए दे दें, हॉफ एन ऑवर या जो आप चाहते हैं, मैं अलाऊ करूंगी।

(प्रश्न संख्या 125)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने सवेन में शामिल होकर पोचिंग आफ टाइगर को रोकने का उपाय किया है, यह अच्छी बात है। इसमें साउथ एशिया के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान देश लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इल्लीगल टाइगर्स का ट्रेड जो हो रहा है, वह चीन के साथ है। क्या हमारे देश ने चीन के साथ कोई एग्रीमेंट करने के लिए, सवेन में इन्कलूड करने के लिए कोई उपाय किया है?

श्री आनिल माधव दवे: माननीय अध्यक्ष जी, जब से सवेन का विचार हुआ है तब से इसके अंदर सात देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल है। इसे तीन देश भारत, श्रीलंका और नेपाल ने रेटिफाई किया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि बचे हुए चार देश भी इसे रेटिफाई कर लें, क्योंकि सबसे आधिक आवश्यकता इस बात की नहीं है कि मार्किट कहां है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि इन देशों के बीच अगर नैटवर्किंग ठीक हुई, यानी पशुओं के अंगों या पशुओं की अवैध ट्रेडिंग हो रही है तो उसे रोकने के लिए भारत और उसके चारों तरफ देशों के बीच में नैटवर्किंग की जरूरत है, पहले इसकी शुरुआत की जाएगी। जब यह पूरा हो जाएगा तो फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि केवल चीन ही नहीं साउथ-ईस्ट एशिया, नार्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका इसके बहुत बड़े बाजार हैं। इन बाजारों को कैसे संभाला जाए, इस संबंध में सवेन में आगे चर्चा होगी।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जंगल में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको स्मगलर लोग मिसयूज करते हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं और उनको थोड़े-बहुत पैसे देकर उनसे ही शिकार कराते हैं? क्या सरकार ऐसी कोई योजना ला रही है, जिससे वहां के लोगों को कोई इंसेंटिव दिया जाए, उनकी रोजी-रोटी का प्रबन्ध किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए कि इससे

एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ते हैं और इससे क्या नुकसान होता है? उन गरीबों को एजुकेट करने के लिए, उनको मदद देने के लिए क्या सरकार ने कोई उपाय सोचा है? मैंने आज तक जो आंकड़े देखे हैं, अभी तक हम 61 लोगों को ही इसमें कन्विक्ट कर पाए हैं तो इसमें इफेक्टिवनेस लाने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं?

श्री आनिल माधव दवे: मैडम, ऐसा नहीं है कि जंगल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा ज्यादा पोचिंग हो रही है या वे उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यह देश विश्नोई समाज की वीरांगना अमृताबाई को नहीं भूल सकता, जिन्होंने पेड़ों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 363 लोगों के साथ शहादत को वरा है। हम ऐसे विश्नोई समाज के देश भर में जो अन्य लोग हैं, उन्हें जंगलों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लगाना चाहते हैं।

मैं यहां पर विश्नोई समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारना, मोर्चा खो सकते हो, लेकिन युद्ध नहीं हारोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई सदियों से वन्य संरक्षण के लिए चल रही है। इस देश के जो लोग वन्य सरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण में लगे हैं, सभी को उस काम में लगाकर, लामबंद करने का काम, हम रेटिफिकेशन के बाद, निगोशिएशन के साथ, वाशिंगटन कन्वेंशन के आतिरिक्त भी करेंगे। ये तो नियम और कानून हैं, लेकिन अंततोगत्वा हमें समाज को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। उसकी प्रकिया जारी है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

---

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 130, 132-140

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610)

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एलटी 4927/16/16]

(3) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए , देखिए संख्या एल.टी 4928/16/16]

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) का.आ. 2161(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए आधिसूचित किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1466 (अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरक के विनिर्देशन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष तक की अवधि के लिए आधिसूचित किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई , देखिए संख्या एल.टी 4929/16/16]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 10)-(अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) सिनवेट क्रेडिट स्कीम, राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4930/16/16]

(2) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 12)-(अनुपालन लेखापरीक्षा) वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालय/विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4931/16/16]

(3) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल)-(2016 का संख्यांक 13)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4932/16/16]

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2016 का संख्यांक 14) वर्ष 2010-2011 से 2014-2015 तक की अवधि के लिए भारतीय रेल में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4933/16/16]

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 16)-(निष्पादन लेखापरीक्षा) वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 तक की अवधि के लिए लोक ऋण प्रबंध, वित्त मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4934/16/16]

(6) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 17)-नौसेना और तटरक्षक।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4935/16/16]

(7) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 18)-वायुसेना।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4936/16/16]

(8) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2016 का संख्यांक 19)-थल सेना, आयुध निर्माणी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4937/16/16]

(9) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 20)-(अनुपालन लेखापरीक्षा)-कोयला खानों की ई-नीलामी, कोयला मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल. टी 4938/16/16]

<u>अपराह्न 12.02 ½ बजे</u>

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियाँ

कार्य का सारांश

महासचिव: मैं विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां - कार्य का सारांश (1 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

संसदीय समितियाँ (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)

कार्य का सारांश

महासचिव: मैं विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां - (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)- कार्य का सारांश (1 जून, 2014 से 31 मई, 2015 तक) के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.03 ½ बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति

33वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 33वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा

5वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मार्गनिर्देश में नये उपबन्धों के लिए प्रस्ताव' के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है।… (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै : सरकार को ही आगे आना होगा। … (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: इसका उद्देश्य क्या है? … (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै: समिति के सभापति के रूप में, मैंने पहले ही सरकार से अनुरोध करते हुए सिफ़ारिश की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये दिए जाएं। मैंने यह सिफारिश की थी। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

महानदी पर कथित बैराज परियोजनाएं चलाना जिससे ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल के प्रवाह पर भारी असर पड़ रहा है

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें:

"छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर कथित बैराज परियोजनाएँ चलाये जाने से संबंधित समस्या जिससे ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल के प्रवाह पर भारी असर हो रहा है"

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): माननीय अध्यक्ष जी, सभा पटल पर रख दिया गया है:-

*श्री भर्तृहरि महताब, ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का ध्यान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर कथित बैराज परियोजनाएं चलाए जाने से ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल के प्रवाह पर भारी असर पड़ने की ओर आकर्षित किया है। उठाए गए मुद्दे की विषय वस्तु इस प्रकार हैः-

...... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

'छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर 1983 के करार के खिलाफ ओडिशा राज्य में रहने वाले लाखों किसानों को जोखिम में डालते हुए एक तरफा कई बड़ी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पहले से निर्मित की जा चुकी परियोजनाओं में महानदी और उसकी सहायक नदियों पर सात पिक-अप वीयर अर्थत् सरादी वीयर, कलामा वीयर, खोंगासारा, सलका और बिलासपुर परियोजनाएं शामिल हैं। जबकि अर्प-भैंसाझार बैराज परियोजना सहित अम्बागुड़ा डायवर्जन, सलका डायवर्जन, लच्छनपुर डायवर्जन परियोजनाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित दो नई परियोजनाओं नामतः पैरी-महानदी अंतः राज्जीय लिंग परियोजना और तांडुला जलाशय संवर्धन स्कीम से हीराकुंड जलाशय में जल के प्रवाह पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे तटवर्तीय राज्य ओडिशा के किसानों के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का ओडिशा की सीमा के पास केलो नदी पर जलाशय आधारित बांध बनाने का भी विचार है, यह भी ओडिशा के किसानों के हितों के खिलाफ है। फिर भी, केन्द्रीय जल आयोग समेत केन्द्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने इस तरह की एक तरफा परियोजनाओं का अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ओडिशा सरकार केन्द्र सरकार से इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उठाने का पहले ही आग्रह कर चुकी है कि महानदी पर एकतरफा परियोजनाओं के निर्माण को तत्काल रोका जाना चाहिए ताकि तटवर्ती ओडिशा राज्य के किसानों के हितों की रक्षा हो सके। इसके आतिरिक्त, यदि छत्तीसगढ़ सरकार 1983 के करार के प्रावधानों के तहत बनी सहमति के अनुसार बातचीत द्वारा ओडिशा सरकार की पहले से शामिल किए बिना महानदी पर परियोजनाओं का निर्माण कर रही है तो इससे दोनों राज्यों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। '

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग अंतर्राज्यीय नदी/नदी बेसिनों पर नियोजित बृहत और मध्यम परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के बाद परियोजना को स्वीकार करने के लिए इस मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है। कोई भी परियोजना सीडब्ल्यूसी द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत करने के बाद ही शुरू की जानी चाहिए। लघु सिंचाई

परियोजनाओं (कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम) का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

2. प्रस्ताव में उल्लिखित परियोजनाओं में से केवल टांडुला जलाशय संवर्धन परियोजना की साध्यता पूर्व रिपोर्ट और अर्पा-भैसाझार बैराज परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के दो परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्ताव हुए हैं। दोनों परियोजना प्रस्तावों का सीडब्ल्यूसी में मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके आतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित इसकी 95 वीं बैठक में उचित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए केलो परियोजना की डीपीआर स्वीकृत की गई थी।

मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 28.4.1983 को हुए समझौता ज्ञापन की अन्य बातों के साथऱ्-साथ यह प्रावधान है कि संयुक्त अंतर्राज्यीय सिंचाई और /अथवा विद्युत परियोजना (परियोजनाओं) के सर्वेक्षण, जांच , नियोजन, निपादन और तैयारी की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जाए। फिर भी, उक्त बोर्ड अभी तक नहीं बनाया गया है।

ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रतिनिधियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक सीडब्ल्यूसी में दिनांक 27.06.2016 को होनी थी जिसमें महानदी बेसिन में परियोजनाओं से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। तथापि, ओडिशा सरकार के अनुरोध पर उक्त बैठक स्थगित कर दी गई है। महानदी बेसिन में विभिन्न जल संसाधन मुद्दों/ परियोजनाओं पर विचार करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2016 को एक बैठक आयोजित की जानी है। *

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, मैं अपेक्षा कर रहा था कि कैबिनेट मंत्री उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगे।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदया , यह उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने एक पत्र दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। नहीं, उन्होंने एक पत्र दिया है और वह यहीं हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मंत्री जी स्वयं सक्षम हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: हम मंत्री जी का सम्मान करते हैं। वे बहुत अच्छे हैं। हम उन्हें चुनौती नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता। तथागत जी, मैंने जब एलाउ किया है, पत्र है, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हैं? तथागत जी, बैठिए । कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*…(व्यवधान)..**

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, पहले से रिवर इंटरलिंकिंग की मीटिंग तय थी।...(व्यवधान) वह तीन महीने में एक बार होती है। वह पहले से तय थी। मंत्री महोदया उसमें हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, यह ओडिशा की जीवन रेखा अर्थात् महानदी नदी से संबंधित है। इसका संबंध ओडिशा की 65 प्रतिशत से भी अधिक आबादी से है और वे आज इससे प्रभावित हो रहे हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने को-बेसिन राज्य ओडिशा से परामर्श किए बिना ही हीराकुंड नदी के ऊपरी महानदी बेसिन में कई भंडारण परियोजनाओं और बैराज-आधारित परियोजनाओं का निर्माण किया है। इसके अलावा, ये संरचनाएं वर्ष 1983 में तत्कालीन मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य के बीच हुए अंतर्राज्यीय समझौते के दायरे से भी बाहर हैं। अप्रैल, 1983 में हुए समझौते में कई परियोजनाओं की सूची है, जिन्हें मध्य प्रदेश द्वारा ओडिशा के हिस्से के साथ कुछ परियोजनाएं शुरू की जानी हैं तथा कुछ ऐसी परियोजनाओं की सूची है, जिन्हें ओडिशा द्वारा तत्कालीन मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ के हिस्से के साथ शुरू किया जाना है। समझौते में दोनों राज्यों द्वारा साझेदारी में शुरू की जाने वाली संयुक्त परियोजनाओं की एक सूची भी शामिल है।

इसीलिए, मैंने अपनी सूचना में ओडिशा की उस आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही अनेकों परियोजनाओं का उल्लेख किया था, जो कृषि करने के लिए महानदी के जल पर निर्भर है। लेकिन मंत्री जी ने जो उत्तर या वक्तव्य दिया है, उसमें उन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है जिनका उल्लेख मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किया गया था। इसी कारण मुझे दुःख होता है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि केन्द्र सरकार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद इस अवसर पर अपनी बात रखेगी, लेकिन उत्तर या वक्तव्य आधा-अधूरा है, तथा यह उस मुद्दे से भी भटक रहा है जिसे हम यहां उठाना चाहते हैं। इसलिए, मुझे इस मुद्दे के बारे में उल्लेख करने की अनुमति दी जाए कि हम पर इसका क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है।

मेरे पास 1983 का समझौता है। इस पर मध्यप्रदेश और ओडिशा दोनों के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 28 अप्रैल, 1983 को हुआ था, जिस पर 27 अप्रैल, 1983 को एक आधिकारिक स्तर की बैठक के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। मध्यप्रदेश से लगभग छह अधिकारी और ओडिशा के मुख्य सचिव सहित लगभग 14 अधिकारी बैठक में उपस्थित थे, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह तय किया गया कि कौन सी परियोजनाएं चलायी जाएंगी और इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच किस प्रकार साझा किया जाएगा।

आज हम जो मुद्दा यहां उठा रहे हैं, वह इसी से संबंधित है। बेशक, मुझे उन परियोजनाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वर्ष 1983 में मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच समझौता हुआ था, क्योंकि यह स्वीकार किया गया था कि जब 40 के दशक के मध्य में इस हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना की कल्पना की गई थी, उस समय मध्य प्रदेश के पास महानदी या यहां तक कि महानदी की सहायक नदियों के पानी का दोहन करने की कोई योजना या कार्यक्रम नहीं था।

जब वर्ष 1957 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन करके इसे कार्यात्मक बनाया गया, तो उन्होंने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर बताया, यह बार-बार बाढ़ और सूखे से पीड़ित ओडिशा के लोगों के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता थी तथा इस बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई प्रदान करने , विद्युत उत्पादन करने और बाढ़ को नियंत्रित करने की अपेक्षा की गई थी।

बाद में, 80 के दशक के मध्य में दोनों मुख्यमंत्रियों और दोनों सरकारों ने अधिक मांग के कारण सोचा कि छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित हो रहा है, उसका दोहन करने की आवश्यकता है। इसलिए, एक संयुक्त समझौता किया गया। सरकार एक सतत प्रक्रिया है। हम वर्ष 1983 के उस समझौते पर विवाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओडिशा परियोजना में मध्य प्रदेश की भागीदारी 25 प्रतिशत होगी और शेष ओडिशा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। एक सपनाई एम.पी. परियोजना थी; ओडिशा ने 70 प्रतिशत हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। कुरनाला संयुक्त

परियोजना एक सिंचाई परियोजना है, जिसमें से 9,000 एकड़ क्षेत्र ओडिशा में आता है और 3000 एकड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है तथा हेडवर्क की लागत को सिंचाई लाभों के अनुपात में विभाजित किया जाना था। इस परियोजना पर भी कार्य नहीं किया गया।

अपर जोंक ओडिशा परियोजना के संबंध में, ओडिशा ने निर्धारित किए जाने वाले प्रभार पर 2000 एकड़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सिंचाई सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। यह पहले से ही कार्यान्वित है। लोअर जोंक परियोजना, ओंग ओडिशा परियोजना, जीरा ओडिशा परियोजना और सहजबहाल संयुक्त परियोजना प्रमुख परियोजनाएं थीं, जिन पर सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, एक संयुक्त बैठक में मुख्य सचिवों के साथ जल संसाधन और बाद में दोनों मुख्यमंत्रियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री जानकी बल्लभ पटनायक द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

आज हमारी शिकायत यह है कि इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सरकार ने ओडिशा सरकार को बिना सूचित किए कई परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है, परामर्श करने की बात तो छोड़ दीजिए। यहां तक कि माननीय मंत्री के वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यही हमारी शिकायत है। यह शिकायत जल्दी की नहीं है, न ही वर्ष 2016 की है। महोदया, मैं हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना की समस्या के संबंध में 7 जुलाई 2000 को ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री को लिखे गए पत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार (उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आया था) को सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के लिए गैर-मानसून अवधि के दौरान 2.2 एम.सी.एफ.टी. प्रवाह की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यदि हीराकुंड बांध में एक लाख क्यूसेक या इससे अधिक पानी छोड़ने का विचार हो तो मध्य प्रदेश सरकार को पहले सूचित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जब मैं वर्ष 1983 की बात करता हूं, तो हममें से अधिकतर लोग जो यहां ओडिशा से आए हैं, वे जानते हैं कि वर्ष 1982 में क्या हुआ था और कैसी आपदा आई थी, जब छत्तीसगढ़ के बांध के द्वार खोल दिए गए थे और महानदी में भारी बाढ़ आई थी। हम वर्ष 1982 में ओडिशा में आई आपदा को कभी नहीं भूलेंगे। यही कारण

है कि, बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था कैसे की जाए, यह निर्णय वर्ष 1983 में लिया गया था। जुलाई 2000 में मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार को लिखे गए इस पत्र के बाद एक और पत्र लिखा गया था। मैं आभारी हूं कि जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं पुनः उल्लेख करना चाहूंगा कि ओडिशा के जल संसाधन सचिव ने 11 जुलाई, 2013 को छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें बाबूरिया गांव के निकट तेल नदी पर अनाधिकृत एनीकट के निर्माण के बारे में कहा गया था, जो ओडिशा के क्षेत्र में आता है।

महोदया, मुझे यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि कुछ दिन पहले जब हमने शून्य काल में यह मुद्दा उठाया था, उसी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार ने इस बारे में उन्हें कभी सूचना नहीं दी। इसीलिए, मैं वर्ष 2013 के इस पत्र का उल्लेख कर रहा हूं। बेशक, उन्होंने यह भी कहा कि यह सब राजनीतिक प्रकृति का है। 27 दिसंबर, 2014 को पुनः हमारे जल संसाधन सचिव द्वारा उनके जल संसाधन सचिव को एक और पत्र लिखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की विभिन्न नदियों में अनधिकृत निर्माण के बारे में उल्लेख किया गया था।

निःसंदेह , 26 अप्रैल, 2016 को - यह चौथा पत्र है - हमारे इंजीनियरिंग प्रमुख ने छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग प्रमुख को एक पत्र लिखा था जिसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोटा जिले में अर्पा-भैसाझर परियोजना की डी.पी.आर. के बारे में उल्लेख किया गया था। मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ के संबंधित विभाग के साथ अधिक जानकारी साझा की गई थी। पांचवां पत्र 2 जुलाई, 2016 को लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हीराकुंड बांध के ऊपरी भाग में महानदी बेसिन में बड़ी संख्या में परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी पूर्व सूचना सह-बेसिन राज्य ओडिशा को नहीं दी गई है। यह पत्र ओडिशा के जल संसाधन विभाग के इंजीनियरिंग प्रमुख द्वारा छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग प्रमुख को लिखा गया था।

इसके बाद, हमारे मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ओडिशा की 65 प्रतिशत जनसंख्या पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई। 5 जुलाई को, हमारे जल संसाधन सचिव ने केंद्रीय जल आयोग को एक शिकायत भेजी, जिसमें बताया गया कि कलमा बैराज, साराडीह बैराज, बसंतपुर बैराज, सेओरीनारायण बैराज, मिरोनी बैराज, समोदा बैराज, सभी का निर्माण ओडिशा को बिना किसी सूचना के किया जा रहा है। हमने सुना है कि छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि ये सभी सूक्ष्म परियोजनाएं हैं और छोटी परियोजनाओं के लिए उन्हें किसी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम इन छह परियोजनाओं को एक साथ जोड़ते हैं, तो क्या इन जलाशयों का क्षेत्रफल किसी बड़ी परियोजना जितना विशाल नहीं है?

हमारा मानना है कि मध्यम सिंचाई परियोजना और बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए आपको सी.डब्ल्यू.सी. के पास आना होगा और सी.डब्ल्यू.सी. संबंधित सह-बेसिन राज्यों को भी सूचित करेगा, लेकिन इस प्रकार की छोटी परियोजनाओं का निर्माण करते समय आप न केवल गैर-मानसून अवधि के दौरान जल को नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि आप विद्युत भी उत्पन्न कर रहे हैं। जिन परियोजनाओं का मैंने उल्लेख किया था, ये मूलतः सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नहीं हैं और न ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से - यह मेरा आरोप है - ये परियोजनाएं उद्योग स्थापना के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हैं। अगर यह छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है तो उन्हें यह बात खुलकर कहनी चाहिए। उनका इस बारे में क्या कहना है? निचले क्षेत्र - झारसुगुड़ा जिले का एक बड़ा क्षेत्र, हीराकुंड जलाशय और बारगढ जिले का एक बड़ा क्षेत्र - पेयजल से वंचित है। इसमें जल का प्रवाह प्राकृतिक है और महानदी ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है; अन्य प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत, इसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानसून के दौरान हमारे यहां बाढ़ आती है, लेकिन गैर-मानसून अवधि में भी जल प्रवाहित होता है और यही बात है जिसे हीराकुंड परियोजना की परिकल्पना करते समय ध्यान में रखा गया था कि

जलाशय में गैर-मानसून जल प्रवाह होगा, ताकि रबी फसल के दौरान सिंचाई क्षमता का भी दोहन किया जा सके। पिछले 10 या 12 वर्षों के दौरान, इसमें बाधा आई है।

अर्पा नदी, जिसके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया, शिवनाथ की एक सहायक नदी है, जो महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। केंद्रीय जल आयोग के आग्रह पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अर्पा भैसाझर बैराज परियोजना डी.पी.आर. ओडिशा को भेजी गई थी। डी.पी.आर. का अध्ययन करते समय यह मालूम हुआ कि अर्पा नदी पर ही छत्तीसगढ़ द्वारा कुल सात सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें एकीकृत तरीके से कार्यान्वित करने की योजना है। इन सात परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं का निर्माण पहले ही किया जा चुका है, अर्थात् खोंगासरा डायवर्जन परियोजना, सलका परियोजना और बिलासपुर डायवर्ज़न परियोजना; और चार परियोजनाएं, अर्थात् अम्बागुड़ा डायवर्ज़न परियोजना, सलका डायवर्ज़न परियोजना, अर्पा-भैसाझर बैराज परियोजना और लछनपुर डायवर्ज़न परियोजना निर्माणाधीन हैं।

ओडिशा की मुख्य चिंता के बारे में पहले ही छत्तीसगढ़ को अवगत कराया जा चुका है। डीपीआरके अभाव में अर्पा नदी पर अन्य सभी परियोजनाएं, जो संयुक्त रूप से एक एकीकृत योजना का निर्माण करती हैं, महानदी बेसिन के 2,200 वर्ग किलोमीटर के पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र का पूर्णतः दोहन करने के लिए व्यापक तरीके से व्यवस्थित की गई हैं। हीराकुंड नदी के निचले भाग पर एकीकृत योजना के संयुक्त प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर पता लगाकर हमें बताएं कि मानसून के दौरान तथा गैर-मानसून समय के दौरान इसका क्या प्रभाव होगा।

तेल नदी पर उर्मई एनीकट परियोजना है। यह एक अन्य रोचक पहलू है। इस देश में क्या हो रहा है? यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ओडिशा के नबरंगपुर जिले के बबुरिया गांव के पास इस परियोजना का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस परियोजना के पूरा होने पर, ओडिशा के दो गांव एनीकट के पास बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाएंगे तथा दस गांव स्थायी रूप से अपने तटवर्ती अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा में भी भयंकर अशांति थी। वर्तमान में, भगवान जगन्नाथ की

कृपा से परियोजना का कार्य रुका हुआ है - यह कार्य हमारे, छत्तीसगढ़ या केन्द्र सरकार के कारण नहीं, बल्कि जनता की मांग के कारण रुका हुआ है। उन्होंने उस कार्य को आगे नहीं होने दिया। उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें आगे नहीं करने दिया गया।

केलो प्रमुख भंडारण आधारित सिंचाई परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा यह पहले से ही चालू है, लेकिन ओडिशा सरकार को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। कोई सूचना नहीं दी गई। मेरा प्रश्न यह है कि सी.डब्ल्यू.सी. ने ओडिशा सरकार को सूचित किए बिना मंजूरी कैसे प्रदान की। सी.डब्ल्यू.सी. के आई.एस.एम. निदेशालय ने डाउनस्ट्रीम सह-बेसिन राज्य ओडिशा को सूचित किए बिना इस परियोजना को मंजूरी कैसे प्रदान कर दी? क्या मुझे इसे एक रहस्य कहना चाहिए? कृपया पता लगाकर हमें बताएं। मैं इन उत्तरों को ढूंढ रहा हूं। ऐसे दो उदाहरण हैं जहां परियोजना रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओडिशा को भेजी गई है। हम उचित समय पर इसका उत्तर देंगे। यदि 29 को एक बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से हम वहां उत्तर देंगे। लेकिन हमारी चिंता पर इस सभा को ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हम इस सभा से समाधान की अपेक्षा करते हैं।

चूंकि, मंत्री जी यहां उपस्थित हैं तो मैं तीन-चार बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। मैंने यहां जिस सूची के बारे में बात की है, वह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी वर्तमान गतिविधियों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में ओडिशा को सूचित किए बिना ही गुप्त रूप से हीराकुंड जलाशय के ऊपरी महानदी बेसिन में जल क्षेत्र के एकपक्षीय विकास को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रदर्शन है। इस कारणवश, सर्वोच्च संस्थाओं तथा इस संसदीय सभा से हस्तक्षेप की अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि "छत्तीसगढ़ द्वारा नियोजित और स्थापित परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सी.सी.ए.) हैं और इसलिए सी.डब्ल्यू.सी. को संदर्भित करने योग्य नहीं हैं।" मौजूदा मानदंडों के आधार पर 2000 हेक्टेयर से कम सी.सी.ए. वाली कोई भी परियोजना निःसंदेह लघु सिंचाई परियोजना के योग्य होती है; तथा इसके लिए सी.डब्लू.सी. स्तर पर व्यापक जांच की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु, जब

आप मुख्य महानदी पर हीराकुंड नदी के ठीक ऊपर निर्मित सभी सात बैराज परियोजनाओं को एक साथ देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इन परियोजनाओं के अनेकों लाभ हैं। सबसे बड़ी सोच बिजली बनाने की है। औद्योगिक निकासी - जिसे भी इन विद्युत परियोजनाओं के बारे में थोड़ी भी जानकारी है, वह यह समझ सकता है - ये वर्ष भर पानी लेती रहेंगी, यहां तक कि गैर-मानसून के दौरान भी, जिससे हीराकुंड जलाशय को गैर-मानसून के समय में पानी की एक बूंद भी नहीं प्राप्त होगी।

इसी प्रकार, अर्पा नदी के मामले में, सात बैराजों की परिकल्पना की गई है, जिनका क्रमिक रूप से निर्माण किया गया है, जो 2200 वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण अर्पा जलग्रहण क्षेत्र से गैर-मानसूनी उपज के प्रत्येक बूंद का उपयोग करने के लिए व्यवस्थित रूप से एक एकीकृत परियोजना की तरह नियोजित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: सात बैराजों वाली इस एकीकृत योजना के स्थापित हो जाने के बाद, इसका हीराकुंड जलाशय के क्षीण मौसम के अंतर्वाह पर विनाशकारी प्रभाव होगा। हीराकुंड जलाशय पर समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इन बैराजों से कुल उपयोग को समाकलित करने की आवश्यकता है।

तीसरी बात, केलो वृहद सिंचाई परियोजना को सी.डब्ल्यू.सी. ने हमे बताए बिना मंजूरी दे दी। यह महानदी की सह-बेसिन धारा है और यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। विवादास्पद प्रश्न यह है कि सी.डब्ल्यू.सी. अंतर-राज्यीय विवादों को हल करके मंजूरी प्रदान करते हुए व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में अग्रणी भूमिका निभाता है, वह मानदंडों का उल्लंघन क्यों करता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है। राज्य निवारण के लिए कहां जाते हैं? यहां हमारी मांग यह है कि गैर-मानसून अवधि के दौरान जल का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। हम अपने खेतों की सिंचाई के लिए, अपने किसानों के लिए, *रबी* की फसल के दौरान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, मूल रूप से आदिवासी आबादी वाले जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले दो-तीन वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है। इन नदियों से जल उठाने

वाले बहुत सारे लिफ्ट सिंचाई केन्द्र खराब हो गए हैं। उस दिन मैंने उल्लेख किया था कि *रबी* की सिंचाई आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सम्बलपुर और आसपास के जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केलो सिंचाई परियोजना को पहले ही शुरू किया जा चुका है। गैर-मानसून प्रवाह को कम करने में इसकी भूमिका, पेरी-महानदी अंतर्राज्यीय संपर्क और तेंदुला संवर्धन योजना तथा कई अज्ञात संरचनाओं पर छत्तीसगढ़ द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है, लेकिन ओडिशा को अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। इससे गैर-मानसूनी प्रवाह की 1.38 एम.सी.एफ.टी. की अल्प प्राप्ति पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब समाप्त करें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री भर्तृहरि महताब: अंतर्राज्यीय नदी विवाद अधिनियम की मुख्य भावना यह है कि नदी के ऊपरी हिस्से में कोई भी हस्तक्षेप उपाय करने से पहले निचले हिस्से की मौजूदा और प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं बता चुका हूं कि पिछले कई वर्षों में क्या हुआ है। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक हमारी यही अपेक्षा रही है कि सरकार इस अवसर पर आगे आकर ओडिशा के लिए न्याय करेगी। हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। यह एक मानवीय समस्या है जिसे एक ऐसी सरकार ने जन्म दिया है जिसके पास छत्तीसगढ़ का जनादेश है। किंतु उन्होंने अवैध तरीके से काम किया। क्या यह सरकार हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है? क्या इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए भारत सरकार में कोई संस्थान नहीं हैं?

हमारी ओर से, हमने बार-बार छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क साधा, लेकिन हमारे अनुरोध को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद, यदि आवश्यक हुआ तो हम न्यायाधिकरण में अपनी गुहार लगाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से बार-बार संपर्क करने के पश्चात ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ? हमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की क्योंकि महानदी हमारे राज्य के कुल 30 जिलों में से 15 जिलों की जीवन रेखा है, हमारी 65 प्रतिशत से अधिक आबादी इससे जुड़ी हुई है या प्रभावित है, जहां आज रबी की फसल का बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है,

पेयजल प्रभावित हो रहा है। क्या हम नदी के ऊर्ध्व भाग में स्थित राज्य और उसकी सरकार को अवैध तरीके से कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं,जहां भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है?

जब हीराकुंड बहुउद्देशीय बांध परियोजना की परिकल्पना की गई और इसका उद्घाटन क्रमशः वर्ष 1948 और वर्ष 1957 में किया गया, तब सम्पूर्ण जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ था। सबको यह मालूम था। जब आप हीराकुंड में जल प्रवाह को रोकने जा रहे हैं, तो आप हीराकुंड परियोजना को खत्म करने जा रहे हैं या एक तरह से आप उसे खत्म कर रहे हैं। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि चूंकि हीराकुंड परियोजना अपनी सेवा के 50 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, इसलिए अब हमें हीराकुंड की कोई आवश्यकता नहीं है? यह प्रश्न मैं इस सरकार के समक्ष रखूंगा। मैं सरकार से बेहतर और विवेकपूर्ण निर्णय तथा न्याय की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, माननीय श्री भर्तृहरि महताब जी ने काफी बातें रखी हैं। उन्हें अपने राज्य उड़ीसा की चिंता है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है और मेरे जिले से ही महानदी निकलती है। लेकिन इसका जितना लाभ छत्तीसगढ़ को होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो पा रहा है या हम यूं कहें कि इसके पहले जितनी भी सरकारें रहीं, छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं की। सिंचाई की क्षमता नहीं बढ़ी इसलिए महानदी में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने जो विकास किया है, आवश्यकता के अनुसार अब हमें कुछ जगह बांधना पड़ता है। केन्द्रीय जल आयोग ने कुछ कानून बनाये हैं। माइनर, मेजर और माइक्रो इरिगेशन जितने भी छत्तीसगढ़ में अभी बने हुए हैं, हम कहें कि एक स्टाप डैम जैसा बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जो कि उदाहरण के रूप में कई बार आई हैं, अम्बागुड़ा, सलका, लक्षणपुर, खोंगसरा ये इतने छोटे प्रोजैक्ट्स हैं कि इनसे नदी प्रभावित नहीं होगी। जब कि महानदी ओडिशा के हीराकुंड डैम तक जाती है, जिसका 80% पानी छत्तीसगढ़ से हो कर जाता है, लेकिन हम मात्र उसका 25% पानी ही उपयोग कर पा रहे हैं। अगर इतनी कम मात्रा में और पहले से सुविधा नहीं होने के कारण वह हो रहा है।

भर्तृहरि महताब जी ने बार-बार कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको कोई सूचना नहीं दी। 28 अप्रैल, 1983 को एक समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई गलती कर रही हो तो इस समझौते के अनुसार ओडिशा सरकार को भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम तो नियम के अनुसार जो हो रहा है, वही कर रहे हैं। जैसे केलो परियोजना एक मेजर प्रोजेक्ट है। केलो परियोजना एक मेजर प्रोजेक्ट होने के कारण हमने केंद्रीय जल आयोग से परमिशन मांगी और आयोग ने अनुमति दी। लेकिन जब माइक्रो में या माइनर में केंद्रीय जल आयोग की अनुमति नहीं होती तो हम कैसे आदेश लेंगे? इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अपने हित के लिए जो भी काम कर रही है, ठीक कर रही है। अगर ओडिशा सरकार को उसमें कोई आपत्ति है तो हमारे मुख्य मंत्री जी ओडिशा के मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह एक विशेष प्रश्न है, इसलिए स्पेशल केस के नाते मैं बोलने के लिए अनुमति दे रही हूँ। बहुत थोड़े में अपनी बात रखते हुए प्रश्न पूछते जाइए। वह अच्छा रहेगा।

श्री आभिषेक सिंह।

श्री आभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : मैडम, जब भी किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, तो उस चर्चा के दो गंभीर पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि कंटेंशन किस बात का है। दूसरा पहलू होता है कि इंटेंशन क्या है। मैं कंटेंशन के ऊपर कुछ फैक्ट्स आपके माध्यम से पूरे सदन के सामने रखना चाहूंगा।

मैडम, जिस छह बैराज प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा अभी शुरू हुई है और श्री महताब जी ने बड़ी गंभीरता के साथ विस्तार में उनका उल्लेख किया है, आदरणीय मंत्री जी भी यहां बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यदि हम उन सभी छह बैराज के इरिगेशन कैपेसिटी को जोड़ भी दें, तब भी टोटल इरिगेशन कैपेसिटी मात्र 3100 हैक्टेयर होती है। अपने आप में हरेक प्रोजेक्ट दो हज़ार हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता से कम है, जो माइनर में आता है। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र सीडब्ल्युसी

की ओर से 13 जुलाई को प्राप्त हुआ था, जिसमें अरपा-भैसाजार, जो छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है, उसके डीपीआर को सीडब्ल्युसी ने क्लियर किया है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि हीराकुंड डैम की लाइव स्टोरेज कैपेसिटी जो है, वह मात्र 5.4 बिलियन क्युबिक मीटर है। यह अपने आप में बहुत बड़ा डैम है, महत्वपूर्ण डैम है और हमारे पड़ोसी राज्य होने के नाते मैं उड़ीसा के सभी आदरणीय एवं सम्मानीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में न सिर्फ सामाजिक, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी महानदी दोनों राज्यों के लोगों को जोड़ने का काम करती है। दोनों राज्यों के लोगों की समृद्धि का एक विशे‍ा अवसर प्रदान करती है। आज जब सदन में चर्चा हो रही है तो मैं इस उम्मीद में था कि चर्चा न सिर्फ हमारे दोनों राज्यों के बीच में यह जो विषय है, उस पर फोकस होगी, बल्कि पूरे देश में इंटर-स्टेट रिवर वॉटर को ले कर आज से नहीं दशकों से डिस्प्युट होते आ रहे हैं, उस पर भी होगी। सदन और हम सबके पास यह अवसर है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए, कुछ ऐसे समाधान की ओर हम इशारा करें जो न सिर्फ इन दो राज्यों को ले कर बल्कि सभी देश के अन्य राज्यों को एक सही दिशा पर ले जाएं।

महोदया, उस लेटर में मैं भटक गया, उस लेटर में सीडब्ल्यूसी का कहना था कि मानसून पीरियड में महानदी के पानी से हीराकुंड डैम की ओर जो पानी जाता है, वह इतना है कि हीराकुंड डैम को तीन बार खाली करके फिर से भरा जा सकता है, यह इस बात से बहुत स्पष्ट है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि बसंतपुर क्षेत्र में 10 वर्ष का औसत वार्षिक प्रवाह, जो हीराकुंड डैम के अपस्ट्रीम में है, उसमें वर्ष 1971-72 से जो वाटर फ्लो के ट्रेंड का एनालॉसिस किया गया, **[अनुवाद]** उसके माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि जैसा कि ओडिशा सरकार द्वारा तर्क दिया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के बावजूद इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है।

[हिन्दी]

महोदया, इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जब फैक्ट्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की ओर से भी एक रिवर बेसिन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया किस राज्य में कितना है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया 55 परसेंट के आसपास है और वहीं हम कम्पेयर करें ओडिशा से तो 45 परसेंट ओडिशा में महानदी का ड्रेनेज एरिया है। वर्तमान में जो पानी हीराकुंड डैम को जाता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए जाता है, महानदी से जाता है, वह 35 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए इरीगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसका कुल उपयोग मात्र 9 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब यह है कि महानदी के पानी का मात्र 20 प्रतिशत उपयोग हम करते हैं और लगभग 80 प्रतिशत 35 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ओडिशा में हीराकुंड डैम और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स में जाता है। इससे भी यह बड़ा स्पष्ट है कि यदि अपने राज्य के लिए या अन्य राज्यों में भी जो ऐसी डिबेट हो रही है जरूरत है कि सही प्रिन्सिपल्स के माध्यम से ऐसा हो।

महोदया, मैं एक विषय और आपको सामने रखना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : बहुत लम्बा मत बोलिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें।

श्री आभिषेक सिंह: वर्ष 1983 में जिस एमओयू का उल्लेख श्री महताब जी ने किया है,उस एमओयू के प्वाइंट नम्बर 11 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संयुक्त नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जिसका उद्देश्य यह था कि बेसिन पर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस,रिव्यू,सर्वे,इन्वेस्टिगेशन और अन्त में उल्लेख है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा और समाधान किए जाने के लिए। वर्ष 1983 से आज वर्ष 2016 आ चुका है और आज तक ओडिशा की सरकार की ओर से

संयुक्त नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के गठन को लेकर मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई पहल की गई है। चूँकि कुछ विषयों का उल्लेख श्री महताब जी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष : उन बातों का रिप्लाई तो मंत्री जी दे देंगे, आप केवल अपनी बात बता दीजिए।

श्री आभिषेक सिंह: महोदया, आवश्यकता आज इस बात की है, कन्टेन्शन फैक्ट्स तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अब इन्टेंशन की बात आती है। अभी तक जो भी सवाल उठाए गए है या अभी तक जो भी कम्युनिकेशन इन दो राज्यों के बीच में हुआ है, इस विषय की गम्भीरता को लेकर राजनैतिक रूप से कोई गम्भीर प्रयास ओडिशा सरकार की ओर से हुआ हो, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। हो सकता है कि आने वाले समय को देखते हुए इस विषय को सदन में उठाना आवश्यक समझा गया हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया, कुछ भी राजनीतिक नहीं।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: इसके क्या मायने हैं? मैंने 7 चिट्ठियों का ब्यौरा दिया। [अनुवाद] वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2016 तक लगभग सात पत्र।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि जी, मैं समझ सकती हूं। अभिषेक सिंह जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री आभिषेक सिंह: मैडम, जिन 7 लैटर्स की बात हुई है, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके कोई प्रश्न हों तो बोलिये।

श्री आभिषेक सिंह: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, और माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस देश में कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार इंटरस्टेट रिवर वाटर के डिसप्यूट में हैं।

अभी हाल ही में महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार ने इस देश के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है। मैं उनको बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपस में बैठकर एक दूसरे के राज्यों के इश्यूज़ को समझकर वाटर शेयरिंग का एक सकारात्मक समाधान निकाला गया है। मैं केन्द्र सरकार से और आदरणीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड नॉर्म्स हैं कि रिवर बेसिन ऑर्गनाइज़ेशन्स को ही मूल यूनिट मानकर, क्योंकि एक रिवर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होती है, वह रिवर बेसिन या सब-बेसिन होती है। उनको लेकर हम पूरे देश के रिवर बेसिन आर्गनाइज़ेशन्स का गठन करें और एक मज़बूत लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के माध्यम से आने वाले समय में इस देश के लाखों करोड़ों किसान और नागरिक, जो लगातार पैंडिंग केसेज़ के चलते वॉटर रिसोर्सेज़ का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस सरकार से, आदरणीय मंत्री जी के प्रयास से और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व से इस देश के सामने एनडीए की सरकार एक मज़बूत और बेहतर उदाहरण पेश करेगी। धन्यवाद।

श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में इंद्रावती के बारे में बोलना चाहता हूँ। 1977 में जो समझौता हुआ मध्य प्रदेश गवर्नमैंट के समय, ओडिशा और मध्य प्रदेश गवर्नमैंट के बीच जो समझौता हुआ, उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज की तारीख में कितना पानी मिल रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्या मैडम आप अलाऊ करेंगे?

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): मैडम, इनका नोटिस है तो आप अलाउ कर दीजिए, लेकिन मेरा नोटिस था, मुझे पहले अलाउ कर दीजिए। …(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको कलिकेश जी के बाद अनुमति प्रदान करूंगी। [हिन्दी] ऐसे प्रश्नोत्तर नहीं होते। कलिकेश जी, केवल प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, मैं आपको वचन देता हूं कि यहां बोलने वाले सभी वक्ताओं में से मैं सबसे कम समय लूंगा।

महोदया, वे कहते हैं कि भविष्य में जल का वही महत्व होगा जो वर्तमान में तेल का है। जैसे पिछले 30 या 40 वर्षों से तेल के लिए युद्ध हो रहे हैं, वैसे ही अगले 30 या 40 वर्षों में जल के लिए भी युद्ध होंगे। इस संदर्भ में, यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

महोदया, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर चार बांध बना रहा है, इस नदी को चीन में त्सांगपो कहा जाता है, जिससे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। हमारी सरकार ने उस पर कड़ा एतराज जताते हुए नियम बनाया कि नदी के ऊपर बांध बनाने से पहले आपको नीचे की तरफ के क्षेत्रों या देशों की सहमति लेनी होगी। यह भारत और चीन के बीच आपत्ति और विवाद का प्रमुख कारण रहा है। भारत में यह स्थिति जब महानदी के मामले में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच आती है तो वही सिद्धांत लुप्त हो जाता है। जब हम अन्य देशों को देखते हैं और जब हम भारत के राज्यों को देखते हैं तो क्या यह दो भिन्न स्थितियां हैं?

महोदया, जल के प्रवाह से संबंधित बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। चीन ने भी अपने बांधों को उचित ठहराने के लिए यही आंकड़े दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष : यहाँ यह बात नहीं है। आप अपनी बात रखें। बहुत लंबी लंबी बात न करें।

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, मैं आपको एक विदेशी देश के *मामले में* तथा हमारे राज्यों के बीच विवाद के *मामले में* सरकार की दोहरी नीति से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। [हिन्दी] प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं। अगर हम किसी देश के विरुद्ध कोई आब्जैक्शन लें किसी स्तर पर, तो वही स्तर यहाँ भी जुड़ना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदया, तथ्य यह है कि महानदी ओडिशा की 50 प्रतिशत सिंचाई की आवश्यकता पूरी करती है। हीराकुंड जलाशय चार प्रमुख जिलों - सम्बलपुर, बारगढ़, बोलंगीर और सोनपुर को सिंचित करता है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं।

तथ्य यह है कि वर्ष 1983 में, जैसा कि सभी ने कहा है,... (*व्यवधान*) एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसके पश्चात भी संधि का पालन किए बिना, बैराज और बांध बनाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना था... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यदि आपका कोई विशेष प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप बैठ सकते हैं। [हिन्दी] भाषण नहीं देना है। अगर आपको कोई पर्टीक्युलर बात बोलनी हो तो बोलें। ऐसे नहीं होगा कि हर कोई लम्बा भाषण दे।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन के बिना, क्या केंद्रीय जल आयोग या भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय बांधों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकता है जब द्विपक्षीय संधि में यह संकेत दिया गया था कि कुछ प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं? हमारा अनुरोध है कि प्रक्रियाएं पूरी होने दी जाएं और केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग के तत्वावधान में पूर्ण सर्वेक्षण तथा प्रभाव का आकलन किया जाए, उसके बाद ही भविष्य में बांधों के निर्माण की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें।

… (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इतिहास या भूगोल या कुछ और के बारे में बात नहीं करूंगा। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, 'विवाद और इरादा'। क्या विवाद यह है कि महानदी में गैर-मानसूनी प्रवाह को रोक दिया जाना चाहिए? क्या हीराकुंड को खत्म करने और ओडिशा को कमजोर करने का इरादा सिर्फ इसलिए

है क्योंकि ओडिशा के लोगों ने अपने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में एक अलग रास्ता अपनाने का विकल्प चुना है?

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि पोलावरम परियोजना में काफी समस्याएं हैं और हम इस पर सभा में चर्चा करते रहे हैं तथा आपने इसकी अनुमति देकर कृपा की है। अब, महानदी का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया है, तो हमें जो समस्या महसूस हो रही है वह यही है। क्या यह संभव है कि हमारे पड़ोसी हमारे पेयजल और सिंचाई जल को रोककर हमें कमजोर करना चाहते हैं? यह अस्वीकार्य है। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि, जैसा कि माननीय सांसदों ने पहले बताया, सिंचाई के लिए जल की मात्रा उपयोग से बहुत कम है। हम इसे स्वीकार करते हैं। तो फिर पानी जा कहां रहा है? छत्तीसगढ़ के जांगीर चंपा नामक जिले में कई वृहद परियोजनाएं आ रही हैं, जैसे मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स जिंदल, मेसर्स टोरेंट, मेसर्स मोजर बेयर, मेसर्स जी.एम.आर. एनर्जी, मेसर्स लैंको अमरकंटक, मेसर्स एस्सार और एन.टी.पी.सी. और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई उद्योगों के लिए गुजरात खनिज विकास निगम (जी.एम.डी.सी.) विद्युत का उत्पादन करेगा। इसलिए, इरादे बहुत स्पष्ट हैं कि क्यों ओडिशा के लोगों का पेयजल रोका जा रहा है। हम मुख्य रूप से जल का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए कर रहे हैं। यह एक पुरानी परियोजना है।

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं।

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को, सी.डब्ल्यू.सी. को या मिनिस्ट्री को इसमें कहां एक्शन में आना चाहिए था, उनका रोल कहां से शुरू होता है या उनके आधिकार क्या हैं? सी.डब्ल्यू.सी. या मिनिस्ट्री का रोल तब शुरू होता है जब ओडिशा सरकार मिनिस्ट्री को कहती कि कुछ गलत हुआ। उससे पहले कहीं भी मिनिस्ट्री का या सी.डब्ल्यू.सी. का कोई रोल नहीं है। अभी डेढ़ महीने पूर्व ओडिशा सरकार का पहला पत्र केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है। उससे पहले हो सकता है कि ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया हो। लेकिन, केन्द्र सरकार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

महताब जी ने जिन बड़े डैम्स का ज़िक्र किया तो जो माइनर इर्रीगेशन डैम्स हैं, वे पहले खुद यह कह चुके हैं कि वह 2000 हेक्टेयर से नीचे हैं। अगर वे कभी सी.डब्ल्यू.सी. तक न आते तो केन्द्र सरकार का उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वह प्रदेश का मामला है। वे उसे कभी भी बना सकते हैं।जो मेजर और मीडियम डैम्स हैं, अरपा के बारे में उन्होंने विशेष रूप से कहा, वर्ष 2013 में इनकी डीपीआर केन्द्र सरकार को जमा हुई। वर्ष 2014 में मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को डॉयरेक्शन दी कि डीपीआर ओडिशा सरकार के साथ साझा की जाए। वर्ष 2015 में ओडिशा सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा डीपीआर भेज दी गई। उन्होंने यह सूचना दी है। वर्ष 2015 के बाद अभी तक डीपीआर वहां गई, सीडब्ल्यूसी ने पहली बार कहा है कि यह टेक्निकली ठीक हो सकता है, लेकिन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो रिकमेंडेशन देती है कि डैम बनना चाहिए, उसने अभी तक रिकमेंडेशन नहीं दी है। बिना रिकमेंडेशन के बावजूद, एक स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है कि रिकमेंडेशन के बाद ही डैम बनना चाहिए, उसके बगैर छत्तीसगढ़ सरकार ने डैम पर काम शुरू किया। यह एक प्वाइंट इसके बारे में है। ...(व्यवधान)

दूसरे जो दो प्वाइंट्स महताब जी ने उठाए हैं, तेंदुला, पेरी ...(व्यवधान) महताब जी, एक मिनट। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

…(व्यवधान) … *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, सब लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपस की बात बातें बाद में हो जाएंगी। …(व्यवधान) तथागत जी, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। मैं टू दि प्वाइंट बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आपस की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*…(व्यवधान) …**

डॉ. संजीव बालियान : दो डैम्स की बात और आई थी - पेरी, महानंदी। जिसकी डीपीआर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 04.02.2016 को ओडिशा गवर्नमेंट को भेज दी गई है। उसकी कोई अप्रूवल नहीं है। आपको डीपीआर भेज दी गई है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट तेंदुला है, जिसकी डीपीआर 02.09.2015 को ओडिशा सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भेज दी गई।

केली प्रोजेक्ट का जिक्र आया, वर्ष 2006 में केली प्रोजेक्ट का डीपीआर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ओडिशा सरकार को दी गई। वर्ष 2009 में उसकी अप्रूवल हुई। आज उसका जिक्र हो रहा है। मैं यह बात कहना

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहूंगा। अगर ऑब्जेक्शन होना था तो वर्ष 2006 और 2009 के बीच में ओडिशा की तरफ से ऑब्जेक्शन आना चाहिए था।

इसमें कुछ प्वाइंट्स हैं। इनमें काम नहीं शुरू हुआ। अभी तक सब के सब प्रोसेस में हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। इसके बाद हमारा काम क्या है, डेढ़ महीने पहले ओडिशा सरकार से सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद यहां से ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया कि आप आकर, बैठकर बातचीत कीजिए क्योंकि केन्द्र सरकार ऐज ए मीडिएटर का रोल प्ले करती है। छत्तीसगढ़ की तरफ से आया कि हम आ जाते हैं। ओडिशा की तरफ से एक महीने का समय मांगा गया कि हम जुलाई के लास्ट में आना चाहते हैं। पहली मीटिंग 27 जून को थी, अब अगली मीटिंग 29 जुलाई को फिक्स कर दी गई है, जिसकी दोनों सरकारों को सूचना दे दी गई है। एक साल का समय केन्द्र सरकार के पास है। दोनों से बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा। अगर रास्ता नहीं निकलता तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जो एक आधिकार है, इसके अलावा कोई कानून केन्द्र सरकार के पास नहीं है कि हम ट्रिब्यूनल का गठन करें।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा नॉन मानसून फ्लो का बार-बार आया, क्योंकि मानसून फ्लो के दौरान किसी को कोई समस्या मेरे विचार से नहीं है। उसके बारे में जब दोनों पक्ष बैठेंगे, केन्द्र सरकार बीच में होगी, एक स्टडी की जा सकती है कि नॉन मानसून फ्लो में ओडिशा का कोई नुकसान है या नहीं है। यह सबको क्लियर है कि मानसून के दौरान कोई नुकसान इन डैम्स के बनने से नहीं है। सिर्फ समस्या नॉन मानसून फ्लो की है। उसके बारे में कोई स्टडी की जा सकती है। दोनों पक्ष बैठ सकते हैं और कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस तरह नहीं। भर्तृहरि जी आपने बहुत विस्तृत में बोला है। इस प्रकार बीच में बोलना उचित नहीं है।

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, आपका सवाल ठीक है। लेकिन दो हजार हेक्टेअर से नीचे वाले कोई भी माइनर प्रोजेक्ट सिंगल-सिंगल होकर बड़े हो सकते हैं। लेकिन दो हजार हेक्टेअर से नीचे कोई भी माइनर प्रोजेक्ट ...(व्यवधान) ये एक ही रिवर पर हो सकते हैं, लेकिन दो हजार से नीचे का माइनर प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं आता है और आपको भी सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। दो हजार हेक्टेअर से ऊपर आपको सूचना देने का प्रावधान भी है, वह सीडब्ल्यूसी को भी प्रावधान है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 1983 से ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बना, यह सबसे बड़ी समस्या है। अगर वह ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप बना होता दोनों सरकार के बीच में, तो यह समस्या न आती। यह केन्द्र सरकार का बीच में जरूर निवेदन रहेगा कि जो नहीं हो पाया, कम से कम अब बन जाए, जिससे लगातार ये समस्यायें आगे न पैदा हों। आभिषेक जी ने एक बात और कही कि आने वाले समय में डिस्प्यूट और बढ़ेंगे, क्या कोई ऐसी अथारिटी होगी? हां, यह इस सदन का काम है। इस बारे में विचार होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये समस्यायें बढ़ेंगी। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इस तरह नहीं। माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर जारी रख सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)... *

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान : महताब जी, मैं वह कमिटमैंट कर सकता हूं जो मेरे आधिकार क्षेत्र में है या जो कानूनन केन्द्र सरकार को दिए गए हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: फिर चर्चा का क्या फायदा है?...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : चर्चा का फायदा यह है कि आपने बात उठाई। आप बताइए कि जब पिछले महीने बुलाया गया था तो एक महीने का समय क्यों लिया गया। एक महीने का समय ओडिसा सरकार ने लिया।...(व्यवधान) आपका लैटर आते ही केन्द्र द्वारा तुरंत बुलाया गया था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें ।

... <u>(व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान : अब तीन दिन की बात है, तीन दिन बाद आपकी मीटिंग है। आप 29 तारीख को यह बात उठा सकते हैं बजाए आज ऐश्योरैंस लेने के, जो मेरे आधिकार क्षेत्र में नहीं है।...(व्यवधान) आप 29 तारीख को ज्वाइंट मीटिंग में यह बात रख सकते हैं और इस बात पर सहमत हुआ जा सकता है।...(व्यवधान)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय राज्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। मैं सिर्फ एक ही बात कहने के लिए खड़ी

हुई हूं। एक रिवर इंटरलिंकिंग की बैठक चल रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। माननीय राज्य मंत्री महोदय ने बहुत सुन्दर ढंग से सारी बातों का उत्तर दिया है।

दो युवा सांसदों ने एक बात कही है कि भविष्य में पानी लड़ाई का कारण बन सकता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि क्यों न हम एक ऐसी भावना की रचना करें कि पानी लड़ाई का कारण न बने बल्कि आपस में प्यार का कारण बने। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैठक होने वाली है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दोनों पक्ष उपस्थित होने वाले हैं, बहुत जल्दी वह बैठक हो जाएगी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करती हूं। उस बैठक में इसका ऐसा समाधान निकाल लिया जाएगा जिससे न ओडिशा को शिकायत होगी और न छत्तीसगढ़ को शिकायत होगी, क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमें यह निर्देश दिया है कि सबका साथ और सबका विकास। अगर इस देश का विकास करना है तो विकास में अग्रणी भूमिका जल की है। इसके लिए एक करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का प्रावधान प्रधान मंत्री जी ने पीएमकेएसवाई के जरिए दिया है। ओडिशा में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की बहुत बड़ी समस्या है। ओडिशा हमारा बहुत ही प्रिय राज्य है। ओडिशा का ही वह भाग था जिसके लिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। उस राज्य को हम संकट या परेशानी में कैसे डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही बैठक होगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा दोनों की बात सुनकर एक उचित समाधान बहुत जल्द निकल आएगा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4939/16/16]

माननीय अध्यक्ष : आज शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री दीपेन्द्र हुडा, पी. करुणाकरन, के.वी. थॉमस, सौगत राय, राजीव सातव, बी.एन. चन्द्रप्पा, के.एच. मुनियप्पा और के.सी. वेणुगोपाल से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की

सूचनाएं आई हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं मगर सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आनिवार्य नहीं है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की गई।

शून्य काल शाम को लिया जाएगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 01.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 02.09 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर नौ मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले *

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जायेंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामलों का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल को सौंप दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में सभा पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) उत्तराखंड में, विशेषकर गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल(सेवानिवृत्त)भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : मेरा संसदीय क्षेत्र मुख्यतः जटिल पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां के लोगों को विषम परिस्थितियों में अपना जीवन-यापन करना पड़ता है। आज जबकि हमारे देश की संचार व्यवस्था 4जी टेक्नोलॉजी और कई अन्य विश्वस्तरीय तकनीकों का प्रयोग कर रही है, ऐसे में मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं, बल्कि समस्त उत्तराखण्ड के पहाड़ी जिलों में संचार व्यवस्थाएं खस्ताहाल हैं। वहां के आधिसंख्य लोगों को मोबाइल जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

उत्तराखंड के गांवों में समय-समय पर किसी न किसी क्षेत्र के लोग संचार संवाओं की अव्यवस्थाओं के विरोध में आंदोलनरत रहते हैं। आज भी मेरे क्षेत्र की खंसर घाटी, जिला चमोली के लोग आंदोलनरत हैं।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों के लिए भी कम जनसंख्या वाले या दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाना किसी अनुपात में आनिवार्य होना चाहिए। प्रायः यह देखा गया है कि प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर मुनाफे वाले क्षेत्रों में ही सेवायें देते हैं और दूरस्थ क्षेत्र सिर्फ बी.एस.एन.एल. के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आम जन को असुविधा होती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सेवाओं में सुधार किया जाये एवं प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों को भी अपना नेटवर्क स्थापित करने के लिए निर्देशित किया जाए।

[अनुवाद]

(दो) उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चिकित्सकों की आधिवर्षता आयु में वृद्धि कर 65 किए जाने संबंधी घोषणा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह घोषणा राष्ट्र की स्वास्थ्य नीति के हित में एक क्रांतिकारी कदम है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के सबको सस्ता एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के दृष्टिकोण का पूरक भी है। चूंकि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है व आयुष चिकित्सक ही विभिन्न माध्यमों से इनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, अतः उत्त संबंध में यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के आयुष पद्धति के महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं चिकित्सकों की आधिवर्षता आयु 60 वर्ष है तथा सेवानिवृत्त 60 वर्ष होने से आधिकांशतः आयुष पद्धति के महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बंद हो गए हैं, जिससे प्रदेश में आयुष पद्धति की शिक्षण-प्रशिक्षण एवं चिकित्सा ठप्प हो गयी है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के आयुष पद्धति के चिकित्सक शिक्षकों एवं चिकित्सकों की भी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की कृपा करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि उक्त आदेश प्रदेश में भी तत्काल प्रभावी कराया जाए, जिससे देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का मान-सम्मान एवं गौरव बना रहे एवं साथ ही साथ ग्राम उदय से भारत उदय के स्वप्न को भी साकार किया जा सके।

[अनुवाद]

(तीन) कपड़ा क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (सुल्तानपुर): केंद्र सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र में सुधारों का एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य 3 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। इसमें श्रम मानदंडों में छूट देकर और विशेष योजनाएं शुरू करके उत्पादन, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों की परिकल्पना की गई है।

इन सुधारों के एक भाग के रूप में, सरकार ने इस क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की शुरूआत की है। तकनीकी उन्नयन से लागत कम होती है, इससे उत्पादन बढ़ता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, हालांकि इसके साथ ही उद्योगों में बढ़ता स्वचालन नौकरियों के लिए खतरा पैदा करता है। यह ध्यान देने योग्य है बात है कि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आसियान क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन पर जारी एक हालिया रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कपड़ा, परिधान और जूते (टी.सी.एफ.) क्षेत्र के श्रमिक इस तकनीकी विस्थापन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार आसियान क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के लगभग 137 मिलियन श्रमिक इसके कारण अपने रोजगार से हाथ धो सकते हैं।

(चार) झुन्झुनू-सीकर खंड पर रेलगाड़ियों की आगमन-प्रस्थान समय-सारणी पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनु) : मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र झुंझनू की ओर दिलाना चाहती हूं। झुंझनू जिला पूरे भारत में सवारधिक सैनिकों के लिए, व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान झुंझनू-सीकर रेलवे लाइन पर चलने वाली गाड़ियों की ओर दिलाना चाहती हूं। वर्तमान में इस रूट में चलने वाली सभी गाड़ियों की समय सारणी जिले के नागरिकों के अनुसार नहीं होने के कारण जिले वासियों को इस का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

समय-सारणी सुविधाजनक न होने के कारण सरकार को भी इस रूट पर काफी वित्तीय घाटा झेलना पड़ रहा है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों के परिचालन को सुधारने के संबंध में एक सर्वे करवाएं ताकि इस रूट पर सरकार को भी लाभ हो सके तथा क्षेत्रवासी भी रेल सुविधा का लाभ उठा सके।

[अनुवाद]

(पांच) झारखंड के धनबाद में भारतीय जीवन बीमा निगम का मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : वर्ष 1986 में भारतीय जीवन बीमा निगम का मण्डलीय कार्यालय धनबाद में केंद्र सरकार द्वारा खोला जाना था। परन्तु उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति न मिल पाने के कारण यह मण्डलीय कार्यालय धनबाद में न खुलकर भागलपुर में स्थापित कर दिया गया था। पुनः वर्ष 1991 में धनबाद को फिर मौका प्राप्त हुआ परन्तु किन्ही कारणों के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय को हजारीबाग में स्थापित कर दिया गया। सर्वगुण सम्पन्न होने के बावजूद धनबाद में आज तक एल.आई.सी. का मण्डलीय कार्यालय नहीं खोला गया है। धनबाद भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डल कार्यालय के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है। हजारीबाग मण्डल कार्यालय की 18 शाखाओं में से 13 शाखाएं धनबाद तथा धनबाद के आस-पास है। हजारीबाग मण्डल कार्यालय धनबाद से 130 कि.मी. की दूरी पर है, जिसके कारण कर्मचारी, आभिकर्ता और पॉलिसीधारकों को कई दिक्कतें होती हैं। वहीं धनबाद के विकास के लिए बी.सी.सी.एल. का मुख्यालय, बैंकों का क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान अनुसंधान यूनिट तथा आई.एस.एम. जिसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार से आई.आई.टी. का दर्जा प्राप्त हुआ है, साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम का हाउसिंग फाइनेंस लि. का क्षेत्रीय कार्यालय जैसे संस्थान तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय वर्तमान में संचालित हो रहे हैं।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में भी भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय खोले जाने की अनुमति दी जाये , जिससे धनबाद लोक सभा की जनता

के साथ-साथ आस-पास के अन्य कई जिलों की जनता को भी लाभान्वित किया जा सके तथा धनबाद के विकास में सहायक सिद्ध हो सके।

[अनुवाद]

(छह) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम भारत पम्प एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड का पुनरुद्धार किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : मेरे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के श्रेष्ठ उपक्रमों में से एक उपक्रम भारत पम्प एवं कम्प्रेसर लि., नैनी, इलाहाबाद में हैं, जो एशिया में पम्प बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है तथा ये अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है, जिसे रूग्ण दिखाया गया है जबकि यह रूग्ण हो ही नहीं सकता क्योंकि इस उपक्रम की पम्प बनाने की विशिष्टता के कारण काम का अभाव नहीं है।

यहां केवल दो कमियां हैं। कार्यशील पूंजी का अभाव एवं व्यवस्था कराने व ठीक करने के लिए पूर्णकालिक/ दीर्घकालिक प्रशासनिक आधिकारी, सी.एम.डी. की आवश्यकता है, जो इस प्रतिष्ठान को भली-भांति चला सकें।

इस संबंध में कई पत्र वर्तमान सरकार के गठन के बाद संबंधित माननीय मंत्री जी को लिखे गये और सरकार की पहल पर कार्यशील पूंजी के संबंध में कुछ सकारात्मक आदेश किये गये हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जो सार्वजनिक उपक्रमों का मिनी रत्न कहा जाता हो व जहां घाटा लगने की कोई संभावना न हो, उसे वहां की मांग के अनुरूप कार्यशील पूंजी क्यों नहीं दी जा रही है व स्थाई सी.एम.डी. क्यों नहीं नियुत्त हो रहा है। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इस प्रतिष्ठान के चलाये जाने हेतु क्या कदम सरकार ने उठाये हैं।

[अनुवाद]

(सात) गुजरात के विशेषरूप से भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिन परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत वागरा एवं दहेज औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये थे एवं इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जमीन किसानों से ली गई थी, उनको बाज़ार मूल्य के आधार पर समुचित मुआवजा नहीं मिला। जिससे एक तरफ तो उनकी जमीन को कम मूल्य पर आधिग्रहीत किया गया, जिसका बाज़ार मूल्य कहीं ज्यादा था दूसरी तरफ इस क्षेत्र के किसान के पास कोई धंधा नहीं रह गया, जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि कानून के मुताबिक उनको विस्थापित परिवार की हैसियत से रोज़गार पर नहीं रखा गया। केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुरोध है कि विस्थापित परिवार को जमीन आधिग्रहण के लिए उनकी जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाये और विस्थापित परिवार के एक सदस्य को हर हाल में नौकरी दी जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब भी किसी परिवार की भूमि को किसी उद्योग लगाने के लिए आधिग्रहीत किया जाये तो उसको उसकी जमीन के हिस्से के अनुसार स्थापित उद्योग का मालिकाना हक दिया जाये।

भूमि आधिग्रहण के समय विस्थापित परिवार को जिस उद्योग के लिए जमीन ली गई है, उस उद्योग में उसकी जमीन के अनुरूप हिस्सेदारी दी जाये, ऐसा प्रावधान सरकार को बनाना चाहिए।

[अनुवाद]

(आठ) गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : बच्चे भारत का भविष्य है। उनके शैक्षणिक विकास एवं उनके कौशल विकास से देश का विकास संभव है। सरकार का ध्यान देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब होने के आंकड़ें की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। बच्चों के गुम होने पर उसके माता-पिता पर क्या बीतती है, उसे हम सभी महसूस कर सकते हैं। बच्चों का अपहरण कर कई गिरोह उनके अंगों को विकलांग कर उनसे भीख मंगवा रहे हैं। कई बच्चों का अपहरण इसलिए किया जाता है कि उनके लीवर और किडनी निकालकर किडनी और लीवर से पीड़ित अमीर वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाया जा सके। अरब के देशों में बच्चों की तस्करी की जा रही है। इस तरह से भारत में बच्चे असुरक्षित हो रहे हैं। भारत में लगभग एक लाख बच्चे हर साल गायब हो रहे हैं जो अपेक्षाकृत अन्य देशों से ज्यादा है । चीन में एक साल में दस हजार और पाकिस्तान में एक साल में तीन हजार बच्चे गायब होते हैं। भारत में 2015 में 2014 की अपेक्षा बच्चों के गुम होने में 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मैं उन कई संस्थानों का धन्यवाद देती हूँ जो बच्चों को ढूंढने के कार्य में लगे हैं और उन्होंने इसके लिए कई वेबसाईट बनाई हुई हैं। देश में गुम हो रहे बच्चों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके लिए पुलिस व्यवस्था पर फटकार भी लगाई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि गुम हो रहे बच्चों को ढूंढने में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाये और इसके लिए विशेष आभियान समय-समय पर चलाया जाए और इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दी जाये।

[अनुवाद]

(नौ) मध्य प्रदेश के विशेषकर दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत बनी सड़कों को विभाजित करने वाली सड़कों पर अंडरब्रिज या उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : देश की महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सड़क योजना स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क का उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह (मध्य प्रदेश) से गुजरता है। यह अत्यंत तीव्र गति वाली सुन्दर सड़क है, लेकिन यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में निर्माण के दौरान कुछ तकनीकी खामियां उज़ागर हुई हैं, जिन्हें ठीक करने की आतिशीघ्र आवश्यकता है। जैसे गौरझामर से केसल मार्ग इस सड़क को पार करता है लेकिन भूमिगत पुल या उपरिपुल न होने के कारण दुर्घटनायें हो रही हैं। देवरी तहसील मुख्यालय है, वहां भी यही स्थिति है। अनेक बड़े-बड़े गांव एवं बड़ी आबादी तक जाने वाली सड़कें इस मार्ग से जुड़ती हैं, पर वहां अंडरब्रिज (भूमिगत पुल) या ओवर ब्रिज (उपरिपुल) नहीं है, जो इस परियोजना की मुख्य तकनीकी सावधानी थी।

अतः मेरा माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि सम्पूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के ऐसे व्यवधानों को समाप्त करें। ऐसे व्यवधान मेरी जानकारी में सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, ललितपुर एवं झांसी जिलों में मौजूद हैं।

[अनुवाद]

(दस) झारखंड के गढ़वा में बाइपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान वर्ष 2010 से लंबित गढवा बाई पास के जल्द निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। गढवा-रंका पथ से गढवा-नगर पथ (एन.एच.-75) में और गढवा-शाहपुर पथ से रेहला-गढवा पथ (एन.एच. -75) को जोड़ने हेतु प्रस्तावित बाई पास के निर्माण कार्य को सन् 2010 में मंजूर किया गया था मगर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका डी.पी. आर. भी तैयार नहीं किया गया है। इस बाई पास के निर्माण के नहीं होने से गढवा शहर में यातायात की व्यवस्था दुरूह बनी हुई है तथा आम जनता को प्रतिदिन छोटी सी दूरी तय करने के लिए काफी आधिक समय व्यतीत करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा संबंधित आधिकारियों को इस विषय में कई बार अवगत कराया जा चुका है परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है।

मैं माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आम नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए गढवा शहर बाई पास पथ का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि आमजन को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके।

[अनुवाद]

(ग्यारह) झारखंड के गांवों में जल और स्वच्छता संबंधी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियुक्त की गई जलसहियाओं की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखण्ड में राज्य सरकार के द्वारा पेयजल आपूर्ति/जल प्रबंधन और स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की तैनाती की गई, जिसे राज्य में 'जलसहिया' के नाम से संबोधित किया जाता है। जलसहिया के द्वारा पेयजल/जल प्रबंधन और स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित उपभोक्ताओं का बिल का भुगतान और विभिन्न कार्यों का सम्पादन किया जाता है। झारखण्ड की जनता के बीच इन सहायिकाओं की सेवाएं संतोषजनक और प्रशंसनीय है, परन्तु इन्हें न्यूनतम वेतन से भी कम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जबकि मनरेगा के अंतर्गत भी मजदूरों का वेतन निधाररित है। ऐसी स्थिति में जलसहियाओं को पोशाक, परिचय पत्र, बीमा एवं पेंशन आदि की सुविधाएं प्रदान करते हुए इनकी सेवाओं को नियमित करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि उनके कार्यों में ऊर्जा शत्ति का संचार हो। आज स्थिति यह है कि जलसहियाओं के द्वारा वर्षों से सेवाएं दी जा रही है, परन्तु उन्हें संबंधित ग्राम प्रधान सेवा से बाहर कर रहे हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि झारखण्ड के जलसहियाओं की सेवा नियमित करने, ड्रेस कोड लागू करने और परिचय पत्र जारी करते हुए चिकित्सा और बीमा सुविधा आदि की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

(बारह) गुजरात में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की निगरानी करने हेतु पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री परेश रावल (अहमदाबाद-पूर्व) : सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूरे गुजरात राज्य एवं जिला स्तर पर एक सरकारी आधिकारी काम देख रहा है लेकिन इस काम की रिपोर्टिंग हर महीने नहीं हो रही है।

बेसिक सरकारी योजनाओं का लाभ गांववासियों को मिले इसके लिए कोई कार्यावधि बनाई नहीं जाती है जिसकी वजह से पानी, गटर, रोड, तालाब, शौचालय, सरकारी शाला, प्राथमिक हेल्थ सेंटर वगैरह सेवा में त्रुटि रह जाती है।

मैं इस विषय में सरकार से आग्रह करता हूं कि संबंधित आधिकारियों से मासिक फोलोअप और रिपोर्टिंग करने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) असम की बराक घाटी में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति में सुधार किए जाने की बारे में

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): असम की बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति, रेलवे सेवाओं में अवरोध तथा हवाई टिकटों की ऊंची दरों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की तत्काल मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है।

घाटी को चुराईबाड़ी के रास्ते त्रिपुरा और मालीडोर के रास्ते मेघालय से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 की स्थिति बहुत खराब है। कछार को मणिपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-53 काशीपुर भाग में लगभग 6-8 किलोमीटर तक विशेष रूप से खराब है; सिलचर से मिजोरम तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-54 भी सोनाई सड़क पर खराब स्थिति में है। कछार और दीमा हसाओ हिस्से में पूर्व-पश्चिम गलियारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे असम की बराक घाटी का दौरा करें और समस्या का दीर्घकालिक समाधान ढूंढें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान हम इसी समस्या से जूझते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि दीर्घकालिक समाधान के लिए मृदा स्थिरीकरण जैसी नई प्रौद्योगिकी का पता लगाएं।

(चौदह) भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय किये जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शनवास (वायनाड): स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एस.बी.टी.) के कई ग्राहकों ने इसकी सेवा के कारण अपना खाता एस.बी.आई. से एस.बी.टी. में स्थानांतरित कर लिया है। उनका कहना है कि एस.बी.आई. 5 सितारा होटल जैसा बन जाएगा, इसलिए अब उन्हें औसत ग्राहकों की आवश्यकता नहीं है।

एस.बी.टी. का गठन केरल राज्य के गठन के बाद किया गया था। त्रावणकोर राज्य के कई छोटे बैंकों का या तो एस.बी.टी. में विलय कर दिया गया या उन्हें अधिग्रहीत कर लिया गया तथा केरल के गठन के बाद, यह केरल का राजकोष बन गया। केरल के आर्थिक विकास में इस बैंक का बड़ा योगदान रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, सरकारी निगमों के संपूर्ण वेतन खातों तथा केरल राज्य के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन खातों का रखरखाव एस.बी.टी. द्वारा ही किया जाता है। राज्य के विभिन्न भागों में उच्च क्रेडिट जमा अनुपात बनाए रखने के लिए एस.बी.टी. द्वारा कोषागार संचालन किया जाता है। एस.बी.टी. शैक्षिक ऋण, माइक्रोफाइनेंस और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह एक आम आदमी का बैंक है और इसका इतिहास केरल के लोगों के साथ संबद्ध है।

एस.बी.टी. की 1170 शाखाएं हैं और इसका कारोबार 1,68000 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा, केरल राज्य की बचत और निवेश किसी भी अवसंरचना विकास गतिविधियों के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से एस.बी.टी. का एस.बी.आई. में विलय करने के विचार को त्यागने का आग्रह करता हूं।

(पंद्रह) भूमि अर्जन के बदले किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलाने के लिए भारतीय ऊर्जा अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (तुमकुर): भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 के प्रावधानों के तहत किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है या बिना अधिग्रहण के उसका उपयोग किया जा रहा है। यह कठोर कानून ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान किसानों के हित के लिए हानिकारक हैं जब उनकी प्रधान, मूल्यवान और उपजाऊ भूमि का या तो अधिग्रहण कर लिया जाता है या संबंधित अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है।

वर्ष 2003 में संसद ने भारतीय ऊर्जा अधिनियम 2003 अधिनियमित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, जहां तक किसानों के हितों की सुरक्षा का प्रश्न है, यह अधिनियम भी पुराने भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम, 1885 के अनुरूप है।

कॉरिडोर क्षेत्र के लिए उपयोग की गई भूमि के संदर्भ में किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता। कई ऐसे मामले हैं जहाँ संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमि का उपयोग किए जाने पर किसानों के लिए वह भूमि बेकार हो जाती है, और इसके नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता। कर्नाटक के तुमकुर तालुक में स्थित वासंतनारसापुर केंद्रीय पावर ग्रिड स्टेशन इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसे भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को अपनी आँखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ किसानों को बिना किसी मुआवजे के अपनी मूल्यवान भूमि खोनी पड़ रही है।

इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों को भारतीय ऊर्जा अधिनियम 2003 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा प्राप्त हो सके।

(सोलह) उदय योजना में तमिलनाडु राज्य की भागीदारी के बारे में

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): केंद्र सरकार ने एक नई योजना-उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय की शुरुआत की। उदय, एक क्रांतिकारी सुधार है जो माननीय प्रधानमंत्री की 'सभी के लिए सस्ती और 24x7 सुलभ बिजली' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 23.10.2015 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर यह कहा कि तमिलनाडु उदय योजना में शामिल होगा और योजना में शामिल होने के लिए कुछ विशेष छूट की मांग की, जिनमें निम्नलिखित शर्तें थीं:-

1) मूलधन की अदायगी और ब्याज भुगतान के लिए अतिरिक्त उधार;

2) 5 वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 15 वर्ष के बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया जाए ;

3) केंद्र को ऋण का 25% प्रदान करना चाहिए;

4) वाणिज्यिक बैंकों को अगले 5 वर्ष के लिए 50% नकद हानि वित्तपोषण उपलब्ध कराना चाहिए; तथा

5) योजना प्रस्ताव को एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रखा जाए।

तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुसार, इन आवश्यक संशोधनों के बिना उदय योजना को लागू करना कठिन होगा। राज्य के अनुरोध पर विचार करना स्पष्ट कर दिया गया था ताकि टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ. के ऋण को लेते समय तमिलनाडु के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस समय मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य द्वारा उदय योजना में सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करे तथा भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए।

(सत्रह) श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै को विश्व दाय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): भारत वर्ष 1977 से विश्व दाय का एक सक्रिय सदस्य है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग में काम कर रहा है। भारत में 32 विश्व दाय संपत्तियाँ हैं, जिनमें से 25 सांस्कृतिक संपत्तियाँ और 7 प्राकृतिक संपत्तियाँ हैं। मदुरै स्थित श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्राचीन स्थापत्य कला के चमत्कार को शामिल किए बिना यह सूची पूरी नहीं हो सकती।

मदुरै के मध्य में स्थित श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वर मंदिर पिछले 2500 वर्ष से मदुरै का केन्द्र बिन्दु है। कला और स्थापत्य कला का चमत्कार, गोपुरम की भव्यता, शानदार हजार स्तंभों वाला हॉल, 33000 मूर्तियां, प्रतिमाएं , चिह्न, प्राचीन चित्रकारी, संगीतमय स्तंभ, ऐतिहासिक शिलालेख इस मंदिर को दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बनाते हैं।

लोगों की भावनात्मक, धार्मिक और सौंदर्य संबंधी आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के अलावा, मीनाक्षी अम्मन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण-केंद्र है और सरकार को विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में भी मदद करता है।

तमिलनाडु सरकार ने सबसे कुशल मंदिर प्रबंधन प्रणाली प्रदान की है, जिसके कारण उसे मंदिर प्रशासन के रखरखाव और पर्यटक सुविधा में उत्कृष्टता के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने में मदद मिली है।

भारत के इस महानतम मंदिर की सभी खूबियों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह श्री मीनाक्षी मंदिर को विश्व दाय सूची में शामिल करने के लिए युनेस्को विश्व दाय समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाए, ताकि विश्व दाय कोष से उसे 100 करोड़ रुपये मिल सकें।

(अठारह) पश्चिम बंगाल में खामरगाछी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के लिए रैम्प का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना (नाग) डे (हुगली): पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के खामरगाछी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के लिए रैम्प के निर्माण की मांग काफी समय से लंबित है। वर्तमान में उक्त स्टेशन पर फुट-ओवर ब्रिज को पार करने के लिए यात्रियों को एक तरफ 220 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। फुट-ओवर ब्रिज के कारण, यात्री एक सुविधाजनक मार्ग अपनाते है ,जो बहुत खतरनाक होता है अर्थात बुकिंग काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए पटरियों को पार करना जो कुछ ही दूरी पर स्थित है। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों, छात्रों, बुजुर्गों को खामरगाछी स्टेशन पर फुट-ओवर ब्रिज का उपयोग करने में कठिनाई होती है। इस पुल को तोड़कर हबीबगंज स्टेशन (भोपाल) की तरह एक रैंप बनाया जाना चाहिए, जिस पर सभी के लिए चढ़ना या चलना आसान हो। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि वे पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के खामरगाछी स्टेशन पर फुट-ओवर ब्रिज का उपयोग करने के लिए एक रैंप का निर्माण करें।

(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सैनिक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आरामबाग पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले शामिल हैं- हुगली और पश्चिम मादीपुर।

आरामबाग निर्वाचन-क्षेत्र के दो जिलों में सैनिक स्कूल खुलने से पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर के निकट शिक्षा सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह ग्रामीण बच्चों के लाभ के लिए मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(बीस) ओडिशा के पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): मैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान पारादीप क्षेत्र के स्थानीय लोगों की बढ़ती शिकायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ , जिन्हें ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना के कारण अपनी भूमि से विस्थापित होना पड़ा।

आईओसीएल और ओडिशा सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्येक भूमि वंचितों और विस्थापित परिवारों के एक सदस्य, यदि शैक्षिक रूप से पात्र हैं, तो उन्हें इसके प्रतिष्ठान में रोजगार मिलना था। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि वे निगम की आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक रूप से योग्य नहीं हैं, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे कुशल और अर्ध कुशल श्रेणी में नियोजित होने के मानदंडों को पूरा कर सकें। विस्थापितों और भू-विस्थापितों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद, कुछ विस्थापितों और भू-विस्थापितों को प्रारंभिक तौर पर आईओसीएल में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया। लेकिन अब आईओसीएल के प्राधिकारी 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन एडहॉक कर्मचारियों को स्थायी करने का अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ तदर्थ कर्मचारी ओडिशा उच्च न्यायालय में भी चले गए। आईओसीएल के प्राधिकारी अन्य राज्यों से लोगों की भर्ती कर रहे हैं और स्थानीय विस्थापितों और भू-विस्थापितों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इस संबंध में, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे आईओसीएल और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, ठेकेदारों के अधीन नहीं, बल्कि आईओसीएल में स्थायी आधार पर नियोजित क्षेत्र के विस्थापितों और भू-विस्थापितों की संख्या तथा निगम में अभी भी स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रहे तदर्थ कर्मचारियों की संख्या के मामले पर ध्यान दें। मैं मंत्री जी से आईओसीएल में स्थानीय विस्थापितों

और भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए कतिपय पद आरक्षित करके स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान करने का भी अनुरोध करता हूं क्योंकि इस क्षेत्र में आईओसीएल की स्थापना के कारण वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

(इक्कीस) विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): न्यायपालिका लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। जवाबदेही और पारदर्शिता भी लोकतन्त्र में जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं न्यायिक नियुक्ति समिति की वर्तमान स्थिति को भी जानना चाहता हूँ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों को भरे तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करे।

(बाईस) झारखंड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के राजमहल ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट में स्थानीय युवकों को नौकरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र (राजमहल) में इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की राजमहल परियोजना में कोयले की खुदाई और ढुलाई में चल रहे आउट सोर्सिंग की ओर दिलाना चाहता हूं।

अप्रैल, 2012 से बिहार और बंगाल के थर्मल पॉवर इकाई को सुचारू रूप से कोयले की आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के राजमहल ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग का कार्य राजमहल कोल माइनिंग लिमिटेड (आर.सी.एम. एल.) द्वारा किया जाता रहा है। आज राजमहल परियोजना ही एक ऐसी परियोजना है जो 800 करोड़ की कमाई करती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिन स्थानीय किसानों ने कोयले की खानों के लिए राजमहल परियोजना को अपनी सारी जमीनें दे दी है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। इस परियोजना में आउट सोर्सिंग पर काम किया जाता है तथा परियोजना में काम करने वाले कर्मचारी से पदाधिकारी तक स्थानीय न होकर बाहरी है। कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति में स्थानीयता को प्राथमिकता नहीं देती है। बाहर के लोग यहां आकर नौकरी करते हैं, जबकि क्षेत्र में ढेरों पढ़े-लिखे युवा यूं ही बेरोजगार होकर भटक रहे हैं और इसकी वजह से क्षेत्र में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। यहां के लोगों में इस बात को लेकर धीरे-धीरे आक्रोश बढ़ रहा है तथा लंबे समय से आंदोलनरत हैं और अगर जल्द ही इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन राजमहल परियोजना का चलना मुश्किल हो जाएगा।

अतः मैं माननीय कोयला मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है जिससे यहां के भू-विस्थापित लोगों को बेरोजगारी व भुखमरी जैसी समस्याओं से बचाया जा सकता है।

(तेईस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बीटीएस टावर और उपस्कर लगाए जाने की आवश्यकता

कुंवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में बीटीएस टॉवर की भारी कमी के चलते शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से उपभोत्ता परेशान है। पिछले वर्षों में कई लोगों ने भारत संचार निगम लिमिटेड की खराब व्यवस्था के कारण अपने कनेक्शन बंद करा दिए हैं, जिले में विभागीय सूचना के माध्यम से 124 बीटीएस कार्यरत हैं एवं 60 बीटीएस प्रस्तावित हैं, जबकि 3जी डाटा एवं 4जी डाटा नेटवर्क की व्यवस्था सहित 200 बीटीएस टॉवर लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त पत्र को संचार मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि उपभोत्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में उचित मात्रा में बीटीएस टॉवर एवं उपकरण शीघ्रातिशीघ्र लगाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(चौबीस) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों द्वारा फसलों की बर्बादी को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जंगली जानवरों द्वारा फ़सल को पहुंचाई गई क्षति को भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। देश के कृषक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के हमले तथा फ़सल रोगों जैसी घटनाओं के कारण फसल क्षति होने की स्थिति में स्वयं ही अपना भरण-पोषण करना पड़ता है। इस संबंध में, नई शुरू की गई फसल बीमा योजना किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को नुकसान के आकलन का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों के कारण होने वाली क्षति से कभी-कभी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जब तक कि ऐसे जानवरों की संख्या को कुछ तरीकों से नियंत्रित नहीं किया जाता जैसे कि उन्हें जंगली क्षेत्रों में स्थानांतरित करना, नीलगाय या बैल जैसे जंगली जानवरों के कारण होने वाली फसल हानि को भी फ़सल बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाए ।

(पच्चीस) पश्चिम महाराष्ट्र में गुड़ प्रसंस्करण एककों का कलस्टर की स्थापना के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : हर व्यक्ति को गुड़ (जांगरी) का मेडिकल और न्यूट्रिशनल महत्व पता है। जबकि देश के गन्ना उत्पादक किसान गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य न मिलने से परेशान हैं। इस हालात में देश क विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे और भी कुछ जगह पारंपरिक तरीकां से गन्ना उत्पादक किसानों को गुड़ उद्योग (जांगरी इंडस्ट्री) कुछ हद तक आर्थिक सपोर्ट दे सकती है। इससे किसान का वैल्यू एडिशन (मूल्य वर्धन) होगा।

गुड़ का भले ही उपयोग अलग-अलग तरीकों के उत्पादनों में होता है। वो भले ही बिखरा हुआ हो लेकिन गुड़ की जरूरत तो सबको होती है। उच्च क्वालिटी के गुड़ उत्पादों से अन्य चीजों के मुकाबले बहुत ही सस्ती दर पर मानवीय शरीर को लौह, कैल्शियम आदि तत्व मिलते हैं।

देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे कि पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि जहां पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके गुड़ का उत्पादन किसान वर्षों से करता रहा है।

इसलिए मेरी सरकार से पुरज़ोर विनती है कि देश के जिन हिस्सों में गुड़ का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, वहां गुड़ का क्लस्टर (जांगरी क्लस्टर) विकसित करके उस एरिया के गन्ना गुड़ उत्पादन किसानों के व्यापार (बिजनेस) को सपोर्ट देने की आवश्यकता है।

पश्चिमी महाराष्ट्र के किसान इस जांगरी क्लस्टर को खड़ा करने के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, उनको सिर्फ सरकार की तरह से लैब एनालिसिस की सुविधा और कुछ जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे

कि गोदाम, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार की तरफ से देने की जरूरत है जिससे कि वो अपनी कड़ी मेहनत से उच्च दर्जे के गुड़ का उत्पादन कर सके।

<u>अपराह्न 02.11 बजे</u>

[अनुवाद]

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा मद संख्या 10 पर विचार करेगी- श्री बंडारू दत्तात्रेय।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बहुत खुशी है, क्योंकि यह सम्मानीय सभा एक ऐतिहासिक और युगांतकारी विधेयक, अर्थात् बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर चर्चा करने जा रही है। [हिन्दी] मैं भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह दायित्व दिया है। मुझे लेबर मिनिस्ट्री में काम करने का जो दायित्व दिया गया है, उस वजह से मैं आज इस बिल को इस ऑगस्ट हाउस में पेश कर रहा हूं। इस बिल को पेश करने में मुझे इसलिए खुशी है, क्योंकि इससे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। अगर जरूरत हुई तो मैं डिस्कशन के समय डिटेल में बताऊंगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि हमने 14 साल के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने,

ऐस्टैबलिशमैंट, शॉप, मॉल आदि में काम करना सम्पूर्ण निषेध किया है। [अनुवाद] हमने सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक ऐतिहासिक एवं युगांतकारी विधेयक है। दूसरी बात, हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को इस विधेयक के साथ जोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का यही उद्देश्य है। तीसरी बात, एक नई परिभाषा दी गई है। हमने 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया है। [हिन्दी] वह किशोर माना जाता है। हमने इसकी नई डैफीनेशन दी है। 14 साल से 18 साल तक के किशोर को सारे हैज़ार्डस प्रोसैस में निषेध किया गया है। किशोर के स्वास्थ्य और ग्रोथ की दृष्टि से नई डैफीनेशन लाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुराने बिल से स्ट्रिक्टर पनिशमैंट की गई है। [अनुवाद] जो नियोक्ता इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। सज़ा और भी सख्त होगी, यह एक निवारक सजा है। हमने इसे संज्ञेय अपराध बना दिया है। पहले यह गैर-संज्ञेय था, अब इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि हमने बच्चों और किशोरों के लिए पुनर्वास कोष के गठन का उपबंध किया है।

इससे पहले विशेष पुनर्वास निधि का कोई उपबंध नहीं था। तो, ये प्रमुख बातें हैं जिन्हें हम विधेयक में संशोधित कर रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करता हूँ कि वे अपना पूर्ण सहयोग दें तथा इस ऐतिहासिक एवं युगांतकारी विधेयक का समर्थन करें।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाल श्रम संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ी हुई, वैसे लोक सभा में इस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि आप फुल मेजोरिटी में हैं, आपने लोक सभा से इसे पारित करवाया। बच्चों के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता रहा है। बहुत कम लोग संवेदनशील होते हैं जो बच्चों के बारे में राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं न कि वोट बैंक की तरह। यह बिल 26 वर्ष के बाद संशोधन होकर आया। मैं सबसे पहले कुछ आंकड़ें रखना चाहती हूं, अमेंडमेंट से पहले जो कानून बाल श्रम के लिए बना हुआ था उससे क्या बाल श्रम से बच्चों को निकाल पाने में हम सफल हुए, क्या उससे बाल श्रम कम हुआ, क्या वेश्यावृत्ति रुकी, ट्रैफिकिंग रूकी, बंधुआ मजदूरी रुकी, ढ़ाबों में काम करना या दुकानों में काम करना, जेल जैसी फैक्ट्रियों में काम करना, क्या वह रुक गया था?

आपने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को श्रम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और उसमें आपने लिखा कि इसमें चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को सभी प्रकार के कामों में लगाने पर पाबंदी का प्रावधान है। यद्यपि यह निषेध ऐसे बच्चों पर लागू नहीं होगा जो अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम में मदद देने के लिए स्कूल की पढ़ाई होने के बाद या छुट्टियों के बाद काम करते हैं, यही सबसे बड़ा अपवाद है। आप यह उदाहरण लेकर आ रहे हैं कि 60% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं इसलिए उनके बच्चे खेतों में काम करते हैं लेकिर आज उस छांव के पीछे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है आज 26 साल के बाद अगर इसे संशोधित किया गया तो उन बच्चों के लिए नहीं करना था यह उन बच्चों के लिए करना था जो ट्रैफिकिंग में फंसते जा रहे हैं, यह उन परिवारों के लिए था जो अपने बच्चों को बेच दिया करते हैं, यह उन रिश्तेदारों के लिए था जो अपने रिश्तेदार के रूप में मामा, चाचा के रूप में इस धंधे में धकेल दिया करते हैं, जो अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जेल जैसी फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया करते हैं। आपकी सरकार को दो साल हो गए लेकिन यह सच्चाई है कि कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग भारत को नोबेल पुरस्कार इसलिए दिलाया कि बाल श्रम से मुक्ति के लिए वह काम कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है कि वे भी आपके पास आए लेकिन आपने उनकी भी नहीं सुनी। आप

क्यों सुनते, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट गरीबों की नहीं, बल्कि कॉरपोर्रेट उद्योग और व्यापारियों को फायदा कैसे पहुंचाने वाली है। फैक्टरीज में सबसे बड़ा श्रेय उन बच्चों का होता है जिनके वेजेज बहुत कम होता है। आपने ब्रैकेट में डाला है कि जोखिम वाला व्यवसाय या प्रक्रिया नहीं करेंगे लेकिन इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या आप परिवार से पूछने जाएंगे, चाचा से पूछने जाएंगे कि आपने उसे ट्रैफिकिंग में क्यों भेज दिया, आपने उसे फैक्ट्री में क्यों लगा दिया ? क्या फैक्ट्री मालिक नहीं कह सकता कि यह मामा का लड़का है या भतीजा का लड़का है इसलिए इसका मकसद जो है वह इस संशोधन से पूरा नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल में कहा गया है कि बच्चे स्कूल से आकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार से एक तरफ आपने मान लिया कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन्हें काम करने का आधिकार है, लेकिन वे बच्चे कहां से आते हैं, इसे भी तो देखिए। वे बच्चे खासकर दलित, आतिपिछड़ा और अल्पसंख्यकों के परिवारों से आते बच्चे हैं। वे बहुत गरीब बच्चे हैं, जिन्हें खेलने-कूदने का आधिकार नहीं है। जब उनके खेलने-कूदने का वक्त होगा, तो आपने कहा कि उन्हें 4, 5 या 6 घंटे काम करना चाहिए। आपने तो बोल दिया, लेकिन इसे कौन देखेगा कि वे कितने घंटे काम कर रहे हैं। क्या आपकी नौकरशाही और पुलिस इसे देखेगी, जो उन व्यापारियों और कॉरपोरेट जगत से मिलकर सिर्फ लाभ कमाने का काम करती है? मैं इस बात कोफिरदोहराऊंगी कि वे बच्चे वोटर्स नहीं हैं, इसलिए कौन परवाह करता है ,उनकी किसी को चिन्ता नहीं होगी।

महोदय, हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते थे कि वह सोश्यल हो, लेकिन आपने उसे कॉमर्श्यल की तरफ धकेल दिया और उन बच्चों का कॉमर्श्यलाइजेशन कर दिया। एक तरफ आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं और दूसरी तरफ फेमिली एंटरप्राइजेज के नाम पर उन बच्चों और उन बंधुआ मजदूरों को, जो ट्रेफिकिंग में फंसे हुए हैं, उन्हें बड़ी आसानी से धोखा देने का काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करते हुए बताना चाहती हूं कि आपने दंड का प्रावधान किया और जुर्माना 20,000/ रुपए से बढ़ाकर 50,000/- कर दिया तथा छः महीने सज़ा बढ़ा दी। यह लिखने और पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सज़ा बढ़ा दी गई है और दंड की सीमा भी बढ़ा दी गई है।

लेकिन आइए, अब हम देखते हैं कि इसके तहत कितने लोगों को दंड मिला और कितनों लोगों पर ज़ुर्माना किया गया। मैं सरकारी आंकड़ों को पढ़ रही हूं, जिनके अनुसार वर्ष 1986 में कानून बनने से लेकर अब तक, कुल 13,60,117 निरीक्षण किए गए। उनमें से मात्र 49,019 नियोजनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज़ हुए और महज़ 4,474 को सज़ा सुनाई गई। इन प्रकरणों में भी सज़ा के नाम पर जो ज़ुर्माना किया गया, उसे बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि वह कहीं पर मात्र 20 रुपए और कहीं 25 पर रुपए है। किसी बच्चे की ज़िंदगी छीनने की सज़ा केवल इतनी ही है। मेरे ख्याल से देश में बचपन के साथ इससे घिनौना मज़ाक कोई और दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप यह कैसे सोच रहे हैं कि सज़ा बढ़ाने से देश में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा?

महोदय, दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी हम सब लोग जानते हैं। देश में बाल श्रमिकों की कितनी संख्या है और उनमें से कितने बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है, यदि इसे देखिए, तो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 50 लाख बच्चे ही मजदूरी करते हैं। पहले यह आंकड़ा सवा करोड़ था, जबकि गैर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय आकलन के हिसाब से यह संख्या 4 करोड़ से 6 करोड़ है। इस प्रकार देखिए, तो सीधे-सीधे सरकार ने यहां पर साढ़े 5 करोड़ बच्चों को गायब कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि उनका क्या होगा? आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या मात्र 50 लाख है।

महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या सवा करोड़ थी, जबकि अब इन्हें मात्र 50 लाख बताया गया है। इसके मायने ये हैं कि पिछले लगभग 10 सालों में 75 लाख बच्चों को बाल श्रम से हटाया गया, लेकिन फिर दूसरा डाटा क्या बताता है, वह देखिए। आपको पता लगेगा कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यदि विगत सालों में सिर्फ 4,700 नियोजकों को ही अपराधी ठहराया गया और उनके ऊपर मुकदमे हुए, तो फिर आप 75 लाख बच्चे कहां से वापस ले आए? अब प्रश्न यह भी खड़ा होता

है कि इतने सारे बच्चे किस प्रक्रिया के अन्तर्गत छुड़ाए गए? मुझे लगता है कि ये बच्चे छुड़ाए ही नहीं गए। इसका जबाव कौन देगा?

महोदय, इसके बाद मैं इनके पुनर्वास के बारे में बताना चाहती हूं। अगर आपने इतने बच्चे छुड़ाए, तो वे बच्चे कहां हैं। जब यह पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि जो सर्व शिक्षा आभियान है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें यह सरकार बच्चों को मिड डे मील देती है। मिड डे मील की स्कीम कांग्रेस सरकार की देन थी। आपको सही मायने में जो इम्प्लीटमेंट करना चाहिए, वह आप नहीं करते हैं। कहने को तो पुनर्वास स्कीम देश के 66 जिलों में चल रही है, परन्तु सिर्फ 6 लाख बच्चे ही इससे लाभान्वित होते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यह भी गारंटी नहीं है कि ये छः लाख बच्चे वही हैं, जो बाल मजदूरी से छुड़ाए गए हैं। यह आंकड़ा कहां जा रहा है और आपका संशोधन कहां जा रहा है।

आप इस आधिनियम की वाहवाही लूट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन यह आधिनियम केवल दस प्रतिशत कार्यशील बच्चों को सुरक्षित करता है जबकि यह गैर संगठित क्षेत्रों में लागू नहीं है। यद्यपि यह आधिनियम कुछ निश्चित जोखिम वाले उद्योगों और कारखानों में बच्चों को काम करने के लिए निषेध करता है, लेकिन साथ ही खतरनाक कार्यों की व्याख्या नहीं करता है। यह खतरनाक उद्योगों की सूची प्रदान तो करता है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बात आती है कि गृह मंत्रालय भीख मांगने वाले बच्चों को बाल श्रम में नहीं लेता है। हमने बार-बार जीरो ऑवर में भी मुद्दा उठाया है कि किराए की गोद लेकर महिलाएं भीख मांगती हैं, तो क्या दो से छः साल के बच्चे बाल मजदूर की कैटेगिरी में नहीं आते हैं? आपने उनको क्यों दरकिनार कर दिया, जबकि वह कोख किराए की होती है। वे भी व्यापार करते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सरकार दो घंटे में बिल को संशोधित करके किस संवेदना के साथ सुन रही है, यह इसी बात को दर्शाता है कि यह वोट बैंक नहीं है, इसलिए इसके साथ खानापूर्ति कर रहे हैं।

महोदय, अब मैं उन बातों पर आऊंगी जो हमारे ज़ेहन में आती हैं। यह आपका चिट्ठा है, यह आंकड़ा बताता है कि आप किस तरह से संशोधन कर रहे हैं और यह किस तरह से बच्चों को आश्रय देगा। मेरे ख्याल

से सही मायने में यह श्रम मंत्रालय के लेविल की बात है ही नहीं, इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री, नीति आयोग, श्रम मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को एक ग्रुप बनाकर इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी देश में परसेंटेज छः से सात है। ये बच्चे बार-बार शोषित हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकार की इसके प्रति बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है और होनी भी चाहिए। इसका सोल्यूशन चंद दिनों का संशोधन नहीं है।

हम सब जानते हैं कि किसान किसानी करता है, मजदूरी इतनी महंगी है, इसलिए वह निश्चित तौर से अपने बच्चों को भी इसमें लगाता है। लेकिन वहां उनका इतना शोषण नहीं है, जितना शोषण अन्य फील्ड्स में है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग जनसंख्या क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि जितने हाथ होंगे, उतने काम होंगे। आप 'मेक इन इंडिया' की बात कहते हैं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात कहते हैं, 'स्किल इंडिया' की बात कहते हैं लेकिन बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को बचाने की बात नहीं कहते हैं।

महोदय, जनसंख्या बढ़ रही है। चीन की भी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन हमें चीन की तरह नहीं होना है कि जन्मते बच्चे को ही सुई धागा पकड़ा दिया। एक तरफ लोग बोलते हैं 'जितने हाथ, उतने काम', लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अगर गवर्नमेंट इस वैल्यु, इस आबादी को समझ ले तो एक बच्चा या बच्ची, जो सिर्फ लिखना-पढ़ना जानता है, इसमें अगर गवर्नमेंट का एक रुपया इन्वेस्ट होता है, तो बीस सालों में वह सरकार को 15 रुपए देता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसारः

"यदि लोग बुनियादी बातें सीखें, पढ़ें और लिखें तो सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 0.37 प्रतिशत बढ़ेगी। 10 वर्ष में सिर्फ शिक्षा के बल पर जी.डी.पी. 10 प्रतिशत बढ़ेगी"।

[हिन्दी]

आप व्यवसायीकरण की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, तो क्या आपके ज़ेहन में यह बात नहीं आई, जो बात वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है? आखिर क्यों उनका परिवार ही इस बात को सोचे? जनसंख्या का सोल्यूशन तभी निकल सकता है, जब आप इस पर सोचेंगे? लेकिन यह परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? यह जीडीपी बढ़ेगी कैसे? उनके लिखने-पढ़ने से बढेगी। जो मिनिमम लिखने-पढ़ने की फेसिलिटी है, वह भी हमारे देश में न के बराबर है। हम लोगों ने सवरशिक्षा आभियान शुरू किया। अगर आप कम्पेयर करें, उन बच्चों को, जो बहुत अमीर हैं, मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं और एक बहुत गरीब बच्चा, जिसके घर में दो जून की रोटी नहीं है। आप उनको कैसे कम्पेयर कर सकते हैं? वह किस स्कूल में जाएगा? सरकारी स्कूल में जाएगा। एक तरफ बिल्डिंग बनती है, ए.सी. लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, स्वीमिंग पूल बनता है, खेल का मैदान बनता है, उसके बाद उन बच्चों का एडमिशन होता है। दूसरी तरफ एक बच्चे को तीन रूम के सवरशिक्षा आभियान की स्कूल बिल्डिंग में पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है, जहां पर शिक्षक नगण्य होते हैं। वहां जो लोग पढ़ाने के लिए रखे गए हैं, वे खिचड़ी बना रहे होते हैं। मैक्सिमम जगहों पर शौचालय नहीं है, हैण्डपम्प नहीं हैं। मैंने कई जगहों पर निरीक्षण किया तो परिवार के लोग कहते हैं कि पढ़ा कर क्या करना है। यहां पढाई नहीं हो रही है, इससे अच्छा है कि हमारा बच्चा दो रुपये कमाएगा तो घर में भोजन आएगा। सरकार को पहले उन गरीबों के भोजन की व्यवस्था करनी थी, न कि कारपोरेट और उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए यह संशोधन लाना था।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास, पुलिस और नौकरशाही की जवाबदेही, किसान-मजदूर की मजदूरी बढ़ाना, उद्योग जगत, व्यापार जगत, कारपोरेट जगत और मीडिया की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी। ...(व्यवधान) आप यह संशोधन लाए हैं, इसमें से राजनीति की बू आ रही है, इसमें से बू आ रही है, उद्योगों को फायदा पहुंचाने की, इसमें से बू आ रही है, कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की। अगर आप बाल श्रमिकों से इतने दुखी थे तो कारपोरेट जगत की जो जवाबदेही बनती है, उद्योग जगत एवं व्यापार जगत की जो जवाबदेही बनती है,

उसको इस संशोधन में शामिल करके क्यों नहीं लाए? चाहे तमिलनाडु हो, गुजरात हो, बिहार हो या राजस्थान हो, हर जगह पर कारपोरेट और उद्योग जगत अपनी फैक्टरी में बच्चों को प्रिफर करते हैं। चारदीवारी के अंदर, जहां बड़ी-बड़ी तारें लगी होती हैं, वहां आम आदमी या एनजीओज नहीं जा सकते हैं और नौकरशाही एवं राजनीतिक लोगों की मिलीभगत से वे बच्चे काम कर रहे होते हैं। उन बच्चों को आप कैसे न्याय दिला पाएंगे? कारपोरेट जगत बच्चों को इसलिए प्रिफर करते हैं, इसलिए महत्ता देते हैं, क्योंकि उनकी वेजेज कम होती हैं। कम लागत में ज्यादा मुनाफा लेना, ज्यादा यूरो-डॉलर कमाना और इसमें सरकार की 100 प्रतिशत इनवाल्वमेंट दिखाई देती है। इतनी क्या हडबड़ी थी कि आपने इस तरह से संशोधन किया है? यह बात हम लोगों के सिर से ऊपर जा रही है।

मैं कहना चाहूंगी कि आज बहुत जरूरी है, आप बाल श्रम की बात करते हैं, लेकिन आप फैमिली इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहे हैं। आप नाम किसानों का ले रहे हैं, लेकिन फैमिली इंटरप्राइजेज के नाम पर आपने इस संशोधन के माध्यम से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे दिया है। आपने इस संशोधन से बच्चों के शोषण को बढ़ावा दे दिया है। वेश्यावृत्ति के जितने भी केसेज दिखते हैं, मैक्सिमम केसेज में उनके रिश्तेदार ही उनको इसमें धकेलते हैं। आपने उनको लाइसेंस दे दिया है। आपने बच्चों का शोषण करने का लाइसेंस एक तरह से फैमिली इंटरप्राइजेज को दे दिया है। मैं इसके माध्यम से मीडिया को भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी सनसनी यहां फैलती है। गुजरात में दलितों के साथ जो हुआ, बहुत दुखद था, बिहार में जो हुआ, वह बहुत दुखद था, कई अन्य राज्यों में हुआ, वह दुखद था, लेकिन सही मायने में बाल श्रमिकों में आधिकतर दलित बच्चे होते हैं, अल्पसंख्यक बच्चे हैं, आति पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। चाहे आप हों या हम हों, अगर आप सही मायने में दलित के समर्थक होते, आति पिछड़े के समर्थक होते, अल्पसंख्यक के समर्थक होते और दिल में बच्चों के लिए प्यार होता, तो आपका यह संशोधन न आता।

यह संशोधन इसलिए आया कि जो बच्चे गैर संगठित जगहों पर फंसे पड़े हैं, उनको आप कैसे निकालेंगे? मैं कहती हूं कि इस संशोधन के बाद बोल दिया गया कि बाल श्रम खत्म हो जाएगा। मैं मंत्री जी से कहती हूं कि

सिद्धार्थ नगर जो एक जगह है, पटेल नगर, मादीपुर जो पुल है, कई जगह ऐसी हैं, जैसे रोहिणी है, जहां छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। वहां पर बाल श्रम हो रहा है। करोल बाग में छोटे छोटे ढ़ाबों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, क्या उनको वहां से आप निकलवा लेंगे? यह बच्चों के साथ बेईमानी है और बहुत शर्म की बात है कि जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, सही मायने में वे हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन ये वे बच्चे हैं, जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए आपने जो संशोधन किया है, वह सौ प्रतिशत उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आर्थिक उदारीकरण ने सस्ते श्रम, कच्चे माल के स्वार्थ में पूंजीनिवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन और श्रम निरीक्षण के चरित्र को तेजी से बदला है। उस पर आपको अंकुश लगाना चाहिए।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यह मामला सिर्फ श्रम मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इसमें चार पांच मंत्रालयों को साथ मिलकर बच्चों के बारे में बहुत ही गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। सरकार गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ करती है, लेकिन अगर सही मायने में आप गरीबी हटाना चाहते हैं तो सरकार किसान का एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाती है? अगर किसान की एमएसपी बढ़ेगी तो वह अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अगर सही मायने में आप गरीबी और बाल श्रम को हटाना चाहते हैं तो आप मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा देते। अगर उनकी मजदूरी बढ़ेगी तो वे अपने बच्चों को काम पर नहीं भेजेंगे, लेकिन जितने बाल श्रमिक आते हैं, उतने ही वयस्क लोग बेरोजगार होते हैं, क्योंकि लोग डिमांड बाल श्रमिक की करते हैं। एक तरफ आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो मजदूर तबके के लोग हैं, दूसरी तरफ बाल श्रमिकों के कारण युवा वर्ग बेरोजगार हो रहा है।

तीसरी बात पुनर्वास की आती है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि 6 लाख पुनर्वास भी उन बच्चों का नहीं हुआ है तो जो निर्भया कांड हुआ था, हम छुड़ा तो लेंगे, लेकिन अगर उनको सही शिक्षा और सही व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो उनका परिवार ही उनको दुबारा उस काम के लिए वापस भेज देगा, क्योंकि उनको पेट भरना है, अन्यथा अपराध की घटनाएं और बढ़ेंगी।

सर्वे में है, उसके बावजूद जो आप संशोधन लेकर आए हैं, तकरीबन 15-20 लाख वैसे बच्चों को निकाला जा सकता है, जो खतरनाक काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उनको पुनर्वास कैसे देंगे? किसके भरोसे देंगे? कहां देंगे? पुलिस के भरोसे देंगे या नौकरशाही के भरोसे देंगे या जो गांव में आपकी शिक्षा चल रही है, उसके भरोसे देंगे? उन परिवारों को दो जून की रोटी का इंतजाम चाहिए होगा, न कि आपके झूठे वादे का इंतजाम चाहिए होगा।

ये जो बच्चे हैं, हमारे वोटर नहीं हैं, इसलिए उनका मिसयूज सरकार की तरफ से भी न हो, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरह से हम लोग रेप को, महिलाओं के उत्पीड़न को बहुत ही हल्के में लेते हैं, उसी तरह से इस संशोधन ने भी हमारे देश के बच्चों को बहुत हल्के में लिया है। इसमें गंभीरता से कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग लगे हैं, कुछ गंभीर एनजीओज हैं, उनकी सलाह को मानना चाहिए था, आगे भी इसमें जरूरत पड़े तो आपको बच्चों की खातिर संशोधन करना आति आवश्यक है, क्योंकि बाल श्रम में जो ट्रेफिकिंग है, आपने जो फैमिली एंटरप्राइजेज दिया है, आपने जिस तरह से लूपहोल्स छोड़े हैं, उससे उनको और बढ़ावा मिलेगा, न कि बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अगले वक्ता को बुलाने से पहले हम अनुपूरक कार्यसूची पर विचार करेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार।

अपराह्न 02.39 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या 26/2016-के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 27/2016 के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय (क) खुदरा ग्राहक द्वारा दिए गए आभूषणों का पुनः परिवर्तन, अथवा (ख) खुदरा ग्राहक द्वारा दिए गए कीमती पत्थरों को गढ़ने के द्वारा विनिर्मित तथा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के शीर्ष 7113 के अधीन आने वाली आभूषणों की मदों पर आंशिक रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 28/2016 के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 29/2016 के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 17/2011-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना संख्या 33/2016-के.उ.शु (एन.टी.) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 7113 आने वाली सीमा शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए (क) प्रथम विक्रय मूल्य, अर्थात वह मूल्य जिस पर सीमा शुल्क योग्य वस्तुएं प्रथम बार आभूषणों की वस्तुओं अथवा आभूषण की वस्तुओं के भागों अथवा दोनों के लिए टैरिफ मूल्य के रूप में बेची जाती हैं (उन वस्तुओं को छोड़कर जो खुदरा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए कीमती पत्थरों से विनिर्मित की जाती है); (ख) मूल्य जो (1) आभूषणों की ऐसी वस्तुएं बनाने के लिए यथास्थिति, विनिर्माता अथवा प्रधान विनिर्माता द्वारा प्रयोग की गई अतिरिक्त सामग्रियों की लागत है; (2) खुदरा ग्राहक से, यथास्थिति, विनिर्माता अथवा प्रधान विनिर्माता द्वारा प्रभारित श्रम प्रभार; और (ग) खुदरा ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए कीमती पत्थर का मूल्य का योग है, को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आभूषण की वस्तुएं (शुल्क का संग्रहण) नियम 2016, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34/2016-के.उ.शु. में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 , जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 35/2016-के.उ.शु. में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम 2016, जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 36/2016-के.उ.शु. में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 37/2016-के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1% या 2 % की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर से स्वीकृत शुल्क योग्य सामग्रियों की वापसी के लिए तिमाही विवरणी हेतु एक नया प्ररूप, ई.आर.-8 उपलब्ध कराना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 38/2016 -के.उ.शु जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 39/2016-के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 17/2006- के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 40/2016 -के.उ.शु. जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 4940/16/16]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 43/2016-सी.शु., जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या

27/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई , देखिए संख्या एल.टी. 4941/16/16]

<u>अपराह्न 02.40 बजे</u>

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

(राज्य सभा द्वारा यथा पारित) ...जारी

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बाल श्रम संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्रम मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बाल श्रम संशोधन विधेयक के माध्यम से बालकों के संबंध में अपनी संवेदना और भावनायें इस सदन में प्रकट की है।

उपाध्यक्ष महोदय जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी केवल मन की बातों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि उन्होंने बचपन से और एक चाय बेचने वाले परिवार से, एक तरह से श्रमिक के रूप में अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हुए, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद उनके मन में कहीं न कहीं उस बचपन के बालमन के प्रति, हमारे देश में जो बाल श्रमिक हैं, उनकी चिंता करते हुए, यह बिल लाया गया है।

बाल श्रम, बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है और नियमित रूप से स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। हर बच्चा एक सपना देखता है, चाहे वह गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। जब हम लोग बस स्टॉप पर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अच्छी यूनिफॉर्म पहन कर, जूते-मौजे पहन कर, टाई लगा कर, बढ़िया पानी की बॉटल लेकर और पीठ पर स्कूल का बैग टांग कर स्कूल जाते हैं, वहीं कुछ गरीब बच्चे वहां से निकलते हैं, उनके मन में भी यह इच्छा होती है कि हम भी इन बच्चों के समान स्कूल जाएं, हमारे पास भी ऐसी यूनिफॉर्म हो, हमारे पास भी ऐसी ही पुस्तकें हों, लेकिन वे बच्चे ठिठुरती ठंड में, तपती धूप

में और बरसते बादलों के समय काम करते हैं। जब चिलचिलाती धूप होती है तो हम ए.सी. कमरों में या कूलर लगे कमरों में बैठे होते हैं, तब भी देश के किसी न किसी कोने में बच्चे काम कर रहे होते हैं। जब ठिठुरती ठंड रहती है तो हम रजाई में दुबके रहते हैं, उस ठिठुरती ठंड में भी हम सुबह-सुबह देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उस ठंड में भी पांच बजे से पन्नी और पट्ढे के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए सड़कों पर घूमते हैं। हम बारिश में घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में भी गरीबी और आशिक्षा के कारण मां-बाप बच्चों को काम करने के लिए आगे भेजते हैं, आगे बढ़ाते हैं।

बाल श्रम के कई कारण हैं, उनमें आति-गरीबी और शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा कारण है। कई काम ऐसे होते हैं, जो बच्चों के द्वारा ही करवाये जाते हैं। उनकी छोटी पतली अंगुलियों से काम लिये जाते हैं, जैसे चिमनियों को साफ करना, कांच का काम, चूड़ी का काम, इन सारे उद्योगों में बच्चों को काम पर लगाया जाता है। दुर्भाग्य से लड़कों की तुलना में लड़कियों के बालश्रम में उपयोग करने की संभावना और भी बढ़ जाती है। उसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति का ठीक नहीं होना है, जिसके कारण वे बच्चियों की स्कूल फीस नहीं भर पाते हैं। वे बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बेटियों को घर पर रोक लेते हैं। बेटियों के बाल श्रम की शुरुआत घर के काम से होती है और बाद में खेत में काम करने के लिए वे भेज दी जाती हैं। इस तरह से उनको श्रमिक के रूप में काम पर लगा दिया जाता है। अभी पिछले दिनों कई एन.जी.ओज. ने पटाखा उद्योग, जरी उद्योग, चूड़ी उद्योग और कालीन उद्योग के काम में लगे हुए बच्चों को छुड़ाया है। जो बच्चे छुड़ाए जाते हैं, इन्हें कौशल विकास प्रबंधन के माध्यम से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि ये दोबारा बाल श्रम की दिशा में आगे न बढ़ें।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो कि बाल श्रम का बहुत बड़ा कारण है। हमने बहुत-से पिता ऐसे देखे हैं जो स्वयं काम नहीं करना चाहते हैं। उन्हें शराब की आदत लग जाती है और वे अपनी पत्नी को भी काम करने के लिए भेजते हैं। वे अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए, फैक्टरियों में काम करने के लिए, घरों

में काम करने के लिए भेजते हैं। जब वे बच्चे काम करके वापिस घर आते हैं तो उनसे पैसा छीन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा संस्कारित होना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उन्हें काम करने के बाद समय नहीं मिलता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके माता-पिता का निधन हो जाता है। उनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं होता है, जो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सके, उनके भोजन की व्यवस्था कर सके। उनमें से जो बड़ा भाई या बहन है, वह अपने छोटे भाई-बहनों की चिंता करता है और उन्हें न चाहते हुए भी श्रमिक के रूप में काम करते हुए अपने स्वयं का पेट भरने के लिए तथा अपने भाई-बहनों का पेट भरने के लिए तथा उन्हें पढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। बाल श्रम का जब निरंतर स्वरूप बढ़ा तो वर्ष 1979 में सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल श्रम आधिनियम, 1986 बना। इस आधिनियम पर लम्बे समय के बाद यह संशोधन सदन में लाया गया है। इस संशोधन में मूल आधिनियम का नाम परिवर्तन करके बाल किशोर श्रम निषेध आधिनियम, 1986 किया गया है। इस संशोधन आधिनियम में किशोरों की कार्य की दशाओं के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। माननीय मंत्री जी ने बिल की प्रस्तावना में कहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिससे बाल निःशुल्क एवं आनिवार्य शिक्षा आधिनियम, 2009 का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी शिक्षा के आधिकार की बात कही गई है। बाल श्रम आधिनियम, 1986 में कतिपय व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को अन्य प्रक्रियाओं में बच्चों की कामकाजी दशाओं को नियमित करने के लिए आधिनियमित किया गया था। इसमें 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं निश्चित हैं। इसका मतलब कोई भी बच्चा कार्यस्थल में हो, तो वह विद्यालय से अनुपस्थित रहेगा। बाल श्रम निःशुल्क एवं आनिवार्य शिक्षा आधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक आनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तालमेल बैठाने के लिए ही इस बिल में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह वास्तव में बहुत स्वागत योग्य कदम है और इससे बच्चों की शिक्षा के सारे मार्ग प्रशस्त होंगे, ताकि बच्चा अपने जीवन में शिक्षित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मंत्री जी के द्वारा कही गई कि 14 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरह से काम करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वास्तव में यह एक स्वागत योग्य कदम है। हम देखते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में, चाहे वह फिल्म हो या टेलीविजन हो, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को कलाकार के रूप में लगाया जाता है। यह देखने में आया है कि कठिन दिनचर्या के दौर से इन्हें गुजरना पड़ता है। ये इतना ज्यादा मानसिक तनाव सहन नहीं कर पाते हैं और कई बार इतना लम्बा अभ्यास करते हुए बेहोश भी हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि मनोरंजन के लिए जो बच्चे या किशोर काम करते हैं, इनके बारे में भी उपयुक्त नियम बनाने की दिशा में विचार करने की जरूरत है। संशोधन विधेयक में बालक की परिभाषा को परिभाषित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि बालक की आयु सीमा निधाररित हो। मैं समझता हूं कि बालक की आयु की परिभाषा को प्रस्तावित करने के लिए हमारे यहां जो जुवैनाइल एक्ट है, उसमें उम्र 18 साल है। बालकों को आनिवार्य शिक्षा आधिनियम में 14 साल और बाल श्रम में 14 साल की आयु है। इस सबके बारे में समीक्षा करके एक तरह से समरूपता लाए जाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आधिनियम की धारा-3 का प्रतिस्थापन करना है। इस संशोधन में बालक विद्यालय से आने के बाद अपने परिवार के काम में मदद कर सकता है। वास्तविक रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बाल श्रम का निषेध करते हुए सरकार ने हमारे देश की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा है और बाल श्रम के निषेध और देश के सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन बनाकर इस विधेयक में संशोधन किया है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। स्कूल बच्चों की पाठशाला होते हैं, लेकिन माता पिता हुनर सिखाने की पाठशाला होते हैं।

इस संशोधन में एक बात यह आई है कि आप किस तरह से विभेद करेंगे कि कोई बच्चा स्कूल से आने के बाद जो काम कर रहा है, तो वह घर के काम में मदद माना जाएगा या उसका उपयोग वाणिज्यिक रूप से किया जा रहा है? हमारे देश का जो ताना-बाना है, हम गांवों में देखते हैं कि छोटे-छोटे लोगों के दो-तीन एकड़

का खेत होता है, तो बच्चा जब स्कूल से आता है, तो उसके माँ-बाप उसे खेत पर ले जाते हैं। वह खेत में निराई, गुड़ाई और धान रोपाई का काम करता है। यदि वह स्कूल से लौटने के बाद यह काम करता है, तो इसको वाणिज्यिक रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसे घर के काम में मदद के रूप में लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी जमींदार के घर में 20-25 बच्चों के ग्रुप में बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पैसे देकर श्रम का सौदा किया जाता है, तो वहाँ पर बालक का श्रम बालश्रम के रूप में माना जाएगा। लेकिन अपने खेत में जब बालक काम करता है, तो वह घर के काम में मदद के रूप में माना जाएगा।

मैं विशेष रूप से उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ, जो पटाखा उद्योग में काम करते हैं, शीशा उद्योग में काम करते हैं, काँच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत से बच्चों को जंगल में लाख इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, चिरौंजी इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है, आँवला इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता है। पटाखा उद्योग में बच्चे छोटी-छोटी ऊँगलियों से काम करते हैं, माचिस की तीली के ऊपर जो लेप लगाया जाता है और काँच उद्योग में भी पतली ऊँगलियों का काम होता है, उनमें बच्चों को लगाया जाता है। स्लेट उद्योग में, पेंसिल के उद्योग आदि में जो बच्चों के शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है, यह वास्तव में उनका शोषण है। इसे रोकने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बच्चों के स्कूल से आने के बाद, जिन बच्चों के घर में लकड़ी का काम होता है, यदि उसके घर में परम्परागत तरीके से वह काम होता चला आ रहा है, वह परम्परागत काम घर में रहकर नहीं करेगा, यदि वह लकड़ी का काम करता है, तो बच्चा बचपन से ही लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करता है, घर में पट्टा-बेलन बनाता है। बच्चा शुरू में जब घर में काम करता है, तो उसके पिता उसे लकड़ी के औज़ार पकड़ाकर उसे कहते हैं कि लकड़ी के बेलन बनाओ, रोटी बेलने का पलटा बनाओ, कपड़े धोने की मुगरी बनाओ। उसे खिलौने तथा कठपुतली बनाने का अभ्यास कराया जाता है। बच्चों को बचपन से ही हुनर का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह प्रशिक्षण उनके जीवन में आगे काम आता है। किसी के घर में सिलाई का काम होता है, तो बच्चा विद्यालय से वापस आने के बाद छोटे-छोटे कपड़े बनाना सीखता

है, थैले बनाना सिखता है। उन थैलों पर काँच के टुकड़े लगाकर और वीविंग करके उनको कलात्मक स्वरूप देकर अच्छे थैले बनाने का काम सीखता है। बच्चों को बचपन से कपड़ों पर प्रिटिंग करने का काम सिखाया जाता है।

सोनी परिवार होते हैं, जिनके यहाँ सर्राफ़े का काम होता है, जेवर बनाने का काम होता है। बच्चा स्कूल से आने के बाद यदि वह काम सीखता है, तो वह उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उपयोगी है। स्वाभिमानी बनने के लिए उसे बचपन से उसका प्रशिक्षण दिया जाता है।

मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ। मेरी साइरकिल पंक्चर की दुकान थी। यह दुकान फुटपाथ पर थी, पक्की दुकान नहीं थी। जब मैं पाँचवीं-छठवीं क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल से आने के बाद और स्कूल जाने के पहले मैं साइरकिल सुधारने का काम करता था। यदि बच्चे को बचपन से कोई काम सिखाया जाता है, तो उसके अंदर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है। माँ-बाप बच्चे की हुनर की सबसे बड़ी पाठशाला होते हैं। स्कूलों में तो बच्चों को केवल शिक्षा का अध्ययन कराया जा सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने का काम जितना माँ-बाप द्वारा प्रशिक्षण देकर किया जाता है, वह काम दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता।

विश्वकर्मा परिवार होते हैं, जिनको लोहार कहते हैं। लोहार के घर में जो बालक जन्म लेता है, उसे बचपन से ही चिमटा बनाना सिखाया जाता है, सेढ़सी बनाना सिखाया जाता है, लोहे के छोटे-छोटे रिंग बनाना सिखाया जाता है, वह रिंग लेकर बच्चे दौड़ते हैं। बच्चों की चीजें बनाना उनको सबसे पहले सिखाया जाता है। वह छोटी-छोटी चीजें बनाना प्रारम्भ करता है और जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसके सामने सुरसा की तरह मुँह फैलाये बेरोजगारी की समस्या नहीं खड़ी होती है। बड़ा होने के बाद वह आत्मनिर्भर होता है और वह अपने परिवार के लिए भी सहायक हो सकता है।

आदरणीय मंत्री जी के द्वारा यह जो बिल लाया गया है, धारा तीन में जो संशोधन की बात कही गयी है कि बालक के विद्यालय से आने के बाद परिवार के काम में वह सहायता कर सकता है, यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय और स्वागतयोग्य कदम है। मैं आदरणीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें थोड़ी-सी यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।बच्चा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए काम कर रहा है या उसको श्रम के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस तरह से उन सभी व्यवसायों में, जिनमें कार्य और श्रम में संबंध है, इस बारे में थोड़ा विचार करते हुए नियोजन प्रतिशत किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह बहुत ही स्वागत योग्य संशोधन है और इसकी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है।

महोदय, एक संशोधन और लाया गया है जो कि धारा 14(1) में प्रस्तावित है कि जहां आभिभावकों और माता-पिता को अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में है। मैं समझता हूं कि बालकों के नियोजन में प्रवेश के कई कारण होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, गरीबी, उपेक्षा, सामाजिक और आर्थिक शोषण, बहुत स्थानों पर विद्यालयों का अभाव और मां-बाप का न होना, बच्चों का अनाथ होना, जिस कारण से बच्चों को मां-बाप की सहमति या असहमति के बाद भी काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में गरीब मां-बाप को दंडित करने के स्थान पर एक नरम दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि बच्चों और माता-पिता को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कार्य न करना पड़े। ऐसे में जरूरत है कि परिवार की आय का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाए, जिससे बाल श्रम को रोकने में मदद मिल सके। इस संबंध में सरकार द्वारा कई योजनाएं बनायी गयी है। उनमें सबसे प्रमुख मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना के तहत छोटे-छोटे परिवारों ने पैसा लेकर, जिसमें 50 हजार रुपये तक लोन का प्रावधान है, लगभग 3 लाख 48 हजार छोटे परिवार के लोगों को इस योजना के तहत जीवन में आगे बढ़ने का सहारा मिला है। मैंने पूर्व में भी कहा कि ऐसे मामलों में गरीब मां-बाप को दंडित करने के स्थान पर नरम दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है, परन्तु ऐसे माता-पिता जो बार-बार बच्चों को बाल श्रम के

लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो एक या दो बार गलती करते हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए लेकिन जो बार-बार जान-बूझकर अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में उन नियोक्ताओं की पहचान करके, जहां बच्चों को लगाया जाता है, उनको दंडित किया जाना चाहिए।

आदरणीय मंत्री जी ने एक बात कही कि छः महीने की सजा को बढ़ाकर दो साल किया गया है और जुर्माने में भी बीस हजार से पचास हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। पचास हजार रुपये की राशि नियोक्ताओं के लिए कम है और इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इससे जो राशि एकत्रित होती है उससे एक फण्ड बनाया जाना चाहिए और इस फण्ड का उपयोग बाल श्रमिकों के पुनर्वास में होना चाहिए।

एक बात और आयी है कि गरीबी और आशिक्षा के कारण मां-बाप बच्चों को काम की अनुमति दे देते हैं, लेकिन मां-बाप को यह मालूम नहीं होता है कि बच्चा जो काम करने गया है, वह प्रतिबंधित है और जोखिमपूर्ण है। ऐसे में माता-पिता के बजाय नियोक्ता की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उसके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

इस संशोधन विधेयक में जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करने की बात कही गयी है। जिला मजिस्ट्रेट के पास पहले से ही काम का बहुत बोझ रहता है और इस वर्क लोड के कारण उनके लिए इस आधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए समय निकाल पाना बहुत कठित हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन की भी वह निगरानी कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट्स बाल श्रम से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। इसकी बजाय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी बनायी जाए। इस समिति की हर तीन महीने में मीटिंग हो और बाल श्रमिकों से संबंधित सभी आधिनियमों के बारे में समीक्षा की जाए और इस समिति को आधिकार सम्पन्न बनाया जाए।

धारा 17(बी) में बालकों को काम पर लगाया जाना प्रतिबंधित है क्योंकि जोखिमपूर्ण व्यवसाय और प्रक्रियाएं होती हैं, वहां आविधिक निरीक्षण के लिए सरकार को समुचित शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि संशोधन विधेयक के अनुसार उन सभी स्थानों पर जहां बालकों को काम पर लगाए जाने पर प्रतिबंध है।

अपराह्न 03.00 बजे

जोखिमपूर्ण व्यवसाय और प्रक्रिया होती है, वहां पर आवधिक निरीक्षण के लिए सरकार को समुचित शक्तियां प्रदान की जाएं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के अनुसार उन सभी स्थानों पर जहां बालकों के काम करने पर प्रतिबंध है, इस उपबंध के क्षेत्राधिकार में उन सभी स्थानों को लाया जाना चाहिए, जहां पर बच्चों को काम पर लगाये जाने की संभावनाएं हैं। ताकि उन स्थानों का अचानक निरीक्षण किया जा सके और अगर कहीं बाल श्रम करते हुए बच्चे पाये जाते हैं तो उन्हें वहां से पकड़कर उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किये जाएं। हमारे देश में जो भी बाल श्रमिक हैं, इन बच्चों को स्कूल भेजने की लिए पहल करने की आवश्यकता है, उनके पुनर्वास करने की आवश्यकता है। बालकों से संबंधित जो काम हैं, वे विभिन्न मंत्रालयों में जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन मंत्रालयों के बीच में बंटा है। मैं समझता हूं कि इन्हें अलग-अलग न बांटकर इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति और कार्य नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। ताकि ये बच्चे भी सभ्रांत परिवारों के बच्चों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनके समान जीवन जी सकें। इसके वांछित परिणाम तभी निकलेंगे, जब सभी मंत्रालयों में समन्वय होगा और सभी मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां एक-दूसरे को अग्रेत नहीं कर सकेंगे, बल्कि सामंजस्य बनाकर बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के बारे में सामयिक रूप से पहल कर सकेंगे।

इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों को और भी आधिकार सम्पन्न बनाने की पहल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन बच्चों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।

महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिक 2001 में 12.6 मिलियन थे, यानी लगभग 1 करोड़ 26 लाख, जो 2011 में 4.35 मिलियन यानी लगभग 41 लाख पर आ गये। नेशनल सैम्पल सर्वे के हिसाब से 2009-10 में यह संख्या पचास लाख थी। मुझे विश्वास है कि इस संशोधित बिल के पारित होने के बाद बाल श्रमिकों की संख्या में काफी कमी आएगी, बल्कि बहुत जल्दी ही हम वह समय भी देख सकेंगे, हमारी सरकार की जिस तरह की इच्छाशक्ति है, आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी जिस तरह के प्रभावी संशोधन इस बिल के माध्यम से लेकर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल पूरा पारित होने के बाद बाल श्रम पर रोक लगेगी। बच्चे ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर हैं और यदि हम अपने आपको विकसित देशों में देखना चाहते हैं तो हमें अपने कल को सुधारना होगा। इन बाल श्रमिकों के संबंध में यह संशोधन बिल आने वाले समय में हमारे देश के बच्चों के लिए हितकारी होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी) : धन्यवाद उपाध्यक्ष, महोदय। सबसे पहले, मैं हमारी प्रिय नेता माननीय पुराची थलाइवी अम्मा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने बालक श्रम संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है।

इस संशोधन विधेयक के गुण, दोष पर चर्चा करने से पहले मैं इस सम्मानीय सभा में यह बात दर्ज कराना चाहूंगा कि माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु ने बहुआयामी और बहु-विभागीय योजनाओं के माध्यम से राज्य में बालक श्रम के उन्मूलन में उत्कृष्ट सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। पुराची थलाइवी अम्मा बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इतना ही नहीं, राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का 99.3 प्रतिशत स्कूल नामांकन भी हासिल किया है, जो एएसईआर (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट) सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे अधिक है।

प्रस्तावित संशोधन खतरनाक व्यवसायों में 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है। कानून तोड़ने पर जेल की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर दो वर्ष (पहले तीन महीने से बढ़ाकर एक वर्ष) और जुर्माना 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये (पहले 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये) करने का प्रस्ताव किया गया है। दंड को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा देश में किसी भी रूप में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। हालांकि, प्रस्तावित परिवर्तन बच्चों को स्कूल के बाद या स्कूल की छुट्टियों के दौरान पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति देते हैं, जो कि सरकार के अनुसार, भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए महत्त्वपूर्ण है।

इसके अलावा, फैक्ट्री अधिनियम,1948 के तहत खनन, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक प्रक्रियाओं की सूची को 83 से घटाकर 3 कर दिया गया है। इसलिए, बच्चों को सभी प्रकार की असुरक्षित प्रक्रियाओं में नियोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, आलोचकों को यह आशंका है। पारिवारिक उद्यमों की आड़ में बच्चों से ईंट भट्ठों, बूचड़खानों, कालीन, जरी अथवा बीड़ी कारखानों, अभ्रक या हीरे काटने, ई-कचरे से जुड़े कार्य, कूड़ा बीनने या घरेलू सहायता के रूप में काम करने पर मजबूर किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन को कार्यकर्ताओं ने प्रतिगामी बताया है। इससे न केवल बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्कूल छोड़ने की दर में भी वृद्धि होगी।

भारत में निवेश करने वाले लोग आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर होंगे और विश्व स्तर पर, आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख चिंताएं पारिस्थितिकी और बाल श्रम की हैं। परिसंकटमय उपजीविकाओं की सूची वर्षों से किए गए प्रमाणित अध्ययनों के आधार पर संकलित की गई है इसके अलावा, हमारे अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि तथाकथित दूर के रिश्तेदार ही बाल श्रम के तस्कर, नियोक्ता और दुर्व्यवहारकर्ता हैं। विधेयक में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मात्र नजदीकी परिवार में कार्यरत बच्चों को बाल श्रमिक नहीं माना जाएगा। अन्यथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए परिवार के सदस्यों की आड़ में बाल श्रम के शोषण की पहचान करना और उस पर अंकुश लगाना कठिन हो जाएगा।

यह संशोधन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में काम करने से निषिद्ध करता है, ताकि वे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त, यह 14-18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर बच्चों को भी कवर करता है, जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15-19 आयु समूह में लगभग 32.3 मिलियन

है। यद्यपि यह अधिनियम किशोर बच्चों को भी इसके दायरे में लाता है, परन्तु वास्तव में इससे बाल श्रम के कुछ विशिष्ट रूपों में लगे कुछ बच्चों को ही लाभ होगा। परिवारिक काम का परंतुक हितकारी प्रतीत होता है जिसके बारे में, स्पष्ट रूप से, किसी को असहमत नहीं होना चाहिए।

सभी परिवारों में, अमीर और गरीब, क्या यह वांछनीय और स्वीकार्य नहीं है कि बच्चे परिवार के दैनिक कार्यों में मदद करें ? इस संशोधन के अंतर्गत ऐसा क्यों है कि परिवार के कार्य का उल्लेख किया गया है और उसे स्पष्ट किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विधेयक दैनिक परिवार कार्य को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन लाखों बच्चे बीड़ी रोलिंग, बिंदी और चूड़ी उत्पादन की परिवार-आधारित इकाइयों में,*अगरबत्ती* और *पापड़* बनाने, ज़री और कढ़ाई का काम, पैकिंग और चिपकने वाले लेबल, चप्पा/मेकिंग, हस्तशिल्प और कई अन्य उत्पादों के निर्माण में जो काम करते हैं।

यह उस तरह का काम है जिसमें गरीब भू-धारक लेनदारों से बंधे होते हैं जो उन्हें बीज और उर्वरक प्रदान करते हैं, अक्सर उन्हें प्रतिकूल नियमों और शर्तों पर एक दीर्घकालिक अनुबंध के आधार पर पूरे परिवार को अपने खेतों पर सस्ते श्रम के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे उत्पीड़न के इस कुचक्र में फंस जाते हैं और पूरे परिवार के साथ विशेष रूप से कृषि के मुख्य मौसम के दौरान कृषि श्रम के रूप में काम करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है।

यह वह काम है जो बच्चों को स्कूल के समय से पहले और बाद में देर रात तक करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है जिसके कारण वो कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं या स्कूल की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के रूप में जाने जाते हैं। स्कूल और काम दोनों के बीच में भटकने के कारण ये बच्चे स्कूल को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के कार्य में बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है और इस प्रकार किसी भी तरह *स्थिति को बनाए रखा जाता है* और जाति पदानुक्रम को बनाए रखा जाता है। इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने पर इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों के लिए अपने पारिवारिक पेशे को जारी रखना सबसे अच्छा है - कुम्हार का बच्चा अंततः कुम्हार ही

बनता है, बुनकर का बच्चा बुनकर ही बनता है तथा कृषि मजदूर का बच्चा खेत मजदूर ही बनता है। यह इस तरह का काम है जो परिवार-आधारित उद्यमों में लगे बच्चों के शोषण को वैध बनाता है, जिससे बाल श्रम दिखाई नही देता है।

सर्वाधिक वंचित जातियों और समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति असंवेदनशील होने के कारण, यह संशोधन अपने मूल उद्देश्य - बच्चों को शिक्षा के अधिकार - को ही विफल करता है। कानून में स्कूल जाने से पूर्व और स्कूल के पश्चात् कार्य करने की अनुमति देने को उचित ठहराकर, विधेयक उन्हें नागरिक के रूप में विकसित होने और बढ़ने के लिए समय और स्थान से वंचित करता है, और उन्हें अमीर घरों के बच्चों की तरह विकास करने के अवसर से वंचित करता है। ऐसा परंतुक समाज में विद्यमान मौजूदा असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देने में ही योगदान देगा।

यह सभी बच्चों के बचपन के समान अधिकार और संविधान तथा बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन द्वारा सुनिश्चित किए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। अधिनियम में संशोधन इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व और स्कूल के पश्चात् ऐसी गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए जो एक छात्र के रूप में स्कूल में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और उनके समग्र आत्म-सम्मान और गरिमा को बढ़ाते हैं।

संशोधन में एक नई धारा अंतःस्थापित की गई है जो 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों और बच्चों द्वारा रोज़गार को प्रतिबंधित करती है। अधिनियम के तहत आयु के विस्तार को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। हालाँकि, यह केवल बाल श्रमिकों को खानों में, ज्वलनशील पदार्थों के उत्पादन या विस्फोटकों के उत्पादन में और कारखाना अधिनियम,1948 के खंड में इसके साथ निर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाओं में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। अतः इनमें किशोर बच्चों को अन्य सभी क्षेत्रों में कार्य करने की कानूनी स्वीकृति मिलती है। यह असंख्य किशोर बच्चों के शोषण और पीड़ा की सीमा से पूरी तरह बेखबर है,जो निर्माण स्थलों पर काम को छोड़कर दुकानों और खेतों आदि पर पसीना बहाते हैं,और जो अपनी बुनियादी

जरूरतों को पूरा करने और अस्तित्व के लिए संघर्ष की कठिनाइयों में फंस गए हैं। ऐसे किशोर बच्चे अक्सर अस्वस्थ होते हैं, फिर भी जब तक वे पूरी तरह से अक्षम नहीं हो जाते तब तक काम करना जारी रखते हैं। परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में किशोरों के रोजगार पर रोक लगाने और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि यह न्यूनतम आयु संबंधी आईएलओ कन्वेशन 138 (1973) और बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूप संबंधी कन्वेशन 182 (1999) के अनुरूप होगा। भारत और एस्टोनिया वे दो देश हैं जिन्होंने अभी तक कन्वेशन 182 की पुष्टि नहीं की है और वे उन 15 देशों में से हैं जो अभी तक कन्वेशन 138 की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। किशोरों को काम से मुक्त करने के जटिल मुद्दे का समाधान करने के लिए एक द्रढ़ इच्छा शक्ति से बनाये गए कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है, न कि एक अंतरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए सांकेतिक प्रयास की। वास्तव में, भारत के प्रजातंत्र में हाशिए पर खड़े बच्चों को न्याय प्रदान करने के अवसर का समुचित उपयोग कर बाल श्रम पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा, "बच्चे असल में जीवन से भरे हुए होते हैं, वे बड़े लोगों से कहीं ज्यादा जीवंत होते हैं, क्योंकि बड़े लोग अपनी आदतों में खुद को बांध लेते हैं। इसलिए, उनके मानसिक विकास और स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि वे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि वे उस दुनिया में रहें, जिसकी मार्गदर्शक भावना व्यक्तिगत प्रेम है।"

महोदय, प्रत्येक बच्चा ईश्वर का वरदान है जो देश की सबसे बड़ी धरोहर है और जो देश का भविष्य है। अतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में बच्चा श्रम करता है। प्रत्येक राष्ट्र का मानना है कि नियोक्ताओं को बच्चों से रोज़गार कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और उनके माता पिता चाहे वह कितने भी गरीब क्यों न हो, उन्हें बच्चों को स्कूल से बाहर रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह बाल श्रम से बच्चों की रक्षा के लिए संरक्षक के रूप में खड़ा हो। भारत में,बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता-पिता के साथ खेतों या बागानों में मुफ्त में काम करते हैं जहां चाय बागानों में पत्तियां तोड़ना बहुत आम है। गरीब देशों में बच्चों को आर्थिक दृष्टि से अमूल्य धरोहर के रूप में देखा जाता है।

महोदय, जब यह पूरी दुनिया की भावना है मैं कहता हूँ कि इस विधेयक के खंड 5 के द्वारा केंद्र सरकार बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए एक गुप्त रास्ता खोल रही है। वास्तव में, अब इस संशोधन के माध्यम से इसकी अनुमति दे दी गई है। बच्चों को कब काम करने दिया जाएगा? यह उसके परिवार या उसके पारिवारिक उद्यम की मदद करने के लिए है जो इस विधेयक में निर्धारित किसी भी परिसंकटमय उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं के अतिरिक्त है। हमारे जैसे देश में जब सभी बच्चे स्कूल जाने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे जैसे देश में जब बच्चे खुद अपने माता-पिता या अभिभावक द्वारा काम करने के लिए मजबूर किये जाते हैं, तो यह खंड 5 बाल श्रम की सुरक्षा की मूल भावना के विरुद्ध है। स्कूल के समय से आपका क्या मतलब है? क्या यह है कि बच्चे को

स्कूल के बाद काम करने की अनुमति दी जाएगी? यह वास्तव में अधिनियम की मूल भावना के ही विरुद्ध है। इसलिए, इसे नहीं लाया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि खंड 5 पर जोर न दें।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चे श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। वास्तव में ,पूरे विश्व में भारत में बाल श्रम 23 प्रतिशत है। हम उस आंकड़े में सबसे ऊपर हैं। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यह गर्व की बात नहीं है।

गरीबी के साथ-साथ शैक्षिक सुविधाओं की कमी ने इस आंकड़े में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार परिसंघ द्वारा दी गई एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कृषि,औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 4.98 मिलियन बच्चे काम करते थे।

इसलिए, आज, इस पृष्टभूमि में, खंड 5 बच्चों को इन क्षेत्रों में लाने के लिए लाइसेंस कैसे दे रहा है? भारत की समृद्ध होती अर्थव्यवस्था ने अपने विकास की दिशा में बाल श्रमिकों का लाभ उठाया है। यद्यपि बाल श्रमिक शहरों में भी होते हैं परन्तु लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जहां उन्हें चर्म-शोधन पशुधन, पालन, वानिकी और मत्स्यकी जैसी कृषिगत गतिविधियों में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ब्राज़ील जैसे तीसरे विश्व के कई देशों में यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया में यह सबसे बड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने या खनन क्षेत्र में या किसी भी परिसंकटमय उपजीविका में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोज़गार पर रोक लगाता है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य का दुरुपयोग करके उन्हें उनकी उम्र के सामर्थ्य के प्रतिकूल काम नहीं करने दिया जाएगा।। अनुच्छेद 39, उप-अनुच्छेद 8 में यह उपबंध किया गया है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर

या सुविधाएं दी जाती हैं; और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने बच्चों की भूमिका और उनके विकास की आवश्यकता पर बल दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने बच्चों के अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जगह दी थी क्योंकि उनके वंचित रहने से लोकतंत्र की कुशलता और कानून के राज पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता था।

संविधान लागू होने से पहले, एक अधिनियम था जिसे बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933 के रूप में जाना जाता था। यह रोजगार के लिए बच्चों के श्रम को बंधक रखने पर रोक लगाता है और बाल श्रम को बंधक करने वाले व्यक्तियों और अभिभावकों के लिए दंड निर्धारित करता है। फ़ैक्टरी अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी रोजगार पर रखने पर रोक लगाता है। एक नया अनुच्छेद 21 (क) शामिल किया गया है जो वर्ष 2010 से लागू हुआ है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के अधिनियमन के साथ पारित की गई थी।

हमारे देश में अधिनियमों की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में है। यह हमारे देश में नहीं किया जाता है।

नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जिसने वर्ष 1988 में काम करना शुरू किया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1987 में अपनाए गए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का एक अविभाज्य हिस्सा था।

नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ने इन मुद्दों का निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से समाधान किया:-

1. परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में लगे बच्चों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण।
2. परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं से बच्चों को हटाना; और

3. प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा संचालित विशेष स्कूलों के माध्यम से काम से निकाले गए बच्चों का पुनर्वास।

यह नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जिला स्तर पर गठित परियोजना समितियों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में और परियोजना निदेशक के रूप में इसके कार्यान्वयन के लिए काम करने के लिए एक अधिकारी होता है।

नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत गैर सरकारी संगठनो, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों, या प्रोजेक्ट सोसाइटी द्वारा सीधे विशेष विद्यालय संचालित किये जाते हैं। ये स्कूल नौ से 14 वर्ष तक के कामकाजी बच्चों का नामांकन करते हैं और उन्हें अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए या 14 वर्ष पहुंचने तक शिक्षा देते हैं। दो शैक्षिक प्रशिक्षकों और एक व्यावसायिक प्रशिक्षक वाले प्रत्येक स्कूल में पचास बच्चों का प्रावधान है और उन्हें बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

अगस्त 2009 तक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूलों के बच्चों को दोपहर के भोजन के समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसे अब *सर्व शिक्षा अभियान* के तहत मध्याह्न भोजन में मिला दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को 150 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। जिसमें राशि मासिक आधार पर बच्चे के नाम पर बचत खाते में जमा की जाती है जिसे केवल बड़े होने पर ही निकाला जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में हमारी महानतम नेता मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में सभी 20 जिले नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 985 संस्वीकृत विशेष स्कूलों में से, 963 पश्चिम बंगाल में 47,200 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास उम्मीद की किरण है। अब बाल श्रम में कमी आ रही है। वर्ष 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम की संख्या 10,75,3985 मिलियन बताई गई थी। वर्ष 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यह 13,64,0870 मिलियन थी वर्ष 1991 में, यह 11,28,5349 मिलियन थी; वर्ष 2001 में यह 12,66,6377 मिलियन थी; और वर्ष 2011 में यह 12,62,6505 मिलियन थी। संवैधानिक प्रावधानों और संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के बावज़ूद बाल श्रम को हटाने के

हमारे प्रयास विभिन्न कारणों से सफल नहीं हुए हैं। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। बुनियादी ढांचे का निर्माण न होने, शिक्षकों का न होना और अधिक ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित न होने के कारण अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू नहीं हो पाया है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से बड़े पैमाने पर बाल श्रम हुआ है। वास्तव में वर्ष,1971 की जनगणना से पहले बाल श्रमिकों की संख्या का कोई लेखा-जोखा नहीं था। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया और शैक्षिक सुविधा की उपलब्धता इतनी कम थी कि केवल कुछ ही छात्र इसका लाभ उठा सके।

भारत में स्वतंत्रता से पहले शिक्षा में रुचि की कमी के लिए अन्य बातों के साथ धार्मिक अवधारणा और जाति व्यवस्था जिम्मेदार थी। शिक्षा से लड़कियों को हतोत्साहित करने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिला बाल श्रमिक पैदा हुए। चूंकि बाल श्रम के पीछे गरीबी और निर्धनता मुख्य कारण हैं, इसलिए श्रम निरीक्षक परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यही कारण है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि खंड 5 बाल श्रम को प्रतिबंधित करने की मूल भावना के विरुद्ध है।

संक्षेप में, भारत से बाल श्रम को समाप्त ना करने के लिये केंद्र सरकार पूर्णतः उत्तरदायी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि वर्ष 2008 में दुनिया भर में 215 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, इसमें से अनुमानित 14 प्रतिशत बच्चे भारत में हैं। वे 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच हैं और वे बाल श्रम गतिविधियों में शामिल हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 13 राज्यों के 12,447 बच्चों, 2,324 युवा वयस्कों और 2,449 हितधारकों के साथ बाल दुर्व्यवहार पर एक अध्ययन किया। इसने काम पर बच्चों सहित विभिन्न साक्ष्य समूहों में बाल दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों पर विचार किया। मुख्य निष्कर्ष थे - 50.2 प्रतिशत बच्चे सप्ताह में सात दिन काम करते हैं; लड़कों और लड़कियों का शारीरिक शोषण समान रूप से किया जा रहा था; 56.38 प्रतिशत

बच्चे अवैध/परिसंकटमय उपजीविकाओं में काम करते थे; 65 प्रतिशत बच्चे माता-पिता के दबाव के कारण काम कर रहे थे। यदि ऐसा है तो - 65 प्रतिशत बच्चे माता-पिता के दबाव के कारण काम कर रहे हैं - क्या खंड 5 बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार में ला रहा है या नहीं? कृपया इस पहलू पर विचार करें। यह आपकी रिपोर्ट है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है या मैं क्या कह रहा हूं। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। बच्चों पर परिवार का दबाव है।

बाल श्रम के सबसे अधिक मामले एशिया प्रशांत क्षेत्र में हैं। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

शिक्षा से निरक्षरता समाप्त होती है और इससे आर्थिक सशक्तीकरण के साधन प्राप्त होते हैं तथा एक बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिलता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 26(1) यह आश्वासन देता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है जो कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में निशुल्क होगा।

हमारे पास एक अधिनियम है। हमारे पास संवैधानिक प्रावधान हैं। यद्यपि इसे लाने का इरादा है, दुर्भाग्यवश इसे समूचे देश में लागू नहीं किया गया है। एजेंसियां इसे लागू करने में असफल रही हैं। हम असफल रहे हैं। हम सभी इसके जिम्मेदार हैं कि हम अपने देश के हर बच्चे को शिक्षा प्रणाली में लाने में विफल रहे हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विफलता है।

गरीबी के कारण, बच्चों को कई दृश्यमान और अदृश्य कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के अधिकारों संबंधी कन्वेन्शन जिसे 11 दिसंबर,99 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, अपने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए बच्चे के अधिकार को मान्यता देता है। कन्वेन्शन का अनुच्छेद 3 जो बच्चे के सर्वोत्तम हित को अनिवार्य करता है, प्राथमिक मान्यता है।

महोदय, अनुच्छेद 21, 21क, 23, 24, 39 (ड.), 39 (च), 45 और 46 भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ पठित, बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय और उनका सशक्तीकरण,

उनके व्यक्तित्व का सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्ण विकास एक अधिकार के रूप में अनिवार्य करता है।

अतः, मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि कानून तो हैं, लेकिन हमें उन्हें पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है। उन्हें बहुत सख्ती से लागू करना होगा। भारत सरकार के श्रम मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कानून लागू किये जा रहे हैं। यद्यपि शिक्षा उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन बाल श्रम को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से माननीय श्रम मंत्री को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। बाल श्रम को शिक्षा और सुविचारित निर्धनता उन्मूलन और विकास योजनाओं के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, साथ ही बच्चों से श्रम कराने पर व्यापर प्रतिबन्ध से भी बाल श्रम में कमी आयेगी।

श्री कलिकेश एन.सिंह देव (बोलंगीर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आज हमारे सामने जो बालक़ श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 विधेयक प्रस्तुत किया गया है, ऐसा खराब विधेयक मैंने अपने संसदीय जीवन के सात वर्षों में और ओडिशा विधानसभा में पांच वर्षों में पहले कभी नही देखा है। बेशक, इसका सारा श्रेय या दोष राजग सरकार को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसे शुरू में संप्रग सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह स्थायी समिति और राज्य सभा में बहस और चर्चा की कठिन प्रक्रिया से गुजरा है। हालांकि, मुझे अपने मित्र श्री कल्याण बनर्जी को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने कुछ मुद्दों पर वास्तव में बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। इसलिए मैं उन अधिकांश मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता । मैं उन बिंदुओं को उठाने की कोशिश करूंगा जिन पर मुझे लगता है कि कुछ और ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मेरा अपना तर्क है कि यह विधेयक न तो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और न ही इसे विनियमित करता है। खंड 5 को बनाये रखने से जैसा कि पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य कह रहे थे, सरकार बाल श्रम को *पारिवारिक* उद्यम के नाम पर विधिमान्य करने का प्रयास कर रही है। ।

बिहार के मेरे एक मित्र इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे 'परिवार' की परिभाषा का विस्तार किया गया है। जो परिवार मां-बाप, भाई-बहन पहले था आज चाचा, मामा, ताऊ, बुआ सब उसमें आ गए। वह दिन दूर नहीं है जब वस्त्र उद्योगों की पसीना बहने वाली दुकानों में बाल श्रम का कुशलता से उपयोग किया जाएगा। [हिन्दी] वहां कोने में एक मामा बैठा होगा और उस फैक्ट्री में उसके 40 भांजे काम कर रहे होंगे। जब बचपन बचाओ आन्दोलन या कैलाश सत्यार्थी जिन्हें बाल मजदूरों को बचाने के लिये नोबल पुरस्कार मिला है, उन्हें रोकने के लिये आ जायेंगे। वे कहेंगे, [हिन्दी] मामा जी ने एलाऊ किया है। उस एंटरप्राइज़ में मामा जी का एक शेयर है। लाखों शेयर्स में मामा जी का एक शेयर है। वह फैमिली एंटरप्राइज़ बन जाएगा। बच्चों को लगाए जाओ, काम कराए जाओ। [अनुवाद] इस प्रावधान को बनाये रखने से, जिस पर पहले कानून मौन था, लेकिन सतर्कता बरती जा रही थी, सरकार द्वारा नही तो सिविल सोसायटी द्वारा बच्चों के प्रति क्रूरता की निगरानी की जा रही थी, सिविल सोसाइटी के हाथ बंध जायेंगे, जो कई बार बलात बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने का काम

करते हैं। आपने उनसे केवल पारिवारिक उद्यमों में भाग लेने के लिए कहकर क्या किया है? [हिन्दी] इसका मतलब मोची का बच्चा मोची का काम कर सकेगा और कुछ काम नहीं कर सकेगा, जिसके परिवार में कोई चाय बनाता था उसका बच्चा चाय बनाएगा, प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख पाएगा, चाय बनाने का सपना देखता रह जाएगा। [अनुवाद] क्या आप सदन में इस तरह का विधेयक लाना चाहते हैं? क्या यही एक परिपक्व लोकतंत्र के बारे में है? हम नियंत्रण और विनियमन की बात करते हैं। विनियम कहां है? इस बारे में कोई बात नहीं की गई है कि बच्चे को क्या मजदूरी दी जाएगी यदि वह एक बच्चे के रूप में या किशोरावस्था के रूप में काम करता है। इसमें ऐसा कोई खंड नहीं है जो बच्चे पर क्रूरता और ज्यादती के निषेध की बात करता हो। शारीरिक शोषण और यौन शोषण के बारे में तो भूल जाओ। काम काज के परिवेश को नियंत्रित करने के लिये कोई प्रावधान नही किया गया है। स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित वातावरण को बहुत अस्पष्ट शब्दों में बताने के अलावा, कोई विशिष्ट विनियमन नहीं है।

मेरे मित्र कल्याण बनर्जी बिल्कुल सही हैं कि यह कानून नहीं, बल्कि इसका क्रियान्वयन ही दोषपूर्ण है। हमारे जिलों में कितनी बाल देखभाल सेवाएं मौजूद हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी उद्योग या घर में जाकर यह जांच सके कि बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है या नहीं, या क्या हम सभी प्रकार के अत्याचारों को नजरअंदाज करने जा रहे हैं और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं इस आवश्यकता को समझता हूँ। वास्तविकता यह है कि कई बच्चे काम कर रहे हैं और कई माता-पिता गरीबी के कारण अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेजने को मजबूर हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इन बच्चों को शिक्षा से वंचित करके, हम उन परिवारों को स्थायी गरीबी के चक्र में फंसा रहे हैं। वे बिना शिक्षा के इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। यही असल में न्याय का मजाक है।

माता-पिता पर सजा का क्या प्रावधान है? हम कह रहे हैं कि जिस परिवार को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर किया गया है, उसे सजा दी जानी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए या जुर्माना लगाया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास पहले से ही पैसे नहीं हैं, और यही वजह है कि वे अपने

बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, चाहे वह खतरनाक हो या नहीं। अगर आप उनसे जुर्माना वसूलते हैं, या अगर आप कमाने वाले सदस्य, पिता को जेल भेजते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि बच्चे काम करना छोड़ देंगे या परिवार के सदस्य काम करना बंद कर देंगे? वे और अधिक काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका समाधान सजा देना नहीं है। समाधान उनके लिए एक पुनर्वास निधि प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि परिवारों के पास उनकी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त भोजन है और यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को खाने के लिए दो समय का भोजन मिलें, न कि एक बिना सोची समझी सजा हो, जिसे आप जानते हैं कि कभी लागू नहीं किया जाएगा। आप स्वयं बंधुआ मजदूरी पर एक प्रावधान लेकर आए हैं, जहां आपने बंधुआ मजदूरी के लिए सजा बढ़ाई है, लेकिन यह सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बहुत कम लोगों को दण्डित किया जाएगा। क्या विधेयक को लाकर हम यह हासिल करना चाहते हैं? हम असली समस्याओं से आंखें मूंद लेते हैं। हम गरीबी के मुद्दे का समाधान नहीं करते। हम बाल श्रम या बंधुआ श्रम के मुद्दे को हल नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ कागज पर अच्छा दिखना चाहते हैं। क्या यही हम चाहते हैं?

महोदय, एक बच्चे को, जैसा कि भाजपा के माननीय सदस्य कह रहे थे, किशोर अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम का बताया गया है, आर.टी.ई. में ,14 वर्ष से कम और इस अधिनियम के तहत कहीं 14 से 18 वर्ष के बीच परिभाषित किया गया है। वह बच्चा 18 साल की उम्र में मतदान कर सकता है। यदि वह पुरुष है, तो 21 वर्ष की उम्र में शादी कर सकता है। वह दिल्ली में कम से कम 25 वर्ष की उम्र में ड्रिंक कर सकता है।

अलग-अलग और विरोधाभासी कानूनों के कारण बहुत सारे अलग-अलग विचार और खामियां पैदा हो रही हैं। इन सभी को एक साथ लाकर यह तय करने के बजाय कि बच्चे की परिभाषा, परिवार की परिभाषा और बच्चों के साथ किया जाने वाला व्यवहार, जैसे बाल श्रम, क्रूरता या शोषण, एक ही कानून में स्पष्ट और आसान तरीके से होना चाहिए, सरकार इसे और जटिल बना रही है, जिससे कानून लागू करना मुश्किल हो जाता है और ये और अधर में लटके रह जाते हैं।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र बोलंगीर में प्रवासी श्रमिकों की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास तीन से चार लाख से अधिक परिवार हैं जो ईंट बनाने के लिए हर साल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पलायन करते हैं। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। हमने उन परिवारों को पेंशन, घर, मनरेगा के तहत काम देने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोकना असंभव है क्योंकि उन्हें श्रम *माफियाओं* से 40,000 रुपये या 50,000 रुपये एक बार में बड़ी अग्रिम राशि मिलती है। सरकार इसकी बराबरी नहीं कर सकती। बच्चों को वहां जाने के लिये मजबूर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश में ईटें बनाई जा रही हैं और उनके माता-पिता वहां आंध्र प्रदेश में ईटें बना रहे हैं, तो पांच साल के बच्चे, सात साल के बच्चे, दस साल के बच्चे स्कूल छोड़कर गाँव छोड़कर, जाकर उस काम में लग जाते हैं और वह इस विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत एक पारिवारिक उद्यम बन जाता है। वहां उनका यौन शोषण किया जा रहा है। वहां उनकी पिटाई की जाती है। वहां उन्हें अपनी पूरी मजदूरी नही मिलती है। शोषण खुलेआम होता है। हमारे पास अंतर-राज्यीय शोषण को हल करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। हमारे पास इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। फिर भी, हम क्या करते हैं, खंड 5 को लाने की अनुमति देकर और पारिवारिक उद्यमों या पारिवारिक उद्यमों के नामकरण को इस खंड द्वारा वैध बनाने की अनुमति देकर पूरी प्रक्रिया को वैध बना रहे है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह विनम्र निवेदन है। मै जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी सही सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वे इस शोषण को रोकना चाहते हैं। अतः इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी नही करनी चाहिए। खतरनाक उद्योगों की सूची को 83 से कम करके 3 की संख्या तक नही लाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का पालन होना चाहिए। इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें। यह हमारे बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। सभा को इसका परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान इस पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। आइए हम समझें कि स्थायी समिति की 12 या 13 सिफारिशों में से, आपने उनमें

से केवल एक, दो या तीन को ध्यान में रखा है। कोशिश करने और हल करने से पहले हम समझें कि हमारी वास्तविक समस्याएं क्या हैं। हम इन्हें ढकने की कोशिश न करें। धन्यवाद, महोदय।

अपराह् 03.48 बजे

(श्री के. एच. मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय सभापति महोदय, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल को अनुमोदन तो दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ-साथ बिल में जो कमियां हैं, उनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पिछले आधिवेशन में यह बिल लोक सभा द्वारा पास कर दिया गया था। उसके बाद राज्य सभा में गया। राज्य सभा ने कई संशोधन और सुझाव दिए। इसलिए यह बिल फिर एक बार लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल में 'बालक' के स्थान पर 'कुमार' शब्द का संशोधन कर दिया गया है, लेकिन चाहे कुमार श्रमिक हो या बाल श्रमिक हो, यह देश के लिए एक बड़ी समस्या है। इसे देश की एक बड़ी समस्या समझकर ही इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस समस्या की जड़ कहां है, इस समस्या का मूल कहां है, इस तरफ देखिएगे, तो आपको पता लगेगा कि इस देश की गरीबी में ही इस समस्या की जड़ है। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तब भी गरीबी को नहीं हटाया जा सका। इसलिए यदि कुमार श्रमिक या बाल श्रमिक को इस बिल में दी गई व्याख्या से निकालना हो, तो गरीबी हटाने की तरफ सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। अब कुमार श्रमिक या बाल श्रमिक की तरफ देखा जाए कि ये आते कहां से हैं? अमीरों के घर से नहीं, एपीएल ग्रुप से नहीं बल्कि कुमार और बाल श्रमिक दरिद्रता का प्रतीक है। गरीब से गरीब घरों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुमार और बाल श्रमिक आते हैं और अपना जीवन जीने के लिए इन्हें काम करना पड़ता है।

कहा जाता है कि हर साल देश में 40,000 बच्चे गुम होते हैं। हमारे देश में आज भी 43 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बी.पी.एल. के नीचे रहते हैं। सरकार के अनुसार हमारे देश में 43 लाख कुमार श्रमिक हैं। वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे देश में पांच करोड़ कुमार श्रमिक हैं। अभी सरकार की आर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया कि हमारे देश में कुमार श्रमिकों की संख्या 68 लाख है, युवती कुमार की संख्या 58 लाख है। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही कम से कम एक लाख से ज्यादा कुमार श्रमिक काम करते हैं। बड़े शहरों दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता को छोड़िए, ग्रामीण इलाकों में हर गांव में कुमार श्रमिक मिलेंगे, बाल श्रमिक मिलेंगे। इसका कारण है कि वहां के लोग गरीबी की हालत में हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं। आज तक इन पर भगवान की कृपा नहीं हुई और सरकार की भी कृपा नहीं हुई, इसलिए इन लोगों को मजबूरी में अपने बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है। सरकार को इस स्थिति की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, हर साल 60,000 बच्चे गुमशुदा होते हैं जो अनेक वर्गों से होते हैं। गुम होने वाले बच्चे जाते कहां हैं? बड़े शहरों में एक्टिव होने वाले गैंगस्टर्स हैं, कई ऐसे धंधा करने वाले लोग हैं जो गुम हुए बच्चों को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, भूखा रखते हैं, अत्याचार करते हैं और इनका उपयोग मानवीय तस्करी और भीख मंगवाने के लिए करते हैं। इस तरह से देश के बड़े शहरों में बहुत बड़ा धंधा चलता है, इसके ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत है।

महोदय, बड़े शहरों में छोटे-छोटे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं। यहां लॉटरी बेचने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, बूट पालिश करने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं और घूम-घूमकर सामान बेचने वाले हैं, ये सब कुमार श्रमिक हैं, बाल श्रमिक हैं। इनकी तरफ सरकार को ध्यान देकर प्रावधान करना चाहिए। कई सरकारी योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान किया गया है, विधवाओं के लिए प्रावधान किया गया है, विधवाओं के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह नाबालिग बच्चों और गरीब घर के बच्चों के लिए भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, हमसे जो बातें सहन नहीं हो रही हैं, मैं इस बिल के माध्यम से उन कमियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राज्यसभा में इस बिल पर बहस होने के बाद 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ छः मास से दो वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान हुआ। लेकिन इससे इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। इस बिल में सबसे खतरनाक वर्डिंग फैमिली डेफिनेशन पर की गयी है। ...(व्यवधान) मैं इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी बालक के संबध में 'कुटुम्ब' से उसकी माता-पिता, भाई, बहन और पिता की बहन और भाई तथा माता की बहन और भाई आभिप्रेत हैं।

सभापति महोदय, यह सरासर गलत है। फैमिली की डेफिनेशन, कुटुम्ब की व्याख्या मां-बाप, सगे भाई-बहन तक हो सकती है, लेकिन भाई का भाई, पिताजी का भाई, पिताजी की बहन का कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। अगर सरकार इन्हें कुटुम्ब व्यवस्था में रखने की कोशिश करेगी, तो ठीक नहीं होगा। अभी जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि यदि रूरल एरिया या हैजाडर्स इंडस्ट्री में फैक्टरी इंस्पेक्टर जाकर इंक्वायरी करता है, तो उससे कहा जाता हैं कि यह मेरा मामा है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, अभी तक जितने वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं, उन पर कोई बेल नहीं बजायी गयी। आप कृपया करके मेरी तरफ भी उसी दृष्टि से देखिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अपनी बात कहते हुए काफी समय हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कुटुम्ब की व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए। यह भाई का भाई, मामा का भतीजा आदि नहीं चलेगा, क्योंकि जहां फैक्टरी इंस्पेक्टर रेड करते हैं, तो वे कहते

हैं कि यह मेरा मामा है और उसे कोई प्रूफ नही कर सकता। केवल मामा बोलने से उसे छोड़ देते हैं और उस पर कोई पनिशमैंट नहीं होती।

सभापति महोदय, उसे शिक्षा पाने की भी जरूरत है और शिक्षा के बाद अर्न एंड लर्न की बात सही है। मुम्बई जैसे बड़े शहर की झोंपड़-पट्टी में चमड़े का व्यवसाय किया जाता है। वे लोग मजबूरी से यह व्यवसाय करते हैं। क्या ऐसे व्यवसाय में काम करने वालों के बच्चे चमड़ा सिलने या चमड़ा का व्यवसाय करेगा, तो वही सही नहीं होगा। मां-बाप भीख मांगते हैं लेकिन उनका बच्चा भी भीख के धंधे में आये, यह नहीं हो सकता। इसके लिए फैमिली की डेफिनेशन में सुधार करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ शिक्षा के बाद वह फैमिली के व्यवसाय में मदद कर सके, उसके लिए भी व्यवसाय की व्याख्या स्पट होनी चाहिए ताकि उस बालक का जीवन बर्बाद न हो। इसलिए यह जो क्लॉज है, इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में ऐसे क्लॉज भी हैं कि कहां-कहां कुमार श्रमिक काम नही कर सकते जैसे खानें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक, हैजाडर्स इंडस्ट्री आदि है। लेकिन उसके बाद भी ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनायक भाऊराव राऊत: सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अगर इस समस्या का सही तरीके से हल निकालना है तो हमें एक ही डिपार्टमैंट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पार्लियामैंट्री कमेटी ने जो सजैशन्स दिये थे, उस पर माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया होगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर कुमार श्रमिक और बाल श्रमिक की समस्या का पूरी तरह से हल निकालना है तो सही तरीके से बिल लाने की जरूरत है। इस पर एजुकेशन डिपार्टमैंट, लेबर, हैल्थ, सोशल वेल्फेयर, पुलिस, आर.डी.पी.आर., अर्बन आदि सभी डिपार्टमैंट के मंत्रियों को बैठकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसके लिए हमें एक परिपूर्ण बिल लाने की जरूरत है।

इस बिल का अनुमोदन करते हुए मैं सरकार से फिर विनती करूंगा कि आप जिस तरह से यह अमेंडमैंट बिल लाये हैं, उसी तरह फिर एक परिपूर्ण बिल लाने की कोशिश करें। देश के सामने जिस गंभीर समस्या का निर्माण हो चुका है, उसका हल निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्य यह समझें कि प्रत्येक राजनीतिक दल को चर्चा में शामिल होने के लिए एक विशेष समय आवंटित किया गया है। कृपया इस पर विचार करें और अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दें।

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): धन्यवाद, महोदय, मैं माननीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह लगभग चार साल से इस सभा में लंबित है। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य किशोरों को कुछ विशेष प्रकार के रोज़गार में काम करने से विनियमित करना और पारिवारिक उद्यमों में बच्चों को कुछ शर्तों के अधीन अनुमति देना है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचार भिन्न हो सकते हैं; कुछ कह सकते हैं कि यह प्रतिगामी है और कुछ कह सकते हैं कि इससे बाल श्रम के शोषण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह विधेयक न तो पूर्वगामी है और न ही बच्चों के शोषण को बढ़ावा देता है। यह बहुत स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई विधेयक की धारा 5 के उपबंध को पढ़ता है, जो स्पष्ट करता है कि किशोरों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि श्रम की आउटसोर्सिंग किसी खतरनाक उद्योग के लिये है और बच्चे तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे पारिवारिक उद्यमों को छोड़कर चौदह साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते हैं।

महोदय, हालांकि, इस प्रावधान का इस्तेमाल बच्चों के शोषण के लिए पारिवारिक व्यवसायों के नाम पर नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का अपने परिवार की मदद करना और सस्ते श्रम के रूप में लाभ उठाने के बीच मामूली सा अंतर है और इसकी निगरानी करना मुश्किल है। इसलिए, मैं सरकार से इस विशेष क्षेत्र में सावधानी

बरतने का आग्रह करता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

कल ही हमने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की थी। हमने यह भी चर्चा की कि स्कूल अब सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं में टॉप करने के लिए कोचिंग सेंटर बन गए हैं। अधिकांश बच्चे, जिनका झुकाव पढ़ने की तरफ अधिक है और जिनके परिवार इसे वहन कर सकते हैं, उनके पास खाने, सोने और अध्ययन के अलावा किसी भी चीज के लिए समय नहीं है। अधिकांश मामलों में काम करने या खेलने का समय नहीं है।

हमारी कंपनियों में हजारों युवा पुरुष और महिलाएं इंजीनियर, तकनीशियन, लेखाकार और कई अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लगभग सभी के लिए यह उनका पहला काम है। उनमें से अधिकांश में सम्प्रेषण कौशल, टीम वर्क, अनुशासन की कमी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें सामान्य ज्ञान की कमी होती है। यह मुझे एक कहावत की याद दिलाता है 'सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ भी सामान्य नहीं है। बड़े होने वाले अधिकांश बच्चों में सामान्य ज्ञान की कमी है, जो पढ़ने, सोने, और खाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यह शहरी बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, जबकि ग्रामीण बच्चे घर के काम और खेतों में काम करते हुए बड़े होते हैं, जिससे उन्हें असली दुनिया का अनुभव मिलता है।

मैं अमेरिका में बड़ा हुआ और 10 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। मैंने समाचार पत्र बांटे, एक टेनिस क्लब में काम किया, मैंने स्कूल जाते समय और कॉलेज जाते समय पुरुषों के कपड़ों की दुकानों में कपड़े भी बेचे। मैंने प्रति सप्ताह लगभग 10 से 20 घंटे काम किया। इसने मुझे जीवन-कौशल दिया जो आज भी मेरे लिए उपयोगी हैं, उसकी अपेक्षा जो मैंने स्कूल में सीखा था। इसने मुझे श्रम की गरिमा सिखाई। मैंने इस सभा में अन्य अवसरों पर भी श्रम की गरिमा पर बात की है। भारत में इसकी बहुत कमी है। भारत में श्रम एक गंदा शब्द है। जो श्रम करता है उसका सम्मान नहीं किया जाता है कि वह चालक है, रसोइया है, वेटर है या नौकर है। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार और शोषण भी किया जाता है। इसलिए लोग भौतिक श्रम करने में

रुचि नहीं रखते हैं चाहे वह निर्माण हो या विनिर्माण हो। यहां तक कि किशोरों में भी शारीरिक श्रम में कोई रुचि नहीं होती, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए।

हमारे पास इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रम हैं जो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे नाम से शुरू किए गए हैं। लेकिन जब तक हमारे पास इस श्रम को करने के लिए कुशल कार्यबल नहीं होगा, तब तक ये सफल नहीं होंगे। इसलिए, प्रत्येक नागरिक में श्रम की गरिमा पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है।

एक राष्ट्र के रूप, इस तरह के काम से बच्चों में सहानुभूति बढ़ेगी। वे समझ पाएंगे कि वे भी कभी ऐसी स्थिति में थे और इसलिए वे दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएंगे। हमें बच्चों में श्रम की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए पार्ट-टाइम काम को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह व्यवस्था पश्चिमी देशों में पहले से मौजूद है, जहाँ सरकारें बच्चों को पार्ट-टाइम काम करने की अनुमति देती हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह काम स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई किशोर स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसे संबंधित स्कूल से 'वर्क परमिट' मिलना चाहिए। प्रदर्शन में पढ़ाई और उपस्थिति दोनों शामिल होंगे, और इसे स्कूल द्वारा नियमित रूप से ट्रैक किया जाएगा। अगर किसी छात्र का प्रदर्शन गिरता है, तो स्कूल को उसका 'वर्क परमिट' तुरंत रद्द कर देना चाहिए।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

दूसरी बात, हम काम करने के लिए अधिकतम घंटों की सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि दो घंटे प्रतिदिन या अधिकतम 10 घंटे प्रति सप्ताह, और भुगतान भी घंटों के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं दत्तात्रेय *गरु* से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस पर विचार करें और मानव संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र तैयार करें कि जिससे बच्चों को काम की अनुमति देने से पहले स्कूल यह सुनिश्चित कर सकें कि बच्चे ठीक से प्रदर्शन कर रहे हैं और नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करने में मदद करेगा बजाय इसके कि इसको परिवारों के ऊपर तय करने के लिए छोड़ दिया जाए।

एक आशंका जताई गई है कि एक 'पारिवारिक उद्यम' कुछ भी नहीं है बल्कि यह बच्चों को बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, कालीन बुनाई, हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग या ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं, खानों, घरेलू काम, आदि जैसे आउटसोर्स की नौकरियों में काम करने की अनुमति देने के लिए एक सुविधाजनक मार्ग है। लेकिन महोदय यह सच नहीं है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर एक नया खंड पेश किया गया है जो स्पष्ट रूप से बच्चों को ऊपर दिए गए और अन्य परिसंकटमय उपजीविकाओं में काम करने से रोकता है। अगर हम कहते हैं कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, तो वर्तमान कानून भी लागू नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह प्रचलित स्थिति में सुधार है।

यहां, मैं स्थायी समिति से सहमत हूं कि राज्यों को कार्यान्वयन एजेंसियां बनकर घरों में काम करने वाले बच्चों पर नजर रखनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि क्या वे अपने माता-पिता की मदद कर रहे हैं अथवा परिवार की आय में वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि श्रम मंत्रालय को केन्द्रीय स्तर पर भी एक निगरानी तंत्र बनाना चाहिए, ताकि ईंट भट्टों, बूचड़खानों, अभ्रक, हीरा तराशने, माचिस उत्पादन तथा इस प्रकार के अन्य व्यवसायों में संलिप्त पारिवारिक उद्यमों पर नजर रखी जा सके। इस निगरानी एजेंसी को राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित करना आसान हो कि इस प्रावधान का दुरुपयोग नहीं हो रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के अनुच्छेद 32, जिसे भारत ने वर्ष 1992 में अनुमोदित किया था उसमें कहा गया था कि सभी बच्चों को आर्थिक शोषण से संरक्षण पाने का अधिकार है तथा उन्हें ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जाना चाहिए जो खतरनाक हो अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करे अथवा बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो । इसलिए, हमें इस प्रावधान को सख्ती से लागू करना चाहिए।

अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक आई.एल.ओ. कन्वेन्शन 182 के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिसमें देशों से बच्चों को सबसे खतरनाक प्रकार के बाल श्रम में काम करने से प्रतिबंधित करने की अपेक्षा

की गई है। इस विधेयक में 'किशोर' नामक एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को किशोर माना गया है और उन्हें खतरनाक कार्यों, जैसे खदानों, ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों और अन्य जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में काम करने से रोका गया है। यह सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है।

अंत में, मेरे विचार में, दंडात्मक प्रावधान बहुत कमजोर हैं। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को काम पर रखने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया - न्यूनतम छह महीने से अधिकतम दो वर्ष तक कारावास तथा जुर्माना 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार, यदि कोई किशोर को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करता है, तो कारावास की सजा छह महीने से दो साल तक है तथा जुर्माना 20,000 से 50,000 तक है। मैं केवल माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इन दंडात्मक प्रावधानों को दोगुना किया जाए, क्योंकि यह निवारक के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सहायता मिलेगी।

अंत में, मैं चाणक्य के *अर्थशास्त्र* का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है, 'किसी सरकार के अधिकार के लिए इससे अधिक हानिकारक कुछ नहीं है कि वह ऐसे कानून पारित करे जिन्हें वह लागू न कर सके।' पहले वाला कानून, जिसे यह विधेयक प्रतिस्थापित कर रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन परिवर्तनों के साथ-साथ हम इसे लागू करने का एक ठोस उपाय भी लाएं, ताकि इसे दुरुपयोग से बचाया जा सके और बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो सके।

धन्यवाद।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): महोदय, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

जैसा कि मेरे सभी विद्वान सहयोगियों ने विधेयक पर अपनी घोर निराशा व्यक्त की है, मैं भी अपनी निराशा व्यक्त करती हूं क्योंकि 2012 का विधेयक कमजोर था और हम आशा कर रहे थे कि इस विधेयक में जो संशोधन लाए जाएंगे, वे कानून को और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा हमारे बच्चों को बाल श्रम प्रणाली में जाने से बचाएंगे। लेकिन इसके बजाय, यह वास्तव में चक्र को उलट देता है। यह पिछले 30 से 40 वर्षों में अनेक नागरिक समाज संगठनों द्वारा की गई कड़ी मेहनत पर पानी फेर देता है, तथा वास्तव में इन बच्चों को पुनः श्रम में लगा देता है।

अपराह्न 4.04 बजे [श्री रमेन डेका *पीठासीन हुए*]

महोदय, जब भी हम कोई नया विधान बनाते हैं, तो मैं विश्वास करती हूं- और मैं आशा करती हूं कि अन्य माननीय सदस्यगण भी मेरे विचार से सहमत हैं – कि यह विधान हमारे द्वारा बनाए गए पिछले विधानों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यह विशेष विधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यदि आप एक विधेयक का सृजन दूसरे अधिनियम को कमजोर करने के लिए करते हैं, तो संशोधन लाने का क्या औचित्य है? मुझे यह समझ में नहीं आता।

विशेष रूप से इस सरकार से लोगों की अपेक्षाएं इस विधेयक के माध्यम से बिल्कुल भी पूरी होती प्रतीत नहीं होती हैं। मेरे विद्वान सहयोगियों ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। मैं निश्चित रूप से उन सभी को नहीं दोहराऊंगी।

तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मूल मुद्दा 'पारिवारिक उद्यम' का मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा वापस जाकर 'पारिवारिक उद्यम' में काम कर सकता है। एक अन्य मुद्दा '*चाचाओं* और *मामाओं* ' की परिभाषा के बारे में है। आज तक, बाल श्रम पर काम करने वाले सभी नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने – चाहे वह कैलाश सत्यार्थी

जी हों; आंध्र प्रदेश से शांता सिन्हा जी हों; या स्वामी अग्निवेश जी हों – अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये *चाचा - मामा* ही बाल तस्करी के लिए जिम्मेदार हैं। हम बाल तस्करी पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। तो फिर, हम इस विधेयक में इन *चाचाओं* और *मामाओं* को कैसे वैध ठहरा सकते हैं? मैं इस संकल्पना को समझने में पूरी तरह असफल रही।

मैं दूसरे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आती हूं, जिसके विषय में विधेयक में बात की गई है। यह वास्तव में 'किशोरावस्था' नामक एक नए शब्द का परिचय देता है। इसमें कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष के किशोर काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, खतरनाक व्यवसायों की सूची में 83 ऐसे व्यवसाय शामिल थे, लेकिन अब हमने इसे घटाकर मात्र तीन व्यवसायों तक सीमित कर दिया है। आज, इस देश में, केवल तीन व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक व्यवसाय कहा जाता है। हम जानते हैं कि यह एक झूठी सूची है; और हम समझते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। तो फिर, हम इसे विधेयक में कैसे शामिल कर सकते हैं? यह विधेयक उन व्यवसायों का उल्लेख न करके हमें और भी निराश करता है। इस विधेयक में एकमात्र समाधान यह दिया गया है, कि कोई भी सरकारी प्राधिकरण, अर्थात् राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का प्राधिकरण, खतरनाक व्यवसायों की सूची में कुछ और जोड़ सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका उल्लेख तक नहीं किया गया है। जैसा कि मेरे मित्र, श्री कलिकेश जी ने कहा है, यह विधेयक किसी भी मुद्दे को स्पष्ट रूप से नही बताता है। मेरा मानना है कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए तथा इसका आगे अध्ययन किया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भी कोई वयस्क किसी कार्यस्थल पर काम करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करता हो, हम चाहते हैं कि कार्य का वातावरण सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल हो, लेकिन इस विधेयक में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कार्यस्थल के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं दिए गए हैं। हम यहां बच्चों की बात कर रहे हैं और किसी को उनकी परवाह नहीं है। इस विधेयक से यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार को देश के बच्चों से कोई सहानुभूति नहीं है। मैं इस विधेयक को देखकर बहुत दुखी हूं।

मैं विशेष रूप से एक अन्य बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगी जिसके बारे में संभवतः मेरे किसी पुरुष सहयोगी ने बात नहीं की। यह विधेयक अंत में सभी बालिकाओं को बाल श्रम प्रणाली में ले आएगा।[हिन्दी] आपने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का आंदोलन शुरू किया है, लेकिन इस बिल के तहत, अब तक जो बच्चियां कभी न कभी स्कूल जा कर हाजिरी देकर आती थीं, वह खत्म हो जाएगा ।[अनुवाद] महिला साक्षरता दर केवल 64 प्रतिशत है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82 प्रतिशत है। इस विधेयक के माध्यम से, आपने माता-पिता के लिए लड़कियों को घर पर रखने के द्वार खोल दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज ग्रामीण भारत में, लड़कियां छह साल की उम्र से ही घर पर खाना बनाती हैं और फिर स्कूल जाती हैं; जब वे घर वापस आती हैं तो, फिर से खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वे माँ की भूमिका निभाती हैं क्योंकि माँ को खेत में जाकर काम करना पड़ता है। हम जानते हैं कि यह कठोर वास्तविकता है।

आज, अगर हम इस विधेयक को पारित करवा रहे हैं, तो अभिभावकों को कोई कुछ नहीं कह सकता। [हिन्दी] सर, आपने जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है, कृपया उसको हटा दीजिए या निकाल दीजिए, नहीं तो आप इस बिल में इतना स्ट्रिन्जन्ट प्रोविजन लगाइए। यह फैमिली एन्टरप्राइज में जो काम करने वाला प्रोविजन है, उसको हटाइए। [अनुवाद] सभी प्रकार के अपवादों को हटाना होगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक देश के रूप में, मैं समझती हूँ कि हम बहुत गरीब हैं। [हिन्दी] मुझे मालूम है कि जो मां-बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, अपने फार्म में एक एडीशनल लेबर को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, उनकी जरूरत है कि उनके बच्चे फार्म में जाकर काम करें। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बच्चों को फार्म में काम करने की बजाय, उनको स्कूल जाने दें। वे बोलते हैं कि स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं हैं, लेकिन बच्चों का पूरा बचपन खेत की बजाय स्कूल में गुजरेगा तो कम से कम इस देश को बनाने में मदद मिलेगी। आप जो थ्योरी बाहर सुनाते हैं, वह तो इस बिल में कुछ भी नहीं दिख रही है।

[अनुवाद]

जब यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि कम से कम कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को रोक देगी। यह एक अमानवीय विधेयक है। वे सभी प्रकार के विधेयकों को रोकते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों से संबंधित इस विधेयक के बारे में कभी नहीं सोचा। … (*व्यवधान*) वे सभी प्रगतिशील कानूनों को अवरुद्ध करते हैं। महोदय, मैं यहां राजनीति नहीं कर रही हूं। मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूं। दो बच्चों की माँ होने के नाते, मैं अपने बच्चे को भारी स्कूल बैग उठाते हुए भी नहीं देख सकती। कल्पना कीजिए कि इस देश में लाखों बच्चे कष्ट भोग रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह विधान किसी काम का नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। मैं सरकार को ईमानदारी से सलाह देती हूं कि वह इस विधेयक पर विचार न करे। कृपया इसे प्रवर समिति को भेजें।

हमारे राज्य में, हमने एक पहल की थी, हमने सभी बाल श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान चलाया था। मेरे जिले में, पिछले अगस्त से अब तक आठ महीनों में, हम लगभग 2,600 श्रमिकों को मुक्त कराने में सफल रहे हैं। लेकिन, हम उन्हें कैसे समायोजित करेंगे? हम उन्हें स्कूल में कैसे लाएंगे? हम उन्हें सामान्य स्थिति में कैसे लाएंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार आज विभिन्न योजनाएं चला रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं हैं। यहां कुछ एन.सी.एल.पी. हैं जो श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जहां प्रति बच्चे150 रु. का मासिक भत्ता दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि इस मासिक भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। इसे कम से कम 500 रुपये किया जाना चाहिए ताकि बच्चे और बच्चे के परिवार को यह महसूस हो कि बच्चे को इन ब्रिज स्कूलों में भेजना महत्वपूर्ण है। जो बोर्डिंग ब्रिज स्कूल प्रस्तावित किए गए थे और जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें ठीक से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगी कि विधेयक में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में जो अपवाद बनाया गया है, उसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। इस देश के बच्चों का हक है कि वे स्कूल जाएं, काम पर नहीं। मैं वास्तव में आशा करती हूं कि यह सरकार बच्चों के पक्ष में खड़ी होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक हमारे देश में बाल श्रम को वैध बनाता है।

हमने शुरू से ही इस विधेयक का विरोध किया है, अर्थात पिछली सरकार के समय और वर्तमान सरकार के समय से ही इस विधेयक का विरोध किया है। मुझे इस विधेयक के उद्देश्य पर विश्वास नहीं है, क्योंकि यह विधेयक ना तो पिछली सरकार के समय में, और न ही वर्तमान सरकार के समय में सही तरीके से सामने आया है। यह हमारे देश में एक कॉर्पोरेट इकाई का प्रतीक है।

हम मार्क्सवादी हैं। हम प्रत्येक कानून को विश्व और अपने देश में प्रचलित दार्शनिक और वर्तमान माहौल के साथ गंभीरता से देखते हैं। इसका उद्देश्य बाजार में सस्ता श्रम उपलब्ध कराना है। इसीलिए वे शासक वर्ग की मदद से यह विधेयक पेश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पिछली सरकार में था या वर्तमान सरकार में।

मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि खंड 3क में इसका उल्लेख किया गया है:

> "अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम की सहायता करता है, जो कि अनुसूची में बताए गए किसी भी खतरनाक कार्यों से अलग हो ... "

इससे बच्चों को तथाकथित पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति मिल जाएगी और इस प्रकार बच्चों के कम से कम तीन-चौथाई काम को वैधानिक मान्यता मिल जाएगी, जो वर्तमान में गैरकानूनी है। हम सब एक बुरी स्थिति में हैं। विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक हमारे यहां हैं। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 45.5 मिलियन बाल श्रमिक हैं। उनमें से बहुसंख्यक कृषि क्षेत्र और कपड़ा मिलों में काम कर रहे हैं। हम इस कॉर्पोरेट इकाई के कल्याण के लिए इस प्रणाली को फिर से कैसे खोल सकते हैं और इसे वैध बना सकते हैं?

इस चर्चा में, कई सदस्यों ने पहले ही नि:शुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम के बारे में बात की जिसे हमने वर्ष 2009 में पारित किया था। हमने वह विधान क्यों पारित किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच लगभग 45.5 मिलियन बच्चे काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि वे फिर से स्कूल जाएं। इसलिए, हमने वर्ष 2009 में वह विधान पारित किया। लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद क्या होगा? हम उन्हें फिर से सड़कों पर, कॉर्पोरेट बाजारों के मैदान में भेज देंगे। ये कॉरपोरेट्स निम्न स्तर की आय वाली नौकरियाँ पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार, भारत में घर से काम करने वाले लोगों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगातार बढ़ी है। 1999-2000 में यह संख्या 23.3 मिलियन थी, जो 2011-12 में बढ़कर 37.4 मिलियन हो गई। इसमें से 16 मिलियन महिलाएँ थीं जो घर से काम कर रही थीं। यही कारण है कि हम फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं और रोजगार अब देश के गरीब परिवारों के घरों तक पहुँच रहा है।

मैं वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य रहा हूँ। वर्ष 2009 में कानून पारित करने के ठीक एक वर्ष बाद हम यह देखने गए कि देश के विभिन्न भागों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन का स्तर क्या है। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश राज्यों में वंचित वर्ग के अधिकांश छात्र स्कूल नहीं आते थे। हमने अभिभावकों से पूछा, “आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं?” उनका सीधा उत्तर था कि वे जमींदारों यानी अमीर लोगों के खेतों में काम करते हैं और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने की इजाजत नहीं है। वे उन खेतों में, उन फार्मों में मजदूर बने रहेंगे: वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते।

यह विधेयक बाल श्रम को वैध बनाता है। कोई भी स्कूल नहीं आएगा। हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक बड़ी विफलता साबित होने जा रहा है। इसलिए, हम इस विधेयक के कार्यान्वयन का पुरजोर विरोध करते हैं। इस विधेयक में ही बहुत सारी कमियाँ हैं। आई.एल.ओ कन्वेंशन के कन्वेंशन संख्या 138 एवं बाल श्रम संबंधी अनुशंसाओं के अनुसार, बाल श्रम के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है, और विकासशील देशों के लिए यह 14 वर्ष तक हो सकती है। खतरनाक कार्यों के लिए न्यूनतम आयु 18

वर्ष है, और 16 वर्ष की आयु में कुछ शर्तों के साथ यह स्वीकार किया जा सकता है। विकासशील देशों के लिए इस मामले में कोई अपवाद नहीं है।

कुछ विद्वान साथियों ने पहले ही बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 14 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है। लेकिन कुछ अन्य अधिकारों में यह आयु 18 वर्ष है। इस विधेयक में कोई समुचित आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इस विधेयक में व्यक्ति की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है जिसे 'किशोर' कहा गया है। किशोर से तात्पर्य 14 से 18 वर्ष के बीच की आयु से है। किशोरों को उन खतरनाक व्यवसायों में काम करने से प्रतिबंधित करता है, जिन्हें खनन, ज्वलनशील पदार्थ या महत्वपूर्ण रूप से खतरनाक प्रक्रियाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे कारख़ाना अधिनियम,1948 के तहत तैयार किया गया था। इसके बाद कई अन्य खतरनाक कार्यों की श्रेणियां आई हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2016 में भी हम 1948 की खतरनाक कार्यों की सूची चला रहे हैं। अतः, यह विधेयक पारित होने पर वही लागू होगी।

मैं किशोरों से संबंधित नए खंड को लेकर बहुत चिंतित हूं। इससे देश के बेरोजगार वयस्क प्रभावित होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, किशोर श्रम सस्ता है।

बाल अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में, उन्हें ऐसे काम से बचाने पर अधिक जोर दिया गया है जो खतरनाक हो सकता है या बच्चे की शिक्षा में बाधा डाल सकता है या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। मैंने वर्ष 1989 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 32 का उल्लेख किया है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.के. बीजू: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ… (*व्यवधान*)

मैं इस विधेयक के इस स्वरूप पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती बुत्ता रेणुका (कुरनूल): सभापति महोदय, मैं बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ।

मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि यह सरकार उन कानूनों में सुधार के लिए कदम उठा रही है, जो समाज के एक बड़े और महत्वपूर्ण वर्ग, यानी बच्चों को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी कुछ पुरानी आदतें, जैसे परिवार की आजीविका के लिए बच्चों को काम करने देना जारी हैं। यह सहमति से अधिक आर्थिक आवश्यकता के कारण है। तथापि, वास्तविकता यह है कि बाल श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उन्हें खतरनाक कार्य स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तथा लंबे समय तक काम करने के बदले उन्हें बहुत कम भुगतान दिया जाता है। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने बचपन का आनंद लेना चाहिए, उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, तथा उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। संविधान निर्माताओं ने इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया है और बच्चों को रोजगार से वंचित करने तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में कुछ प्रावधान किए हैं। तथापि, इन्हें कभी भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया।

यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाल श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों को संशोधित करने तथा दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करते हुए उन्हें और अधिक कठोर बनाने का संकल्प लिया है। यह अधिनियम उन सभी नियोक्ताओं के लिए निवारक के रूप में कार्य करेगा जो बच्चों को काम पर रखते हैं, तथा उन माता-पिता के लिए भी जो आवश्यकता के कारण अपने बच्चों को कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तथापि, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केवल पारिवारिक उद्यमों या मनोरंजन उद्योग में कुछ शर्तों के साथ काम करने की अनुमति देने से विधेयक की मूल भावना कमजोर हो सकती है और बच्चों को काम पर लगाने वाले इस प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं सरकार से इस पहलू पर गौर करने का अनुरोध

करती हूं। मुझे डर है कि यदि सख्त पर्यवेक्षण तंत्र लागू नहीं किया गया तो इस प्रावधान का घोर दुरुपयोग हो सकता है।

यह स्वागत योग्य कदम है कि कानून का उल्लंघन कर बच्चों को काम पर रखने के अपराध को संज्ञेय बना दिया गया है, जो निवारक के रूप में कार्य करेगा।

भारत जैसे देश में, जहां 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अत्यधिक गरीबी की स्थिति में रह रही है, बाल श्रम एक जटिल मुद्दा है। बच्चे मजबूरी में काम करते हैं और उनकी कमाई के बिना, उनके परिवारों का जीवन स्तर और भी गिर जाएगा।

इन परिस्थितियों में, काम न करने से बच्चों को आलस्य, गरीबी और अपराध का सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे स्कूल छोड़कर काम करते हैं, वे अशिक्षित रहेंगे, जिससे उनकी अपनी भलाई और समुदाय की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाल श्रम के हमारे देश पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव होंगे।

दुःख की बात है कि विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में रहते हैं। गरीबी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव बाल श्रम के मुख्य कारण हैं। एक बड़ी चिंता यह है कि बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाता। बच्चों को खतरनाक श्रम से बचाने के लिए बनाए गए कानून अप्रभावी हैं और उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जाता।

शहरी क्षेत्रों में बच्चों का घरेलू कामगार के रूप में उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। कई मध्यम वर्गीय तथा धनी भारतीय बाल श्रम का उपयोग करते हैं, जबकि यह अवैध तथा अनैतिक है। कामकाजी बच्चों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। शहरी क्षेत्रों में कैंटीनों और रेस्तरां में काम करने वाले या कूड़ा बीनने और फेरी लगाने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

असंगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों की उपस्थिति सबसे आम है, क्योंकि यहां नियोक्ताओं के लिए कानूनों को दरकिनार करना अपेक्षाकृत आसान है। बच्चों को फैक्ट्री निरीक्षकों से छुपाया जाता है। निरीक्षण के दौरान उन्हें नियोजन के योग्य बनाने के लिए उनकी आयु बढ़ा दी जाती है। इसके लिए श्रम-निरीक्षण और संबंधित सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे नियोजित सभी बच्चों के नाम और आयु दर्शाने वाले रजिस्टर और दस्तावेज बनाए रखें। सभी कर्मचारियों के नियोजन विवरण को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए आधार को उनके साथ जोड़ा जाएगा।

महोदय, कुल मिलाकर इस कानून को लाने में सरकार की मंशा सराहनीय है, लेकिन बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह बच्चों, विशेषकर गरीब बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

धन्यवाद।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि बालक श्रम संशोधन विधेयक, 2016 बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में अपने भाषण में उल्लेख किया कि वे स्वयं बाल श्रमिक रह चुके हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस मुद्दे की संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से समझते हैं।

भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां भारतीय परिवारों में बच्चे अक्सर काम में हाथ बंटाते हैं। वे घरेलू कामों में सहायता करते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने बचपन में उन्होंने कृषि कार्यों में मदद की और सब्ज़ियां बेचीं। इसी तरह, मैं आपके साथ यह साझा करना चाहूंगी कि मैं भी ऐसे परिवार से आती हूं - हालांकि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी - लेकिन मेरे पिता निश्चित रूप से उस समय बाल श्रमिक थे। उस समय इसे बाल श्रम नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे अपने परिवार की मदद करना कहते थे। लेकिन समय बदल गया है। सामाजिक रूप से शिक्षा बदल गई है और समाज बदल गया है और समाज विकसित हो रहा है।

आज जो बात मुझे वास्तव में परेशान करती है, वह यह है कि 21वीं सदी में जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तब भी भारत बाल श्रम की समस्या से जूझ रहा है और आज भी यह सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मुद्दा भी है और असल में हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है।

महोदय, माननीय खड़गे जी यहां नहीं हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी कि जब वह वर्ष 2012 में यह विधेयक लाये थे, तो इसका पूरा उद्देश्य बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना था। मेरा मानना है कि भारत संभवतः विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एक शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन दूसरी ओर हम अभी भी बाल श्रम की समस्या से जूझ रहे हैं।

मैं ऐसे शहर से आती हूं जहां बाल श्रम सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है और दुर्भाग्यवश, ये वे लोग और युवा बच्चे हैं जो विभिन्न राज्यों से पलायन कर यहां आये हैं। मुझे याद है कि मैंने अपनी दोस्त रंजीता को बोलते हुए सुना था। उन्होंने जातिगत मुद्दे और राज्य के मुद्दे, विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार के बच्चों के मुद्दे पर विस्तार से बात की। इन बच्चों को बेहतर अवसरों और वित्तीय लाभ के लिए तस्करी कर मुंबई लाया जाता है।

अब यह विधेयक क्या है और हम इसमें जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत भ्रमित हूं कि इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है और सरकार वास्तव में क्या सोच रही है। आपने 14 से 18 वर्ष की बात की है। लोगों ने विस्तार से बात की है। मेरी सहयोगी कविता जी ने अभी जोखिमपूर्ण कार्यों की बात की है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगी लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

क्या मैं भ्रमित हूँ, क्या आप अपने उत्तर में इसे स्पष्ट कर सकते हैं? सबसे पहले, हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम है जिसके अन्तर्गत हमने आयु को घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। हमारे पास 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अब हम बाल श्रम में 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। आप 14 वर्षों के बाद भी उन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अब उनके पास क्या विकल्प है? 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच क्या होता है?

मैं एक ऐसे स्कूल में कार्य करती हूं जहां कस्तूरबा गांधी बालिका योजना है जहां आदिवासी बच्चों को 6 वर्ष की आयु में इस योजना में लाया जाता है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा आवास एवं छात्रावास की सुविधा दी जाती है। यह एक अद्भुत योजना है लेकिन केवल आठवीं कक्षा तक ही सीमित है। अब उस लड़की का क्या होगा, जो आदिवासी समुदाय से आती है, जैसा कि हम अपने क्षेत्र में कहते हैं "आदिवासी पद"? आप उसे आदिवासी संस्कृति से बाहर लाते हैं, उसे शहर में लाकर 'शिक्षा के अधिकार' के तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, लेकिन जब वह 14 साल की हो जाती है, तो आठवीं के बाद क्या होता है? तो, इस विधेयक का असली उद्देश्य क्या है? क्या आप अपनी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे से जुड़े

तीन अलग-अलग विधेयक हैं। एक 14 वर्ष की उम्र की बात करता है। एक 16 वर्ष की बात करता है और अन्य 18 वर्ष की बात करता है। तो फिर, वास्तव में बच्चा क्या है? आपकी सरकार के लिए किशोरावस्था क्या है? आप इन तीनों को एक साथ कैसे कवर करेंगे ?

तथागत सत्पथी जी जो कह रहे थे वह सत्य है। मैं भी यहां एक माँ के रूप में खड़ी हूं। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा काम करे। यह कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो कोई भी माँ चाहती हो। लेकिन अब आप जो भ्रामक संकेत दे रहे हैं, उसके कारण आप उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। आप कौशल विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। यह एक स्वागत योग्य पहल है, लेकिन यदि बच्चा 14 वर्ष की उम्र में ही शिक्षा से वंचित रह जाएगा, तो आप उसे कौशल कब प्रदान करेंगे? क्या आप उसे 14 वर्ष की उम्र में कौशल प्रदान कर रहे हैं? स्पष्ट है आठवीं कक्षा में नहीं, बल्कि बच्चे को 12वीं कक्षा तक पहुंचना होगा और उसके बाद ही वह कुशल बन सकता है। अब वह 14 और 18 आयु के बीच क्या करता है? यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। इस आयु वर्ग के ये बच्चे उच्च जोखिम वाले परिवारों से हैं। वास्तव में उच्च जोखिम 14 और 18 आयु के बीच आता है। मैं अभी असदभाई जी से भी बात कर रही थी। हम *ज़री* श्रमिकों के बारे में विस्तार से बात कर रहे थे जहाँ ये बच्चे असुरक्षित हैं।

कविता जी ने कहा कि लड़कियां अधिक हैं लेकिन मैं उनसे असहमत हूं। यह केवल लड़कियों की बात नहीं है। यहाँ तक कि लड़के भी बहुत असुरक्षित होते हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें मुंबई में तस्करी कर लाया जाता है। जी हां, जिन लड़कियों का अवैध व्यापार किया जाता है वे श्रम के लिए नहीं होती हैं बल्कि उनका अवैध व्यापार वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है न कि बाल श्रम के लिए। अन्यथा, जो लोग तस्करी के शिकार होते हैं, वे विशुद्ध रूप से लड़के होते हैं, जिन्हें इन सभी खतरनाक कार्यों में लगाया जाता है। इसलिए हम आपसे समाधान खोजने का आग्रह करते हैं। रेलवे ने यह मामला रिकार्ड में दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तक्षेप करना होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज श्रम मंत्री जी बाल श्रम के बारे में बात कर रहे हैं। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? यदि हम वास्तव

में इसका उन्मूलन करना चाहते हैं, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस विधेयक या गृह मंत्रालय का स्वामित्व क्यों नहीं ले रहे हैं। यह वास्तव में आपका विषय नहीं है क्योंकि यदि हम इसका उन्मूलन कर रहे हैं तो इसे कभी भी श्रम विभाग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

रेलवे अब क्या कर रहा है? रेलवे ने बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है। उन्होंने एक चाइल्ड लाइन शुरू की है। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप यह जानकारी उनके साथ भी साझा करें। इन बच्चों की तस्करी कैसे की जाती है? इनकी तस्करी मुख्य रूप से रेलवे के द्वारा की जाती है। तो क्या ये चाइल्ड लाइन कारगर रही है? यह कोई आसान विषय नहीं है जिस पर केवल तीन घंटे में चर्चा की जा सकती है। हम सभी इसे लेकर भावुक हो जाते हैं और मैं भी इससे सहमत हूं तथा हममें से कोई भी इसे देखना नहीं चाहता है।

आपने इन सभी खतरनाक कार्यों के बारे में बात की है। भिखारियों के बारे में क्या कहना है ? आप मुंबई में कहीं भी चले जाइए। कोई न कोई लड़की होगी जो आपको *गजरा* बेचते दिख जाएगी। कोई किताबें बेच रहा है। कोई नक्शा बेच रहा है। आपके सदन के बाहर ही बाल श्रम हो रहा है। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने इसकी कोशिश की। मुझे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री आर.आर. पाटिल याद आते हैं, जो, अफसोस की बात है, अब हमारे बीच नहीं रहें। उन्होंने सीआरवाई और प्रथम जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत करीब से काम किया। उन्होंने बहुत सारे आश्रय स्थल बनाए। अब बिहार सरकार वही प्रयास कर रही है। लेकिन ये आश्रय स्थल कितने अच्छे हैं? आप एक विधेयक बना रहे हैं। समाधान क्या है? इन प्रणालियों की निगरानी कौन कर रहा है? कोई निगरानी नहीं की जा रही है। आश्रमशालाएं वहां हैं। वहां शिक्षा की गुणवत्ता क्या है?

मेरे विचार से यह एक बहुत जटिल मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे पारित करने में जल्दबाजी करनी चाहिए। वैसे भी, अगले तीन वर्षों के लिए सरकार के पास 280 सदस्य हैं। तो फिर सरकार इसे जल्दबाज़ी में क्यों ला रही है? यदि आप इसे कुछ समय दे सकें तो अच्छा होगा। हम नियम बना रहे हैं और इन्हें कल लागू करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तो, मुद्दा यह है कि क्या हम 'परिवार' के रूप में जो कुछ भी कह रहे हैं उसे

कम करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि 'चाचा और चाची' कोई मामा, चाचा, ताया सबने इसके बारे में विस्तार से बात की है कि मेरे मामा की दुकान है, मैं हेल्प कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि "परिवार" और "खतरनाक" कार्यों पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना आवश्यक है। मेरी मुख्य बात यह है कि यदि आप आर.टी.ई., किशोर न्याय अधिनियम और बाल श्रम के लिए एक समान आयु सीमा निर्धारित कर सकें, तो यह एक स्पष्ट संदेश देगा। वर्तमान में सरकार तीन अलग-अलग आयु सीमाओं पर बात कर रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वे इस पर पूर्ण स्पष्टता रखें। हमें आप पर विश्वास है क्योंकि आपने स्वयं एक समय पर बाल श्रमिक के रूप में काम किया है, जो आज के तकनीकी श्रमिकों में से एक है। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप दिल से सोचें ताकि इस देश या विश्व में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और श्रम में सम्मान का अधिकार मिले। बच्चा जो भी करे, उसे गर्व के साथ करना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश के बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं और मेरा मानना है कि यह हमारा अपने बच्चों के प्रति दायित्व है।

धन्यवाद।

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (सुल्तानपुर): महोदय, हम अक्सर विभिन्न कानूनों पर विचार-विमर्श करते हैं और कभी-कभी ऐसे कानून बन जाते हैं जो हमें हमारे समय की अपूर्णताओं की याद दिलाते हैं। कल ही मैं एक टीवी कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें यह बताया गया कि बांगलादेश में एक व्यक्ति जो एक गारमेंट यूनिट का मालिक था, उसे दोषी पाया गया क्योंकि उस गारमेंट यूनिट में काम कर रहे एक छह साल के बच्चे की मृत्यु हो गई।

महोदय, जब हम इस प्रकार के मुद्दों को देखते हैं तो समाज में विद्यमान कमियाँ सर्वाधिक स्पष्ट हो जाती हैं जहां स्वतंत्रता के 69 वर्ष के बाद भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो गरीबी, सामाजिक असमानता के कारण बड़े वर्गों में गुलाम हैं और जीवित रहने की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। बाल श्रम ऐसी ही एक वास्तविकता है। बाल श्रम क्या है, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वह क्या है। लेकिन तथ्य यह है कि यह बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 जो बाल श्रम को परिभाषित करने की जटिलता को दूर करता है। आई.एल.ओ. ने बहुत ही व्यापक परिभाषा दी है। इसमें कहा गया है कि कोई भी काम जो बच्चे के स्वाभाविक बौद्धिक विकास और पारिवारिक जीवन में बाधा डालता है, खतरनाक और गलत है। यह बात भारत जैसे देश पर लागू नहीं होती है। स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन जैसे देशों में यह बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में हमें इस मुद्दे को अधिक सूक्ष्मता से देखना होगा।

यूनिसेफ ने ऐसा किया है। उनका कहना है कि 5 से 11 वर्ष की आयु के बीच यदि बच्चा प्रतिदिन एक घंटे से अधिक आर्थिक गतिविधि करता है या सप्ताह में 28 घंटे से अधिक घरेलू काम करता है, तो उसे बाल श्रम माना जाएगा; या 12 से 14 वर्ष की आयु के मामले में, यदि बच्चा प्रतिदिन 14 घंटे आर्थिक गतिविधि करता है या सप्ताह में 42 घंटे घरेलू काम करता है, तो उसे बाल श्रम माना जाएगा। यूनिसेफ ने भी इस नए भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि 17वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में भाग लेना हमेशा बाल श्रम नहीं होता है। इसे स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मुझसे पहले सम्मानित सदस्य ने कहा, यह कानून संशोधन के लिए काफी समय से लंबित था। हमने किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,

2009, बालक श्रम (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 देखा है, जो बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है, तथा जिनकी सूची में वर्तमान में विस्तार हुआ है । हमें शिक्षा के स्तर पर भी ध्यान देना होगा। आज ही मैंने एक समाचारपत्र में, शैक्षिक पत्रिका में पढ़ा कि इस मानसून में भारत में 42000 विद्यालय इस समय खराब मौसम के कारण बंद हैं। इसलिए, ऐसे देश में जहां 81000 स्कूलों में ब्लैकबोर्ड नहीं है और जहां बहुत सारे स्कूलों में, 20 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में, केवल एक शिक्षक है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसे शिक्षा के अधिकार के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता है, जिसे इस विधेयक में करने का प्रयास किया गया है।

महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि इस पूरे मुद्दे में भारत की स्थिति क्या है। दुर्भाग्यवश हम विश्व में सबसे अंतिम स्थान पर हैं। विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक हमारे यहां हैं। गैर-सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे यहां 30 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं और उनमें से 15 मिलियन बंधुआ मजदूर हैं, जो और भी गंभीर समस्या है।

महोदय, कारण बहुत स्पष्ट हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां 70 प्रतिशत लोग ऐसे परिवारों में रहते हैं जिनकी कुल आय 10,000 रुपये प्रति माह है, ऐसे में अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती है। अब, तथ्य यह है कि इनमें से 80 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे घर-आधारित रोजगार में कृषक और कृषि मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, यह बालक और किशोर के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, जो पहले इतना स्पष्ट नहीं था। यह बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता और अतिरिक्त आय की आवश्यकता के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है, जैसे कि आईएलओ कन्वेंशन 182, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, जो बच्चों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह भारत के 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के साथ भी मेल खाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यह आईएलओ कन्वेंशन 138 के भी अनुरूप है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु

यह है कि इस बिल में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे बच्चों को काम पर रखने पर सजा का न्यूनतम समय तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है, और अधिकतम सजा एक से दो साल तक बढ़ा दी गई है।

हालाँकि, मुझे लगता है कि यह बहुत कम है और इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है क्योंकि 50,000 रुपये की आर्थिक सजा निवारक के रूप में काम नहीं करेगी।

यदि हम विधेयक पर और विचार करें तो इसमें पारिवारिक उद्यमों की बात की गई है। यह क्या है? इसमें स्कूल के बाद अथवा छुट्टियों के दौरान गैर-खतरनाक व्यवसायों में अपने परिवार की मदद करने वाले बच्चों को छोड़कर सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध किया गया है। एक सकारात्मक बात यह है कि यह समझता है कि भारत में ऐसे अनेक असंगठित व्यवसाय हैं जिनमें लोग अपना कौशल अपने बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वह सुनार हो, लोहार हो, बुनकर हो, कारीगर हो आदि। ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में ही प्रशिक्षित कर देते हैं।

श्री तथागत सत्पथी : कचरा बिनने वालों के बारे में भी क्या?

श्री फिरोज़ वरुण गांधी: लेकिन वह कोई पारंपरिक कौशल नहीं है। मैं पारंपरिक कौशल की बात कर रहा हूं। हम समझते हैं कि कम उम्र में, चाहे वह संगीतकार हो या कपड़ा बनाने वाला या सुनार हो, ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। यद्यपि इस विधेयक में एक बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है कि हमारे 70 प्रतिशत बच्चे अपने माता-पिता के साथ ठेका श्रमिकों की तरह सहायक के रूप में काम करते हैं जोकि वास्तव में बंधुआ मजदूरी है। यह बिल्कुल भी कौशल विकास नहीं है; यह उनकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है और यह गुलामी के समान है। इसे इस विधेयक में स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब हम वर्ष 2001 की जनगणना को देखते हैं, तो हम पान और बीड़ी उत्पादन को देखते हैं जो कुल मिलाकर बाल श्रम का 21 प्रतिशत है। हम बुनाई को देखते हैं जो बाल श्रम का 11 प्रतिशत है। इनमें से अधिकांश उदाहरण माता-पिता द्वारा अपने

बच्चों को केवल शिल्प सिखाने और उसे आगे बढ़ाना नहीं हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बच्चों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अत्याचार किया जा रहा है। ये सभी तो नहीं हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। वे पारिवारिक उद्यम के प्रावधान से बाहर हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। अन्यथा, सुझाया गया संशोधन इन प्रवृत्तियों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा देगा।

आइए खतरनाक व्यवसायों की सीमित सूची पर नजर डालें। विधेयक किशोरों को खतरनाक उद्योगों को छोड़कर अन्यत्र काम करने की अनुमति देता है। इसमें तीन प्रविष्टियाँ हैं, अर्थात् खदानें, ज्वलनशील और विस्फोटक ।

श्री तथागत सत्पथी : सरकार इसे 83 से घटाकर केवल तीन कर रही है। पहले, यह 83 था।

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी: मैं इस बारे में बात करूंगा। फिर भी, मुझे बीच में रोकने के लिए धन्यवाद।

खतरनाक प्रक्रियाओं को फैक्ट्री एक्ट के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें निर्माण, ऑटोमोबाइल मरम्मत, रेलवे लाइन पर काम, बीड़ी बनाना, ईंट भट्टे, वस्त्र निर्माण जैसे उद्योगों को बाहर कर दिया गया है, जैसा कि तथागत बाबू ने कहा है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इन सभी उद्योगों को क्यों छोड़ दिया है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। वे सभी न केवल श्रम के बल्कि बंधुआ मजदूरी के स्रोत हैं। यह जानना दिलचस्प है कि सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि हम जब चाहें खतरनाक व्यवसायों की सूची का विस्तार कर सकते हैं।

लेकिन जैसा कि हमारे वरिष्ठ विद्वान सहयोगी ने कहा है, इसने वास्तव में लंबे समय से ऐसा नहीं किया है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि हालांकि हम कह सकते हैं कि यह एक व्यापक रूपरेखा है और साथ ही इस पर कार्य प्रगति पर है, यह सरकार को प्रक्रियाओं को छोड़ने की शक्ति देता है। हम कह सकते हैं कि यह एक व्यापक रूपरेखा है इस विधेयक में सरकार को शक्ति दी गई है कि वह अनुसूचियों में से प्रक्रियाओं को हटा सकती है। यह बहुत भयावह बात है क्योंकि सभी मंत्री दत्तात्रेय जी जितने महान नहीं होंगे। इसलिए, अगर कल कोई ऐसा

व्यक्ति आ जाए जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी उद्योग या लॉबी को फायदा पहुँचाने के लिए इसे हटाने का निर्णय ले, तो यह पूरा अधिनियम निष्क्रिय हो जाएगा और यह निवारक के रूप में कार्य नहीं करेगा। इसलिए, इसे ध्यान से देखा जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को अनुसूचियों में से प्रक्रियाएं हटाने की शक्ति देने की बजाय इसके लिए संसद की मंजूरी की व्यवस्था हो तो बेहतर होगा।

दूसरा मुद्दा इस विधेयक का शिक्षा के अधिकार से संबंध है। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि शिक्षा के अधिकार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 14 साल तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करता, तो उसे तब तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा, जब तक वह इसे पूरा नहीं करता। सवाल यह उठता है कि अगर कोई बच्चा 14 साल का हो चुका है और उसने कोई शिक्षा नहीं ली, तो क्या उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी? या यदि आप उसे काम करने की अनुमति देते हैं, तो वह अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ-साथ कैसे काम करेगा? वह दोनों चीजों को कैसे संभालेगा? अतः, इस विधान में स्पष्टता की कमी है।

इसके बाद, हम बंधुआ मजदूरी नियमों के उल्लंघन को देखते हैं। अब तक, प्रत्येक चिन्हित बंधुआ मजदूर को तुरंत 2,000 रुपये और 20,000 रुपये इस शर्त पर दिए जाते थे कि वे वापस लौटेंगे। सरकार ने सकारात्मक माहौल में सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। बालक श्रम विधेयक, धारा 14 (ख) में 65,000 रुपये, बचाव के समय 15,000 रुपये और नियोक्ता से एकत्र किए गए 50,000 रुपये का उल्लेख है। तो, यह 65,000 रुपये है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी योजना में अभियोजन बहुत ही संक्षिप्त तरीके से किया जाता है, जबकि बाल श्रम के मामले में स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप किसी को दंडित करते हैं या कम से कम उन पर मामला दर्ज करवाते हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुआवजा और अभियोजन प्रक्रियाएं बंधुआ मजदूरी योजना या बाल श्रम कानून के साथ होंगी। … (*व्यवधान*) मैं बस दो मिनट और लूंगा।

मैं माता-पिता और अभिभावकों के विरुद्ध दंड को कम करने के मुद्दे पर आऊंगा। यह विधेयक एक तरह से बहुत ही विशिष्ट है। इसमें बताया गया है कि पहली बार माता-पिता के विरुद्ध जब वे अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, जो ठीक है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। स्थायी समिति ने भी इस लचीलापन की आवश्यकता पर विचार किया था। लेकिन दूसरी बार के अपराध में और बार-बार किए गए अपराध में, वे कह रहे हैं कि माता-पिता आर्थिक रूप से अपनी सज़ा को यह कहकर समाप्त सकते हैं कि वे इसका भुगतान करेंगे और फिर छूट जाएंगे। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अगर मैं, एक माता-पिता के रूप में, अपने बच्चे के साथ चार या छह बार यह घिनौना कृत्य करता हूं, तो क्या मैं सरकार के साथ आर्थिक रूप से समझौता कर सकता हूं और छूट सकता हूं? यह लचीलापन नहीं है। यह...[*] जब आप बार-बार अपराध करने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हे बच कर निकल जाने देते हैं।

धारा 14 (1) (ख) में उल्लेख किया गया है कि माता-पिता पहले अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह ठीक है। लेकिन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, सी.सी.टी.एन.एस, जो आपराधिक रिकॉर्ड के लिए डेटा की पहुंच को केंद्रीकृत करता है, की प्रक्रिया अभी भी पुलिस स्टेशनों में पूरी नहीं हुई है। उनमें से पचास प्रतिशत के पास यह नहीं है। गृह मंत्रालय ने लोक सभा में एक जवाब में कहा है कि ज्यादातर पुलिस स्टेशनों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जहां 100 प्रतिशत एफ.आई.आर ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं। तो, आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां पृथ्वी पर आप यह कैसे निर्धारित करने जा रहे हैं कि माता-पिता या अभिभावक या नियोक्ता पहली बार अपराधी है या दसवीं बार अपराधी है? क्या होगा यदि वह दसवीं बार अपराधी है, लेकिन आपका डेटा केंद्रीकृत नहीं किया गया है।

[*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अब, मैं निरीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने की बात करूंगा। आप कहते हैं कि बच्चों के काम पर रोक जहां लागू है, वहां उपयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन यह निगरानी किशोरों पर भी की जानी चाहिए, जो गैर-खतरनाक स्थानों पर काम कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चा, भले ही जहां उसे काम करने की अनुमति है, अपनी इच्छा के खिलाफ काम करता है, क्योंकि उसके माता-पिता उसे वहां भेज रहे हैं, या वह रोजगार की प्रकृति को नहीं समझता, या मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण ऐसा हो रहा है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश में ऐसी स्थिति है जहां दस प्रतिशत आबादी 80 प्रतिशत आय अर्जित करती है, जहां हमारे पास प्रतिस्पर्धा का अर्थशास्त्र है जो उस अंतर को पूरा करने के लिए सस्ते श्रम और बच्चों की मांग कर रहा है, जब तक कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जहां हम अपने बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित नहीं करते, हम एक देश के रूप में कैसे आगे बढ़ेंगे?

हमारे पास अभी भी एक व्यवस्था है जहां हम अपने बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित नहीं करते हैं। फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे भविष्य की उम्मीद करते हैं जहां एक बच्चा अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए हो, न कि कृषि उपकरण या झाड़ू। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मेरा मानना है कि जिस देश में बच्चों का भविष्य न हो, वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इस बिल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह बिल कुछ लोगों की मदद के लिए लाया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? यूनाइटेड नेशन्स चाइल्ड राइट्स प्रोटोकाल में यह मान लिया गया कि 18 साल तक की उम्र का बच्चा माना जाएगा और जो इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन का 138वां कन्वेशन हुआ, उसमें भी कहा गया कि 18 साल तक का बच्चा माना जाएगा। मैं यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों से पूछना चाहता हूं, वे अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहें कि क्या वे अपने बच्चों से, जो 18 साल तक के हैं, काम करवाएंगे? अगर सोशियली, इकानॉमिकली और मॉरली बच्चा स्ट्रांग है तो क्या उससे काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे।

<u>अपराह्न 04.51 बजे</u> [माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

जो सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है, न कि 14 साल से बड़े बच्चों से काम करवाने की जरूरत है। जो 14 से 18 साल की उम्र होती है, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जो गलत रास्ता है, बच्चों का इस उम्र में जो दिमाग होता है, वे इसमें आते हैं।

दिल्ली में हम सभी लोग यहां पर चौराहों पर देखते हैं कि जो भिखारी हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, गोद में बच्चे होते हैं, आधिकतर सोते रहते हैं। उनको नशा दे दिया जाता है। बड़े होकर वे नशे के आदी हो जाते हैं। उनसे भीख मंगवाई जाती है। जब वे बड़े हो जाते हैं, तो भीख मांगते हैं। जो इनकी तादाद है, वह धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। यह क्यों बढ़ती जा रही है? जब भी देश में कहीं बड़ा हादसा होता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है तो ये बच्चे वहां से चुराए जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वहां से बच्चे ले आए जाते हैं। इस देश के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, वहां पर इन बच्चों से गलत काम करवाए जाते हैं।

सुप्रिया जी को मैं सुन रहा था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो बच्चियां आती हैं, जो 14 साल की बच्चियां होती हैं, उनको सेक्स वर्कर बना दिया जाता है और गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। कहीं न कहीं यह जो नया कानून हम लोग ला रहे हैं, इससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैं, उसमें बढ़ावा होएगा। इसलिए हमें ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए, जिनसे 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको हम अच्छी एजुकेशन दे सकें। जो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक है, उसे 14 से बढ़ाकर 18 साल करना चाहिए, हम ऐसी मांग करते हैं।

जो स्कूलों का सिस्टम है, उनसे जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, कहां गए हैं, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। इस देश में पिछली सरकार आधार कार्ड लेकर आई। अगर उस आधार कार्ड से ही इन बच्चों को भी जोड़ दिया जाए, जब स्कूल में एडमीशन लेने जाते हैं तो आधार कार्ड आप कंपल्सरी कर दो, छोटे बच्चे का बनाओ, जब वह बड़ा हो तो एक बार वह फिर से वैरीफाई हो जाया करेगा। अगर एडमीशन लें तो उस आधार कार्ड के अनुसार लें। अगर बच्चा वह स्कूल छोड़कर जाता है, दूसरे शहर में एडमीशन लेता है तो आधार कार्ड को वहां पर भी जोड़ दिया जाए। जो बच्चा गायब हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो इसके लिए कहीं न कहीं एक अथारिटी पूछने वाली हो कि आपका आधार कार्ड है, उसको प्रेजेंट करें। जब वह दिखाया जाए तो पता चले कि कहां से यह बच्चा निकलकर आया है। इससे जो बच्चों की चोरी होती है, उस पर भी रोकथाम हो सकती है। जो बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों का दिमाग निर्मल होता है। उन्हें जैसे सीखने को मिलता है, वे वैसे सीखते जाते हैं। बच्चों के साथ बैटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली किस तरह मजबूत बना सकते हैं, उनके साथ बात भी करनी चाहिए। आज हमारा देश एक ऐसी स्थिति में खड़ा है, जहां कभी भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे कश्मीर की हिंसा है। अगर हम बच्चों को मॉरल वैल्यूज देते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते-लिखाते हैं तो इन स्थितियों को टैकल करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर हम कानून लेकर आते हैं, अगर 14 साल की उम्र में फैमिली एंटरप्राइजेस के नाम पर बच्चे काम करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि कोई एंटरप्राइज़ चला रहा है, छोटा-मोटा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास आमदनी का स्रोत है। फिर इन बच्चों को काम

करने की क्या जरूरत है। अगर जरूरत है तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिसमें हम बच्चे को पढ़ाई की आजादी दे सकें, उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें, उन्हें भोजन दे सकें। अगर हम इस तरह के कानून लाएंगे तो देश का भविष्य आगे बिगड़ता हुआ दिखता है।

बच्चों को जो तनख्वाह मिलती है, अगर मिनिमम वेजेस की बात करें, 200 रुपये की बात करें तो वह बच्चा 50 से 60 रुपये पाता है। कुछ कपड़े मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा तो वह इतने में ही काम कर लेगा। यह भी एक तरह से ब्लैक मनी को जनरेट करने का काम करता है। जिस कम्पनी, एंटरप्राइज़ या फैक्ट्री में ये बच्चे काम करेंगे, उन्हें वेजेस 60 रुपये मिलेंगे, निकाले पूरे रुपये जाएंगे। काला धन इस देश का टैक्स चोरी करने का काम करेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का बिल लाएं जिससे हम बच्चों को सोशली, मॉरली और इकोनॉमिकली मजबूत बना सकें, उन्हें अच्छी पढ़ाई मुहैया करा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है। हम पहले ही इसे समाप्त कर चुके हैं। लेकिन मेरे पास उन सदस्यों की लंबी सूची है जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। इसलिए, मैं आपसे बहुत संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे बुढ़ापे में मां-बाप की निधि होते हैं, फिर भी बच्चों को गलत रास्ते पर लाने पर विवश किया जाता है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है और इस संशोधन के जरिए सदियों से चली आ रही बाल श्रम जैसी कुरीतियों को दूर करने के

लिए उसकी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। लेकिन हकीकत यह भी है और इस देश की विडम्बना है कि यहां जिस काम को रोकने के लिए जितने बड़े कानून बनाए जाते हैं, उतना ही कानूनों का उल्लंघन खुले रूप से होता है। इसका सबसे प्रकट और अप्रयुक्त उदाहरण बाल श्रम पर निोध के लिए बनाए गए कानून हैं जिन्हें संशोधन द्वारा और ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। यह मुद्दा केवल बाल श्रम जैसी कुरीति से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें मानवाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के खोखलेपन के विषय भी शामिल हैं। हम में से आधिकांश सदस्य सड़क यात्राओं के दौरान होटलों, ढाबों, मोटर मकैनिक और पंचर बनाने वाली दुकानों पर इस कानून की धज्जियां उड़ते देखते हैं। भारतीय चेतना और विकास पर इस बदनुमा दाग को धोने के लिए पहले से कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन उदासीन राज्य सरकारों और उनके भ्रट मातहतों ने राट्रीय गरिमा को धूमिल करने वालों ने इसे अपनी काली कमाई का जरिया बना रखा है। बाल श्रम संशोधन कानून, मध्याह्न भोजन एवं सवरशिक्षा आभियान जैसी बड़े बजट वाली योजनाओं के खोखलेपन का प्रमाण भी है, जो खरबों रुपये खर्च करके भी बालकों का मुंह विद्यालयों की तरफ लाने में नाकाम रही।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सामाजिक पहलू की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। समाज के कुछ खास तबकों में आनियोजित परिवारवृत्त की मुहिम चलाई हुई है वह कोढ़ में खाज का काम कर रही है। ऐसा परिवार एक-दो बच्चों का भरणपोाण करने में सक्षम न होते हुए भी आनियंत्रित वंश विस्तार को तत्पर रहता है। फलतः जीवनयापन हेतु बचपन से ही बच्चों को स्कूल से विरक्त कर दिया जाता है। बढ़ती महत्वाकांक्षा और जरूरतों ने इस समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलु को भी फलक पर रख दिया, भारत को आस्थिर करने और आंतिरक ताने-बाने को धवस्त करने को आमादा राट्रद्रोही और विदेशी ताकतें बहुत आसानी से ऐसे बच्चों को हथियार बना सकती हैं। कई जगहों पर विस्फोट और आंतकी गतिविधियों में उनकी लिप्तता के रूप में सामने आती है।

महोदय, मेरा स्पष्ट मानना है कि बाल श्रम विधेयक और विनिमयन का यह विधेयक ज्यादा कारगर और निर्णायक तरीके से इस कुरीति पर चोट करने में सक्षम होगा, लेकिन केवल बाल श्रम निषेध तक ही इसे सीमित रखने की नहीं है बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने और समेकित बनाए जाने की जरूरत है। इसमें सदन सदन और समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बाल श्रमिक संशोधन बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस नौनिहाल बच्चों के दम पर हम लोग सुनहरे भारत की परिकल्पना करते हैं कि हमारा भारत सुनहरा हो, हमारा भारत विकासशील हो, लेकिन उस बचपन को बचाने के लिए जो संशोधन बिल लाया गया है वह निश्चय ही एक सराहनीय कदम है। जो बिल लाया गया है उससे बाल श्रम को रोका जाएगा ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है।

मुझे बहुत सारे माननीय सदस्यों की बातों को सुनने का मौका मिला, एक ही तरह की बातों को दोहराया जा रहा है। आज जो बाल श्रम की समस्या पैदा हो रही है उसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। मैं सरकार की रिपोर्ट देख रहा था कि किस-किस राज्य में कितने कामगारों की संख्या है, उससे कुछ बातें समझ में आईं, निश्चित रूप से जो राज्य ज्यादा गरीब हैं तो वहां बच्चों के कामगारों की संख्या ज्यादा है इससे एक बात स्पट हो गई कि अगर हम लोग बाल श्रमिकों को कम करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले देश से गरीबी को हटाना पड़ेगा, बिना गरीबी को हटाए हम लोग इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, इसकी परिकल्पना बेमानी होगी।

देश की बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, सस्ती मजदूरी के चलते भी बाल श्रम है, शिक्षा का अभाव भी एक कारण है। जितने भी सुझाव आए हैं जो कानून लाया गया है वह एकपक्षीय कानून लाया गया है उससे हम लोग बाल श्रम आधिनियम को संशोधित करके पूरी तरह से बाल श्रम को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम गरीबी को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, देश या राज्य से गरीबी समाप्त करने के ऊपर हम लोगों को ज्यादा चिंता करके हम लोगों को काम करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। वहां जो परिस्थितियां मैंने देखी हैं, उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि वहां एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। बाढ़ से बचाव के लिए अनेक तरह के काम चलते रहते हैं, फिर चाहे वह बालू से बोरी भरने का काम हो या कोई और इसी प्रकार का काम। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बालू से बोरी भरने के काम में काफी संख्या में बाल

श्रमिक उसमें लगाए जाते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रकरणों को देखने से पता चलता है कि जहां कहीं भी गरीबी है, जिस घर में भी गरीबी है, वहां के बच्चों से ही ये काम कराए जाते हैं। इसलिए मैं इस सदन में बैठे लोगों से स्पट रूप से पूछना चाहता हूं कि हम जितने भी लोग यहां हैं, क्या हमारे बच्चे काम करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन घरों में गरीबी है, उनके बच्चे ही बाल श्रम करते हैं, जहां आशिक्षा है, उन घरों के बच्चे काम करने जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि इसका निदान हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब तक इस देश से गरीबी नहीं हटेगी, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात में बाल श्रमिकों की संख्या 2,50,318 है। इसे मैं सबसे ज्यादा समझता हूं। जब गुजरात जैसे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं। मैं भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि वे तो गुजरात में तीन टर्म चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब देश के प्रधान मंत्री भी बने हैं, तो निश्चित रूप से जब वे वहां बाल श्रम को समाप्त नहीं कर सके, तो देश के लोग उनसे कैसे उम्मीद रखें कि पूरे देश से वे बाल श्रम को समाप्त करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर आज हाउस में तीन-चार घंटे से एक ही प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। इसलिए इस समस्या से निदान के लिए हमारा सिर्फ एक ही लाइन में कहना है कि जब तक हम देश से गरीबी को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे बाल श्रमिक कानूनों में कितने भी संशोधन लाए, उनके लागू होने से बाल श्रम को समाप्त होने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में, माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, सदन में विपक्ष सरकार के लिए चूंकि आइने की तरह होता है, इसलिए विपक्ष की तरफ से जितने भी सुझाव आए हैं, उन्हें वे ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट बिल, 2016 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे पता है कि आप मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं, जो बाल मजदूर से यहां तक पहुंचे हैं। अभी हमारे मंत्री महोदय के बारे में श्रीमती सुप्रिया सुले जी बता रही थीं कि उन्होंने राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए कहा कि वे भी बाल मजदूर थे और वे वहां से यहां तक पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं अपने स्वयं के बारे में कहूं, तो मैं जब 10 वर्ष का था, तब आधे दिन स्कूल जाता था और बाकी आधे दिन में बाल मजदूर की तरह काम सीख कर टर्नर, फिटर, वैल्डर, सेफर, मिलर और डायमेकर बन गया। उसके बाद मैंने अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री 35 साल चलाई और आज इस संसद में पहुंचा हूं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मेरे बचपन के दिनों में यदि इस प्रकार का जटिल कायदा रहा होता, तो शायद मैं यहां नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बिल का समर्थन करते समय हम विदेशों के कानूनों को देखकर अपने देश में जो कानून बनाते हैं, इस बारे में हमें आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विकसित देशों की बात और है और यदि हम चार विकसित देशों को मिलाकर एक करें, तो भी भारत की जनसंख्या ज्यादा होगी। ऐसे देश में बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा होना भी स्वाभाविक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश आजादी के वक्त 35 करोड़ की जनसंख्या का था, वह आज 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश बन गया है। तब से अब तक पॉपुलेशन चार गुना बढ़ गई है। हमारे देश की यह वास्तविकता है कि हम बाल श्रम की समस्या को अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें बाल मजदूरों के बारे में कुछ अलग प्रकार के उपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे। यह बात सही है कि जो गलत है, जो बुरा है, उसमें से सरकार ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। हमें आने वाले दिनों में बाल मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा।

महोदय, कायदा बनाकर कोई भी समस्या दूर होने वाली नहीं है। मुम्बई शहर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों में भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं। हम कभी पुलिस से कहते हैं कि आप इनको पकड़ते क्यों नहीं हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि राज्य सरकार का कायदा 200 रुपए का है, अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो वे तुरंत 200 रुपए भर देते हैं। वे भीख मांगकर 200 रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। दूसरी बात है कि बच्चों को पकड़कर कहां रखें? पुलिस स्टेशन में जगह नहीं है, इनको रखने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए हर राज्य में बड़े बाल भवनों का निर्माण करना होगा, जहां लावारिस, बेसहारा बच्चे, जिनके माता-पिता नहीं हैं, को रख सकें। वहां उनको आधे दिन के लिए शैक्षणिक व्यवस्था के साथ जोड़ें और बचे हुए स्किल डैवलपमेंट की ओर मोड़ें तो मैं समझता हूं कि इससे देश को बहुत लाभ होगा, बहुत बड़ी क्रांति आएगी।

महोदय, हम चाइल्ड लेबर की बात तो कहते हैं, लेकिन छोटी उम्र में जो बच्चे भीख मांगते हैं और छोटी उम्र में ही पिक्चर देखने लग जाते हैं। इससे उनका माइंड सैट बचपन से ही बिगड़ जाता है। इसके बारे में कोई कायदा नहीं है। वे कमाकर अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए तो कायदे बनते हैं, लेकिन वे बड़े होकर अपना जीवन किस तरह से बिताएं, इसके लिए कोई कायदा नहीं है। पेपर में जब कुछ छपता है तो ह्युमेन राइट्स वाले अपनी बात कहते हैं लेकिन बच्चों के लिए आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्था हो, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता है कि संसद के माध्यम से हम सब राजनैतिक विचार अलग रखें। सरकार किसकी है, हम विपक्ष में हैं या सत्ता में हैं, यह बात आवश्यता पड़ने पर करें लेकिन जब इस तरह के विाय आएं तो हम सब एक होकर, मिलकर बातचीत करें, सरकार को गाईडलाइन दें, दिशा देने का प्रयास करें तभी हम आने वाले दिनों में इस प्रकार की समस्या का निराकरण कर पाएंगे। इससे ही हम बाल मजदूरों के जीवन का स्तर ऊंचा कर पाएंगे और देश का भी लाभ होगा।

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चे छोटी उम्र में इस तरह से पैसे कमाकर अलग-अलग और गलत लाइन में चले जाते हैं, यह देश के लिए घातक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डैवलपमेंट की बात कही है, मैं एक बार फिर कहूंगा कि ऐसे सारे बच्चों को कॉरपोरेट सैक्टर के माध्यम का लाभ लेकर, आधा दिन

पढ़ाकर और आधे दिन में स्किल डैवलपमेंट के क्षेत्र में पैसा खर्च करके ट्रेंड करेंगे तो आज का यह बच्चा, जो देश के लिए बोझ है, आने वाले दिनों में एसेट बन सकता है। वह देश का टैक्स पेयर हो सकता है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इतनी क्षमता, इतनी ताकत इन विषयों में है, इसलिए हम इसे पोजीटिव एंगल से लें और गंभीरता से सोचते हुए कोई अच्छी योजना बनाएं, कोई अच्छा रास्ता निकालें तभी हम इसका उपाय ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं हमेशा शेर से अपनी बात शुरु करता हूं, आज भी मैं अपने साथियों को सुनाने के लिए एक टुकड़ा पेश करना चाहता हूं।

बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे।

ये वो नन्हें फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे।

यहां हम इन बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। जहां तक अमेंडमेंट की बात आई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किताबों से, खाली लिखने से और अमेडमेंट से मसले हल नहीं होते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, सबकी इन बच्चों और इनके भविय के बारे में चिंता है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमा है। फिल्मों में जिस तरह से चाइल्ड लेबर को एन्क्रेज किया जाता है और बड़े होने पर बड़े गुंडे के रूप में दिखाया जाता है, डॉन के रूप में दिखाया जाता है। इससे भी एन्क्रेजमेंट मिलता है कि हम इस लाइन पर चलें तो कल हम बहुत बड़े दादा बन सकते हैं, बहुत बड़े डॉन बन सकते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं ताकि फिल्म इंडस्ट्री तक मैसेज जाए कि जब फिल्म का स्क्रिप्ट लिखें, उस वक्त इन चीजों को एन्क्रेज न करें बल्कि डिस्क्रेज करें क्योंकि इन बच्चों का भविष्य मुल्क का भविष्य है। यही बच्चे चोर बन सकते हैं, डकैत बन सकते हैं, आतंकवादी बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। जहां चाइल्ड लेबर का मसला आता है, वहां अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में जिस तरीके से मिसाइल हैं, उसमें शायद सबसे ऊपर हमारे मुल्क का नम्बर आता है। इसलिए इस चाइल्ड लेबर को हम खाली मजदूरी से देखिएगे, तो वह ठीक नहीं होगा। आप उनके मां-बाप को जेल में डाल दीजिए, उन पर 20 हजार या 50 हजार रुपये फाइन कर दीजिए, लेकिन यह मसला इससे हल होने वाला नहीं है। यह पापी पेट का सवाल है। मां-बाप जब बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखते हैं, तब वे मजबूर हो जाते हैं। बाप को कैंसर है और मां को हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, तो बच्चा खेतों

और फैक्टरियों में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। पिछले साल की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ असम से ही पांच हजार बच्चे गायब हो गये हैं। ये बच्चे कहां जाते हैं? क्या इन बच्चों का कुछ पता चलता है? इन बच्चों की किडनियां बेच दी जाती हैं, भिखारी बना दिया जाता है या इन्हें चोरी और डकैती करने के लिए मजबूर किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुम्बई के साथी ने भीख मांगने का मामला बताया। सुप्रिया जी ने भी भीख मांगने का मामला कहा। आप जानते हैं कि मैं असम से लड़कर आता हूं। लेकिन ये मिसाइल ऐसे हैं, जिन्हें हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आप इस बिल में अमेंडमैंट ला रहे हैं, तो उसे जरूर लाइये, लेकिन इस समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने खुद कहा कि वे बचपन में मजदूरी का काम कर चुके हैं। हमारे मुम्बई के भाई साहब ने अभी कहा कि वे इसी लाइन से जाकर उद्योगपति बने हैं। हमें इन चीजों और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बदनाम किया जाता है कि उनका बड़े-बड़े कारपेट हाउसेज के साथ ताल्लुक है। आप उन बच्चों के घरों की समस्या को देखिये। यदि इनसे एक टाइम मजदूरी लेनी है, तो उन्हें कहीं रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिए। उन पर पढ़ाई कम्पलसरी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं असम के होजाई क्षेत्र में पैदा हुआ हूं। हमारी एक संस्था अजमल फाउंडेशन है। उसके जरिये हमने सौ दिनों के अंदर सेंट परसेंट लिट्रैसी का प्रोग्राम लिया और उसे कामयाब किया। इसके लिए असम गवर्नमैंट ने हमें एक लाख रुपये का इनाम दिया। जब एक छोटी सी संस्था एक छोटे से गांव में यह काम कर सकती है, तो हम सभी सांसद भी अपने-अपने इलाकों में बाल मजदूरी को रोकने का काम कर सकते हैं। हमने यह काम किया कि जो बच्चे जंगल में झाड़ काटने जाते हैं या चोरी से पेड़ काटकर बेचते हैं, उनके

साथ हमने ट्रेन में टीचर लगा दिया। वे उन्हें आते-जाते हुए पढ़ाते हैं। इस तरह से हमने सौ दिनों के अंदर सेंट परसेंट लिट्रैसी का प्रोग्राम पूरा किया। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस पर पूरे मुल्क को ध्यान देने की जरूरत है। हम सिर्फ अमेंडमैंट लाकर इस मसले को पूरा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सब लोग इससे बहुत मुख्तफिक हैं कि इसके ऊपर बहुत ही सीरियसली काम करने की जरूरत है। यही बच्चे हमारे भविय हैं। मैं चलते-चलते एक शेर कहना चाहूंगा--

बच्चे को हाथ में कलम उठाना अच्छा लगता है,

इसे भी स्कूल जाना अच्छा लगता है,

जमाने ने बड़ा कर दिया,

लेकिन फिर भी किसे यह बोझ उठाना अच्छा लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बच्चे को बोझ उठाना अच्छा नहीं लगता। आप इसके सिर से बोझ उठाइये और इसके हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए। आप इसे एजुकेशन दीजिए और इसके मां-बाप की गरीबी को दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं कि इससे कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान निकलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संवेदनशील आधिनियम पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी बाल श्रम के शोषण के विरूद्ध जो आधिनियम लाये हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ यह सदन उस पर विचार भी कर रहा है। चाणक्य ने कहा था कि बालक, वृद्ध, पागल, दिव्यांग या विकलांग क्रोध और उपेक्षा के पात्र नहीं होते, बल्कि ये दया और ममता के पात्र होते हैं।

उसी भाव से माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाए हैं, लेकिन एक विाय विचार करने का है कि बाल श्रमिकों के शोषण के खिलाफ, हिन्दुस्तान को जब आजादी नहीं मिली थी, तब से आधिनियम बन रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में जोखिम भरे कार्य कराना अपराध है। इससे पहले बाल आधिनियम, 1933 बना, बाल रोजगार आधिनियम, 1938 बना, भारतीय कारखाना आधिनियम, 1948 बना, औद्योगिक विकास आधिनियम, 1947 बना, बागान श्रम आधिनियम, 1951 बना, खान आधिनियम, 1952 बना, मोटर यातायात आधिनियम, 1961 बना और अंत में र्वा 1986 का आधिनियम बना, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो व्यावहारिक पक्ष लेकर माननीय मंत्री जी यह जो संशोधन विधेयक लाए हैं, वह स्वागतयोग्य है, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से एवं क्रान्तिकारी ढंग से विचार करना चाहिए।

महोदय, बच्चों का जो शोषण हो रहा है, उसके लिए दोाी कौन है? क्या वह बच्चा दोषी है? नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए। उन बच्चों के शोाण के लिए उनके माता-पिता दोाी हैं, जो अपनी हैसियत से आधिक बच्चे पैदा करके, देश और समाज के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। कुछ परिवारों में कुछ बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ बच्चे गैर-जरूरत के अनुसार पैदा किए जाते हैं। ऐसा या तो अज्ञानता में किया जा रहा है या योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमें इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा। यदि बच्चों की ऐसे ही वृद्धि होती जाए, कुछ लोग समस्या पैदा करते जाएं, सदन विचार करता रहे, नियम बनाता रहे और फिर यह कहता रहे कि हम आजादी के 65 वर्ष बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सके। यदि कुछ लोग

अज्ञानता में बच्चे पैदा कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझकर जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आखिर इस देश के नागरिकों को जिम्मेदार बनाने का दायित्व किस पर है? इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से हिन्दुस्तान के लोगों से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो लोग दो या तीन बच्चों से आधिक बच्चे पैदा करते हैं, उनकी बच्चा पैदा करने की हैसियत हो सकती है, लेकिन उस बच्चे का पालन करने की हैसियत उनकी नहीं होती है, तो उनसे उनकी कैफियत पूछी जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे माता-पिता ज्यादा जिम्मेदार है और उन पर भी सख्ती करनी चाहिए, तभी इन बच्चों के शोाण के बारे में सुधार होगा।

माननीय मंत्री जी, कुछ लोग ऐसे गैर-जिम्मेदार हैं, जो बच्चा पैदा करके सड़क पर फेंक देते हैं और उससे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। निस्संदेह सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, लेकिन उन गैर-जिम्मेदार लोगों को ढूंढना और उनको जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है। उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कानून से लेकर, जो अन्य कई प्रकार के आयाम हो सकते हैं, उन पर भी विचार करना, मैं समझता हूं सदन की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो इस प्रकार की समस्याएं देश में खड़ी हो रही हैं, उनके बारे में हमें मौलिक चिन्तन करने की जरूरत है। समस्या पैदा करने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनको कैसे बदला जाए। उसके लिए राष्ट्रीय जागरण हो। आज कई प्रकार के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बच्चे पैदा करने के बारे में लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूं।...(व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है कि जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है,...(व्यवधान) उनके कारण बच्चे आज समस्या बन रहे हैं।...(व्यवधान) आप अपनी बात कह सकते हैं। ...(व्यवधान) आज बच्चे लावारिस के रूप में इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाले उनको संभाल नहीं सकते।...(व्यवधान) यह समस्या देश की समस्या है।...(व्यवधान) आपकी सोच अपने तरीके की हो सकती है। ...(व्यवधान) लेकिन हमारा सोचने

का अपना तरीका है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर मौलिकता से विचार करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को तरक्की करना है और तरक्की करने के लिए सरकार के साथ-साथ जिम्मेदार समाज और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करने के लिए, इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में भी एक सार्थक पहल करने की जरूरत है। एक सार्थक पहल की शुरूआत करें, ताकि देश के अंदर इस प्रकार की जो समस्या सामने आ रही है, उसको रोका जा सके। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस आति महत्वपूर्ण विषय पर एक गंभीर चर्चा इस सदन में हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने इसमें बहुमूल्य योगदान दिया है। निश्चित तौर से बाल श्रमिक एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और यह देश भी इस समस्या का शिकार होता जा रहा है। निश्चित तौर से हम इस सरकार के प्रयास से इस पर एक सुधारात्मक रवैया आख्तियार करने के लिए कानून लाया गया है। वर्ष 1946 के संशोधन के बाद 4 वर्षों तक वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2016 तक कई तरह की कमेटियों में इस पर चर्चा हुई और विचार हुआ तथा आज यह सदन में पेश हुआ है। हम इसके लिए माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं कि चार र्वा के इस अवरोध को दूर करते हुए सदन में वो यह बिल लेकर आए हैं और इसमें कई सुधारात्मक कानून इसके अंदर डाले गये हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर सिर्फ इस कानून के लाने से नहीं मिलेंगे।

शिक्षा का विकास सम्पूर्ण गरीबी को समाप्त करने में एक सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। हम चाइल्ड लेबर को सिर्फ इस कानून की मदद से ढूंढ़ना चाहेंगे तो आपने देखा है कि कई बार ऐसे गरीब परिवारों ने अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए अपने बच्चों को बेचने का काम किया है। इसलिए कानून ही सिर्फ इसका निदान नहीं है बल्कि सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य और पोलिटिकल पार्टीज यदि इस पर एक सकारात्मक चिंतन के साथ इसे जमीन पर लाने का प्रयोग करें तो बहुत हद तक इस समस्या का निदान हो सकता है।

इसमें कई और पहलू हैं जिन पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें सिर्फ गरीबी एक फैक्टर नहीं है, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा फैक्टर है। आज रेल विभाग ने एक बड़ा प्रयोग चाइल्ड लाइन को जारी करके किया है। इसी तरीके से सड़कों पर भी यह अवरोध पैदा करना चाहिए कि वहां हम एक बैरियर खड़ा कर सकते हैं जहां से बच्चों की ट्रैफिकिंग का जो सुलभ तरीका है, उसे कठिन किया जाए। इसलिए निश्चित तौर से आज शिक्षा में भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन एस.ई.पी.डब्ल्यू. आज सीबीएसई के सिलेबस में है। इसमें आर्ट और कल्चर के

माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों को भी, उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान न देकर, सबको यह मौका मिलना चाहिए कि वहां अपने आय का स्रोत ढूंढ़ें। दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। जहां तक पारिवारिक इंटरप्राइज का सवाल है, निश्चित तौर से इसमें एक संशोधन की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ स्कोप है जिनका इस कानून के तहत निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए परिवार की परिभााा को और स्पट करना चाहिए जिससे हम इसके दुरुपयोग में रोक पैदा कर सकें।

इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज भी एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, हम लोग खेत में काम करते थे और उसके बाद पढ़ने भी जाते थे। आज विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, यदि उनको पढ़ने का भी मौका दिया जाये, तो उन विद्यालयों से उनका भविष्य नहीं संवर सकता। इसलिए ऐसी कई समस्यायें हैं जिनका हमें समेकित रूप से समाधान ढूंढना होगा और तभी हमारे गरीब परिवार से आने वाले बच्चों का भविय सुरक्षित हो सकता है, जो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, उनसे हम राट्र को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी शक्ति का उपयोग कर सरकार ने कई तरह से इसे एड्रेस करने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, चाहे वह 'जन-धन योजना' हो या 'मुद्रा बैंकिंग' हो, विभिन्न तरह के प्रयोगों के माध्यम से लड़ने का संकल्प लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कानून, यह संशोधन भी चाइल्ड लेबर के दुरुपयोग में एक सहयोगात्मक कानून के रूप में काम आयेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जो बाल श्रम (प्रतिोध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 लाए हैं, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

यह प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की भावी आकांक्षाओं और करोड़ों किशोरों से जुड़ा है। कुछ दिन बाद हम सब आजादी का 70वां साल मनाएंगे, मगर आज भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। यह संशोधन विधेयक आईएलओ के आभिसमय पर आधारित है और ऐसे आभिसमय बच्चों के मानव आधिकारों से संबंधित है। चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.02 करोड़ बच्चे श्रम काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश का कटु सत्य यह है कि मासूम बच्चों का जीवन कहीं तो खुशियों से भरा है तो कहीं छोटी-सी जरूरत से भी महरूम है। बच्चों के हाथों में कलम, किताब और आंखों में भविय के सपने होने चाहिए, लेकिन दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिनकी आंखों में कोई सपना नहीं पलता है, बस दो जून की रोटी कमा लेने की चाहत पलती रहती है। प्रत्येक वा 12 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निोध दिवस मनाते हैं लेकिन बचपन से खिलवाड़ करने वालों के दिलों में यह दिन किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। आज हमारे देश में 68 लाख कुमार और 58 लाख कन्याएं मजदूरी के जाल में फंसी हुई हैं। आज भी स्कूलों की बजाय घरों या होटलों पर कई लाख बच्चे अपना बचपन बेचते हुए जी रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, किताब बेचते, बर्तन धोते, चाय बेचते बच्चों में लेखक, डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्रबंधक, साहित्यकार, दाशरनिक, महान वैज्ञानिक, महान नेता आदि छुपे होते हैं, हमें उनको अवसर देना चाहिए। वर्ष 1979 में बाल श्रम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए उपाय सुझाने को जो गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था, उसका भी निकर्ष यही था कि जब तक देश में गरीबी और बेकारी रहेगी तब तक बाल श्रम से मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। इसके तहत हमें राजनीति से ऊपर उठकर, साथ मिलकर चिंता करनी चाहिए। हमारी एनडीए सरकार देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बच्चों को जोखिम भरे काम से हटाया गया है और उन्हें विशेा स्कूलों में दाखिल कराया गया है। जहां उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल की

सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं और अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाता है, यह एक सराहनीय कदम है। सरकार द्वारा बाल श्रम समन्वयन के उन्मूलन हेतु हाल ही में कई नई पहलें की गई हैं। बाल श्रम के लिए गरीबी और निरक्षरता को मुख्य कारण मानते हुए सरकार समस्या का समाधान करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। सरकार विभिन्न मंत्रालयों की स्कीमों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठा रही है ताकि बाल श्रमिक और उन मंत्रालयों की स्कीमों के लाभों के अंतर्गत भी शामिल हो सकें और इन योजनाओं को शिक्षा के आधिकार आधिनियम, 2009 के साथ जोड़ दिया है।

देश में बड़े पैमाने पर परिवारों के भीतर बच्चे कृषि कार्य या अपनी कारीगरी में अपने माता-पिता की मदद करते हैं और इस तरह अपने माता-पिता की मदद करते हुए वे इस काम के गुण भी सीखते हैं इसलिए बच्चों की शिक्षा और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ इसके ताने-बाने के बीच संतुलन बैठाने की जरूरत है। यही वजह है कि कैबिनेट ने बाल श्रम कानून में संशोधनों को मंजूरी देते हुए बच्चों को उनके परिवार या परिवार के उद्यम में मदद देने की अनुमति दे दी है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। मुझे यह भी कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं के खिलाफ कड़े दंड और कैद का भी प्रस्ताव है। बच्चों को स्कूल के बाद घरेलू काम में परिवार की मदद का प्रस्ताव किया गया है। इसमें मदद तथा रोजगार दोनों का अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है। इसके तहत काम के घंटे, वेतन, फंड आदि के मुद्दों की स्पष्टता करनी जरूरी है क्योंकि चालाक उद्यमी इस नियम का जमकर फायदा उठाएंगे।

मेरा सुझाव है कि निकटवर्ती विद्यालय इस कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सबसे सही जगह है। मुझे आशा है कि यह कानून जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, बाल श्रम का पूरी तरह से उन्मूलन कर देगा और बचपन को उसका सही स्थान दिलाने में समर्थ हो पाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट बिल, 2016 पर बोलने का मौका दिया है। मंत्री जी ने जिस तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूज किया है और पुराने चाइल्ड लेबर के समय को बताने का काम किया है, उससे पता चलता है कि यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि आज भी हम अपने देश की बात करें तो वर्ा 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख से ऊपर हमारी युवा पीढ़ी किसी न किसी तरह से चाइल्ड लेबर में इनवाल्व रहती है।

महोदय, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना भी चाहूंगा और सुझाव के तौर पर बताना भी चाहता हूं कि आप इस देश का इतिहास उठाइए और एच.आर.डी. मिनिस्टरी से पूछकर देखिए कि जब रबी और खरीफ की फसल की कटाई और बुआई का समय आता है, तो सरकारी स्कूलों में हमें कितने बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखते हैं। आज यह फैक्ट है कि जब पीक की कटाई और बुआई होती है तो उस समय 60 से 65 परसेंट बच्चे अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करते हैं और केवल खेतों में ही काम नहीं करते हैं बल्कि जो सुनार है, कुम्हार है या दूसरे काम करते हैं, वे लोग भी प्रयास करते हैं कि स्कूल से लौटकर जब मेरा बच्चा घर आए तो जो भी पारम्परिक काम है, मैं उसे सिखाने का काम करूं क्योंकि किसी भी तरह की स्किल बच्चे जितनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी उस काम में निपुणता आएगी। जब मैं बिल के मुख्य अंश पढ़ रहा था तो सरकार ने मात्र तीन चीजों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। एक बच्चा 14 साल से 18 साल के बीच का है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अमरीका में पढ़ा हूं। मैंने देखा कि 14 साल से 16 साल का क्लाज वहां भी है लेकिन वहां एक लिमिटेशन है कि वह बच्चा सप्ताह में मात्र बीस घंटे काम कर सकता है क्योंकि उसकी शिक्षा पर किसी तरह की रोक न लगे। आज जब हम इस बिल को पढ़ रहे हैं तो मुझे दुख होता है कि सरकार ने कोई भी प्रतिबंध 14 साल से 18 साल के बच्चों पर काम करने के समय के बारे में नहीं लगाया है। इसका मतलब पढ़ने का आधिकार 14 साल तक के बच्चे को है और हमारी सरकार कह रही है कि आप 14 साल के हो जाइए और पढ़ाई को छोड़िए तथा काम करने का काम कीजिए यानी नौकरी कीजिए।

इस बिल के अनुसार, हम तो चाइल्ड लेबर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी अपने जवाब में इस देश को बताएं कि क्या आने वाले समय में इसमें हम वह संशोधन देखिएगे, जिसके तहत टाइम के तौर पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाएगा? जहाँ मैं खेती की बात कर रहा था, तो आज हम गर्मी,सर्दी आदि की छुट्टियाँ सरकारी स्कूलों में होते हुए देखते हैं, मगर जब खेती का समय होता है तो क्या आपकी मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ कोई टाई-अप करके उन बच्चों के लिए भी कोई संशोधन लाने का काम करेगी, जिसके तहत खेती के समय बच्चों को अपनी क्लासेज मिस न करनी पड़े। इसलिए सरकारी छुट्टियों का प्रावधान उस समय हमारी सरकार कराएं ताकि वे बच्चे एजुकेशन से दूर न हों।

इस बिल में ऐसे अनेकों अंश हैं, जिनको सभी साथियों ने छूने का काम किया है। मगर मैं सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि यदि एक सोनार का बच्चा अपने पिता के साथ काम में लगता है, जब सोना या चाँदी को पिघलाने का काम किया जाता है, तो बहुत ही हज़ार्डस गैस निकलती हैं, क्या उस काम को हज़ार्ड्स में काउंट नहीं किया जाएगा। 80 कामों पर बैन थे, जिसे सरकार ने घटाकर 3 कामों को बैन किया है। जो छोटे-छोटे कारीगर हैं, वे भी अपनी कला अपने बच्चों को देने का काम करते हैं। मगर क्या सरकार अनेकों मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके हज़ार्डस पार्ट को डिटेल में डिस्कशन करके इस पर विचार करने का काम किया है? इस बिल में यह सबसे बड़ी कमी हम देख रहे हैं। आज अनेकों ऐसे काम हैं, जिसमें न सोचते हुए भी यदि हमने अपने बच्चों को उसे करने के लिए परमिट कर दिया कि वे इस तरह की कारोबार में प्रवेश करें, तो आने वाले दिनों में उन बच्चों में बड़ी-बड़ी हेल्थ प्रोब्लम्स देखने को मिलेंगी।

मैं आज इस विषय पर इतना ही बोलता हुआ, अपने आप को विराम देता हूँ तथा इस बिल का विरोध करते हुए बैठना चाहूँगा। सरकार को इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए और अनेकों संशोधन जो मैनडेटरी है, इस देश के विकास के लिए, बच्चों के जीवन को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को सुरक्षित और

हेल्दी जीवन देने के लिए इस बिल पर दुबारा सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बालश्रम संशोधन विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

आज हम मासूम बच्चों को कारखानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटलों, ढाबों पर काम करने से लेकर कचरे के ढेर में कुछ ढूढते हुए देख रहे हैं। यह आज न केवल 21वीं सदी में भारत की आर्थिक वृद्धि का एक स्याह चेहरा पेश करता है, बल्कि आजादी के इतने साल बाद भी सभ्य समाज की उस तस्वीर पर सवाल उठाता है, जहाँ हमारे देश के बच्चों को हर सुख-सुविधाएँ मिल सकें। देश में 1.02 करोड़ बच्चे काम करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं। हमारे ही देश का मासूम बचपन ऐसा है, जो खेतों में, कारखानों में काम कर रहा है, ठेली लगाकर सामान बेच रहा है और न जाने क्या-क्या करने पर मजबूर है। सभ्य और बड़े कहलाने वाले समाज के लोग भी बच्चों का शोाण करने में पीछे नहीं हैं। उद्योगों, ढाबों व ऐसे ही कार्यस्थलों पर बच्चों का नियोजन किया जा रहा है। आज मासूम बच्चों का जीवन केवल बालश्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव भी देश में एक विकट समस्या बन गयी है। बच्चों को अभी भी अपने आधिकार पूरे तौर पर नहीं मिल पाते हैं।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में हर साल साठ हजार से आधिक बच्चे गुम होते हैं। ये गुमशुदा बच्चे बाल व्यापार बंधुआ मजदूरी, जबरन भीख, मानव अंग व्यापार आदि से पीड़ित हैं। ये धंधों के लिए महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं।

बाल श्रम पूरी दुनिया में एक प्रमुख सामाजिक व आर्थिक समस्या बन चुका है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोलह खतरनाक व्यवसायों तथा पैंसठ खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें चौदह र्वा तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना निाि◌द्ध घोाि◌त कर रखा है। लेकिन खेलने-कूदने के दिनों में कई बालक श्रम करने को मजबूर हो जाए तो इससे बड़ी विडम्बना समाज के लिए और क्या होगी।

भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या की 40 फीसदी से आधिक लोग दरिद्रता की स्थिति में रह रहे हैं, वहाँ बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक आभिशाप है, जिससे बच्चों के विकास में बाधा पहुंचती है। देश का भावी विकास भी इससे अवरुद्ध होता है। ऐसे बच्चे वयस्क होने पर एक नागरिक के रूप में सामाजिक विकास में अपना समुचित योगदान नहीं दे पाते हैं।

हमारी सरकार यह विधेयक लेकर आयी, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। यह बिल बचपन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब हम इस तरह के किसी कानून पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसका कार्यान्वयन है। सभी कानून इस उद्देश्य से पारित किए जाते हैं कि उन्हें लागू किया जाए। इस कानून के संदर्भ में, यह पूरी तरह से अस्पष्टता और कमियों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि इसे कार्यान्वित करना बहुत मुश्किल होगा।

सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक में दी गई छूट पर आता हूं। मैं पूरा मामला नहीं सुनाना चाहता। घर के स्तर पर नियोजन के लिए कुछ छूट दी है। इस संबंध में स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि उस प्रावधान को हटा दिया जाए और उन सभी व्यवसायों में रोजगार पर रोक लगाने के लिए संशोधित धारा को फिर से तैयार किया जाए जहां काम और श्रम का अधीनस्थ संबंध है। यदि यह छूट दी जाती है तो क्या होगा? इससे मुख्य्य खंड का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह बहुत गंभीर बात है। अगर यह प्रावधान नहीं हटाया गया तो आपको इस कानून का लाभ नहीं मिलेगा।

दूसरा, दण्ड की मात्रा बढ़ाई गई है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन नियोक्ता का पता कैसे लगाया जाए? बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोक्ता को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन आउटसोर्सिंग के इस युग में नियोक्ता का पता कैसे लगाया जाए? आप कोई भी कंपनी, व्यापार या वाणिज्य देख सकते हैं; हर जगह आउटसोर्सिंग चल रही है। आउटसोर्सिंग केंद्रों में, किसी को पता नहीं चल पाता कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है; नियम-कायदों का पालन हो रहा है या नहीं, यह कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे केन्द्रों में लाखों बच्चे कार्य कर रहे हैं। ऐसे केंद्रों में, कोई भी इस पर ध्यान देने के लिए नहीं है। इसलिए, नियोक्ताओं का पता लगाना बहुत कठिन है। एजेंट होते हैं। ये एजेंट बच्चों को काम करने के लिए शायद घरों, दुकानों, घर-आधारित विनिर्माण, छोटे परिवार फर्मों, कालीन बुनाई और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में आपूर्ति कर रहे हैं। तो, यह एक बहुत ही

गंभीर मुद्दा है। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि आउटसोर्सिंग के युग में 'नियोजक' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है, तभी दोषी को पकड़ा जा सकेगा।

जहां तक पुनर्वास के प्रावधान की बात है तो यह बहुत अच्छा है कि पुनर्वास का प्रावधान है। निगरानी के लिए स्थानीय संसद सदस्य के नेतृत्व में सतर्कता और निगरानी समितियाँ गठित की जा सकती है। क्या यह संभव होगा? क्या जिलाधिकारी इस तरह की सारी बातें कर सकते हैं? इसीलिए स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक में प्रस्ताव है कि जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाए। समिति ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेटों पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ है और उनके पास बाल श्रम जैसे मुद्दों से निपटने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इसने सिफारिश की कि अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए स्थानीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया जा सकता है। वह हिस्सा भी भुला दिया गया है।

हमें एक और बात समझनी होगी। आप इसकी निगरानी कैसे करेंगे? अब क्या हो रहा है? इस सरकार की नीति यह है कि निरीक्षकों को कारखानों में जाने की अनुमति नहीं है। बागान श्रम निरीक्षक बागानों में नहीं जा रहे हैं। वे निरीक्षक हैं जो क्षेत्र में जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कुछ गलत है। इस सरकार की नई नीति के अनुसार,*निरीक्षक राज* नहीं होना चाहिए। निरीक्षक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नहीं जा रहे हैं। इसलिए, क्षेत्र में वास्तविक समस्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसे भी बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। खतरनाक व्यवसायों के तहत, मूल रूप से 85 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया था। नए संशोधन के अनुसार, इसने कारखाना अधिनियम के तहत खदानों, ज्वलनशील उद्योगों और खतरनाक उद्योगों के तीन प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है। मैं पूछ रहा हूं कि इसे कम क्यों किया जाना चाहिए। इसमें कुछ जांच होनी चाहिए और मैं सुझाव दूंगा कि 85 उद्योगों को खतरनाक व्यवसायों के रूप में वर्गीकृत करने वाले मूल खंड को बहाल करना बेहतर होगा।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। जब आप कानून बना रहे हैं तो यह व्यावहारिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सभी संस्थाओं को पंजीकृत किया जाना चाहिए। केरल राज्य में सैंकड़ों अनाथालय हैं जो अनाथालय नियंत्रण अधिनियम द्वारा शासित हैं। वह एक अलग कानून है। किशोर न्याय अधिनियम किसी अन्य उद्देश्य के लिए है।

अब निर्देश यह है कि अनाथालय सहित सभी संस्थानों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसने संस्थानों में पूरी तरह से भ्रम पैदा किया है। अतः, मैं सरकार से यह स्पष्ट करने का आग्रह करूंगा कि संस्थाएं दो विधानों द्वारा शासित नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार समझदारी से काम लेगी और वह पूरे मामले पर पुनर्विचार कर एक नया विधेयक फिर से लेकर आएगी।

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन (संशोधन) विधेयक 2016 में संशोधन किया जा रहा है। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल में होने वाले संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और कहना चाहता हूं कि कोई नहीं चाहता कि बालकों से मजदूरी कराई जाए। लेकिन फिर भी बालकों से मजदूरी कराई जाती है और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारें पहले रहीं, उन सरकारों ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया, अन्यथा यह मुद्दा आज यहां नहीं होता। बाल श्रम के कारण बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, यह एक बड़ा घोर अपराध है। बच्चे अपनी मर्जी से बाल श्रम में नहीं जाते, मजबूरी के कारण उन्हें जाना पड़ता है। खास तौर पर यह देखा गया है कि उनके माता-पिता ही उन बच्चों को मजदूरी के लिए आगे भेजते हैं। इसके अलावा जो अनाथ और गरीब बच्चे होते हैं, ज्यादातर वही बच्चे इसमें होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक गरीबी से लड़ने के लिए प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। मेरा कहना यह है कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ बच्चे काम पर जाते हैं। इस कारण बच्चों में जो हीन भावना पैदा होती है, उसके कारण एक द्वेा भावना अंतर्मन में पैदा होती है। इसके साथ-साथ ही जो बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वे मजदूरी करने के साथ-साथ गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, उनमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। जैसे होटलों में काम करने वाले बच्चे होते हैं, कुछ भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या कुछ बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वे जो बड़ों को करते देखते हैं, वही काम वे भी करना शुरू कर देते हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं लगाता है और न ही उन्हें कोई मना करता है, जिसके कारण वे गलत आदतों में पड़ जाते हैं और बड़े होकर चाहे वे अच्छा कमा भी लें, लेकिन वे जिन गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनसे वे पीछे नहीं हट पाते हैं और वे गरीब ही रह जाते हैं। मेरा कहना यह है कि गरीबी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जाएं। इसके अलावा जैसे पलायन होता है, जैसे कहीं भुखमरी पैदा हो गई, लोगों के पास जहां नौकरी नहीं हैं, कहीं सूखा पड़ गया है और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विदेशों से भी इस देश में आ रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वे चौराहों पर भीख मांगने का काम करते हैं।

अब उनकी स्कूलिंग कैसे हो, उनके रहने की व्यवस्था कैसे हो, उनके माता-पिता के भोजन की व्यवस्था कैसे हो, अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है। वैसे कानून बने हुए हैं, लेकिन कानूनों का पालन अगर सख्ती से हो तभी ऐसे मुद्दों पर हम मजबूत पकड़ बना पायेंगे और बाल मजदूरी से छुटकारा पा सकेंगे।

महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरी यही प्रार्थना है कि हम इस संशोधन के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस कारण से बच्चों को मज़दूरी करने के लिए मज़बूर होना पड़ता है, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो कानून अभी आप ले कर आए हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, अन्यथा बच्चों को तो दो साल, पांच साल, सात साल, आठ साल, दस साल तक मज़दूरी करने के लिए धकेल दिया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को जो बाल श्रम के लिए धकेल देते हैं, इस कानून के माध्यम से उस पर अंकुश लगेगा।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामाजिक दृष्टि से आति महत्वपूर्ण और संवेदनशील "बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियम संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यह संशोधन मुख्यतः बालक शब्द को परिभाषित करने के लिए नियमन करने जा रहा है, क्योंकि विभिन्न आधिनियमों में बालकों की अलग-अलग आयु निधाररित है। शिक्षा के कानून सन् 2009 में आयु की परिभाषा अलग है, उसी तरह से नई राट्रीय बाल नीति, सन् 2013 में बच्चों की आयु अलग है। बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण का विधान किशोर न्याय, सन् 2000 में भी बालकों की आयु अलग है। यह चिंता का विाय है।

मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ कि आप इस बिल को ले कर आए हैं। लेकिन इसमें और ज्यादा सुधार की जरूरत है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वैसे मामता-पिता, जो अपने गृह कार्य में अपने बच्चों से खुद मदद लेते हैं, किंतु कभी-कभी इस प्रकार के मामालों में भी बच्चों के साथ शोाण की बातें सामने आती हैं, उसके लिए भी संतुलित होना चाहिए। महोदय, हम सब जानते हैं कि छोटे-छोटे बालकों से कार्य करवाया जा रहा है। किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पर हम लोग ठहर जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे काम में लगे रहते हैं। टी.वी. पर सीरियल में हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निकर्श हम लोग नहीं ढूंढ सके हैं कि इसको कैसे समाप्त किया जाए।

कई साथियों के इसमें काफी सुझाव आए हैं। मैं भी दो-तीन सुझाव विचार के लिए आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि बाल मज़दूरी करने लिए बच्चे क्यों मजबूर हो जाते हैं। जिन बच्चों माता-पिता मर जाते हैं, वे मज़बूरी में बाल मज़दूरी करते हैं। जिनके माता-पिता का एक्सिडेंट में देहांत हो गया, वैसे बच्चे भी मजबूरी करते हैं या पती-पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए, वहां पर भी छोटे-छोटे बच्चे मजबूरी में मज़दूरी करते हैं। उस परिस्थिति में तमाम लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर बाल मज़दूरी कहां से बढी है। अभी रविंद्र राय जी बता रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करना, उनके माँ-बाप की गैर-

जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर शादी न करें तो एक भी बच्चा नहीं होगा। अगर कोई गरीब है तो वह शादी ही न करें। इस तरीके की बात सदन में हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर हम तमाम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में मेरा एक और सुझाव होगा कि आजादी के बाद से इस तरह के बच्चों के लिए आज तक पुनर्वास की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। कम से कम सरकार को चाहिए कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। प्रत्येक जिले में एक पुनर्वास केंद्र बना दें। किंतु जो बड़े जिले हैं वहां पर बड़ा केंद्र बना कर शिक्षा की व्यवस्था और बाकी सभी व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए, जिससे कि उनका जीवन ठीक हो सके। आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे कल-कारखानों में मज़दूरी करते हैं, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भी हम लोग देखते हैं।

महोदय, मूल रूप से हम लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मेरे एक-दो सुझाव और हैं, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

वर्ष 2009 में जो कानून लाया गया था, मुझे उस पर भी कुछ कहना था। अब मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। वर्ष 2014 में नोबेल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी से भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। वर्ष 1980 से लगातार बचपन बचाओ आन्दोलन के माध्यम से विश्व भर के 144 देशों में बच्चों के आधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के खिलाफ उन्होंने आन्दोलन चलाया, वैसे लोगों को भी मैं आज सलाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। उनसे भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी जिस तरीके से सारे लोगों का आज विचार आया है तो इस बिल को फिर से लौटाकर के पूरा सुझाव लेकर इस बिल को लाइए, जिससे कि बाल मजदूरी की समस्या समाप्त हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब छह बज चुके हैं। यदि आप सभी सहमत हों, तो हम सदन का समय एक घंटे और बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हमें शून्य काल के लिए एक घंटा और बढ़ाना होगा।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदय, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मुझे लगता है कि जो बाल श्रम की समस्या हिन्दुस्तान में है, उसका जो दायरा है, इस बिल के द्वारा वह बहुत बढ़ जाएगा और इसमें उसके तरीके सर्वमान्य बनाने की कोशिश की गई है। जो प्रावधान रखे गए हैं और जो सुझाए गए हैं, उनमें जो चुभने वाली बातें हैं, जिनकी दुनिया में चर्चा होती है, समाज में चर्चा होती है, तकनीकी रूप से तो हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन असल में यह बिल बाल श्रम को बड़े विशाल पैमाने पर लागू करेगा, उसे प्रोत्साहन देगा और हमारे बच्चों के जो प्राकृतिक आधिकार हैं, शिक्षा का, अच्छी सेहत का, अच्छी जवानी का और अच्छी जिन्दगी जीने का, उस पर यह बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैजार्डस जॉब्स हैं, जिस तरीके से उनकी संख्या कम करके तीन की गई है, वह बच्चों के साथ बहुत ज्यादती है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी कारण हमारी सरकार दे सकती है कि क्यों जो खतरनाक धन्धे हैं, जिनमें काम करना बच्चों के लिए वर्जित है, यू.एन.कन्वेन्शंस के तहत और इन्टरनेशनल लेबर कोर्ट के तहत जो वर्जित हैं, हमारे देश में उनको शामिल किया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे बाल श्रम का दायरा बहुत बढ़ने वाला है।

दूसरी बात यह है कि हम लोग राइट टू एजुकेशन की जो बात दिन-रात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन 21वीं सदी में एक ऐसा आधिकार है, जिससे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा, एक अच्छे स्तर की शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए, यह उसकी भी उल्लंघना है और यह यू.एन. चार्टर फॉर चिल्ड्रेन राइट्स की भी उल्लंघना है। जिस तरीके से यह किया जा रहा है, परिवार की जो परिभाषा है, उसको भी बदला गया है। परिवार माता-पिता तक ही सीमित नहीं है, माता-पिता के आगे भाई-बहन, इसी तरह से माता के भाई-

बहन और पिता के भाई-बहन को जोड़कर परिवार को विशाल रूप दे दिया गया है, जिससे बच्चों का जो दोहन है, बच्चों का जो शोाण है, वह और बढ़ेगा। यह बिल बिल्कुल नकारात्मक और बच्चों के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। मैं इस बिल के ऊपर यह कहना चाहता हूँ।

महोदय,दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में है,मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बच्चों के माता-पिता के आधिकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए,बच्चे देश की सम्पदा हैं,वे हम सबकी सम्पदा हैं,बच्चे इस हाउस की सम्पदा हैं,वे बच्चे हमारे स्टेट की प्रॉपर्टी हैं,देश की प्रॉपर्टी हैं,आप सिर्फ माँ-बाप के ऊपर उनको नहीं छोड़ सकते। वे हमारी प्रॉपर्टी हैं, सरकार को उनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को न सिर्फ अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसे अच्छा जीवन मिले, उसे अच्छा बचपन मिले, उसे अच्छी जवानी मिले और वह एक अच्छा नागरिक बने। इसे सिर्फ माँ-बाप के ऊपर छोड़ना ठीक नहीं है। माँ-बाप तो बच्चों को अपने काम में लगाएंगे ही, क्योंकि देश में गरीबी है। मेरे साथी ने ठीक कहा कि इसका बुनियादी कारण गरीबी है। गरीबी के कारण बाल श्रम की समस्या है। यह जो बिल है, इस समस्या का दायरा और बड़ा कर देगा, दायरा और बढ़ा देगा और इस समस्या से निजात पाने की बजाय हम और गहरे संकट में जाएँगे।

[अनुवाद]

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा यथा निर्धारित बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) विधेयक के संबंध में अपनी कुछ चिंताओं को इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सबसे पहले, मैं बच्चों के अधिकारों पर यूएन कंवेंशन के अनुसार 18 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों की परिभाषा में अस्पष्टता पर ध्यान आकृष्ट करता हूं। कई श्रम कानून इस आयु मानदंड का पालन नहीं करते हैं। इस संबंध में एक समान मानदंड लाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, यह विधेयक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विरोध करता है, जिसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 को पूरा करने के लिए विधान का रूप दिया गया है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके और 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा पूरी नहीं कर सके, वे 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा के हकदार होंगे। अगर वे 14 साल बाद काम करते हैं तो यह संभव नहीं है ।

तीसरी बात, बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कंवेंशन संख्या 138, कंवेंशन संख्या 182 और यू.एन.सी.आर.सी के विपरीत है।

चौथी बात, खतरनाक व्यवसायों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में एक खामी है। सूची संपूर्ण या वैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं की गई है।

पांचवीं बात, 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को गैर-खतरनाक व्यवसाय में अनुमति देकर, उन बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तरह ही असुरक्षित हैं।

छठी बात, विधेयक में बचाव, बचाव के बाद की प्रक्रियाओं और पुनर्वास के संदर्भ में प्रवर्तन मशीनरी की भूमिका और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए और अधिक उपायों की आवश्यकता है।

इन छह मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आज के विधेयक को बदलें और इसे प्रवर समिति को भेजें और इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। इस कारण से मैं इस विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चाइल्ड लेबर अमैंडमैंट बिल पर विचार रखने का मौका दिया। मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यह जो बिल है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चिन्ता का विषय है कि बाल मज़दूरी पर किस तरह से नकेल लगाई जा सके, किस तरह से बच्चों को अपनी ज़िन्दगी जीने का मौका मिले, उनको एजुकेशन लेने के समय में वे एजुकेशन लें, खेलने के समय खेलें। उसके बाद वह इंप्लॉयमैंट लें, तरक्की करें और देश भी तरक्की करे। लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे देश में नज़रंदाज़ की गई हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है, वह बच्चे की वैसी ज़िन्दगी अपने आप ही शुरू करता है। अगर कोई खेती-बाड़ी करता है तो उसके बच्चे को खेती-बाड़ी में इंटरैस्ट होता है, वह अपने माँ-बाप को देखता है। कोई कुम्हार है तो उसके बच्चे को भांडे बनाने का, कोई लुहार है तो उसके बच्चे को लोहे का काम करने का और कोई डाक्टर है तो उसके बच्चे की डाक्टर बनने की तरफ अटैंशन होती है। लेकिन ये जो बाल मज़दूरी है, ये कौन लोग करते हैं?

डिप्टी स्पीकर साहब, गरीब परिवारों के बच्चों को मज़बूर होकर बाल मज़दूरी का काम करना पड़ता है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे रोका जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां इसका एक रिवाज़ भी है। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का है। इम्प्लॉयमेंट भी मेन कारण है। जिस परिवार के पास इम्प्लॉयमेंट नहीं है, वह गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है और उनके बच्चे ऐसा काम करते हैं।

हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के बच्चों के एजुकेशन की जिम्मेदारी ली हुई है, उन्हें फूड देने की जिम्मेदारी ली हुई है। पर, उसमें अगर आप देखिए कि जो स्कूल हैं, जिनमें 200-300 की स्ट्रेंथ होती है, उसमें कितने बच्चों की वहां अटेंडेंस लगती है तो मेरे ख्याल से 50% से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। वहां गिनती होती है कि स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, वहां इतने टीचर भेज दो। आधे टीचर्स फ्री

बैठ कर गुज़ारा करते हैं और आधे टीचर्स काम करते हैं। अगर उन बच्चों को ऐसी टीचिंग कराई जाए कि जो लोहार है, जिसका बच्चा लोहे का काम करता है, उसके स्किल डेवलपमेंट में वह कैसे आगे जा सकेगा, ताकि जब वह पढ़ कर जाए तो उसे वैसा ही काम मिले। तब जाकर यह जो बाल मज़दूरी है, वह खत्म हो सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इंजीनियरिंग लाइन के जो नौजवान हैं, टेक्नीकल लाइन के जो नौजवान हैं, हेल्थ लाइन के कोर्सेस किए हुए जो नौजवान हैं, उनके पास बिल्कुल भी इम्प्लॉयमेंट नहीं है। वे अपनी जिन्दगी में क्या करेंगे? उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनके पास इम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो उनके बच्चे कहीं न कहीं मज़दूरी करने के लिए मज़बूर हो जाएंगे। हम जब रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। हमारे देश में जो यह बात है, वह बहुत बुरी लगती है कि छोटे-छोटे बच्चे हाथ फैला कर भीख मांग रहे हैं। उनके परिवार को आइडैंटिफाई करना चाहिए कि ये जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनका परिवार क्या करता है? अगर कुछ लोगों का ऐसा ही काम है कि वह अपने बच्चों से भीख मंगवाएगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को एजुकेशन देकर अपने काम पर लगाएं, तभी इस अमेंडमेंट बिल का लाभ देश को मिलेगा।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह जो बिल है, इसे सही दिशा में अमेंडमेंट करके उसे देश में लागू किया जाएगा ताकि बाल मज़दूरी खत्म की जा सके।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 का कतिपय आपत्तियों के साथ समर्थन करता हूं। बाल श्रम हमारे समाज की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। बाल श्रम के लिये उत्तरदायी दो महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कारक गरीबी और शिक्षा की कमी है।

गरीबी के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि यह देखना पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि पांच से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के 45.33 लाख बच्चे कार्य कर रहे हैं। यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत जैसे परिष्कृत देश में लगभग 45.33 लाख बच्चे प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए बेहद शर्मनाक है।

दूसरा कारक जिस पर विचार किया जाना है वह शिक्षा है। अनुच्छेद 21 (क), 23, और 24 और यहां तक कि अनुच्छेद 25 भी हमारे देश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 (क), 23 और 24 बच्चों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 21 (क) 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया है। वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। लेकिन आजादी के सात दशक के बाद भी हम पूर्ण साक्षरता को प्राप्त नहीं कर सके हैं और हमने 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी है।

इन सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा। हमें सभी बच्चों को, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी बच्चों को कपड़े, यूनिफार्म, भोजन, अध्ययन सामग्री तथा मासिक भत्ता देना चाहिए। यदि हम गरीबी और शिक्षा के मुद्दे का समाधान नहीं कर पाते हैं, भले

ही हम किसी प्रकार का कानून बना लें, तो इससे हमारे देश से बाल श्रम का उन्मूलन करने में कभी मदद नहीं मिलेगी।

विधेयक की बात करें तो हम यह विश्लेषण करें कि क्या प्रस्तावित संशोधन विधेयक हमारे देश में बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने के लिए पर्याप्त है। मेरे विचार से, हमारे देश में आवश्यकताओं को पूरा करने और बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दो कन्वेशन - कन्वेशन संख्या 138 और कन्वेशन संख्या 182 को पारित किया है। आई.एल.ओ. कन्वेशन संख्या 138 के अनुसार, रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु अनिवार्य स्कूली शिक्षा की आयु है। आई.एल.ओ कन्वेशन 182 में बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर रोक लगाने और उन्हें ख़त्म करने का आह्वान किया गया है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या प्रस्तावित संशोधन विधेयक में इन दो कन्वेशन की अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है।

हम दो प्रमुख संशोधन देखते हैं। पहला किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित है; और दूसरा यह है कि 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक नौकरियों में काम करने से रोक दिया गया है। इन दो संशोधनों के गहन विश्लेषण से यह बहुत स्पष्ट है कि यह 138 और 182 के कन्वेशन के अनुरूप नहीं है। यह 138 और 182 के कन्वेशन की भावना के अनुसार नहीं है।

अब मैं धारा 3 की बात करूंगा। कृपया धारा 3 देखिए जहां यह परंतुक दिया गया है कि एक पारिवारिक उद्यम को बाल श्रम से छूट दी गई है। हम एक पारिवारिक उद्यम को कैसे छूट दे सकते हैं? स्थायी समिति ने इस विधेयक का गहनता से अध्ययन किया है और सुझाव दिया है कि पारिवारिक उद्यम हो, सार्वजनिक उद्यम हो या फिर निजी उद्यम हो, कोई भी छूट नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 (क) की भावना क्या है और अनुच्छेद 45, 23 और 24 की भावना क्या है? आशय यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी भी किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे पारिवारिक प्रतिष्ठानों में काम कर सकते हैं, जो संविधान की भावना के साथ-

साथ आई.एल.ओ. कन्वेशन 138 और 182 के विरुद्ध है। इसलिए, इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस संबंध में स्थायी समिति का क्या सुझाव था? इस परंतुक को हटाया जाए और उन सभी व्यवसायों में रोजगार का प्रतिषेध करने के लिए संशोधन किया जाए जहां नियोक्ता और श्रमिक के बीच अधीनस्थ संबंध है। स्थायी समिति द्वारा दिया गया यह बहुत अच्छा सुझाव है। दुर्भाग्यवश, सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि बच्चा पारिवारिक व्यवसाय में भी सहायता कर सकता है।

खतरनाक व्यवसाय की सूची में भी कारखाना अधिनियम की नकल की गई है। खतरनाक काम या खतरनाक कार्यस्थल की परिभाषा फैक्ट्री अधिनियम से ली जा रही है। वहां भी स्थायी समिति का सुझाव है; आई.एल.ओ का कन्वेशन है। ऐसे व्यवसायों में वे व्यवसाय भी शामिल होने चाहिए जो व्यक्तियों की सुरक्षा और नैतिकता को खतरे में डालते हैं। जैसा कि स्थायी समिति ने सुझाव दिया है, कृपया खतरनाक व्यवसायों की समीक्षा कीजिए और उनका दायरा बढ़ाएं। जिस किसी भी काम से बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा उनकी नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उन सभी कामों को खतरनाक रोजगार या खतरनाक कार्य के दायरे में लाया जाना चाहिए।

बचाव और पुनर्वास के संदर्भ में, मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि कम से कम सरकार ने निरीक्षण के बाद बच्चों के पुनर्वास के लिए एक पहल की है। उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के बाद, इन बच्चों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। एक बाल पुनर्वास कोष का गठन किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहूंगा। बाल श्रम और प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वाले सभी दोषी नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उस जुर्माने की राशि को इस निधि में विनियोजित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी निधि बच्चों के पुनर्वास में सहायक हो।

दंडात्मक उपबंध के बारे में, यह कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माता-पिता एवं अभिभावकों को अपने बच्चों को खतरनाक धंधों में काम करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु दंडित नहीं किया जाना चाहिए। गरीब कामगारों, कृषि कामगारों,गरीब काजू कामगारों और गरीब कॉयर कामगारों को यह जानकारी नहीं होती है कि कौन से धंधे खतरनाक हैं और कौन से नहीं।

वे फैक्ट्री अधिनियम और फैक्ट्री अधिनियम की अनुसूची के बारे में भी नहीं जानते हैं और इसलिए माता-पिता और अभिभावकों को कभी भी दंडित नहीं किया जाता है। इसके बजाय, नियोक्ता के दंड को बढ़ाना होगा और निगरानी तंत्र की समीक्षा करनी होगी। स्थायी समिति द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि उस क्षेत्र विशेष के संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक निगरानी तंत्र होना चाहिए ताकि वह इस बात की निगरानी कर सके कि इस अधिनियम का समुचित रूप से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं।

मेरा अंतिम बिंदु यह है कि बाल श्रम संबंधी एक व्यापक नीति अत्यंत आवश्यक है और सरकार द्वारा ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करता है। यह 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी व्यवसाय में काम करने से रोकता है। हालाँकि, यह उन्हें परिवार और पारिवारिक उद्यमों और ऑडियो विजुअल उद्योग में काम करने वालों की सहायता के लिए घर आधारित काम करने की अनुमति देता है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। हालाँकि, पिछले कई वक्ताओं की ओर से आई कुछ टिप्पणियाँ बताती हैं कि कानून स्वयं समस्याग्रस्त हो सकता है। यह इस तथ्य से पता चलता है कि हमारे सामने कई मायनों में बाल श्रम एक बड़ी समस्या है। हालाँकि यह गरीबी के कारण है, हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

यह कहने के पश्चात्, यदि भारत विश्व को यह दिखाना चाहता है कि हम एक महाशक्ति हैं तो इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। यह कुछ ऐसा है जो इस तथ्य को भी छुपाता है कि यदि हम अपना जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं यदि हमारे 40 मिलियन बच्चे बाल श्रम की राह पर हैं? इसका कारण यह है कि, आखिरकार, अनुसंधान यह दर्शाता है कि बाल श्रम एक आर्थिक कारक है और इसलिए हमारे सामने मौजूद गंभीर स्थिति के कारण यह बहुत कठिन है। तथापि, हमें इस विधेयक को लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनाने की आवश्यकता है ताकि हम बाल श्रम से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

महोदय, पूरे सम्मान के साथ, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम केवल कानून के माध्यम से स्थिति को नहीं बदल सकते। इसके लिए बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन की आवश्यकता होती है जो तब हो सकता है जब हम बहुत अधिक जागरूकता पैदा करने में सक्षम हों। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस विधेयक में सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी उपबंधों को शामिल नहीं किया गया है। उन्हें अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसलिए, भविष्य में, यदि इसे नियमों के रूप में लाया जा सकता है और यदि हम सभी राज्य सरकारों और यहां

तक कि केन्द्रीय सरकार के लिए अपेक्षित जागरूकता पैदा करना अनिवार्य कर देते हैं, तो इससे हमें बाल श्रम से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।

फिर, जनसंख्या स्थिरीकरण समय की मांग है। हम गरीबी और शायद शिक्षा की कमी के परिणामस्वरूप होने वाली समस्याओं को देख रहे हैं। हालांकि, दूसरी ओर, अगर हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपायों के साथ जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे से नहीं निपटते हैं, तो आपूर्ति पक्ष बना रहेगा। इसलिए, हमें आपूर्ति पक्ष के साथ-साथ मांग पक्ष पर भी काम करने की जरूरत है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोषसिद्धि की दर को बढ़ाया जाए जो 10 प्रतिशत से भी कम है, ताकि इस विशेष विधेयक के निगरानी पहलुओं को मजबूत किया जा सके।

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): धन्यवाद, महोदय। मुझे यह विडंबनापूर्ण लगता है कि जिस विधेयक पर हम विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, उसका नाम बताता है कि इसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और विनियमित करना है, जबकि इसके प्रावधान बाल श्रम को बढ़ावा और इसकी अनुमति देते हैं।

विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 3 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है तथा बच्चों को स्कूल के बाद पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति दी गई है। इस उपबंध के दुरुपयोग का खतरा है और अगर हम इस संभावना को जानते हुए भी इस विधेयक को पारित करते हैं, तो हम भारत में बाल श्रम को बढ़ावा देने में भागीदार होंगे।

भारत में 2014 के वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी दिन, भारत में नामांकित बच्चों में से केवल 71 प्रतिशत ही स्कूल जाते हैं। कक्षा 2 के लगभग 32.5 प्रतिशत बच्चे वर्णमाला के अक्षर भी नहीं पहचान पाते हैं तथा कक्षा 5 के सभी बच्चों में से आधे बच्चों ने अभी तक मूल अंकगणित कौशल नहीं सीखा है जो उन्हें कक्षा 2 में सीखना चाहिए था। यह हमारे बच्चों की दुर्दशा है, यह होगा उनके परिवारों की मदद करने की आड़ में भी उन्हें स्कूल समय के बाद काम करने देना हमारी क्रूरता है। स्कूल समय के बाद, बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल एक पढ़ा-लिखा बच्चा ही, ना की कामकाजी बच्चा, अपने परिवार और अपने देश की गरीबी मिटा सकता है।

विधेयक में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसे पेशे में नियोजित करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है जो खतरनाक प्रकृति का नहीं है। मैं थियेटर, नाटक, फिल्मों, विज्ञापनों और आयु के अनुसार खेलों को छोड़कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा यह सुनिश्चित का आग्रह करूंगा कि उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। किसी राष्ट्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चों की वृद्धि तथा विकास को कितना महत्व देता है। कोई भी राष्ट्र अपने भविष्य के लिए अपने बच्चों से बड़े संसाधन का दावा नहीं कर सकता। यदि भारत पहले

से कहीं अधिक महान राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है, तो उसे बाल श्रम के खिलाफ खड़ा होना होगा, जो दुर्भाग्य से, इतने वर्षों में नहीं हुआ।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से इस देश में बढ़ती असहिष्णुता पर बहस चल रही है। हालाँकि, मुझे लगता है कि हम सही चीज़ों के प्रति असहिष्णु हैं और गलत चीज़ों के प्रति सहिष्णु हैं। मैं हम सभी से, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों से, बाल श्रम जैसे मुद्दों के प्रति अधिक असहिष्णु बनने का आग्रह करूँगा। धन्यवाद।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय । अब सभा बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016, जो काफी समय से लंबित है, पर विचार एवं पारित करने के लिए विचार कर रही है।

यह विधेयक बहुत पहले 2012 में ही प्रस्तुत किया गया था। यह काफी समय से लंबित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेन्शन सी-182 - बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों को अनुमोदित करने के लिए, प्रस्तावित संशोधनों को संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि सरकार ने इस विधेयक को इस समय विचार और पारित करने के लिए उठाया है।

बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 83 व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिषेध लगाता है तथा बच्चों के काम की स्थितियों को नियंत्रित करता है।

वर्तमान संशोधन विधेयक, 2016 किसी भी क्षेत्र में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। प्रस्तावित संशोधन 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिषेध लगाता है।

कानून तोड़ने पर कारावास की अवधि छह महीने से बढ़ाकर दो साल करने का प्रस्ताव किया गया है। पहले इसे तीन महीने से बढ़ाकर एक साल किया गया था। जुर्माना भी 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत गैर-जोखिम वाले पारिवारिक उद्यमों अथवा मनोरंजन उद्योग को छोड़कर किसी भी अन्य धंधे में 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। इस उद्योग में श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग, विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन सीरियल कलाकार के रूप में काम करना अथवा सर्कस को छोड़कर किसी मनोरंजन अथवा खेल गतिविधियों में काम करना शामिल है।

इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा स्कूल के कार्य घंटों के पश्चात् अथवा स्कूल के अवकाश के दौरान पारिवारिक उद्यम में बच्चों को कार्य करने की अनुमति दी गई है जो कि सरकार के अनुसार भारत के सामाजिक-

आर्थिक यथार्थ को देखते हुए जरूरी है। खतरनाक कार्यकलापों की सूची में 83 गतिविधियों को घटाकर 3 कर दिया है - खनन, ज्वलनशील पदार्थ, और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाएं।

पारिवारिक उद्यमों की आड़ में बच्चों को हर तरह की असुरक्षित प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव के मद्देनजर, बच्चों से ईंट भट्टों, बूचड़खानों, कालीन, जरी और बीड़ी इकाइयों, अभ्रक या हीरे की कटाई, ई-कचरा निपटान, कूड़ा बीनने या घरेलू नौकर के रूप में काम करवाया जा सकता है। पारिवारिक उद्यमों के नाम पर यह सब करने की अनुमति देकर, हम एक तरह से बाल श्रम को स्वीकार कर रहे हैं।

पिछले पाँच वर्षों में बचाए गए 5,254 बच्चों में से पाँचवाँ हिस्सा अपने परिवारों के साथ काम करता था या परिवार द्वारा संचालित व्यापार का हिस्सा था। यदि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम में संशोधन पारित हो जाता है, तो बच्चों को सर्कस को छोड़कर पारिवारिक उद्यमों तथा टीवी और मनोरंजन उद्योग में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह भारत से बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए लाभकारी नहीं है। यह विधेयक के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

इस विधेयक में बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। साथ ही, अनुसूची में निर्धारित प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची में, व्यवसायों को घटाकर केवल तीन कर दिया गया है, जिनमें खदानें, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक शामिल हैं। इससे पहले, बाल श्रम कानून 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता था।

इन संशोधनों का मतलब यह होगा कि बच्चों को परिवार द्वारा संचालित उद्योगों जैसे कालीन, कढ़ाई, कृषि और अन्य प्रकार के घरेलू श्रम में काम करने की अनुमति दी जाएगी। अब तक पुनर्वासित किए गए लगभग 80 प्रतिशत मामले केवल इन्हीं श्रेणियों के बताए गए हैं।

मैं विधेयक के उद्देश्य और भावना का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि विधेयक को और अधिक प्रभावी तथा बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

खंड 5 में, पंक्ति 18 (क) को पूरी तरह से हटाया जा सकता है क्योंकि यह संशोधन विधेयक के उद्देश्य को ही विफल करती है। इसेइस तरह बदला जा सकता है (क) स्कूल के बाद या अवकाश के दौरान पारिवारिक गतिविधियों जैसे कि घरेलू काम, कृषि फार्म और मवेशी पालन में अपने परिवार की मदद करता है।

खंड 9, पंक्ति 10 में, वर्तनी में त्रुटि होने के कारण "एडल्ससेंट" को "एडोलसेंट" के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

खंड 18 में बच्चे को काम करने के लिए बाध्य किये जाने पर प्रस्तावित दंड को 20 हजार रुपये से कम की राशि को 50 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाए।

बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष में जमा की जाने वाली जुर्माना राशि को प्रस्तावित पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया जा सकता है।

महोदय, मेरा मानना है कि भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, बहुत सारे गैर-सरकारी संगठन बाल श्रम उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें और अधिक धन की आवश्यकता है। भारत सरकार को बाल श्रम उन्मूलन में लगे गैर सरकारी संगठनों को और अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मेरा मानना है कि ये संशोधन, विधेयक को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाएंगे तथा देश से बाल श्रम को समाप्त करने में हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद, महोदय ।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यहां से शुरु करूंगा -

'अभी तो तेरे पंख उगे थे, अभी तो तुझको उड़ना था।

जिन हाथों में कलम सौंपनी थी, उनमें कुदाल क्यों पकड़ना था।

मूक बधिर पूरा समाज है, उसे तो चुप ही रहना था।'

क्रांति शब्द में दो अक्षर हैं। यहां हर व्यक्ति के घर में भगत सिंह की कल्पना होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा न हो, पड़ोस के घर में हो। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हिन्दुस्तान के मूल निवासी आदिवासी थे। जहां जल, जंगल, जमीन पर सिर्फ गरीबों का कब्जा था, आम आदमी थे, कोई जमींदार नहीं था, राजा नहीं थे, शोषक नहीं थे। बड़े जमींदार और राजा कैसे बने? ये कौन लोग हैं, कहां से बने? क्या हिन्दुस्तान की दलाली करके बने? क्या हिन्दुस्तान का जो लोग शोषण करने सात समुद्र पार से आए, उनको कुछ बेचकर बने? हम गरीब कैसे रह गए? गरीबी, आशिक्षा का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे पहले पटरानी रखने का शौक किसे चढ़ा था, गरीब को नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं को चढ़ा था। हिन्दुस्तान में सबसे पहले रम पीने का शौक किसे चढ़ा था, गरीबों को नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं को। हिन्दुस्तान में शोषण करने की प्रवृत्ति किसकी थी, गरीबों की नहीं, हिन्दुस्तान के राजाओं और जमींदारों की थी। हिन्दुस्तान की प्रवृत्ति में सबसे पहले नेहरु जी के प्रधानमंत्रित्व काल में अगर किसी ने सबसे पहले बेईमानी की थी तो वह पढ़े-लिखे लोग थे। यदि हिन्दुस्तान की संस्कृति को किसी ने समाप्त किया है तो तथाकथित राजा-महाराजाओं और हमारी राजनीति ने समाप्त किया है। हमें इस बात को समझना होगा, आप लॉ लाइए, आप कुछ भी लाइए।

मेरा कहना है कि 50.2 प्रतिशत बच्चे आज भी सातों दिन काम करते हैं। मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी पांच भाई थे, हमारे बगल में माननीय सदस्य सात भाई-बहन हैं। गरीबी, सामाजिक कारण, भूख, धार्मिक कारण आदि कई तरह की चीजों को पैदा करती है। हम गरीबी को आभिशाप न बनाएं। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, आप दो-तीन पुश्त पहले जाएं, तो आप देखिएगे कि पांच, सात, नौ भाई होते थे। यह परिवार की

सामाजिक जरूरत थी। आदरणीय मोदी जी पेरियार के मंदिर गए थे। पेरियार ने कहा था कि यदि गरीबी मिटानी है तो आदमी द्वारा बनाया गए धर्म, भगवान, आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास से आदमी को निकालना होगा। मंत्री जी, दहेज, श्राद्ध, सामाजिक कुरीतियां, जमींदार, महाराजा और पोलिटिकल सिस्टम के कारण देश में आई हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राजेश रंजन, आप बाल श्रम के मुद्दे पर आएं। पूरे इतिहास में न जाएं, हमारे पास समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक कुरीतियों के कारण ही गरीबी का यह आलम है। महात्मा फूले ने क्या कहा था, बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गरीबी को मिटाने के लिए.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राजेश रंजन, आप बाल श्रम के मुद्दे पर आएं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन: मैं बेसिकली कहना चाहता हूं कि पप्पू यादव का बेटा नहीं नाचेगा लेकिन गरीबों के बेटे को आप रामधुनी में नचवाते हो। आप क्यों धर्म, भाग्य और भगवान के नाम पर गरीबों को नचवाना चाहते हो? मैं आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप सही मायने में बाल श्रमिक कानून लाना चाहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास, चिकित्सा पांच फंडामेंटल राइट्स हैं। एजुकेशन देनी होगी, इसकी कल्पना 1911 में गोपालकृष्ण गोखले जी ने कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन की की थी। रोटी और गरीबी का सवाल सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा आग्रह है कि सामाजिक सरोकार को आप अलग नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज द्वारा जो थोपी गयी कुरीतियां हैं, बुराई हैं, उन्हें आपको सामने रखना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दबाजी में यह बिल पास मत कीजिए। अभी हाल ही में 14 साल के बच्चों से संबंधित एक बिल आया था। लेकिन बिल आने के दो दिन बाद ही बड़े पूंजीपतियों ने 13 साल के बच्चों से गोली चलवा दी। हम कानून ला रहे हैं, लेकिन कानून के आने से पहले ही कारपोरेट और बड़े-बड़े लोग नये रास्ते तैयार कर लेते हैं। मेरा आग्रह है कि 17-18 साल की लिमिटेशन्स का आप कठोरता से पालन कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आप एम.पी. और एम.एल.ए. को मौनीटरिंग कमेटी में लाइये। मैं यह बात दिल से कह रहा हूं, मैं आज इस सदन में वचन देना चाहता हूं कि मेरे जिले में एक भी बाल मजदूर 18 साल से पहले मजदूरी नहीं करेगा। यह पप्पू यादव की गारंटी है। यदि बच्चों ने बाल मजदूरी कर ली, तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। मैं आज यह बात आपसे कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात भी कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी एम.पीज. हैं। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यदि कोई बाल श्रमिक काम करता है, तो आप मुखिया, एम.पी. और एम.एल.ए. को जिम्मेदार बनाइये। इसके लिए एम.पी. और एम.एल.ए. पर एफ.आई.आर. होनी चाहिए। पहले आप उन्हें कानून के तहत जिम्मेदार बनाइये तब किसी चीज की शुरुआत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): उपाध्यक्ष महोदय, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

बच्चे न केवल परिवार का बल्कि हमारे राष्ट्र का भी भविष्य हैं। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मासूम बच्चों का शोषण किया जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार और दुर्व्यवहार किया जाता है। एक बच्चा एक कली की तरह होता है। उसे फूल बनने के लिए पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है।

बाल श्रम बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है। बच्चों को किसी ऐसे काम में लगाना जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है और जो उनके स्कूल जाने की क्षमता में बाधा डालता है, बाल श्रम जो उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से प्रभावित करता है, जो बहुत ही खतरनाक, हानिकारक और गंभीर चिंता का विषय है।

बंधुआ मजदूरी एक छिपा हुआ घटनाक्रम है जिसमें बहुतायत बच्चे संलिप्त हैं और यह एक प्रकार की गुलामी है। भारत भर में सैकड़ों कारखानों में बहुत सारे बाल श्रमिक हैं। एक विकासशील देश के रूप में, यह हमारे लिए निराशाजनक है। उन्हें बिना किसी सुरक्षा के कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या यह कानूनी है? अथवा, क्या यह किसी भी तरह से उचित है? हम कहते हैं कि भारत वर्ष 2020 में एक महाशक्ति बनने जा रहा है। हमें अपने मानव संसाधन को विकसित करने की आवश्यकता है।

यह विधेयक रोजगार संबंधी कानूनों, कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर और बेहतर भविष्य के लिए हमारे कर्मचारियों को कैसे विकसित किया जाए, पर ध्यान केंद्रित करता है । हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बाल श्रम द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन देने के हमारे प्रयास बाल श्रम द्वारा निष्प्रभावी हो गए हैं। जब मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, तो इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल भेजना, शिक्षा प्राप्त करना और भोजन प्राप्त करना था। बाल श्रम भविष्य के भारत की सबसे बड़ी समस्या है।

इस अधिनियम में चार भाग और एक अनुसूची है। अनुसूची को आगे दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (भाग-क) निषिद्ध व्यवसाय तथा (भाग-ख) निषिद्ध प्रक्रिया। यह निषेध प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होता जब कोई कार्यशाला या कोई प्रक्रिया अधिभोगी द्वारा अपने परिवार या किसी ऐसे विद्यालय की सहायता से चलाई जाती है जो सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त है।

केंद्र सरकार के पास एक समिति है जो सभी कानूनों का पालन करने और बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में शामिल न होने देने की निगरानी करती है। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति को बच्चों के काम के घंटों, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा, उचित आराम और सप्ताह में अवकाश मिलने का ध्यान रखते हुए बच्चों के साथ होने वाले अन्याय की निगरानी करनी चाहिए। इस समिति को बच्चों की बेहतरी और कल्याण के लिए सभी कदम उठाने हैं तथा उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है जो कानून का पालन नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गरीबी इतनी बुरी तरह है कि हम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह रोक नहीं पा रहे हैं। आजादी के लगभग 70 साल होने वाले हैं, लेकिन ये इश्यूज बढते ही जा रहे हैं। कभी-कभी बात सेक्सुअल ऑफेंस तक भी आ जाती है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। कांसिक्वेंसेज बहुत खराब हैं, जो देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। इस देश में इल्लीगेलिटी और क्रिमिनल एक्टीविटीज बढ़ती जा रही हैं। इस बिल के क्लॉज 3 में जो फैमिली इंटरप्राइज के बारे में प्रावधान है, यह सोचने वाला विषय है कि इस चीज को हटाया जाए, क्योंकि यह चीज बाल श्रम को और आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। इससे एक बच्चे को ढाबे में काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, उसको शॉप्स में काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। यह सोचने का विषय है। जब उसका पढ़ाई करने का समय है, तब उसको यह सब करना पड़ेगा, इसलिए इस सेक्शन पर ध्यान दिया जाए। यही मैं सरकार से अर्ज करती हूं। गांधी जी ने कहा था: “शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बच्चे को एक उज्ज्वल भविष्य दे सकती है।

पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बच्चों के लिए तरह-तरह की स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे कन्याश्री, शिक्षाश्री, सबसाथी, शिशु साथी। इस तरह की स्कीम्स वे बच्चों के फ्यूचर के लिए लाई हैं और बच्चों के फ्यूचर इनसे बदल रहे हैं। मैं अपनी बात सिर्फ चार लाइन कह कर खत्म करना चाहूंगी। यहां पर माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए :

"इन हवाओं से तुम बचाए रखना, उम्मीद का दिया दिल में जलाए रखना।

जिसने मिटने न दी बंगाल की लाज,

उस ममता बनर्जी को दिल में बसाये रखना, बसाये रखना, बसाये रखना।।"

[अनुवाद]

इसके साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि विधेयक को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए। धन्यवाद, महोदय ।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संशोधन के लिए चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ वैध और वास्तविक कारणों के साथ इस विधेयक का विरोध करती हूँ। मैं कुछ गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जिनका सामना हमें संसद में विधेयक पारित होने पर करना पड़ेगा। मैं संक्षेप में, बिंदुवार बताऊँगी कि मैं इस विधेयक का विरोध क्यों करती हूँ।

सबसे पहले, विधेयक, जो 18 वर्ष की आयु तक के बाल श्रम को समाप्त करने वाला प्रतीत होता है, में दो प्रतिवाद हैं, जिनके कारण पिछले दरवाजे से बाल श्रम को वैधानिकता मिलेगी तथा बच्चों का शोषण बढ़ेगा।

दूसरी बात, विधेयक बाल श्रम को वैध बनाने की अनुमति देता है। धारा 3(2)(क) के अनुसार: "जहां बच्चा अपने परिवार या पारिवारिक उद्यम में मदद करता है, जो अनुसूची में निर्धारित किसी भी जोखिम भरे व्यवसाय या प्रक्रियाओं से अलग है..." इसलिए, बच्चों को तथाकथित पारिवारिक उद्यमों में काम करने की अनुमति देने से कम से कम तीन-चौथाई बाल श्रम वैध हो जाएगा जो वर्तमान में गैरकानूनी है।

इसके बाद, धारा 3(2)(ख) के अनुसार: "जहां बच्चा श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम करता है..." यह बच्चों को पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों में फंसा देगा और सामाजिक अन्याय को कायम रखेगा। दृश्य-श्रव्य मनोरंजन उद्योग में बच्चों को कानूनी मान्यता देने से उन्हें यौन शोषण, लंबे समय तक काम करने के लिए असुरक्षित बनाकर हानिकारक स्थिति में डाल दिया जाएगा और उन्हें सामान्य बचपन से वंचित कर दिया जाएगा। महोदय, यह गरीब बच्चों पर अनुचित बोझ भी डालता है क्योंकि अमीर और उच्च वर्ग या जातियों के बच्चों को काम पर लगाए जाने की संभावना नहीं है।

धारा 18 के तहत यह कानून माता-पिता को अपराधी बनाता है, जो बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है। माता-पिता को अपराधी बनाने का मतलब है उन लोगों को दंडित करना जो पहले से ही गरीबी में फंसे हुए हैं और यह पहचानने में विफल हैं कि माता-पिता भी बाल श्रम के पीड़ित हैं, अपराधी नहीं।

संक्षिप्त अनुसूची, जो धारा 22 में प्रस्तावित है, कई व्यवसायों को छोड़ देती है जिनका बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जोखिम भरी प्रक्रियाओं को हटाने से यू.एन.सी.आर.सी. का उल्लंघन होगा। अब इस बात में कोई अंतर नहीं होगा कि बच्चे के लिए क्या जोखिम है और वयस्क के लिए क्या जोखिम है।

अतः महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव देना चाहूंगी। पहला, विधेयक के खंड 5 में संशोधित धारा 3 के *परंतुक* को हटा दिया जाना चाहिए। हटाए जाने के बाद खंड 5 इस प्रकार होगा:-

> “5. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
>
> “3. किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" ”

मेरा दूसरा सुझाव है कि धारा 18 को हटा दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि माता-पिता को दंडात्मक उपबंधों के अंतर्गत न रखा जाए।

मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। धन्यवाद।

*श्री के. परसुरमन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, मैं बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 पर बोलना चाहता हूँ। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, देश में 1.4 करोड़ बाल मजदूर थे। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, यह आँकड़ा 4.4 करोड़ था। तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 1.27 करोड़ बाल मजदूर थे। हालाँकि सरकार बच्चों को शिक्षा और दैनिक भोजन प्रदान करने के अलावा बाल श्रम के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाती है, फिर भी देश में गरीबी,जनसंख्या विस्फोट और बेरोजगारी की समस्या के कारण बाल मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। हम देश के हर शहर में बाल श्रम की समस्या देख सकते हैं। इन बाल श्रमिकों को सड़क किनारे के ढाबों, ईंट भट्ठों, पत्थर तोड़ने की खदानों, मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानों, होटलों, खराद, छोटी औद्योगिक इकाइयों, मिठाई बेचने वाली दुकानों, मांस की दुकानों, चाय की दुकानों आदि में कम से कम 10 से 20 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कहना उचित है कि ये बाल श्रमिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इन बच्चों को अपने माता-पिता को अग्रिम राशि या ऋण राशि का भुगतान करने के बाद बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम और गरीबी को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रभावी उपाय करती है कि ऐसे बच्चों के माता-पिता को उनके वित्तीय बोझ से छुटकारा मिले। तमिलनाडु में सभी बच्चों को शिक्षा, नोटबुक, पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक सहायक उपकरण, स्कूल बैग, जूते, साइकिल, लैपटॉप आदि सभी मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से एक व्यापक स्वास्थ्य योजना को लागू करने के अलावा राज्य में नि:शुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए जाते हैं। बाल श्रम को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। हमें बाल श्रम और यौन शोषण के शिकार बच्चों जैसे

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मुद्दों का समाधान करने और रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। इन बच्चों के पुनर्वास के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश से बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम करे। धन्यवाद ।

डॉ. रत्ना (नाग) डे (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है। केवल प्रवर्तन से इसका समाधान नहीं हो सकता। बाल श्रम को तभी रोका जा सकता है जब ज्ञान को कानून और कार्रवाई में बदला जाए, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छे इरादे और विचार सामने आएं। आजादी के 69 साल बाद भी हम अपने देश में बाल श्रम को रोकने में असमर्थ हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम खुद को इस अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकते।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेन्शन, जिसे भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, रोजगार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है। हम अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कारण से शोषण के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं भारत के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के हाल ही के एक लेख का उल्लेख करना चाहती हूँ। उन्होंने लोक सभा सदस्यों से यह स्वीकार करने की गंभीर अपील की कि "राजनीति केवल अगले चुनाव के बारे में नहीं है, बल्कि यह अगली पीढ़ी के प्रति एक नैतिक दायित्व भी है।"

होपफुल आइज, हैप्पी स्मा।एल्स
सॉफ्ट हैंड्स, मिलियन ड्रीम्स
ईज़ दिस नॉट दी आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड ?
ह्वाइ डू आई सी
टियर फिल्ड आइज़, टेरीफाइड फ़ेस्ईस
रफ हैंड्स , एण्ड शएटरड ड्रीम्स ?
डेप्रिवेड आफ देअर चाइल्डहुड
ओवेरलोडेड विद वर्क
बअडण्ड् विद रिस्पॉन्सिबिलिटी
एट सच अ यंग ऐज

सो मच टू लर्न
सो मच टू अकाम्प्लिश
बट नॉट गिविन ईनफ टाइम
फाइट फॉर अ कॉज़
रेज़ योर वॉयस
स्टॉप चाइल्ड लेबर

पुट अ स्माइल ऑन देयर फेस
गिव देम द चाइल्डहुड
दैट वाज़ स्टोलन फ्रॉम देम
फाइट फॉर अ कॉज़
रेज़ योर वॉयस

"बाल श्रम रोकें" हमारी प्रिय *दीदी*, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, कुमारी ममता बनर्जी का लक्ष्य है। धन्यवाद।

श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

वास्तव में, माननीय मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। एक तो यह कि पहली बार बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह एक नई अवधारणा है। दूसरी बात, आपने 'किशोरावस्था' की अवधारणा को शामिल किया है। अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। दोनों ही बिंदुओं के लिए हम माननीय मंत्री जी की सराहना करना चाहेंगे।

लेकिन जब तक शिक्षा के अधिकार को बाल श्रम अधिनियम के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बाल श्रम का एक और महत्वपूर्ण कारण या मुख्य कारण गरीबी है। इसलिए, जब तक अंतर-विभागीय समन्वय नहीं होगा, बाल श्रम अधिनियम अकेले कोई बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेगा।

एक बच्चे के लिए बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को 'पारिवारिक उद्यमों' में काम करने की अनुमति देना कोई बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कूली शिक्षा के बाद बचपन, खेलना और गृहकार्य करना ही आवश्यक है। जब तक ये सब ठीक से नहीं किया जाता है, तब तक बच्चे का विकास पूरा नहीं होता है। प्रवासी मज़दूरों और बंधुआ मजदूरों तथा उनके बच्चों के बारे में भी यह पूरी तरह से मौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तमिलनाडु सरकार में श्रम आयुक्त था। जहाँ प्रवासी मजदूर या बंधुआ मजदूर मौजूद हैं, वहाँ बाल मजदूरों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अगर हमें बाल श्रम अधिनियम के उद्देश्य को साकार करना है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

एक और महत्वपूर्ण बात ट्रांज़िट स्कूलों के बारे में है। भारत में ये ट्रांज़िट स्कूल बेहद अप्रभावी हैं। अगर हम बाल श्रम अधिनियम के उद्देश्य को साकार करना चाहते हैं, तो भारतीय ट्रांज़िट स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।

आप माता-पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों बातों पर विचार करना होगा, यानी अच्छे माता-पिता को प्रोत्साहन देना होगा, जहां वे बच्चे को काम करने नहीं दे रहे हैं; इसी तरह, अगर माता-पिता बाल मजदूरी करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें हल्की सजा भी मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर माता-पिता का राशन काट दिया जाए तो शायद वे बाल मजदूरी न करें ।

महोदय, आपने किशोरावस्था की नई अवधारणा प्रस्तुत की है, जो अच्छी है। जब तक अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, जैसा कि आई.एल.ओ. कन्वेशन में कहा गया है, अगर 14 साल के बाद और 18 साल तक अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। अगर आप 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को बिना शिक्षा के छोड़ देंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चा समाज विरोधी बन सकता है, क्योंकि आप उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं और आप किशोरों के लिए शिक्षा को अनिवार्य नहीं बना रहे हैं। इसलिए, जब तक ऐसा नहीं किया जाता, इससे कोई बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

सायं 7.00 बजे

श्रम अधिनियम में दो से छह वर्ष तक के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन वास्तव में ये वे प्रारंभिक वर्ष हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, दो से छह वर्ष के बच्चों को भी श्रम अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, हालांकि इसका सीधा असर उन पर नहीं पड़ेगा। यह प्रारंभिक वर्ष है। विशेष रूप से कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के मामले में, जब तक कृषि मजदूरों के लिए उचित क्रेच की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक बच्चे छठे वर्ष के बाद विकसित नहीं हो सकते।

मेरे पास दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस मामले में विभागों के बीच आपसी निगरानी तंत्र बहुत आवश्यक है। एक विभाग है मानव संसाधन विकास। कुछ अधिनियम मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं; कुछ अधिनियम श्रम विभाग के अंतर्गत आते हैं; कुछ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं; और

अंतिम विभाग, गृह विभाग और गरीबी उन्मूलन विभाग है। जब तक अंतर-विभागीय निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब सायं के 7.00 बज रहे हैं। हमने इस विधेयक को पारित करने के लिए समय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम इस विधेयक को पारित करने के बाद शून्य काल भी लेंगे। क्या सभा शून्य काल पूरा होने तक समय बढ़ाने हेतु सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : अतः सभा का समय शून्य काल पूरा होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वर्ष 2012 का जो बिल था, उसमें सरकार को क्या बुराई दिखायी दी, यह मुझे नहीं मालूम हुआ। हम कोई अमेंडमेंड लाते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसमें इम्प्रूवमेंट के बजाए यदि हम रिग्रेसिव स्टेप लेते गये, पीछे गये, तो जिन बच्चों के लिए लोग इतने तड़प-तड़पकर बातें कर रहे हैं और सरकारें भी हमेशा बात करती आई हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों लाया गया है? वर्ष 2016 का बिल लाने के बाद ऐसी हालत हो गयी है।

मुझे एक वकील साहब मिले थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक जज़मेंट लिखा था। एक पुरुष और स्त्री दोनों बाजार से गुजर रहे थे, उस समय उन दोनों में झगड़ा हुआ। उस स्त्री की आदत हमेशा संशय की दृष्टि से पुरुष को देखने की थी। उसने अपने पति से कहा कि आप उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ऐसा कहते हुए झगड़ा शुरू किया। ऐसा करते हुए उसके पास एक चाकू था, उससे नाक काट दिया। नाक कटने के बाद यह मामला पुलिस में गया, इसके बाद कोर्ट गया, तो उसमें जज़मेंट में लिखा गया- नाक कटी, जरूर कटी, सरे बाजार कटी, अदम सबूत, मुलज़िम बरी। यानी नाक कटी, जरूर कटी, सरे बाजार कटी, सभी लोग देख रहे हैं कि बाजार में नाक कटी है, अदम सबूत मुलज़िम बरी, तो ऐसी हालत हो गयी है। उसमें कुछ नहीं है। वर्ष 2012 का जो बिल है, वह ठीक है। फिर भी आप उसमें कुछ खामियाँ दिखलाने के लिए इसे इस तरह से लाये हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप तो सब जानते हैं। हमारे ओडिशा के राजा साहब चले गये। क्लॉज़ – 5 में मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर हैं, में निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,यह उसमें आप डाल दिया गया है। उसमें आपने क्या किया है? फैमली डेफिनिशन में आपने एक्सप्लानेशन क्लॉज डाला है। एक्सप्लानेशन क्लॉज में क्या डाला गया है?

[अनुवाद] "इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,

(1) किसी बच्चे के संबंध में "परिवार" का अर्थ है, उसकी माता, पिता, भाई, बहन और पिता की बहन और भाई तथा माता की बहन और भाई;"

[हिन्दी] यह फैमिली डेफिनिशन है? इसलिए फैमिली डेफिनिशन के लिए मैंने उनसे डिक्शनरी लिया और देखा। उसमें दिया है कि माता-पिता और बच्चों का एक समूह।

उसके बाद मैंने देखा कि लेबर एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है, प्रोविडेंट फण्ड एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है, ईएसआई एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है और लैण्ड ट्रांसपरैंसी एक्ट में फैमिली डेफिनेशन क्या है? इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रदर-सिस्टर-ब्रदर-सिस्टर। [अनुवाद] इस तरह आप अधिनियम को कमजोर कर रहे हैं और यह एक तरीका है जिससे आप बता रहे हैं कि आप सुधार कर रहे हैं। लेकिन यह एक अपमानजनक कदम है। [हिन्दी] इस सब से बच्चों का फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उलटा आप उन बच्चों को हमेशा के लिए गुलामी में रखने की तैयारी कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। मैं आपको अप्रेशिएट करता हूं कि आप बहुत सीधे-सादे और भोले हैं, लेकिन आप आरएसएस और बीजेपी के जाल में आकर इस तरह का कानून क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान) आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी मालूम होगा।...(व्यवधान) आपने मेरी डेफिनेशन को तो खराब कर दिया और इस तरह का एक्ट ला रहे हैं।...(व्यवधान) इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं 'नाक कटी, जरूर कटी, सरे-बाजार कटी, अदम सबूत, मुलजिम बरी' जैसी हालत हो गयी है।

दूसरी बात, आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, यह भी मैं बताना चाहता हूं। आपने क्लॉज 5 के बाद आप एक्शन्स बना रहे हैं। आप उसमें और एड कर रहे हैं 'गैर-खतरनाक काम, दृश्य-श्रव्य, खेल गतिविधियों में परिवार की मदद करना।' हमारा जो ऑरीजनल एक्ट था, उसमें कुछ भी एड करने का सवाल ही नहीं था, बल्कि डिलीट करने के बारे में था, लेकिन आप यह ला रहे हैं। आप किसकी बात सुनकर यह ला रहे हैं? क्या आप मोदी जी की बात सुनकर ला रहे हैं? क्या जेटली जी की बात सुनकर ला रहे हैं? यह बात ठीक है कि उन्होंने आपको मिनिस्टर बनाया है, लेकिन आपकी सर्विसिस रही हैं, इसलिए आपको मिनिस्टर

बनाया गया है, कोई मेहरबानी नहीं है। आप डर क्यों रहे हैं? आप डरकर यह क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्लॉज़ 5 को डिलीट किया जाना चाहिए।

क्लॉज 6 में आपने वर्ष 2012 के एक्ट का आधा डेफिनेशन तो मान लिया है, लेकिन आपने आगे एक क्लॉज एड कर दिया है- [अनुवाद]'केन्द्र सरकार किशोरों के लिए गैर-खतरनाक व्यवसायों की प्रकृति निर्दिष्ट कर सकती है।' इसका मतलब है कि आप जोड़ सकते हैं; आप यह तय करेंगे कि कौन सा व्यवसाय खतरनाक है और कौन सा नहीं। [हिन्दी] अगर दस सांसद आपको प्रेशराइज़ करेंगे, दस इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आएंगे कि आप इस काम को हेजारड्स से निकालकर नॉन हेजारड्स में डाल दीजिए तो आप डाल देंगे। यह ह्युमन विकनेस है। मैं आपको दोा नहीं दे रहा हूं। हर पॉलीटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि कानून में अगर कोई चीज खिलाफ होती है तो सौ लोग मिलकर आपके पास किसी कानून में बदलाव के लिए आ जाते हैं। ऐसा हर जमाने में हुआ है।

मेरी आपसे विनती है कि क्लॉज 5 और 6 को आप निकाल दीजिए। हम इस बिल को मान रहे हैं। हम सभी इस बिल को मिलकर लाए थे। उस समय भी आप स्टैंडिंग कमेटी में थे और सर्वानुमति से ही वर्ा 2012 का बिल पास हुआ था। इस संशोधन बिल में आप जो नई चीज ला रहे हैं, यह सही नहीं है, जिन बच्चों को आप मदद करना चाहते हैं, जजिन बच्चों को आप चाइल्ड लेबर से बाहर निकालना चाहते हैं, इससे उनका भविय खतरे में पड़ जाएगा।

मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं और आपको मालूम है कि हमने पैरन्ट्स पर पेनल्टीज़ लगायी थी। आपने उसे निकालने की कोशिश की। यह हम जानते हैं कि बहुत से पेरेन्ट्स पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, बहुत से पेरेन्ट्स अनएजूकेटिड लैस लिटरेसी परसैन्टेज में होते हैं और गरीब होते हैं। परंतु गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब है तो क्या उन्हें आई.पी.सी. माफ है, अगर कोई गरीब है तो क्या उसे ट्रैफिक रूल्स माफ हैं? ऐसे कितने कानून हैं, अगर कोई चोरी करता है, गरीब है, इन्नोसैन्ट हैं, क्या आप उसे छोड़ देते हैं? इसीलिए कम्पलसरी एजूकेशन में बच्चों को बैठाने के लिए वह प्रावधान किया गया था, आप उसे भी निकाल

रहे हैं, डायल्यूट कर रहे हैं। एक तरफ हम राइट टू एजूकेशन की बात कर रहे हैं और कान्सटीट्यूशन के जितने भी कालम थे, आर्टिकल 21 से लेकर सभी प्रेमचंद्रन जी ने पढ़े और शेा हमारे साथियों ने पढ़े। इन सबके रहते हुए जो संविधान में दिया गया है, उसके तहत कानून बनाने की बजाय अगर हम उसे अलग करते जायेंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं और अपील करता हूं कि क्लाज-5 और क्लाज-6 जो पैनाल्टी के क्लाज हैं, इन्हें आप निकाल दीजिए, तभी इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें कुछ काम हो सकता है। अन्यथा यह जैसा का तैसा रहेगा और हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम यह बिल लाये। लेकिन यह दूसरों की मदद करने के लिए लाया गया बिल है। यह 2016 का बिल है, आप 2012 का बिल रख लीजिए, उसमें कोई खामियां नहीं हैं, उसे दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। अगर दुरुस्त करना है तो कम से कम तीन क्लाजेज आप निकाल दीजिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमैंडमैन्ट बिल, 2012 के लिए संशोधन लाये गये हैं। सभी माननीय सदस्यों को बहुत खुशी हुई है, इसीलिए बहुत दिल से आप लोगों ने बोला है, बहुत मन से भी कुछ लोग बोले हैं। कम से कम 37 माननीय सदस्यों ने इस डिस्कशन में भाग लिया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैं उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप किसी भी ध्वनि में बोले होंगे, लेकिन सभी की मानसिक कल्पना एक ही है कि देश के अंदर 14 साल से नीचे की उम्र का कोई बच्चा किसी फैक्टरी, शॉप, मॉल या किसी इस्टाब्लिशमैन्ट में कहीं भी काम नहीं करेगा, इसे टोटली बैन करना है, ऐसे आप सभी लोगों के मन के विचार हैं। यही विचार इस बिल में हैं।...(व्यवधान) [अनुवाद] मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया परेशान न करें।

… (*व्यवधान*)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : जैसा कि खड़गे जी ने अपने तरीके से व्यक्त किया है, मेरे पास भी अपनी बात कहने का अपना तरीका है। ... (*व्यवधान*) [हिन्दी] इसमें काफी लोगों ने कहा कि बच्चे देश की सम्पत्ति हैं, देश की धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा और देखभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने भी इस बात को काफी जोर से कहा है। हमारा उद्देश्य भी यही है, मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा स्कूल जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा स्कूल से बाहर रहे, कोई बच्चा स्कूल जाने से छूटना नहीं चाहिए।

लेकिन खड़गे जी ने जो कहा, मैं उसका खुलासा करूंगा । हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है और हम इसके लिए कृतसंकल्पित भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आएंगे। इसलिए कृतसंल्पित हैं, क्योंकि यह संशोधन ऐतिहासिक है। जैसे हमारी महिला सदस्यों ने कहा कि [अनुवाद] यह हम सभी के लिए सबसे बड़ा

अवसर है क्योंकि हम एक ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह संशोधन बिल एक दृष्टिकोण के साथ आया है। किसी भी समय, यदि कोई सरकार नीति बनाना चाहती है, तो हमें उसे व्यापक रूप से देखना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए कि इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह व्यक्त किया है कि कई कानून बनाए गए हैं लेकिन कई कमियों के कारण हम उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, हमने कुछ अपवाद दिए हैं। मैं हजारों गाँवों में घूम रहा हूँ। 45 वर्ष की सार्वजनिक सेवा के अपने अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमने इस पर बहुत ध्यान से विचार किया है और दो अपवाद दिए हैं।

[हिन्दी]

खड़गे जी ने कहानी सुनाई, लेकिन यह कहानी यहां जमने वाली कहानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि परिवार की जो परिभाषा मैंने दी है, आपने ई.पी.एफ. का जिक्र करने की कोशिश की है। परिवार की परिभााा लॉ में कैसी है, ई.पी.एफ. एक्ट में कैसी है, चाइल्ड लेबर एक्ट में कैसी है, उधर कैसी, इधर कैसी है, यह सब अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने परिवार की जो परिभाषा दी है, वह यह है कि उसमें मैंने कहा कहा है कि बच्चे के माता और पिता, उसके बहन और भाई। कृपया मुझे समझने की कोशिश करें। दूसरे भाग में है कि बच्चे के माता पिता और भाई-बहन सगे रिश्तों में सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि चालीस परिवार के लोग हैं, तीस परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए इंक्वायरी रहेगी, उसके लिए कानून है और उसमें जो वॉयलेशंस होंगे, उसके लिए मैंने कड़ी सज़ा का प्रावधान किया है। खड़गे जी आपको ध्यान रखना चाहिए कि, [अनुवाद] इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। यह गैर-संज्ञेय अपराध नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या है। कोई नोटिस दिए बिना, यहां तक कि एक फर्म जारी किए बिना, आप सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी : एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। बिना एफ.आई.आर. के आप गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं? ... (*व्यवधान*)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैं आपको बताता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया आप जारी रखें।

श्री तथागत सत्पथी : आप इसे कैसे सत्यापित करेंगे?

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : दूसरा, आप बच्चे के माता-पिता के बारे में कह रहे हैं और माता के सगे भाई-बहन। ...(व्यवधान) आप इतने सारे लोग यहां पर बोले हैं, मैंने सबको सुना है, आप भी मेरी बात सुनिए। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ।

मैं आपको अपनी कहानी बताऊँगा, मेरे कहानी बताने के बाद आप मुझे समझाइए। बच्चे की माता के भाई और बहन, यहाँ हिन्दी में मामा और मौसी कहा जाता है।...(व्यवधान) वैसे ही पिता, पिता के कौन हैं, भाई हैं, वे भी सगे।...(व्यवधान) भाई और बहन, उसके लिए मैंने...(व्यवधान) ये सब जो हैं, सब खून के रिश्ते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में, अगर उसके माँ या बाप मर जाते हैं, उनके मर जाने के बाद उसे कहाँ जाना पड़ता है, वे कहाँ जाकर पढ़ते हैं, वे उन्हीं के पास जाते हैं।...(व्यवधान) इसलिए मैंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस और काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी लॉ का मिसयूज न कर सके, एक्स्प्लॉइटेशन न करना, उस दृष्टि से फेमिली की डेफनिशन हमने बनाई है। खड़गे जी आर्टिस्ट के बारे में बता रहे थे, आर्टिस्ट के बारे में मैंने डेफनिशन में कहा, फिल्में, धारावाहिक, टीवी विज्ञापन और सर्कस को छोड़कर खेल, मैंने इसलिए किया, इसमें हमने छोड़ा नहीं है, हमने इसको खाली नहीं छोड़ा है, इसमें नम्बर वन बच्चे की सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी वर्किंग कंडीशंस और इतना ही नहीं बच्चे की शारीरिक और मानसिक प्रगति होनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए। आप सभी लोगों के घरों में

बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप उनको भरतनाट्याम सिखा रहे हैं। आप उनको भरतनाट्याम सिखाते हैं और वे खेलकूद में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। मैं यह भी कहूँगा, इसमें यह भी प्रावधान है कि एजुकेशन इफेक्ट न हो, यह कहीं भी नहीं रहेगा यानी उसकी एजुकेशन पर असर नहीं होगा। बड़े-बड़े कलाकार, जितने भी हिन्दुस्तान के कलाकार हैं, बड़े-बड़े कलाकार बच्चों से ही सीखे हैं। इसके बारे में बताने के लिए माननीय खड़गे जी ने कहा था तो मैंने इस बारे में बताया है।

दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारे माननीय सदस्य ने कहा था, पहली बार हमने किशोर की परिभाषा दी है। 14 साल से 18 साल यानी 14 साल तक कोई बच्चा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता ।...(व्यवधान) दूसरा ऐडोलेसन्ट वाला, 14 से 18 ऑल हैजार्ड्स प्रोसेस, सारे जितने खतरनाक प्रोसेस हैं, उनमें हमने सम्पूर्ण में निषेध किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं इसे भी आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, मैं इसका खुलासा करूँगा, यह शेड्यूल जो है, आप लोगों ने कहा, हमारे टीआरएस के मेंबर मेरे राज्य के सम्मानित मेंबर हैं, मैडम कविता जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 83 एक्ट्स को आपने कम किया है। काफी लोगों के मन में वही विचार है। मैं आपको बताऊँगा कि पहले जो शेड्यूल था, उससे मैंने ज्यादा लिस्ट कम कर दिया है। मैंने बढ़ाया नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 18 नौकरियां, 65 प्रक्रियाएं, यानि कुल संख्या 83 हो गई। अब, मैंने एक संतुलित दृष्टिकोण लिया है। उसके लिए प्रैज़ेंट शैड्यूल में जैसे मैंने बताया, 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। मैंने केवल तीन कैटेगरीज़ बनाईं। कृपया समझने की कोशिश करें। तीन श्रेणियां अलग-अलग हैं। संख्या अलग-अलग है। तीन कैटेगरीज़ में फैक्टरीज़ एक्ट है। खड़गे जी भी लेबर मिनिस्टर थे। फैक्टरीज़ एक्ट में 25 ऑक्यूपेशंस हैं। दो श्रेणियां हैं - एक खान है और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ है। तीसरा 'जोखिमभरा' था। अब मौजूदा संख्या केवल 31 है। कृपया समझने की कोशिश करें। मैंने कई सुरक्षा उपाय रखे हैं। यह सूची एक गतिशील सूची है। यह परिवर्तनशील है। खड़गे जी उसको समझ नहीं पाए। ...(व्यवधान) सूची हमेशा बदलती रहती है।...(व्यवधान) इसमें टैक्निकल कमेटी रहेगी, जैसे मैडम ने अभी बताया। टैक्निकल कमेटी में कौन रहेंगे - एक्सपर्ट्स रहेंगे। वे बताएँगे कि कौन-कौन से हैज़ार्डस

ऑक्यूपेशंस हैं और कौन-कौन से हैज़ार्डस नहीं हैं। वे जो बताएँगे, तब नोटिफिकेशन देकर उसको ऐड करेंगे। [अनुवाद] सूची में मदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि यह अंतिम सूची है। कुछ सदस्यों ने कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया। [हिन्दी] जब मैं छोटा था, तो बचपन में ही मेरे पिताजी गुज़र गए। मेरी माताजी हमको पढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए उस्मानगंज मार्केट में जाती थीं। वह हमारी कविता जी जानती हैं। उस मार्केट में मेरी माताजी प्याज़ बेचती थीं। ...(व्यवधान) मैं स्कूल के बाद अपनी माताजी के पास जाता था। इसलिए जाता था कि उनकी सहायता हो सके। हमने इसमें कहा है कि [अनुवाद] यह केवल मदद करने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। मदद अलग है और काम अलग है… (*व्यवधान*) मैंने आपको सुरक्षा उपाय बताए हैं। मैं तो मदद करने के लिए गया।

श्री कल्याण बनर्जी : मंत्री महोदय, आप मंत्रालय की मदद कर रहे हैं या मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं? …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैं जब जाता था तो मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि स्कूल से मेरे पास आना। मैंने अपनी माताजी को कहा कि क्यों मुझे यहाँ बुलाती हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम शाम को आकर मेरे साथ एक-दो घंटा मदद नहीं करोगे तो मैं दूसरे आदमी को इंप्लॉय करके रखने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उसका वेतन नहीं दे सकती हूँ, मेरी उतनी कमाई नहीं है। मेरी कमाई कम है, इसलिए मेरी मदद करो। जब हमारे वैकेशंस होते थे तो मैं अपनी माताजी के साथ सवेरे 8 बजे जाता था। मार्केट में ऑक्शन में भी मैंने काम करना सीख लिया था। मैं आज केवल व्यापारी नहीं बना। मैं केवल प्याज बेचने वाला नहीं बना, बल्कि मैं आज देश का लेबर मिनिस्टर बना, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बनाया। इसलिए अपने मन से उस मानसिक स्थिति को छोड़ दीजिए कि जिसका परिवार जो काम करता है, वह बच्चा भी वही करे, ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसे बच्चे आई.आई.टी. में गए। आई.आई.टी. डायरेक्ट नहीं, बल्कि आई.टी.आई. से आई.आई.टीयन इस देश में बने। वे हमारे देश के

राजदूत हैं। जो बच्चा बचपन से किसी स्किल को सीखता है, उसका विकास होता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए इतने परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा हमने की है।

आप लोगों ने नॉबेल एवार्डी कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में कहा। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके साथ कई बार बैठा और कई बार चर्चा की। मैंने सारे आंदोलनकारियों के साथ बैठक की, बातचीत की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों की भी यही लिस्ट है। उनके पास दूसरा कुछ भी नहीं है। उनका यही कहना है कि यह लिस्ट बढ़ रहा है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह लिस्ट बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसका कैटेगेराइजेशन हो रहा है, यह लिस्ट कम हो रही है। इसके सारे वियों को उन्होंने माना है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बात के ऊपर उन्हें संशय है।...(व्यवधान) उनके साथ हमारी बैठक तीन बार हुई है।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: यह सही नहीं है। उन्होंने अभी ही ट्वीट करके यह कहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : महोदया, आप पहले ही बोल चुकी हैं। कृपया व्यवधान न डालें। वे अब जवाब दे रहे हैं। मेरी अनुमति से, आप बाद में अपने प्रश्न उठा सकती हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे सकता। आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठें। यह कोई तरीका नहीं है। आप लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मैं आपको समय दूंगा और तभी आप अपने सवाल उठा सकते हैं। एक मंत्री के रूप में वह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं और आपको उन्हें सुनना होगा। बस इतना ही कहना है। … (*व्यवधान*)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : श्री कैलाश सत्यार्थी कुछ मुद्दों पर असहमत थे।… (*व्यवधान*)

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ सदस्यों ने अधिक सजा की मांग की है। [हिन्दी] उन्होंने कहा कि इसमें पनिशमेंट को ज्यादा करिए। आप देखिए कि एग्जीस्टिंग एक्ट में क्या है और प्रोपोज्ड एक्ट में क्या है। खड़गे जी, अगर कोई भी फर्स्ट ऑफेंस होता है तो पुराना जो एग्जीस्टिंग एक्ट था, उसमें इसके लिए मिनिमम दस हजार रुपए का फाइन था और टर्म तीन महीने से एक वर्ष तक था। इसको डेटरेंट करने के लिए हमने इसे मिनिमम बीस हजार रुपए किया और मैक्सिमम पनिशमेंट को भी छः महीने से दो साल किया। [अनुवाद] दूसरे अपराध के लिए, मौजूदा उपबंध न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल का है। अब मैंने न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रस्ताव दिया है। इसे समझने की कोशिश करें।

किशोरों के मामले में पहले और दूसरे अपराधों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। [हिन्दी] मैं आपको जो अपने बारे में बता रहा था कि मैं उस्मानगंज में काम करता था तो अगर यह एक्ट उस समय लागू होता तो मेरी माता जी जेल में जाती और मैं भी जेल में जाता। इसलिए हमने गार्डियन को फर्स्ट ऑफेंस में वार्निंग दिया। सेकन्ड ऑफेंस में उन्हें दस हजार की पेनाल्टी दी। मैंने पहले ही कहा था कि जो आदमी ज़मीन से जुड़ कर काम कर सकता है, अगर वह कोई कानून बनाए तो वह कानून टिकेगा और उसका 90% अमल होगा।

दूसरी बात, हमने पुनर्वास निधि को अनिवार्य बना दिया है। क्या फर्क लाए? ऐसा खड़गे जी पूछ रहे थे। क्या फर्क है? यह मैं बोल रहा हूं। पहले चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड नहीं था। जो फाइन होता था, वह वहां के डिपार्टमेंट को दिया जाता था। मैं इसको मैंडेटरी किया। जैसा कि तेलंगाना की एमपी बोल रही थीं कि 2,800 चाइल्ड लेबर उनके डिस्ट्रिक्ट में पकड़े गए। मुझे बहुत खुशी है कि आपने उनको रिलीज करवाया। यह एक्ट आने के बाद आपकी सरकार को हर बच्चे के लिए 15 हजार रुपए बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसका कारण एक ही है कि मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया है।

खड़गे जी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां उसमें कभी भी फेमिली परिवार का, इंप्लाई-इंप्लायर रिलेशन नहीं है। यह मदद है। अभी जैसे छोटी किराना शॉप चलाते हैं। किराना शॉप में माता, पिता और एक

बच्ची रहती है। अगर मां सामान लेने के लिए जाती है तो वहां कौन बैठता है, लड़की बैठती है, एक घंटा बैठती है। वह सामान ला देती है। यह आप सब लोगों का अनुभव है। मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूं, आप सब लोगों का अनुभव है।

इसमें एक और विषय है। आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के संबंध में रिक्वेस्ट किया था कि जो मजिस्ट्रेट है, उसके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, उनके बजाए दूसरे किसी एमपी को रखिए, ऐसा आप लोगों ने सुझाव दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इसमें हमने प्रावधान भी किया है कि दूसरे किसी जूनियर आफिसर को, एक सेपरेट आफिसर को इसीलिए इसमें लगाने का प्रावधान किया। एक मानिटरिंग एंड विजिलेंस कमेटी है, उसमें एमपीज मेंबर्स हैं, एमएलएज मेंबर्स हैं।

एमपीज के रोल के बारे में मैंने कहा। स्कीम के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। कुछ इंपोर्टेंट विाय जो माननीय सदस्यों ने कहा, कलिकेश एन. सिंह देव ने बताया कि अमेंडमेंट में बच्चों के काम करने का पूर्ण प्रतिबंध है। काम करने और मदद करने का तो मैंने बता दिया, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है वह एडोलोसेंट की वर्किंग कंडीशन के लिए है। इसका मतलब होता है कि वहां रेग्युलेशन होता है। वर्किंग ऑवर्स कितने होते हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसे होती हैं? ये सारे जितने भी लेबर राइट्स हैं, वे सारे लेबर राइट्स इसके कानून में आएंगे। इसलिए आपके मन में जो कुछ भी शंका है, उस शंका को निकाल दीजिए। माननीय सदस्य ने कहा था कि एक मामा के चालीस भांजे होंगे। मैंने माता, पिता और एक बहन कहा। मैं कह रहा हूं कि इसको प्रूव करना पड़ता है। चालीस लोग, इसको प्रूव करना पड़ता है कि ब्लड रिलेशन है या नहीं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। [अनुवाद] कुछ लोग संसदीय स्थायी समिति का उल्लेख कर रहे थे। संसदीय स्थायी समिति की दस सिफारिशों में से छह सिफारिशों पर हम सहमत हुए हैं।

हमने 7 सिफारिशों पर भी सहमति व्यक्त की है। कुल मिलाकर, 10 में से, हम सात सिफारिशों पर सहमत हुए हैं। अन्य तीन सिफारिशों के बारे में, जिन पर हम सहमत नहीं हुए हैं, उन्होंने भी उनके बारे में यही संदेह व्यक्त किया है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो मैं बताना चाहता था वह आई.एल.ओ. कन्वेशन के बारे में है। जब हम इस विधेयक को पारित करेंगे, तो दोनों आई.एल.ओ. कन्वेशन का अनुमोदन हो जाएगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इस पर अधिक विस्तार से बात नहीं करना चाहता।

एनफोर्समैंट के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है, [हिन्दी] एनफोर्समैंट एजैंसी द्वारा पिछले पांच सालों में करीब दस लाख इंस्पैक्शन किए गए हैं और 26 हजार वॉयलेशन्स पकड़े गए हैं। इसलिए हम एनफोर्समैंट एजैंसी को भी काफी मजबूत बनाएंगे।[अनुवाद] हमें यह समझना होगा कि 'श्रमिक' समवर्ती सूची में है। संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

यह ऑर्गनाइज़्ड और अनआर्गनाइज़्ड सैक्टर सब पर लागू होता है। बॉन्डेड लेबर के बारे में वरुण गांधी जी ने बताया था। सुप्रिया जी ने बहुत भावना से बताया था। आपने 14 साल, 16 साल और 18 साल की उम्र के बारे में बताया। अलग-अलग एक्ट में अलग-अलग थ्रैशहोल्ड रहता है क्योंकि वह अलग-अलग ऑब्जैक्टिव के साथ किया गया है। [अनुवाद] किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य अलग है, इसलिए बाल श्रम अधिनियम भी अलग है। श्री वाराप्रसाद राव आर.टी.ई. अधिनियम के बारे में उल्लेख कर रहे थे जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए, यदि आयु सीमा बढ़ाई जाती है, तो स्वतः यह अधिनियम इस पर लागू होगा। यही कारण है कि मैंने इसे जोड़ा। मैंने अपने परिचयात्मक भाषण में इसका उल्लेख किया है। हम इसे आर.टी.ई. अधिनियम से जोड़ रहे हैं। इसलिए, इसके बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रवासी मजदूरों, बंधुआ मजदूरों जैसे अन्य सभी संबंधित मामलों के साथ-साथ इसमें भी सुधार करने जा रहे हैं। इन सब लोगों के बारे में सब एक्ट्स में कार्यवाही रहेगी। जैसे आप सबने बताया, मेरी भी भावना है जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण बात

है। एनजीओज़ की इन्वॉल्वमैंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियनों और एन.जी.ओ. सहित सभी हितधारकों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने 15-20 बैठकों के साथ तीन सम्मेलन किए। व्यापक और संतुलित तरीके से ये सारे संशोधन इस सभा के सामने लाए गए हैं।

मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें और इसे पारित करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं भाषण नहीं देने जा रहा हूं। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। स्वाभाविक रूप से, मुझे उस विधेयक पर बोलना होगा जिसे उन्होंने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे अपने अल्प ज्ञान के साथ कुछ बातें कहनी हैं। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय से हैं और मैं एक धारवाड़ नगरपालिका स्कूल से हूँ। मैं आपके ध्यान में धारा 6(3)(क) लाना चाहता हूँ।

आपने स्वयं यहां इस प्रकार कहा है: "किसी भी किशोर को अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" यह बात आपने सभी किशोरों के बारे में कही है। लेकिन अपवाद स्वरूप मामलों में, आपने जो कहा है वह इस प्रकार है: "बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा गैर-खतरनाक कार्य की प्रकृति निर्दिष्ट कर सकती है, जिसके लिए किसी किशोर को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।" इसका मतलब है कि आपने अपवाद स्वरूप मामलों में यह तय करने के लिए कुछ अधिकार ले लिए हैं कि कौन सा कार्य खतरनाक है और कौन सा नहीं। हम आपके संज्ञान में लाए हैं, लेकिन आपने कहा कि हमने गलत समझा है। आपने इसे अच्छी तरह समझा है या नहीं, मुझे नहीं पता।

दूसरी बात, वर्ष 2012 के विधेयक में हमने यह प्रावधान किया था कि, 'किशोर का मतलब वह व्यक्ति है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।' यह वह परिभाषा है जो हमने वर्ष 2012 में दी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूँ। यह क्या है? क्या मैं खंड 7 भी पढ़ूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे खुद ठीक से पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन यह मत कहिए कि मैं समझ नहीं पाया। यह मूल विधेयक में प्रावधान है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप इसे 2016 के विधेयक में लेकर आए हैं। यही मैं कहना चाहता था। … (*व्यवधान*)

दुबे साहब, जल्दी में कुछ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सोच कर बोलिए, कम से कम दिल न मिले, हाथ मिलाते चलिए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 पूरे नाम का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 2 में संशोधन संख्या 19 और 20 हैं। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" पृष्ठ 1, पंक्ति 10, -

" उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं" **के स्थान पर**

"कतिपय अन्य नियोजनों में कुमारों के कार्य की परिस्थितियों को नियमित करने के लिए नियोजन और प्रक्रियाओं " **प्रतिस्थापित** किया जाए। (20)

महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है क्योंकि यह संशोधन एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव देता है। यह अधिनियम के पूरे नाम में संशोधन है। पूरे नाम का उद्देश्य क्या है? पूरे नाम में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है। दुर्भाग्य से, पूरे नाम में, जिसे आप संशोधित कर रहे हैं, खतरनाक कार्यस्थलों पर कार्यरत किशोरों के रोजगार के विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, 'किशोरों के रोजगार का विनियमन' शब्द भी पूरे नाम में आना चाहिए। यह एक बहुत ही हानिरहित संशोधन है। यह केवल कानून की मंशा को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मूल अधिनियम में भी बच्चों के रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान है। इसलिए, कृपया इस संशोधन को स्वीकार करें।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 2 में संशोधन संख्या 20 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 संक्षिप्त नाम का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : खंड 3 में संशोधन संख्या 6 है। श्री राजीव सातव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" पृष्ठ 2, पंक्ति 3, -

"बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986" **के स्थान पर**

"कार्य पर बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986" **प्रतिस्थापित** किया जाए। '' (6)

महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि 'श्रम' शब्द जब बच्चे से जुड़ा होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर 'श्रम' शब्द के स्थान पर ' कार्य ' शब्द रखे, ताकि इस अधिनियम को "कार्य पर बालक और किशोर (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986' कहा जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री राजीव सातव द्वारा प्रस्तुत खंड 3 में संशोधन संख्या 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 धारा 2 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 4 में संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं खंड 4 में संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री राजीव सातव, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री राजीव सातव : महोदय, मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। मैं इसे इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि परिवार की परिभाषा और मंत्री जी ने जो कहा है वह वास्तव में स्थायी समिति के सुझावों के विपरीत है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 2 ,पंक्ति 17 से 19 का लोप (7)
किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री राजीव सातव द्वारा प्रस्तुत खंड 5 में संशोधन संख्या 7 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री तथागत सत्पथी, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं खंड 5 में संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18 धारा 14 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री राजीव सातव, क्या आप खंड 18 में संशोधन संख्या 12 से 17 तक प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री राजीव सातव : महोदय, मैं खंड 18 में संशोधन संख्या 12 से 17 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह दंड के संबंध में है और मैं इस सभा से अनुरोध करूँगा कि दंड को बढ़ाया जाए क्योंकि यह बहुत कम है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 37,-

"छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी " **के स्थान पर**

"एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी "

प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 34, 35,-

"बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा "

के स्थान पर

"एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख (13)
रुपए तक का हो सकेगा " **प्रतिस्थापित** किया जाए।

"पृष्ठ 3, पंक्ति 41,-

"छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी " **के स्थान पर**

"एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी" **प्रतिस्थापित** किया जाए (14)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 42 और 43,-

"बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा " **के स्थान पर**

"एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा " **प्रतिस्थापित** किया जाए। (15)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 10,-

"एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी " **के स्थान पर**

"एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी " **प्रतिस्थापित** किया जाए। (16)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 10,-

" जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।" **के स्थान पर**

"ऐसी अवधि के कारावास , जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा " **प्रतिस्थापित** किया जाए (17)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री राजीव सातव द्वारा प्रस्तुत खंड 18 में संशोधन संख्या 12 से 17 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 18 में संशोधन संख्या 22 से 29 तक प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं खंड 18 में संशोधन संख्या 22 से 24 और 27 से 29 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं संशोधन संख्या 25 और 26 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" पृष्ठ 3, पंक्ति 41, -

"छह मास " **के स्थान पर**

“दो वर्ष” **प्रतिस्थापित** किया जाए। ” (25)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 41-42, -

" किन्तु जो दो वर्षतक की हो सकेगी या जुर्माने से , जो बीस हजार " **के स्थान पर**

" किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से ,जो एक लाख "

प्रतिस्थापित किया जाए” (26)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 18 में संशोधन संख्या 25 और 26 को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 नई धाराओं 14क, 14ख, 14ग और 14घ का अंत:स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप खंड 19 में संशोधन संख्या 32 और 33 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं खंड 19 में संशोधन संख्या 32 और 33 प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इन्हें इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि यदि अपराध के मामले में समझौता हो जाता है तो अभियोजन की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेरा कहना यह है कि केवल अपराध का शमन ही पर्याप्त नहीं है। अपराध का शमन करने के बाद, वे राशि का भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि भुगतान कुछ दिनों बाद होगा। इसलिए, मेरा संशोधन है "और अपराध के समाधान के लिए राशि का भुगतान किया गया है।" तभी उसके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। यह भी एक सकारात्मक और ठोस सुझाव है। कृपया इसे स्वीकार करें ताकि जुर्माना या शमन राशि के भुगतान के बाद ही उसे अभियोजन कार्यवाही से छूट मिल सके। कृपया इसे स्वीकार करें। यह एक हानिरहित संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 27, -

"पंद्रह हजार रुपए " **के स्थान पर**

"पिचहत्तर हजार रुपए " **प्रतिस्थापित** किया जाए। " (32)

" पृष्ठ 5, पंक्ति 5 , -

"दिया जाता है " **के पश्चात**

"और अपराध के शमन के लिए राशि का संदाय कर दिया गया है।"

अंत:स्थापित किया जाए। (33)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 19 में संशोधन संख्या 32 और 33 को सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 नई धाराओं 17क और 17ख का अंत:स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष : श्री राजीव सातव, क्या आप खंड 20 में संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं खंड 20 में अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि यह केवल जिला प्रशासन के बारे में नहीं है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों के बारे में है, जैसे सांसद, विधायक और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि प्रशासन के लिए होने चाहिए।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 5, पंक्ति 12 से 18,-

> "17क. समुचित सरकार, स्थानीय संसद सदस्य और/विधान सभा सदस्य और/स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो आवश्यक हों, तथा स्थानीय संसद सदस्य और/विधान सभा सदस्य और/स्थानीय निकाय प्रतिनिधि प्रत्येक तीन महीने में क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और पुनरीक्षा के लिए अपने अधीन एक समिति बना सकेंगे जिसमें स्थानीय प्रशासन भी होगा " **प्रतिस्थापित** किया जाए (18)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री राजीव सातव द्वारा प्रस्तुत खंड 20 में संशोधन संख्या 18 को सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन मतदानके लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, संशोधन संख्या 34

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : जी हाँ महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूँ:

"पृष्ठ 5, पंक्ति 15, -

"ऐसे अधिकारी को " **के पश्चात**

" जो डिप्टी कलक्टर की पंक्ति से (34)
नीचे का नहीं होगा " **अंत:स्थापित**
किया जाए

यह भी एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है क्योंकि कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट एक अधिकारी को अधिकार सौंप रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अब अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का रखा जाए; अन्यथा कलेक्टर यह अधिकार किसी उच्च श्रेणी क्लर्क को या कलेक्टर की इच्छा के अनुसार किसी को भी सौंप सकता है। इसलिए यह एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए जो डिप्टी कलेक्टर से नीचे के पद का न हो। यह एक सकारात्मक सुझाव है; कृपया इसे स्वीकार करें।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 20 में संशोधन संख्या 34 को सभा में मतदान के लिए रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्रीजी अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

… (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, भारत के बच्चों के हित में हम सभा से बाहर जा रहे हैं।... (*व्यवधान*)

<u>सायं 7.57 बजे</u>

(इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मुझे कुछ कहना है।… (*व्यवधान*) जहां तक इस कानून का सवाल है, यह बहुमत या अल्पमत का सवाल नहीं है। आपको विधान को और अधिक परिपूर्ण बनाना होगा। इसे और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक स्थायी समिति है; एक चयन समिति है। कई सदस्यों

ने यह स्पष्ट किया है कि इस विधेयक में अनेक गलतियाँ या कमियां हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कई मुद्दे हैं। लेकिन साथ ही, अत्यंत अनुभवी नेता ने अपने अनुभव से यह स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री जी ने जिन मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है वे सभी जरूरी मुद्दे हैं। … (*व्यवधान*) हालाँकि देर हो चुकी है, लेकिन मंत्री के पास इसे प्रवर समिति को भेजने के बारे में सोचने का समय है। … (*व्यवधान*) हम इसका बहिष्कार करते हैं और विरोध में बाहर जा रहें हैं।… (*व्यवधान*)

सायं 7.58 बजे

(इस समय श्री पी. करूणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।“

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम शून्य काल ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहें क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की एक लंबी सूची है। हमें एक घंटे के भीतर समाप्त करना है।

अब, श्री के.सी. वेणुगोपाल।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदय, मैं माननीय सत्ता पक्ष, विशेषकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भारत की ओलंपिक तैयारियों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहलवान नरसिंह यादव नाडा द्वारा आयोजित डोप टेस्ट में विफल रहे। इससे आगामी रियो ओलंपिक में उनके भाग लेने पर संदेह है।

नरसिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के करीबी सूत्रों ने गड़बड़ी की ओर इशारा किया है और उनका दावा है कि पूरा घटनाक्रम एक षड्यंत्र लग रहा है। अब 74 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिनिधित्व पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। लेकिन पूरी संभावना है कि रियो में 74 किलोग्राम वर्ग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुश्ती महासंघ के अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि नरसिंह को फिलहाल अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है।

पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 74 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले नरसिंह को विवादास्पद परिस्थितियों में रियो के लिए चुना गया था, क्योंकि ट्रायल के लिए दोहरे ओलंपिक पदक की मांग को भारतीय कुश्ती महासंघ और दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। नरसिंह को ओलंपिक में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।

महोदय, अब क्या हो रहा है? ओलंपिक में पदक जीतने का अवसर हम खो चुके हैं। देश को इसका भारी नुकसान हो रहा है। यह सब आपसी विवाद और हमारे ही लोगों की साजिश का परिणाम है। इसलिए, सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं भविष्य में न दोहराई जायें। सरकार को तुरंत जांच करनी

चाहिए और सुधारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए ताकि कुश्ती टीम के सदस्य रियो ओलंपिक में भाग ले सकें। धन्यवाद, महोदय।

__रात्रि 8.00 बजे__

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार) : श्री वेणुगोपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मैं निश्चित रूप से इसे युवक एवं खेल मामलों के माननीय मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख की ओर ले जाना चाहती हूं। यहां पर कल्ली चौराहा से खैराबाद जी. टी. रोड तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो मानक के अनुरूप नहीं है। वहां मानकों की बिल्कुल अनदेखी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत भारत सरकार से पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी सड़कों की निगरानी के लिए एक समिति बनायी जाये और जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती वीणा देवी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर) : भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है और तथा कुछ मामलों में तो कुछ प्रकार के खाद्यान्नों की अधिकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, हाल के दिनों में,

इस उत्कृष्ट उपलब्धि के पीछे जो किसान हैं, वे ही आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह के चरम कदम के पीछे मूल कारण इनपुट लागत में वृद्धि, कृषि कार्यों में हानि, नकली बीज और उर्वरक, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमी, उनकी उपज का दयनीय विपणन और प्रकृति की अनिश्चितताओं सहित कई अन्य कारण हैं।

किसान लगातार या तो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या बारिश न होने का रोना रो रहे हैं।

दूसरा खतरनाक रुझान जो तेजी से बढ़ रहा है, वह यह है कि किसान अपनी छोटी-छोटी जमीनें बेचकर खेती छोड़ रहे हैं और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। यदि यह जारी रहता है, तो हमें फिर से 'शिप-टू-माउथ' वाली स्थिति में लौटना पड़ेगा यानी देश की कृषि और खाद्य सुरक्षा की स्थिति कमजोर हो जाएगी और यह भारतीय कृषि के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

मैं इन सभी बातों को इसलिए सामने ला रहा हूँ, ताकि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। देश में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू गारू ने कृषि के लिए अलग से बजट बनाने का फैसला किया है और इस साल से ही इस पर काम शुरू कर दिया है, ताकि कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके, उसका खोया हुआ गौरव वापस मिल सके और किसान समृद्ध बन सकें।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे, जिन्होंने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है, कृपया कृषि के लिए अलग से बजट बनाएं, जिससे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जैदेव गल्ला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन रेल विभाग का एक बिजी रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई और दिल्ली को जोड़ता है। रेल मंत्रालय को इस रूट से काफी ज्यादा आय मिलती है। यहां रेल परिसर में ट्रैफिक, गंदगी, सुरक्षा और पीने के पानी की भारी समस्या है। इसके लिए डिवीजन अथॉरिटी माहितगार है, लेकिन उनके द्वारा कोई सीरियस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन रेल कार्यालय में लोग लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह समस्या नहीं लग रही। मेरी मंत्रालय से मांग है कि फ्रैश आईस कर्मचारियों को डेप्यूट करके हर समस्या का जीरो लैवल पर निराकरण करने की दिशा में काम शुरू करवाया जाये।

श्री परेश रावल (अहमदाबाद-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सस्ते अनाज की दुकानों से सस्ते दामों पर अनाज एवं अन्य आवश्यक चीजें दी जाती हैं। प्रशासन द्वारा यह प्रक्रिया पूरे साल हर महीने चलती है। इस वितरण प्रक्रिया की कोई फिक्स तारीख या समय नहीं होता। महीने में कभी भी अनाज दिया जाता है। इसका लाभ ज्यादातर निम्न, मध्यम वर्ग और गरीब लोग लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपने कामकाज से छुट्टी लेनी पड़ती है, यानी आर्थिक नुकसान भी होता है। कभी -कभी उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्रालय से मांग है कि सरकार के पास पूरे वर्ष भर के अनाज का स्टाक जमा होता है, तो लाभार्थियों को एक साथ तीन महीने या छः महीने का अनाज दिया जाना चाहिए। इससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जायेगी। इसके साथ-साथ नागरिकों को हर महीने राशन लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अनाज परिवहन के लिए भी हर महीने कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अथॉरिटी को इसका हिसाब रखने में भी आसानी रहेगी। जो अनाज सड़ जाता है या अन्य जीव खा जाते हैं, उसे भी बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अनाज रखने के लिए किराये पर गोदाम लेने पड़ते हैं। यह खर्च बचाया जा सकता है, क्योंकि यह रकम करोड़ों रुपये में होती है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी, श्रीमती रेखा वर्मा, श्री राम प्रसाद शर्मा, डॉ. पी. किरिट सोलंकी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परेश रावल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार सैनी (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं एक दिन मनरेगा स्कीम के निरीक्षण के लिए अपने लोक सभा क्षेत्र में भ्रमण पर निकला। मजदूरों को खाली बैठा देखकर, मुझे लगा कि इस स्कीम में भारी बदलाव की जरूरत है। एक तरफ किसान को 400 रुपये दिहाड़ी पर मजदूर नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत मजदूरों को 50 दिन से ज्यादा का वेतन नहीं मिलता। 365 दिनों में अगर किसी को 50 दिनों का वेतन ही मिलता हो तो उसका भला कैसे संभव है। बाकी पैसा मस्टर रोल भरने वाले लोगों की जेब में चला जाता है। यदि पांच एकड़ तक के छोटे किसान के साथ मनरेगा को जोड़ दिया जाए तो किसान को मजदूर सरकार द्वारा मिल जाएंगे और गांव के मजदूरों को खेत में हर वक्त मजदूरी मिल जाएगी। इससे मजदूर और किसान, दोनों का कल्याण हो जाएगा। खेती सस्ती हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादन बिकने के दौरान मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा। एक ही स्कीम से देश की आधी आबादी को रोजगार मिल जाएगा और स्कीम का फर्जीवाड़ा भी रुक जाएगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी, चन्द्र प्रकाश जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजकुमार सैनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आजादी हम लोगों को बड़े कष्ट से मिली है और इसमें झण्डे का स्थान बहुत बड़ा है। हमारा तिरंगा झण्डा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है, लेकिन आज जो सिचुएशन है, अगर सूडान में कुछ हो जाए, ईरान में कुछ हो जाए, इराक में कुछ हो जाए या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो जाए तो यह फैशन हो गया है कि यहां पाकिस्तानी झण्डा लहराया जाता है। पाकिस्तानी झण्डा लहराने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वर्ष 1916 से लेकर 1947 तक इस देश की जो स्थिति थी, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, आज उसी तरह के लोग, उन तत्वों को वोट बैंक की राजनीति के कारण आगे बढ़ाते हैं। अभी एक घटना हुई है, आपको पता है कि पटना में पाकिस्तानी झण्डा लहराया गया। अभी झारखण्ड में साहेबगंज में पाकिस्तानी झण्डा लहराया गया, कश्मीर में बार-बार लहराया जाता है, महाराष्ट्र में लहराया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस तरह के फैशन को रोकना चाहिए। भारत सरकार से मेरी डिमाण्ड है कि जो भी पाकिस्तानी झण्डा लहराए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, उस पर मकोका से भी सख्त कानून लगाकर, जेल में बन्द करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी, श्रीरंग आप्पा बारणे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की विभिन्न कोर्ट्स में जो प्रलंबित केसेज हैं, उनके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम देखा, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी थे, उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं हैरान हो गया। देश के अनेक न्यायालयों में इतने केसेज प्रलंबित है कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, तो न्याय उसके पोते को मिलता है। आज ऐसी परिस्थिति बन गयी है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। देश में न्यायालयों में जो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उसके बारे में सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए, देश के न्यायालयों में जो न्यायाधीशों के रिक्त पद हैं, उनको तुरंत भरा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री राजीव सातव, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बड़ी संस्थाओं में समाज के कमजोर, वंचित, दलित एवं अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोटा में 73 बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें से सात बच्चे बिहार से हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वहां रोजनेस नाम की एक संस्था कोचिंग चलाती है, जिसके यहां 70,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस देश में निजी कोचिंग के नाम पर 272 अरब रुपये के मुनाफे की कमाई हो रही है। कई बार पटना हाई कोर्ट ने निजी कोचिंग्स के लिए कानून बनाने की बात कही है, ताकि समाज के गरीब

और अंतिम बच्चे किस तरीके से कोचिंग लें, यह तय किया जा सके। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि निजी कोचिंग नहीं होनी चाहिए, सरकार की तरफ से समाज के हर वर्ग के बच्चों को कोचिंग दी जानी चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इंफोसिस के नारायणमूर्ति जी एवं सुंदर पिचाई जी ने कोचिंग संस्थाओं, खासकर कोटा के बारे में बहुत गहरी टिप्पणी की है। मेरा आग्रह है कि कोटा में जो अवैध धन्धा चलाने और पैसे वसूलने की तैयारी है, उसके लिए एक कानून बने। मेरा गृहमंत्री जी से आग्रह है कि उसकी पूरी जांच हो, जिससे लगातार देश की अन्य संस्थाओं में समाज के जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। उस पर रोक लगे। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाये, यह बहुत ही आवश्यक है। मेरा आग्रह है कि लगातार मनोचिकित्सक स्थिति बच्चों की संख्या बढ़ रही है, इसको सुधारने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और निजी कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री निशिकांत दुबे को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी (बेलगावी) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री को हमारे किसानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अनूठी *"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"* शुरू करने के लिए बधाई देना चाहता हूं, जो उनके नियंत्रण से परे किसी भी कारण से फसल के नुकसान के मुकाबले मामूली प्रीमियम पर उपलब्ध कराई गई है। यह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे किसी भी आत्महत्या को रोकने के लिए है।

लेकिन, मैं बैंकरों के रवैये से बहुत दुखी हूँ, जो किसानों को फसल बीमा देने से सीधे मना कर रहे हैं। मना करने का एक कारण बीमा कार्य करने के लिए कर्मचारियों की कमी है। फिर, अन्य राज्यों से बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति, जो स्थानीय भाषा नहीं बोल पाते हैं, अच्छी सेवा प्रदान करने में और भी समस्या पैदा करती है।

इसे देखते हुए, कई किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पा रहे हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से इसकी शिकायत कर रहे हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि फसल बीमा पॉलिसियों को समय पर जारी करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को उचित और उन्नत सेवाएं मिल सकें।

अंत में, सभी स्तरों पर स्थानीय भाषाओं में पारंगत उपयुक्त कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे किसानों को बचाने के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि को कम से कम एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गन्ना और शहतूत को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, महोदय ।

माननीय उपाध्यक्ष : सर्वश्री प्रहलाद जोशी, शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल , नलीन कुमार कटील को श्री सुरेश सी. अंगड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सराहनीय है, लेकिन जब किसी चीज का दुरुपयोग होने लगे तो वह अच्छा नहीं है। आज कल सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह के संदेश भेजे जा रहे हैं, जिससे देश का हर वर्ग दुःखी है। पॉलिटीशयन्स को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हों, विधायक हों या सांसद हों, सबको भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। इससे कोई अछूता नहीं है, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर जाति, सबके विरूद्ध, मेरे मोबाइल में भी एक मैसेज है, सबके मोबाइल में यह होगा, किसी सिरफिरे ने यहां तक कहा है कि लोक सभा को हिम्मत है तो इम्पीचमेंट

लाये और पूरे संसद को क्या-क्या नहीं कहा गया है, वह भाषा असंसदीय है, इसलिए मै उसकी चर्चा यहां नहीं कर सकता हूं।

मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उन पर नियंत्रण हो।...(व्यवधान) इसकी इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी की भावना को आहत करे और इस तरह से समाज में तनाव पैदा करे, समाज को विघटित करने, तोड़ने और कमजोर करने का काम करे। इस पर नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कानून बने और इन चीजों को बंद किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा, श्रीमती वीणा देवी, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती नीलम सोनकर, सर्वश्री अश्विनी कुमार चौबे, भैरों प्रसाद मिश्रा, शरद त्रिपाठी, निशिकांत दुबे, सुनील कुमार सिंह और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, महिलाओं को तरह-तरह की बीमारियां होती थीं, उससे छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री 'उज्ज्वला योजना' लागू की। यह बहुत अच्छी योजना है। उस योजना के तहत, मैंने स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती में लगभग ग्यारह हजार गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन वितरित किया, लेकिन जब मैं वहां पर जा रहा हूं तो जो गैस कनेक्शन पा रहे हैं, वे बहुत खुश हो रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाई थी, उस सूची के आधार पर लोगों को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन अगर मुखिया के रूप में पुरुष का नाम सूची में है तो उनको वह नहीं मिल रहा है। अगर महिला का नाम सूची में है, तभी वह मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा निवेदन करता हूं कि जो सूची त्रुटिपूर्ण है, उसको ठीक किया जाये। जो लोग उस सूची में आने से वंचित हैं, उन गरीब परिवारों को भी भारत सरकार 'उज्ज्वला योजना' का लाभ दे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी, सी.पी. जोशी, जगदम्बिका पाल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरीशचन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मैं असम और उत्तरी त्रिपुरा में बराक घाटी के लोगों की पीड़ा का मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जो सिल्चर से गुवाहाटी और सिल्चर से कोलकाता तक अत्यधिक हवाई किराए के कारण परेशान हैं। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए यात्रा करना अत्यंत कठिन हो जाता है, इसका कारण यह है कि हमारे राजमार्ग और रेलमार्ग मानसून के दौरान बाधित हो जाते हैं। आज, सिल्चर और गुवाहाटी के बीच 182 किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए हवाई किराया 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच है और सिल्चर और कोलकाता के बीच 517 किलोमीटर की 45 मिनट की उड़ान के लिए हवाई किराया 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह एयरलाइन्स की संख्या बढ़ाए, उड़ानों की संख्या बढ़ाए और इन मार्गों पर हवाई किराए में सब्सिडी भी दे।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री राजीव सातव को कुमारी सुष्मिता देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शून्य काल में अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

तारकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में किया गया था। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन और श्रावण मास में यहां सर्वाधिक भीड़ होती है। भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल होने के कारण तारकेश्वर मंदिर एक प्रमुख तीर्थस्थल है। मंदिर के उत्तर में स्थित दूधपुकुर तालाब को साफ और सुंदर बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

यद्यपि यह रेलमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, फिर भी जनता की ओर से त्योहार के दौरान अधिक रेलगाड़ियां चलाने की भारी मांग है। श्रावण मास में लोग कोलकाता से पैदल तारकेश्वर मंदिर आते हैं।

इसलिए, मैं संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि वह इस मामले को ध्यान में ले तथा इस मंदिर में बुनियादी और आवश्यक सुविधाओं की मरम्मत के लिए अधिक धनराशि आवंटित करे क्योंकि यह तीर्थयात्रा और पर्यटन का मुख्य स्रोत है।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी. महेन्द्रन (पोल्लाची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारियल की खेती मेरे पोल्लाची निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। खाद्य तेलों में नारियल का तेल सबसे स्वास्थ्यवर्धक है। यह पाम ऑयल की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नारियल और नारियल तेल की आपूर्ति की मांग बढ़ रही है।

तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री, *पुराची थलाइवी अम्मा*, तमिलनाडु में नारियल किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठा रही हैं।

पाम ऑयल के आयात के बजाय नारियल के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा। नारियल के लिए अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और पाम ऑयल पर आयात शुल्क बढ़ाने से नारियल और नारियल तेल का स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति बढ़ेगी।

मिलिंग खोपरा का क्रय मूल्य बढ़ाकर 140 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना है। मैंने इस मुद्दे को सभा में कई बार उठाया है। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को पाम ऑयल के आयात पर आयात शुल्क बढ़ाने तथा नारियल और नारियल तेल के निर्यात को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। यह हमारे देश के नारियल उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का अंतिम समाधान होगा।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह मिलिंग कोपरा का एमएसपी बढ़ाकर रु. 140 प्रति किलोग्राम करे तथा हमारे देश के नारियल उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए नारियल और नारियल तेल के निर्यात को प्रोत्साहित करे।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री पी.के. बीजू, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन और श्री एम.के. राघवन को श्री सी. महेंद्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदय, मैं यहां सभा का ध्यान दिव्यांग लोगों की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 17 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 2011 की जनगणना

के अनुसार, हमारी भारतीय जनसंख्या का 2.29 प्रतिशत हिस्सा दिव्यांग है। उनके सामने शिक्षा के संबंध में चुनौतियां हैं और परिवहन तथा रोजगार प्राप्त करने में भी चुनौतियां हैं।

नवीनतम जनगणना के अनुसार, आरक्षण के बाद भी 49 प्रतिशत दिव्यांग लोग अभी भी बेरोजगार हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले पर गौर करने का अनुरोध करती हूँ। उन्होंने उनके लिए आरक्षण रखा है, लेकिन उन्हें हमेशा यह नहीं मिलता। मैं सचमुच सोचती हूं कि हमें उन्हें अपने राष्ट्र के विकास में शामिल करने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी और श्री राजीव सातव को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर): महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए क्योंकि मैं "असम में कैंसर की घटनाएं और उसका प्रभाव" का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं।

महोदय, असम, पंजाब के बाद भारत में दूसरा कैंसर राज्य बन रहा है। यहां तक कि 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के छोटे बच्चे भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं और इसका कारण कॉलेज और स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा *गुटखा* का सेवन है। असम में केवल एक कैंसर संस्थान है, वह है डॉ. बी. बोरूआ कैंसर संस्थान, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अपने अधीन लिया जाना है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह असम के साथ-साथ पूरे देश में *गुटखा* पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए तथा तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाए, जिससे असम भारत में पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंसर राज्य बन गया है। मैं भारत सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि गुवाहाटी में एकमात्र कैंसर संस्थान अर्थात् डॉ. बी. बोरूआ कैंसर संस्थान का अधिग्रहण किया जाए ताकि लोगों को बेहतर उपचार मिल

सके। कैंसर संस्थान, गुवाहाटी में हर सप्ताह कैंसर के एक हजार मामले सामने आ रहे हैं। असम में कैंसर के प्रभाव की यह दर चिंताजनक है। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले, कुमारी सुष्मिता देव, श्री निशिकांत दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अजय मिश्र टेनी, श्री पी.के. बीजू, श्री सिराजुद्दीन अज़मल, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती रेखा वर्मा, श्रीमती वीना देवी, श्रीमती नीलम सोनकर और कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल को श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, मैं सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले 375 दिनों से 1,000 से अधिक लोग पीने के पानी की मांग को लेकर *सत्याग्रह* पर बैठे हैं। महादयी नदी अरब सागर में मिलने से पहले कर्नाटक में 35 किलोमीटर और गोवा में 82 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल 2,032 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र में से कर्नाटक का जलग्रहण क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 2003 में महादयी नदी बेसिन में जल की मात्रा 220 टी.एम.सी. थी। कर्नाटक के जल संसाधन विकास संगठन के अनुसार, कर्नाटक बेसिन में उपज 44.15 टी.एम.सी. है। गोवा में महादयी की उपज 175 टी.एम.सी. है। कर्नाटक, कलसा-बंडूरी परियोजना से प्राप्त 7.56 टी.एम.सी. पानी को पीने के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है।

इसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तथा एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधानमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री श्री अनंतकुमार से मुलाकात की । हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे पीने के लिए केवल 7.5 टी.एम.सी. पानी की मंजूरी दें । जहां तक शेष पानी का सवाल है, न्यायाधिकरण जो भी निर्णय लेगा, आप उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ऐसे निर्णय केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जा सकते हैं। उन्हें हस्तक्षेप करना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे इसमें रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि ऐसी घटना पहले भी तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी। जब पीने के पानी की कमी हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने तुरंत कदम उठाए। उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उनसे अपने हिस्से का 5 टी.एम.सी. पानी देने का अनुरोध किया। इसलिए कम से कम प्रधानमंत्री को इस पर गौर करना चाहिए। पिछले एक साल से अधिक समय से वे *धरने* या *सत्याग्रह* पर बैठे हैं। हर समय, *गलाटास* चल रहा है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। अगर कुछ भी हुआ तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का डीपीआर गलत बनाया जाता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में आई.एल. एंड एफ. एस. कम्पनी के कारण लोगों को काफी कट हो रहा है। बैंगरा-पिरोखर सड़क, मधुबनी; विस्फी-सिंगिया सड़क, मधुबनी; वनकट्टा-बलिया सड़क में दामोदरपुर, मधुबनी; तथा कहरिया-भरबाड़ा सड़क में खिरोई नदी पर दरभंगा में पुल नहीं बनाने के कारण सड़क अधूरी है। दो भागों में सड़क है। मधुबनी जिला में शिवनगर सिरवारा सड़क में एक किलोमीटर कम है। अरेर पौना-नागदह में आधा किलोमीटर कम है। उसी तरह से, उच्चैठ दुर्गा स्थान से सलहा में आधा किलोमीटर कम है। पुल का प्रावधान नहीं रहने से सड़क दो भागों में है। इसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है। कम दूरी के कारण गांव को लाभ नहीं मिल रहा है। इस तरह से सभी सड़क में लम्बाई कम है। गांव के बसावट वाले क्षेत्र में पीसीसी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण सड़कें टूट गयीं हैं। डीपीआर बनाने वाली कम्पनी आई.एल. एंड एफ.एस. कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का प्रस्ताव तीन बार सतर्कता एवं निगरानी समिति मधुबनी ने पारित किया, परन्तु किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गयी है। ग्रामीण विकास विभाग का ध्यान पिछले चार वर्षों से आकृष्ट किया जा रहा है परन्तु किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा आग्रह है कि संसद की समिति इसकी जाँच करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी को श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री मानशंकर निनामा (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन परियोजना 2083 करोड़ की प्रत्याशित लागत पर स्वीकृत की गयी है। 31.03.2014 तक इस परियोजना पर 26 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 के रेल बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसके आतिरिक्त राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए दो सौ करोड़ रुपये जमा करवाए हैं। इसको राज्य सरकार के साथ मिल कर निपादित किया जा रहा है। समझौते के अनुसार राज्य सरकार को 50 प्रतिशत लागत का वित्तपोाण करना है। रेलवे ने 67 हेक्टेयर भूमि का कब्जा ले लिया है और इस भाग में मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया है। 59 छोटे पुलों के लिए पुल संबंधी कार्य की संविदा भी दी जा चुकी है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि रतलाम-बाँसवाड़ा-डूंगरपुर रेल परियोजना के लिए बाकी कार्यों और धन की व्यवस्था आविलम्ब करायी जाए ताकि कार्य पूर्ण किया जा सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मानशंकर निनामा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने छात्र ऋण पर ब्याज सब्सिडी पर एक केंद्रीय योजना शुरू की है। यह केंद्रीय योजना 1 अप्रैल, 2009 को अस्तित्व में आई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा भारत में

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर स्थगन की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना था। सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत नहीं आते थे। केरल सरकार के हस्तक्षेप के बाद - जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि केरल में सहकारी बैंक फल-फूल रहे हैं - सहकारी बैंकों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया।

केरल में, जिला सहकारी बैंक भी शिक्षा ऋण वितरित कर रहे हैं। ऐसे ऋण केंद्रीय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। केरल जिला सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है और उनमें कोर बैंकिंग प्रणाली है। केरल में आम लोग अपनी शिक्षा के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों पर अधिक निर्भर हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि केरल में जिला सहकारी बैंकों द्वारा वितरित शिक्षा ऋणों को भी केंद्र की सब्सिडी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने सूची में शामिल सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया है । मैं इस संबंध में किए गए अनुरोधों को स्वीकार करता हूं। मैं प्रति सदस्य केवल आधे मिनट की अनुमति दे सकता हूं। मैं इससे अधिक की अनुमति नहीं दे सकता। हमें इसे 9 बजे तक पूरा करना है।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : महोदय, हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जो समस्त भारत की जल विद्युत क्षमता का 25 परसेंट दोहन करने की क्षमता रखता है। प्रदेश की सभी नदियों की कुल विद्युत क्षमता 27436 मेगावाट आंकी गयी है, लेकिन अभी तक केवल 8415 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का ही दोहन हो पाया है। प्रदेश में 655 लघु विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। जिनमें से आधिकांश परियोजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं। इन परियोजनाओं में आधिकांश परियोजनाएं केन्द्र सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए कई वर्षों से लटकी पड़ी हैं। यही नहीं इसके आतिरिक्त कुछ संचालन संबंधी समस्याएं ऐसी हैं जो केन्द्र और राज्य सरकार में उचित तालमेल न होने के कारण कई वर्षों से सुलझ नहीं पाती।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हिमाचल में जल विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को एक विशे दल गठित किया जाए जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की समस्याओं को यथास्थल समाधान करें ताकि इन परियोजनाओं का संचालन बिना किसी व्यवधान के हो सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम स्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एम.के. राघवन (कोझीकोड): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सम्माननीय सभा में एक बहुत ही दुखद घटना को उठाने का अवसर दिया जहां 29 रक्षा कर्मी बंगाल की खाड़ी में शहीद हो गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: यह मामला कल पहले ही उठाया जा चुका था। कृपया संक्षिप्त में कहें।

श्री एम.के. राघवन: जैसा कि बताया गया है इनमें से दो रक्षा कर्मी श्री आई.पी. विमल कक्कड़ गाँव से और श्री संजीव कुमार कक्कूर गांव से हैं जो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के हैं। मैंने उनके परिवार से भी मुलाकात की थी। आज दुर्घटना को पांचवा दिन है और इस भारतीय वायुसेना के विमान की तलाश अभी भी जारी है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी की सराहना करता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से चेन्नई में थे और खोज और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि बताया गया है, दो इंजन वाला 25 साल पुराना ए.एन.-32 परिवहन विमान पूर्वाह्न 8:30 बजे पोर्ट ब्लेयर के लिए 1200 समुद्री मील की यात्रा करने के लिए तांबरम से उड़ा था। सोलह मिनट बाद विमान लापता हो गया। वर्ष 1976 में इसके शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना के लगभग 100 विमानों में से कम से कम 10 विमान घातक दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं।

इस क्रम में, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस ए.एन.-32 विमान का कुल तकनीकी जीवन कितना है? मेरी समझ यह है कि इस विमान की सेवा सिर्फ 25 साल तक ही सीमित है। क्या रक्षा विभाग

एक्सपायर्ड विमानों का संचालन कर रहा है? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में उनके पास क्या स्पष्टीकरण है।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री एन.के. प्रेमचंद्रन को श्री एम.के. राघवन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा (खडूर साहिब):__ महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय सैनिक बलविंदर सिंह का मामला उठाना चाहता हूं जिन्हें 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से थे। उन्हें कोट लखपत रेल जेल में कैद किया गया था। बलविंदर सिंह भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के सिपाही थे। उनका क्रमांक 33620503 था। 1976 में कोट लखपत रेल जेल में 176 भारतीय कैदी बंद थे। कोट लखपत राय जेल में सतीश कुमार भी कैद थे। बाद में उन्हें पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था। एक हलफनामे में उन्होंने बयान दिया कि बलविंदर वर्ष 1974 से वर्ष 1976 तक कोट लखपत जेल में बंद थे वह 19 जुलाई 1974 से 1976 तक बलविंदर सिंह के सह-कैदी थे।....

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा : क्षमा करें महोदय। मैं एक मिनट में समाप्त कर दूँगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय सेना ने बलविंदर सिंह की विधवा को पेंशन दी है क्योंकि उन्हें युद्ध में मृत मान लिया गया था। हालाँकि, बलविंदर सिंह को वर्ष 1974 और वर्ष 1976 के बीच उनके सह-कैदी सतीश कुमार ने कोट लखपत जेल में जीवित देखा था। इससे यह साबित होता है कि बलविंदर सिंह की मौत युद्ध के दौरान नहीं हुई थी बल्कि वह जीवित थे और पाकिस्तान की कैद में थे। बलविंदर सिंह के पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के अटक किले में मौजूद होने की भी खबरें थीं।

---

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरा मानना है कि बलविंदर सिंह अभी भी जीवित हैं और पाकिस्तान की कैद में हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जा सके और भारत (पंजाब) वापस लाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पिछले वर्ष 2015-16 के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक तथा मेरिट-कम-स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। राज्य सरकार को अंधेरे में रखा गया है। कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पोर्टल की धीमी प्रतिक्रिया के कारण छात्र आवेदन करने की स्थिति में नहीं हैं। कई क्षेत्रों में संपर्क की समस्या है। चार लाख छात्र आवेदन करने की स्थिति में नहीं हैं। यह पोर्टल तमाम तकनीकी गड़बड़ियों से भरा पड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अल्पसंख्यक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से या एन.एस.पी. के साथ उचित बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रवृत्ति वितरित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित किया है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस बात पर ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हवाई दल का विमान ए.एन. -32 पिछले चार दिनों से लापता है। पहले एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री कुणाल बारपट्टे मेरे संसदीय क्षेत्र में रहते थे। उनके परिवार वाले, घरवाले बार-बार मुझसे इस बारे में बोलते हैं और पूछते हैं। करीबन 29 लोगों में से छः विमान कर्मी हैं, इनके अलावा 11 लोग वायु सेना, 9 लोग नेवी और दो लोग आर्मी के थे। जो

कैप्टन और विमान कर्मी था, वह श्री दुयंत जी के चुनाव क्षेत्र का था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी लापता लोगों के घरवाले, परिवार वाले परेशान हैं। सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से जल्दी से जल्दी खुशखबरी दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

कोयम्बटूर को तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर और नंबर एक औद्योगिक शहर माना जाता है। कोयम्बटूर को भी देश के स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। वर्तमान में, अवरामपलायम रेलवे क्रॉसिंग से बहुत रेलगाड़ियाँ गुजर रही हैं। इस मार्ग से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेन के लिए रेलवे फाटक को हर आधे घंटे के लिए बंद करना पड़ता है, जिसके कारण भारी ट्रैफिक जाम और यातायात की भीड़भाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत से लोगों, विशेषकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों और कार्यालय जाने वालों को सुबह के समय काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में अस्पताल भी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.नागराजन: इसलिए, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अवरामपलायम रेलवे क्रॉसिंग पर शीघ्रातिशीघ्र रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए ।

[हिन्दी]

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लालगंज क्षेत्र की सांसद हूँ, यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां आस-पास जांच केंद्र की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को जांच के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जो काफी खर्चीला होता है। अर्थाभाव के कारण बीमारी की जांच समय पर नहीं करा पाने के कारण लोग समय से पहले ही काल के गाल में चले जाते हैं। मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार केंद्र की योजनाओं के तहत हमारे संसदीय क्षेत्र फूलपुर में लैब की व्यवस्था की जाए, जिसकी फंडिंग केंद्र सरकार से हो। इस लैब में सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण हों और जांचोपरांत महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में दवा देने की व्यवस्था भी हो। आशा है कि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. रत्ना (नाग) डे (हुगली): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पश्चिम बंगाल में पूर्वी रेलवे के हावड़ा मण्डल के भद्रेश्वर स्टेशन पर मेट्रो का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। न केवल भद्रेश्वर शहर बल्कि चंदननगर निगम बिगाडी पंचायत और गंगा नदी के दूसरी ओर के लाखों लोग और रेल यात्री इस सबवे का उपयोग करते हैं। जगह कम होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री जी से मेट्रो का विस्तार करने और लोगों के जीवन को बचाने का आग्रह करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले सीतापुर में दरी का व्यापार होता है, जिसके कारण यहां के लोगों का अक्सर दिल्ली आना-जाना होता है। महोदय, इस रूट पर गाड़ी संख्या 54075 और 54076 दिल्ली पैसेंजर ट्रेन पहले सीतापुर से दिल्ली के लिए चल रही थी, आज इस ट्रेन को शाहजहांपुर से कर दिया गया है।

महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ट्रेन का रूट सीतापुर से पुनः किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री वी. पन्नीरसेल्वम (सलेम): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,धन्यवाद।

मैं अपने सलेम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में यातायात की भीड़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग एस.एच.-7 सलेम शहर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें एस.एच.-47 और एस.एच.-68 सलेम शहर से शुरू होती हैं। इसके अलावा, राज्य राजमार्ग सड़क एस.एच.-18 भी सलेम शहर से शुरू होती है। इन एन.एच. और एस.एच. सड़कों से गुजरने वाले वाहन सलेम शहर में यातायात की भीड़ बढ़ाते हैं।

यातायात को कम करने के लिए, एन.एच.ए.आई. द्वारा एन.एच.डी.पी. चरण-7 के तहत सलेम शहर के चारों ओर 60 किलोमीटर की लंबाई के लिए एक बाहरी रिंग प्रस्तावित की गई थी, जो पहले उल्लिखित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती है। यह योजना वर्ष 2008 से लंबित है। बाहरी रिंग रोड से निःसंदेह पचास प्रतिशत यातायात प्रवाह कम हो जाएगा।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से उक्त बाहरी रिंग रोड के निर्माण के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम हरियाणा की बात करें तो आज 1/5 ओलंपिक टीम हमारे प्रदेश से आती है, परंतु एक दुर्भाग्य है कि हम छह राज्यों से कनैक्टिड हैं और रीसैंटली हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स, एक्रॉस द बॉर्डर हर राज्य से हमें हरियाणा में देखने को मिल रही है। खास तौर पर राजस्थान जैसा प्रदेश, जो पॉपी ग्रो कर के देश के कॉस्मेटिक प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट करता है, आज उसकी प्रोडक्शन भी देश के और प्रदेशों में जाने का काम कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और प्रधान मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि ड्रग कन्ट्रोल के लिए स्ट्रिक्टर लॉज लाने चाहिएं और गृह मंत्री प्रदेश सरकार को, प्रदेश पुलिस को निर्देश दें कि कड़े से कड़े सीलिंग प्रोसिजर्स हमारे बॉडर्स पर वे करने का काम करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे निर्वाचन क्षेत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में एक हार्डवेयर पार्क की स्थापना अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत अपने पहले आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वादा है। काकीनाडा मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और वहां कई शैक्षणिक संस्थान हैं। इसे हार्डवेयर पार्क की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान के रूप में पहचाना गया है। हमारी राज्य सरकार उसके लिए भूमि आवंटित करने के लिए आगे आई। हार्डवेयर पार्क की स्थापना से आंध्र प्रदेश के योग्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मैं केन्द्र सरकार से किए गए वायदे को पूरा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रातिशीघ्र काकीनाडा में हार्डवेयर पार्क स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी.आर. सुन्दरम (नामाक्कल): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। तमिलनाडु पुलिस देश के सबसे पेशेवर और कुशल पुलिस बलों में से एक है। पुलिस बल द्वारा निरंतर सतर्कता बनाए रखने से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा के खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में राज्य का एक शानदार रिकॉर्ड सुनिश्चित हुआ है।

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक की पांच साल की अवधि के लिए राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 12,379.30 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन देश के पूरे पुलिस बल की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। तमिलनाडु को अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अगले कुछ वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने माननीय प्रधान मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए ज्ञापन में अनुरोध किया है कि विश्व स्तरीय आधुनिक और कुशल पुलिस बल बनाने के राज्य के प्रयासों को समर्थन देने के लिए केंद्रीय वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

मैं सरकार से तमिलनाडु के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने और इस योजना के तहत धन जारी करने में तेजी लाने का आग्रह करूंगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकारा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय । मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान रैगिंग के खतरे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसने पेशेवर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित कई उच्च शिक्षा संस्थानों में खतरनाक रूप धारण कर लिया है।

हम सभी जानते हैं कि रैगिंग एक औपनिवेशिक विरासत है और यह कुप्रथा आज भी हमारे कई संस्थानों में यथावत जारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल ही देश के विभिन्न कॉलेजों में छात्रों की मौत या अपंगता समेत रैगिंग के 390 मामले सामने आए थे। रैगिंग देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अभिशाप और शर्म की बात बन गई है।

महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षाविदों और छात्र समुदाय सहित सभी हितधारकों को साथ लेकर रैगिंग के खतरे को समाप्त करने के लिए एक व्यापक विधान लाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन किसानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिन किसानों को शोहरत है कि उन्होंने अपने साथ-साथ देश के लोगों का पेट भरने का काम किया।

महोदय, अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किसान के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, वह पैसे चुका नहीं सकता है, उसका कारण यह है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, फरीदकोट, भटिंडा, फिरोजपुर, मालवा का जो क्षेत्र है, उसमें पिछले साल मच्छर की वजह से कॉटन और ग्वार की फसल तबाह हो गई। इस साल भी ऐसी चिट्टी मक्खी आ गई, जिससे कॉटन यानी कपास की फसल और ग्वार की फसल समेत सभी फसलें खत्म हो गईं। उससे पहले भी इसी तरह से सारा एरिया नट हो गया। आज केन्द्र सरकार की ओर से टीम भी गई है।

मैं चाहता हूँ कि एक तो उन किसानों को कम से कम 30 हजार रूपए प्रति एकड़ का सरकार मुआवजा दे। दूसरे, उनके ऊपर जो कर्ज का बोझ है, उसे केन्द्र सरकार माफ करे, उसे अपने ऊपर ले, ताकि वे सुसाइड करने से बच सकें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री शेर सिंह गुबाया जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्लास्टिक रीसाइक्लिंग से संबंधित लोक महत्व के विषय को शून्यकाल में उठाना चाहता हूँ।

महोदय, प्लास्टिक दुनिया भर में पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक अनुमान के अनुसार अब तक दुनिया में 5 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है, जिसमें केवल 14 प्रतिशत की अभी तक रीसाइक्लिंग हो पाई है। ऐसी जानकारी आयी है कि प्रतिठित शोधपत्र एकेडेमिक जनरल साइंस में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इंडियोनेला सकाईनेसिस नामक बैक्टीरिया की पहचान की है।

यह पॉलीथिलीन टैरेप्थालेट यानी पीईटी के यौगिक को खंडित कर सकते हैं। आम तौर पर यह धारणा है कि प्लास्टिक को नट नहीं किया जा सकता, परंतु अब शोधकर्ताओं ने बताया है कि यह बैक्टीरिया पीईटी को हाइड्रोलिटिक रूप से विखंडित कर पानी में बदलने की प्रक्रिया करने के लिए दो एंज़ाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एंज़ाइम्स बैक्टीरिया की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीईटी के साथ क्रिया करके उन्हें मौलिक तत्वों में तब्दील कर देते हैं। यह प्लास्टिक से परेशान देशों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। भारत एक विशाल देश है, जहाँ प्लास्टिक का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र , कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल , श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, पियाली, सियालदह कैनिंग लाइन पर पियाली नदी पर स्थित सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस रेलवे स्टेशन की बड़ी समस्या यह है कि रेलवे

क्रॉसिंग न होने के कारण एक तरफ से वाहन विपरीत दिशा में नहीं जा पाते हैं। इस संबंध में मैंने रेल मंत्री जी को तीन बार पत्र लिखा लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला।

मैं हजारों-लाखों ग्रामीणों, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों और व्यापारियों की ओर से माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करना चाहती हूं कि काफी समय से लंबित इस मांग पर विचार करें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें।

श्री के.एन.रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, इस मामले को उठाना मेरा कर्त्तव्य है। बंगाल की खाड़ी में 29 कर्मियों के साथ भारतीय वायुसेना के ए.एन-32 विमान के लापता होने का आज पांचवां दिन है, जिसने मेरे संसदीय क्षेत्र तांबरम वायु सेना अड्डे से उड़ान भरी थी।

मैं भारत सरकार और विशेष रूप से देश के रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि वे लापता विमान का पता लगाने और जीवित बचे लोगों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, तो वे तुरंत सेवा में लगें और पनडुब्बियों और अन्य प्रकार की खोज मशीनों का उपयोग करें।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री के.एन.रामचंद्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी उपस्थित हैं। मेरा लोक सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का रतलाम जिला है और वहाँ पर 14 तारीख से 2000 मरीज़ हैजा और उल्टी-दस्त से बीमार हुए हैं। वहाँ पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण मरीज़ों को लेकर कोई गुजरात जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जा रहा है। वहाँ उन्हें एक्सपाइरी डेट की दवाइयाँ दी जा रही थीं। वहाँ जाकर जब लोगों ने कहा,

तब जाकर दवाएँ बदलीं। यहाँ के लोगों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर भी हमने राज्य सरकार से मांग की है। उनको मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा है। 24 तारीख को वहाँ जो जिला अस्पताल है, वहाँ जो महिला प्रसूति वार्ड है, उसकी छत गिरी। वहाँ 15 लोग दब गए और तीन लोगों की मृत्यु हो गई। उसी तरह से गंदा पानी पीने से तीन लोग मर गए। इसके बाद भी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। ...(व्यवधान) सभापति जी, इतने समय से हम बैठे हैं, थोड़ा समय दीजिए।

महोदय, आज वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर छत गिर गई है और हर तरह से वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमने खुद जाकर वहाँ राज्य सरकार से भी कहा, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, बादल फटने, नदियों में पानी भर जाने, आतिवृटि और भूस्खलन से पूरा उत्तराखंड बुरी तरह से प्रभावित है। इतना ही नहीं, मेरे लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार के हरिद्वार, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, भगवानपुर रोड, नारसन, ज्वालापुर, डोईवाला और ऋषिकेश सहित सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में जन-धन और ज़मीनों की व्यापक क्षति हुई है। फसलें तबाह हो गई हैं, खेत-खलिहान बर्बाद हो गए हैं, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। यहाँ तक कि मवेशियों के चारे का संकट हो गया है। इस भीषण त्रासदी से पूरा जन-जीवन ठप्प हो गया है। वहाँ के लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।

श्रीमन्, जहाँ राज्य प्रशासन बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है, जहाँ लोग बर्बाद हो गए हैं, वहाँ उनसे ऋण वसूली के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं, इसलिए लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सुनाली नदी और गंगा के तटबंध, जो बार-बार टूट जाते हैं और इससे सैंकड़ों गांव बर्बाद हो जाते हैं, इन्हें तत्काल बनाया जाए। वहां ऋण वसूली तत्काल रोकी जाए और उनके ऋण को माफ किया जाए, ताकि वे अपना जीवन जी सकें। जो टिहरी के विस्थापित लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल , श्री भैरों प्रसाद मिश्र , श्री शरद त्रिपाठी को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। होसुर मेरे कृष्णागिरि संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। सिपकोट, होसुर में विभिन्न उद्योग और कृषि क्षेत्र की कंपनियां हैं। फार्मा उद्योग होसुर में एक ऐसा उद्योग है जो अच्छी तरह से फल-फूल रहा है। स्थितियां और ढांचागत उपलब्धता इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री अम्मा ने होसुर में व्यापार और उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार तमिलनाडु में औद्योगिक क्षेत्र और कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर काम कर रही है। इससे न केवल दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे।

केन्द्र सरकार देश में फार्मा कंपनियों को सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन बड़ी बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों के प्रभुत्व के कारण छोटी और मध्यम आकार की फार्मा कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है और फार्मा सेक्टर में गिरावट आ रही है। इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से होसुर में एक फार्मा पार्क स्थापित करने और होसुर में फार्मा कंपनियों की मदद करने के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान हमारे देश के किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश में कृषि के लिए कोई सबसे बड़ी संस्था है तो वह ए.पी.एम. सी. है, जो देश के छोटे-बड़े तालुका के स्तर पर भी

स्थित है। यदि सरकार चाहे तो इस ए.पी.एम.सी. के माध्यम से देश के किसानों के लिए एक विकास की क्रांति लाई जा सकती है।

महोदय, ए.पी.एम.सी. किसानों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। यदि प्रत्येक ए.पी.एम.सी. में एक मॉल की व्यवस्था हो जाए, जहां पर किसानों को शुद्ध गुणवत्ता वाली सर्टीफाइड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयां और कृषि औज़ारों की उपलब्धता हो सके। वह उन्हें किफायती और सब्सिडी पर उपलब्ध हो तथा पूरे देश में इसकी रेट बराबर हो, ताकि किसान उसे देश में कहीं से भी खरीदे तो उसका मूल्य समान हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के किसानों को बिचौलियों के माध्यम से लूटा जा रहा है। वे कर्ज़ के मारे आत्महत्या कर लेते हैं और इसलिए आत्महत्या की इतनी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे कृषि प्रधान देश के लिए लज्जा की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि केन्द्र सरकार के आदेश से ए.पी.एम.सी. में कृाि मॉल के ज़रिए देश के किसानों को शुद्ध गुणवत्ता वाले सर्टिफाइड बीज किफायती दर पर मिले तो उसका बहुत लाभ होगा। इसी तरह, किसान सरकार का सीधा लाभार्थी बन सकता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री नारणभाई काछड़िया जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : डिप्टी स्पीकर साहब, वीर शैव तथा लिंगायत समाज के नहीं, बल्कि शिव को मानने वाले सभी भक्तों के गुरु राष्ट्रीय संत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज की बात मैं यहां पर सदन के सामने रखना चाहता हूं। पिछले करीब सौ सालों से वे अपना सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण

संरक्षण और चिकित्सा सेवा की उपलब्धता के लिए उनका काम राट्रीय स्तर पर जाना गया है। जिस प्रकार से व्यसन मुक्ति में उनका काम हुआ है, उन्होंने हज़ारों युवाओं को उनके जीवन में नई राह दिखाई है। इसलिए, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें भारत-रत्न दे, यह मैं मांग करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों पर पिछले दस से तीस वर्षों से लगातार सेवा कार्य करने वाले कैज़ुअल आर्टिस्ट्स, आकस्मिक उद्घोाकों का चयन विधिवत तरीके की प्रक्रिया से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर किया जाता रहा है। आज भी दस से तीस वर्षों से जो काम कर रहे हैं, उनको वाणी प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण के पश्चात भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हालांकि, सरकार की जो नियमितीकरण की नीति है, उसके अंतर्गत कई निर्णय कोर्ट से भी आए हैं, कैट के माध्यम से भी आए हैं। परन्तु, फिर भी आज हमारे सैकड़ों ऐसे कैज़ुअल आर्टिस्ट्स हैं, जिन्हें रेगुलराइज़ नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र में जितने भी कैज़ुअल आर्टिस्ट्स हैं, उन्हें रेगुलराइज़ किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल , श्री शरद त्रिपाठी , श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री वीरेंद्र कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जी. हरी (अराकोन्नम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद । शोलिंघुर मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी है। शोलिंघुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कार्यालय जाने वालों, व्यवसायियों, छात्रों और आम जनता सहित हर दिन हजारों लोग कई गंतव्यों की यात्रा करते हैं। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि अधिकांश

एक्सप्रेस ट्रेनें शोलिंघुर स्टेशन पर नहीं रुकती हैं, खासकर बृंदावन एक्सप्रेस, एलेप्पी एक्सप्रेस, पलानी एक्सप्रेस और मैंगलोर मेल जैसी ट्रेनें।

महोदय, यदि इन रेलगाड़ियों को शोलिंघुर में ठहराव दिया जाता है तो इससे यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी और रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। अन्यथा रेल यात्रियों को निकट के वालजाह रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए दो घंटे का सफर करना पड़ता है, जिससे यात्रियों विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी होती है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से शोलिंघुर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव दिए जाने के लिए हर संभव कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सिराजुद्दीन अज़मल (बारपेटा): ऊपरी असम, बारपेटा, डुबरी और वालमाडा में प्रत्येक वर्ष बाढ़ और भूक्षरण से तबाही हो रही है। महोदय, मैंने कुमारी उमा भारती जी से कई बार मिलने की कोशिश की है और बाढ़ शमन के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने केवल 19 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पिछले चार महीनों से, मैं इस गंभीर समस्या के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसके लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा है।

क्या मैं आपके कार्यालय के माध्यम से अनुरोध कर सकता हूं कि असम में बाढ़ शमन के लिए 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष : कुमारी सुष्मिता देव जी और श्रीमती सुप्रिया सुले जी को श्री सिराजुद्दीन अज़मल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से कोयले से लदी हुई जो रैक जाती है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आज की तारीख में झाझा-पटना रेल खंड पर हाल ही में कोयले से लदी हुई मालगाड़ी पूर्व रेलवे झाझा स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन के रैक में आग लगी। उस वक्त आग पर काबू पाया गया, लेकिन यह अंदर ही अंदर सुलगती रही। जब मालगाड़ी को एनटीपीसी बाढ़ में कोयले को अनलोड करने के लिए रवाना किया गया, तो आग तेज हो गई। परिणामतः जलालपुर हॉल्ट के पास आठ झोपड़ियां जल गईं। हाथीडीह, मोकामा और पंडारक स्टेशनों के पास आग लगी। आग के दौरान रेल पटरियों के दोनों ओर की झाड़ियों में, गांव में आग लग गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पांच किलोमीटर तक ऐसे ही मालगाड़ी दौड़ती रही, लेकिन रेलवे शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आग लगा हुआ कोयला जब पॉवर प्लांट में जाएगा तो उससे कितना उत्पादन होगा? धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र , श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, भारत में काजू उद्योग कच्चे काजू की अनुपलब्धता और कच्चे काजू की असामान्य कीमत के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। भारतीय उद्योग को कच्चे माल के रूप में लगभग 17 से 18 लाख टन कच्चे काजू की आवश्यकता होती है। कच्चे काजू का घरेलू उत्पादन लगभग 8.5 लाख टन है। बाकी मात्रा यानी करीब दस लाख टन कच्चे काजू का आयात मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों और इंडोनेशिया से किया जाता है। हाल ही में बजट में स्थिति को और खराब करने के लिए, भारत सरकार ने

कच्चे काजू पर पांच प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है। इससे स्थिति और गंभीर हो गयी है । इसलिए , शुल्क की कुल दर 9.36 प्रतिशत के आसपास आएगी।

इसलिए, मैं सरकार से कच्चे काजू पर आयात शुल्क वापस लेने और काजू पर मानक इनपुट –आउटपुट मानकों (एस.आई.ओ.एन) को बदलने का भी आग्रह करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से ओडिशा के पुरी जिले में देवी नदी के मुहाने पर अस्तारंग में एक बारहमासी पत्तन की स्थापना की मंजूरी के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यह पत्तन परियोजना 6500 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही है, लेकिन चार वर्षों की अवधि में, मुझे यह कहते हुए खेद है कि अब तक केवल 50 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। पत्तन की प्रारंभिक क्षमता 25 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी जिसे अंततः 70 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

इस प्रस्तावित पत्तन के महत्व को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय ने पहले ही इसे सागरमाला परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है।

इसलिए, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से ओडिशा में अस्तारंग पत्तन की स्थापना और विकास को मंजूरी देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): महोदय, हमारी दूरदर्शी नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, पुराची थलाइवी अम्मा ने घोषणा की थी कि भारत नेट योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाली ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के भारत नेट के लिए राज्य आधारित मॉडल के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और 4.2.2016 को दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी गई, जिसमें एक विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से परियोजना को लागू करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से 4628 करोड़ रु. की फंडिंग की मांग की गई।

अतः केन्द्र सरकार को परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि इस बार जहां मानसून अच्छा हुआ है, वहीं मानसून के माध्यम से मौत का कहर बरस रहा है। अब तक जो सूचना मिली है, उसके हिसाब से बिहार में 57, यू.पी. में 20, मध्य प्रदेश में 16 और झारखण्ड में 10 लोगों की बारिश और बारिश के साथ बिजली के गिरने से मौत हो चुकी है।

<u>रात्रि 9.00 बजे</u>

झारखंड में अलग-अलग जगह बिजली गिरने से दस लोगों की मौत हुई है। 21 जून, 2016 को चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में बिजली गिरने से चार आदिवासियों की मौत हुई जो एक ही परिवार के थे। इसमें पांच लोग घायल भी हुए हैं। इसके आतिरिक्त गढ़वा और मिदनी नगर में भी मौतें हुई हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिजली गिरने के मामलों में सरकार प्रत्येक परिवार को पांच-पांच लाख रुपये दे और उनके घर बर्बाद होने पर घर बनाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विषय शिक्षा कर्मियों का संविलियन है। पूरे देश में शिक्षा कर्मियों द्वारा पढ़ाई के आतिरिक्त चुनाव, जनगणना जैसे अनेक कार्य लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में नियमित शिक्षकों की भर्ती बंद है। शिक्षा कर्मी ही प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। उन्हें पंचायत कर्मी कहा जाता है। वेतन बहुत ही कम मिलता है। परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है।

इनकी प्रमुख मांग संविलियन की होती है। कई साल बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनकी मांग का निराकरण नहीं किया गया है। शिक्षा कर्मी हड़ताल पर हैं। शिक्षा सत्र में सरकार की हठधर्मिता के कारण आधिकांश समय पढ़ाई नहीं हो पाती। छात्र-छात्राओं का पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस गंभीर प्रकरण पर निजी तौर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा कर्मियों की मांगों को पूरा करने का कश्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री बैठे हैं, वे रिस्पॉड कर दें। हमारे यूपी कौन्सटीटूएंसी भारत-नेपाल की सीमा से एडज्वाइनिंग है। नेपाल की नदियां बाण गंगा, कोसी, करनाली और जलकुंडी भारत में आती हैं। आज की घटना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। बाण गंगा जो नेपाल से आती है, उसके टूटने के कारण और उन्होंने नेपाल में जो पानी छोड़ा है, उसकी वजह से पूरे भारत के सिद्धार्थनगर के सीमावर्ती गांव जैसे बसना, पतिया, दोहरिया बुजुर्ग, सिमरा और बगुलहवा आदि जलमग्न हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये नेपाल सरकार से बात करें क्योंकि अगर नेपाल का पानी लगातार आएगा तो एक तरफ आतिवृष्टि बाढ़ से उत्तर प्रदेश की घाघरा, रापती जिस तरह खतरे के निशान से ऊपर हो गई है, बाढ़ से तीस लोगों की मौत हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रैसक्यू कराया जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी , कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जगदंबिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुराची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार की उचित और न्यायोचित मांग को दोहराने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मुल्लापेरियार बांध की भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 152 फीट किया जाए और तमिलनाडु के सीमावर्ती जिले में पेयजल और सिंचाई दोनों प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए।

मैं केंद्रीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह केरल पर दबाव डाले ताकि वह इस मामले पर अपनी कठोर स्थिति को नरम करे और दोनों राज्यों के आपसी हित में बांध की ऊँचाई 152 फीट तक बढ़ाने पर सहमति दे, ताकि अच्छे पड़ोसी संबंध बनाए रखा जा सके।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश के 25 प्रतिशत से आधिक अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान कराए जाते हैं जो प्रॉयरिटी सैक्टर में लगभग 10 प्रतिशत होता है। लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र में मुस्लिम समाज, महिला समाज, सैल्फ हैल्प ग्रुप व दिव्यांग भी शामिल होते हैं जिससे यह तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि 25 प्रतिशत की जो अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी है, उनको फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना अनुदान मिल रहा है। प्रधान मंत्री जी ने स्टार्ट अप एवं स्टैंड अप के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों को उद्योग लगाने के लिए स्पैशल पैकेज दिया है। वे इसका लाभ तभी उठा पाएंगे जब फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उसकी पौपुलेशन के हिसाब से ही ऋण प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री रतन लाल कटारिया जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, तिंडीवनम-नागरी बी.जी लाइन तमिलनाडु के विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर और तिरुवल्लूर जिलों से 180 कि.मी की दूरी तक गुजरती है। इस परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2007 में किया गया था, लेकिन अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है कि रेलवे ने वर्ष 2016-17 में परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस असाधारण देरी के कारण, परियोजनाओं की कुल लागत 498 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,080 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह टिंडीवनम- नागरी बड़ी लाइन के त्वरित निष्पादन के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करने हेतु सभी संभव कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में जैसे बलिया, सिताब दियारा और बिहार में बक्सर और अन्य क्षेत्रों में गंगा के उफान से भीषण कटाव जारी है। सिताब दियारा जो लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी की जन्म स्थली है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है वह भी पूरी तरह से कटाव बिन्दु पर खड़ी है। भीषण कटाव के कारण हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर में अर्जुनपुर, मानपुर, मदरिया, केशवपुर, नैनीजोर और जबहीं आदि दर्जनों जगहों पर तेजी से हो रहे गंगा कटाव के कारण हजारों एकड़ जमीन हर वर्ष गंगा में समा रही है। यहां तक की बक्सर शहर का प्राचीन किला कई वर्षों से कटाव के कारण ध्वस्त होने के कगार पर है। राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। पिछली बार बोल्डर पिचिंग हुआ उसमें लूट हुई, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार कोशी, सरयू, घाघरा और अधवारा समूह आदि की नदियों से उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भीषण कटाव एवं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निदेरशित करे कि वर्षांत के बाद एक सघन योजना बनाते हुए सर्वेक्षण कराकर कारगर कदम उठाने का प्रयास करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अश्विनी कुमार चौबे जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम): महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के रेल यात्रियों की कुछ तात्कालिक जरूरतों पर बल देता हूं। रेलवे बजट वर्ष 2011-12 में मन्नारगुडी-चेन्नई मन्नै एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी जो निदामंगलम, तिरुवरुर और मयिलादुतरै के प्रस्तावित मार्ग के *बजाय* निदामंगलम, तंजावुर, कुंभकोणम, मयिलादुतरै से होकर जाती है। चूंकि निदामंगलम-तिरुवरुर- मयिलादुतरै मार्ग पर ब्रॉड गेज परिवर्तन पूरा हो गया है, इसलिए दक्षिणी रेलवे ने इस ट्रेन सेवा को मूल मार्ग से संचालित करना शुरू कर दिया है।

दूसरी बात, चेम्मोझी एक्सप्रेस जून, वर्ष 2013 से कोयंबटूर जंक्शन और मन्नारगुडी स्टेशन के बीच सेवा संचालित कर रही है। मैं उक्त ट्रेन का कराईकल रेलवे स्टेशन तक विस्तार करने का अनुरोध करता हूं।

प्रो. रिचर्ड हे (नामांकित): मैं देश के मछुआरों का मुद्दा उठाना चाहूंगा। मछुआरे देश के तटीय क्षेत्र में रहते हैं लेकिन सी.आर.जेड. नियमों के लागू होने के कारण वे देश के तटीय क्षेत्रों में अपना घर नहीं बना पा रहे हैं जहां वे सदियों से रह रहे हैं। इसलिए, मैं भारत सरकार से मछुआरा समुदाय को सी.आर.जेड नियमों से छूट देने का आग्रह करता हूँ।

मैं भारत सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि भारत सरकार की आपदा प्रबंधन योजनाओं में समुद्री कटाव और अशांत समुद्र के प्रभाव और मछुआरों को होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाए क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछुआरों की जानें जा रही हैं और उनके घर भी जा रहे हैं।

मैंने हाल ही में एलेप्पी और तिरूवनन्तपुरम का दौरा किया था। मैंने पाया कि हाल ही में हुए समुद्री कटाव और भारी वर्षा के कारण सैकड़ों मछुआरों ने अपने घर खो दिए हैं। अतः , मैं भारत सरकार से अनुरोध

करता हूं कि वह इन अभागे मछुआरा परिवारों के लिए गए घरों के निर्माण, उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए, रोजगार बहाल करे, शिक्षा प्रदान करे और साथ ही इनके द्वारा घरों के निर्माण हेतु लिये गए ऋणों को माफ करे।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को प्रो. रिचर्ड हे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

कुँवर पुपेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में हर व्यक्ति चाहे वह जिस धर्म का हो अपने-अपने तीर्थ स्थानों पर जाना चाहता है। हिन्दु धर्म की चार धाम यात्रा होती है वहां की यात्रा न तो व्यक्ति अपने छात्र जीवन में कर पाता है, न जब वह सर्विस में होता है तब जा पाता है। इस समय जितने भी लोक सभा सदस्य हैं, अगर हम लोग सोचें कि एक माह के लिए चार धाम यात्रा पर जाएं तो कभी नहीं जा सकते। हम अपने बुजुर्ग को भी लेकर नहीं जा सकते। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन कि चार धाम यात्रा एक्सप्रेस में रेल मंत्रालय उस ट्रेन में दो डॉक्टरों की नियुक्ति करे ताकि जो बुजुर्ग लोग जाते हैं लेकिन उनके साथ बच्चे नहीं जा पाते हैं और उनका पूरा परिवार चिंतित रहता है उनकी समय पर देखभाल होती रहे और उनके परिवार वाले निश्चिंत बने रहें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई सेंट्रल): तमिलनाडु की तटरेखा 1,076 कि.मी लंबी है और गुजरात के बाद यह देश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। यह तटरेखा 13 जिलों अर्थात् तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी द्वारा साझा की जाती है।

तमिलनाडु में लगभग 1.05 मिलियन मछुआरों की आबादी है। उनकी विशिष्ट रीति-रिवाज और जीवन शैली है और वे अपने पारंपरिक व्यवसाय से बहुत कम आजीविका प्राप्त करते हैं। हालांकि वे उद्यमशील हैं, तमिलनाडु के अधिकांश मछुआरे सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों के मामले में बहुत गरीब हैं। उन्हें अपने उत्थान के लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। यदि तमिलनाडु के मछुआरों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाता है तो इससे उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय *पुराची थलाइवी अम्मा* पहले ही इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठा चुकी है। तमिलनाडु के गरीब और योग्य मछुआरा समुदाय के हित में, मैं केंद्र सरकार से उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर का जो प्रमुख, बखेड़ा बाजार है और जो बर्तन उद्योग के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है, वहां की सड़क समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वहां की सड़क विगत दो वर्षों से अत्यन्त जर्जर हो चुकी है और इसे सुधारने के लिए मैं कई बार स्थानीय प्रशासन और सरकार को पत्र भी लिख चुका हूं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की तहसील खजनी में खजूरी से लेकर सिसवा तक लगभग साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि उस पर चलना दूभर हो गया है और आए दिन लोग गिर जाते हैं। चूंकि मैं स्थानीय सरकार को भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते कई बार पत्र लिख चुका हूं, इसलिए वह कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से विशेा अनुरोध है कि विकास कार्यों में कोई भी भेदभाव न किया जाए, क्योंकि विकास सबके लिए होता है। उसमें कोई दलगत चीज नहीं देखी जानी चाहिए। जैसे हमारी भारत सरकार 'सबका साथ सबका विकास' का नारा बुलंद कर रही है। इसलिए वह केवल

हमारा ही कार्य नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कार्य है। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्थानीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां की क्षतिग्रस्त सड़कों को अविलम्ब बनवाने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राधेश्याम विश्वास (करीमगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी है।

हाल ही में बराक घाटी में आमान परिवर्तन का काम पूरा हो गया है, लेकिन वहां पहले की तरह ट्रेन सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है। बराक घाटी में त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सड़क संपर्क बहुत खराब स्थिति में है और इसलिए उन इलाकों के लोग केवल रेल संपर्क पर निर्भर हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि क्षेत्र को अच्छा संपर्क प्रदान करने के लिए सिलचर से धर्मनगर *वाया* करीमगंज तक दो पैसेंजर ट्रेन, सिलचर से अगरतला तक दो नियमित एक्सप्रेस ट्रेनें, करीमगंज से डिब्रूगढ़ तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस और अगरतला से दिल्ली तक एक राजधानी एक्सप्रेस तुरंत शुरू की जाए। मैं केंद्र सरकार से क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत टिकट काउंटर शुरू करने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन और उड्डयन मंत्री के

ध्यान में लाना चाहता हूं कि अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है, वहां से एक दिन में करीब 120 से ज्यादा उड़ानें आती-जाती हैं। आजकल उसके रनवे के रखरखाव का कार्य चल रहा है। इसलिए वहां सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम को 6.00 बजे तक उड़ानें बन्द रहती हैं। इसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। इसके कारण वहां एयरलाइन्स के फेयर के रेट बहुत ऊपर जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उड्डयन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वहां मेंटिनेंस का कार्य रात के समय किया जाए, न कि दिन में और दिन में उड़ानें चालू रखी जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__श्री आर.के. भारती मोहन (मायिलादुतरै):__ माननीय उपाध्यक्ष, वणक्कम । कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेटों के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के क्रियान्वयन में किसानों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। जैसा कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान जोर दिया था, सौर पंप सेट योजना में केंद्र सरकार का योगदान 80% होना चाहिए, उसके बाद राज्य सरकार का हिस्सा 15% होना चाहिए। शेष 5 % राशि किसानों द्वारा वहन की जाएगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि माननीय अम्मा की मांग के अनुसार, भारत सरकार, राज्य और किसानों की हिस्सेदारी क्रमशः 80:15:5 के अनुपात में बनाए रखते हुए सौर पंप सेट योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (टाटा) एक औद्योगिक शहर है, जहां छोटे-बड़े कल-कारखाने, फैक्ट्री और कई कंपनियां हैं। वहां गांवों से प्रतिदिन हजारों-हजार की संख्या में लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए आते हैं। वहां शहर के बीचों-बीच टाटा स्टील कंपनी है, जिसके कारण हजारों बड़ी-बड़ी गाड़ियां आती-जाती हैं। इसके कारण प्रति वर्ा लगभग 400 दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 300 लोगों की मौत हो जाती है।

महोदय, शहर में घनी आबादी होने के कारण आए दिन जगह-जगह पर जाम की समस्या बनी रहती है। टाटा शहर में एक भी फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने के कारण ट्रेफिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण आम लोगों, स्कूली बच्चों तथा काम करने वाले मजदूरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां फ्लाईओवर बनाने की मांग स्थानीय लोगों की बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जमशेदपुर में शीघ्र फ्लाईओवर का निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री विद्युत बरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.आर सेनथिलनाथन (शिवगंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला केंद्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के कुछ लोग व्यापारिक उद्देश्य से नियमित रूप से श्रीलंका जाते हैं। श्री वेलमुरुगन और श्री शशि कुमार नामक दो व्यक्ति कपड़ा व्यापार करने के लिए श्रीलंका गए थे। उन्हें श्रीलंकाई

पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कैंडी अदालत में रिमांड पर लिया है। वे पिछले 40 दिनों से श्रीलंका की जेल में हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दो भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के बांदा जनपद में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। यह बहुत बड़ी आबादी का जिला तथा कमिश्नरी मुख्यालय है। वहां केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों व आम नागरिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से मेरे यहां चित्रकूट जनपद में केन्द्रीय विद्यालय नगर पालिका के रैनबसेरा में चल रहा है। जमीन केन्द्रीय विद्यालय के नाम रजिस्ट्री हुए कई साल बीत गए, लेकिन भवन का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। इस कारण वहां भी यह विद्यालय बंद होने जा रहा है।

अस्तु, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांदा जनपद में इसी सत्र से केन्द्रीय विद्यालय शुरू कराने व चित्रकूट जनपद के केन्द्रीय विद्यालय के भवन को यथाशीघ्र निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष, धन्यवाद। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराची थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु में आधुनिक चावल मिल और दाल मिलिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए कदम उठाए।

इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में आधुनिक चावल मिल और दाल मिलिंग सुविधाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए ताकि कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सके। चूंकि तंजावुर 'तमिलनाडु का चावल का कटोरा' है, इसलिए इंस्टिट्यूट ऑफ इन्क्यूबेशन सर्विसेज़ में इस तरह की पूरी तरह कार्यात्मक चावल और दाल मिलिंग इकाइयों की स्थापना से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा जिसमें तमिलनाडु के अरियालुर, कराईकल, नागपट्टिनम, पेरम्बलुर, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुवरुर जिले शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री के. परसुरमन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा कल, 27 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>**रात्रि 9.17 बजे**</u>

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 जुलाई, 2016 / 5 श्रावण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित